खण्ड-377, अंक-4
शनिवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1908
(22 मार्च, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 377 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	
सदन में कोरम न होने के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य राज्य मंत्री को निर्देश	3
अनुदानों पर चर्चा के लिये कम समय रखने पर आपत्ति	3
उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	3
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	3—4
बलिया में लोकनायक जय प्रकाश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	4
जनपद लखनऊ में युवा लोकदल के महामंत्री एवं कार्यकर्त्ता पर कातिलाना हमले की घटना के संबंध में वक्तव्य	4—11
रामनगर, वाराणसी के दरोगा द्वारा श्री यदुनाथ सिंह के साथ किये गये दुर्व्यवहार तथा धारा 395 का मुकदमा दायर करने के संबंध में पिछले सत्र में दी गयी सूचना पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	11—12
सत्र में उपवेशन के दिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	12—17
औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	17
1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-47—पर्वतीय विकास विभाग (जारी)	18—32
श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी द्वारा सदन में व्यवधान उत्पन्न करने पर आपत्ति (जारी)	32
1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान अनुदान संख्या-47—पर्वतीय विकास विभाग (जारी)	33
श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी द्वारा सदन में व्यवधान उत्पन्न करने पर आपत्ति	33—34

विषय	पृष्ठ-संख्या
1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-47—पर्वतीय विकास विभाग (जारी)	34—36
राजस्व मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर आने पर आपत्ति	37
1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-47—पर्वतीय विकास विभाग (जारी)	37
राजस्व मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर तथा श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी द्वारा सदन में पुनः आने पर आपत्ति	37—42
1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-47—पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत)	43—61
श्री अकबर हुसैन बाबर द्वारा पर्चा बांटे जाने पर व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	61—62
अनुदान संख्या 78—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या79—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) अनुदान संख्या 80—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) तथा अनुदान संख्या 81—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	62—90
अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) को अलग-अलग प्रस्तुत करने की सूचना	90
अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	90—103
अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	103—113
अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	113—136
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 (पारित)	136—142
प्रदेश के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में कोबाल्ट थैरेपी मशीन की सुविधा उपलब्ध न होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	142—145
बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी में व्याप्त अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	145—147

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 22 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 10 बजकर 10 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	बलदेव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	बालेश्वर, श्री	देवरिया
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	बैजनाथ, श्री	देवरिया
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
अरूण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	मोती राम सागुंडी, श्री	नैनीताल
अवधेश राय शास्त्री, श्री	गाजीपुर	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा		
चेतराम, श्री	शाहजहांपुर	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू)	शाहजहांपुर
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली		
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	राम करन पटेल, श्री	वाराणसी
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	राम जनम, श्री	आजमगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	राम जियावन, श्री	बस्ती
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	राम पाल सिंह, श्री एडवोकेट	गोण्डा
पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद	राम लाल, श्री	सीतापुर
पुष्पा देवी, श्रीमती	बदायूं	लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ	विलायती राम कल्याल, श्री	कानपुर
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर

वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा	श्याम बिहारी सिंह, श्री	बरेली
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर	सरजू प्रसाद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
शारदा प्रसाद विन्द, श्री	वाराणसी	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
शिव नारायण मिश्र, श्री	सुल्तानपुर	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
शोंनाथ सिंह, श्री	बिजनौर	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

नोट—श्री अरूण कुमार सिंह, सहकारिता मंत्री, श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मन्त्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री भी अनुपस्थित थे।

10 बजकर 10 मिनट

सदन में कोरम न होने के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य राज्य मंत्री को निर्देश

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री देखें सदन की कार्यवाही कोरम पूरा न होने के कारण 10 बजकर 10 मिनट पर आरम्भ हो सकी है।

संसदीय राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मुझे खेद है, यह स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। प्रयास भी किया गया, लेकिन समय से कोरम पूरा न हो सका। आगे ध्यान रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

भविष्य में यह नहीं होना चाहिए।

अनुदानों पर चर्चा के लिए कम समय रखने पर आपत्ति

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इससे अलग है। मान्यवर, 4 महत्वपूर्ण विभागों के बजट यहां पेश होने हैं, डेढ़-डेढ़ घंटे का समय रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—

जो कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की, उसे सदन ने पास कर दिया। फिर उसमें क्या व्यवस्था की बात है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत मैं सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1986 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 मार्च, 1986 को वापस प्राप्त हो गया था।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 19 मार्च, 1986 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी। और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया।

(मद संख्या-4 के सम्बन्ध में श्री गौरी शंकर भइया का नाम पुकारे जाने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—

माननीय गौरी शंकर भइया नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।

बलिया में लोकनायक जय प्रकाश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद बलिया में लोकनायक जयप्रकाश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने विषयक श्री शिवजी सिंह तथा श्री जगरनाथ सिंह, निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने विशेषाधिकार की एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की आज कोई सूचना आपकी नहीं प्राप्त हुई है। नियम 300 के अन्तर्गत आयी है, उसे बाद में सुनूंगा।

जनपद लखनऊ में युवा लोकदल के महामंत्री एवं कार्यकर्ता पर कातिलाना हमले की घटना के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य—

मान्यवर वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

*गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-3-1986 को रात्रि 9-20 बजे श्री राम सिंह पुत्र श्री हीरालाल यादव निवासी ग्राम गौरा ने थाना बन्थरा पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि जब वह अपने भाई श्याम किशोर यादव के साथ लगभग 8 बजे शाम लकड़ी खरीदने के लिये ग्राम गुलाब खेड़ा जा रहे थे तब गुलाब खेड़ा जाने वाली चकरोड पर करीब एक फर्लांग की दूरी पर एका-एक राम सेवक, किशोर, सुभाष एवं शांति तथा 4 अज्ञात अभियुक्तों ने वादी श्री राम सिंह व उसके भाई श्याम किशोर यादव पर हमला किया जिससे वे दोनों घायल हो गये। अभियुक्तों द्वारा श्याम किशोर की रायफल भी छीन ली गई और उन्हें चाकुओं से गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना बन्धरा पर मु0 अ0 सं0 40 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 4 नामजद तथा 4 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। श्री राम सिंह व श्याम किशोर यादव को बलरामपुर अस्पताल भेजा गया। उक्त पंजीकृत अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष बंथरा द्वारा की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है।]

गोपनीय नहीं गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री भगौती सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से सूचना दी गयी तब से अब तक कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, 82/83 की सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही की जा चुकी है। पुलिस भाग-दौड़ कर रही है, जहां जहां पर कोई सुराग मिला। रायबरेली भी गयी उन्नाव भी गयी। रायफल की तलाश के लिये खास तौर से प्रयास जारी है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कुर्की में क्या सामान कुर्क किया गया और कब किया गया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुर्की की कार्यवाही की गयी है। पुलिस उन्नाव भी गयी है, रायबरेली भी गयी है, हर जगह अपराधियों की तलाश जारी है, हर जगह देख रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह जो 82/83 धारा में कार्यवाही की चर्चा की है इसके लिये कोर्ट से आदेश किस तारीख को दिये गये और पुलिस ने एग्जीक्यूशन किस तारीख को किया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

(काफी देर पत्रावली देखने के बाद)

इसकी तारीख तो उपलब्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अब इस बयान को देख लें। माननीय वरिष्ठ सदस्य मैनेजर सिंह जी ने भी सवाल किया था। यह अपने बयान में कहते हैं कि "नामजद अभियुक्तों के के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है।" या तो इनका यह बयान गलत है या यह कहना गलत है कि सूचना उपलब्ध नहीं है। अगर इसकी जानकारी नहीं है कि कोर्ट के द्वारा आदेश कब हुआ और पुलिस के द्वारा एग्जीक्यूशन कब हुआ, तो मेरी जानकारी सही है कि जिस समय विधान सभा में सवाल हुआ, उस समय पुलिस चैतन्य हुई और पुलिस ने पूरा-पूरा प्रयास किया था मुल्जिमों को बचाने के लिये और उनकी साजिश से यह मर्डर हुआ। इनका यह कहना मेरे आरोप की पुष्टि करता है। मेरी मांग है कि आप इस बयान को स्थगित कर दें। आज और आज से पहले भी तमाम अवसर आये हैं जब माननीय गृह राज्य मंत्री, जो उत्तर देते हैं, उनके द्वारा सदन का मूल्यवान समय नष्ट करना, जानकारी सही न देना और तथ्यों को छिपाने का प्रयास हुआ है। इसीलिये मैं चाहूंगा कि सदन को संरक्षण प्रदान करें कि किस तरह शासन की ओर से सही सूचनायें आयेंगी। यह शारित सही प्रकार से नहीं दी गयी अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसके आधार पर साबित करूंगा कि सरकार की ओर से जानबूझकर सदन को गुमराह किया जाता है। एक दिन मैंने सवाल किया था कि निजी माण्टेसरी स्कूलों

में अध्यापकों को वेतन ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है, उनको जानकारी है कि वहां पर भी मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है, फीस लेने की प्रक्रिया लागू है, लेकिन उन्होंने कहा था कि सरकार हस्तक्षेप कैसे करे ? मैंने उस समय भी कहा था कि या तो हस्तक्षेप करने की बात झूठ है या बयान झूठा है । आये दिन तथ्यों को छिपाकर बयान दिये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी । माननीय गुप्त जी तारीख जानना चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इसकी जानकारी करके भेज देंगे ।

*श्री भगौती सिंह—

माननीय मैनेजर सिंह और गुप्त जी के प्रश्नों से सरकार की स्थिति स्पष्ट हो गयी है । पुलिस की जानकारी में सब कुछ है, लेकिन मुल्जिम घूम रहे हैं । कल भी ऐसा ही एक केस हुआ है । एक की हत्या हो गयी है, एक गम्भीर रूप से घायल है । अभी तक मुल्जिमों का पता नहीं है । माननीय हीरा लाल जी के लड़के हैं, वहां के जो पुराने जमींदार थे राधेलाल जी और उनके लड़के, जिनसे जायदाद संबंधी विवाद चल रहा है, लाखों रुपये की जायदाद राधे लाल रस्तोगी ने हड़प कर रखी है और हीरा लाल से विवाद चल रहा है । इसी आधार पर उनके लड़कों पर हमला हुआ मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन ने उनकी सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की है ? जबकि उन्होंने कई बार लिख कर भेजा है कि हमारे लिये गम्भीर खतरा है और हमारे लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, तो शासन उनकी सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था कर रहा है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय, सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जायेगी जैसी कि माननीय सदस्य की भावना है आज ही एस0 एस0 पी0, लखनऊ को कह दिया जायेगा और जो गुप्ता जी ने तारीख मांगी है उसे हम सोमवार तक उनको दे देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, इस तरह की घटना प्रदेश में रोज हो रही हैं और आपकी पुलिस की अकर्मण्यता के कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है । यह 8 तारीख की घटना है और आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पायी । आपने लिख कर दिया है कि प्रयास चल रहा है । यह प्रयास क्या होता है ? अभी तक उनके गिरफ्तार न होने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय, जैसी कि इस सम्मानित सदन के सभी साथियों को जानकारी है कि लखनऊ में विशेष रूप से ला एण्ड आर्डर और शान्ति व्यवस्था की इन दिनों समस्या रही है । इस तरह के जो प्रदेश स्तर पर मामले होते हैं, यहां की पुलिस की विशेष जिम्मेदारी होती है । एक तो देरी का यह कारण थोड़ा बहुत रहा है । पुलिस रायबरेली गयी, उन्नाव गयी और लखनऊ में जहां-जहां उनकी रिश्तेदारी का पता लगा, जहां सुराग मिला वहां-वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पुलिस गयी। यह कहना कि पुलिस अकर्मण्य है, यह बात असत्य है। माननीय गुप्ता जी ने जो तारीख की बात कही है, उसकी जानकारी उनको करा दी जायेगी।

*श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बयान मीनिंगफुल है। इसमें साफ लिखा है कि धारा 82/83 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है। कब एग्जीक्यूशन किया गया था, कब कोर्ट में तारीख लगी, सभी प्रयास इसमें मुलजिमानों को छिपाने के लिये किये गये हैं। तो इस तरह के बयान पर आप प्रतिबन्ध लगाइये और इस बयान को आप स्थगित करावें और भविष्य के लिये इनको निर्देश दें कि आगे से जो बयान ले कर ये आवें वो पूरी तरह की जानकारी करके आवें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*श्री राम सरन—

जिस दिन यह कामरोको प्रस्ताव में लाया गया उस दिन भी भगवती सिंह ने कहा था कि एक आदमी है जो कि छेदा सिंह के कत्ल में शामिल है, यह बात उन्होंने नोटिस में लायी थी आपके। दूसरी बात यह है कि कल मैं अस्पताल में था तो हीरा लाल जी भी वहां थे, उनकी रायफल छीन ली गयी, उनके बच्चों की रायफल छीन ली गयी, उनके परिवार की कोई सुरक्षा नहीं है। लखनऊ में गैंग है जो कि किराये का है और कुछ बड़े आदमी उसको पैसा देकर उसका इस्तेमाल करते हैं। पौलिटिकल लोग जैसे छेदा सिंह हैं, हीरा लाल हैं बड़े आदमियों को पैसा देकर इस गैंग का इस्तेमाल करते हैं लोग। गैंग गोली मारता है, चाकू से भी मारता है, जो हथियार उपलब्ध होता उसी से मार देता है यहां की पुलिस इतनी निकम्मी हो रही है, आपका अंकुश पुलिस पर नहीं है। आपकी पुलिस ऐसी है जैसे कि यहां कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी पुलिस को सतर्क कीजिये।

अपनी पुलिस को सतर्क करें। हीरालाल के परिवार को संकट है, लेकिन पता नहीं इस प्रकार से कितने भले आदमियों का कत्ल होगा। आप आश्वासन दें कि उनके परिवार की सुरक्षा की जायेगी। सुरक्षा की गारन्टी देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, सवाल तो सभी पूछे जा चुके हैं, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन एक सवाल है जो कि मंत्री जी ने कहा कि पुलिस रायबरेली, उन्नाव और उनके सारे रिश्तेदारों के यहां पर गयी, लेकिन मुल्जिमों को पकड़ा नहीं जा सका है। उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण लीडर छेदा सिंह की हत्या की गयी, और मुझे पता चला है कि उन्हीं लोगों ने आज रात 11 बजे उसी स्थान पर एक और हत्या कर दी और आप कह रहे हैं कि पुलिस उन्नाव में छानबीन कर रही है, रायबरेली में छानबीन कर रही है और लखनऊ की पुलिस ने बहुत प्रयास किया है, 8 तारीख से 22 तारीख हो गयी है, राइफल बरामद नहीं हो सकी है और मुल्जिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हीरा लाल जी हमारी स्टेट कमेटी के मेम्बर हैं। वह इतने बड़े नेता हैं कि 1969 में 23-24 सौ

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वोटों से वह सी0 बी0 गुप्ता से हारे थे और इस प्रकार के राजनैतिक लोगों पर हमला हो रहा है। आप इन गुण्डों को पकड़ नहीं रहे हैं। मेरठ जिले के लोकदल के नेताओं को गैंगस्टर में गिरफ्तार कर रहे हैं, इससे जाहिर है कि आप इसको गुण्डों के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, भले आदमियों के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। लखनऊ में जो सबसे अधिक पैसे वाले हैं, वह किराये पर गुण्डों को लेते हैं, इनकी दुश्मनी नहीं है, बड़े लोगों से 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार और 25 हजार रुपया लेकर इनसे आप किसी का भी कत्ल करवा लें। इस चीज को सारी पुलिस जानती है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? हमें कल दरोगा मिल गया, उसने कहा कि मैं मोटर साइकिल पर चलता हूं, जीप उसको नहीं दी जायेगी, अगर दी जाती है तो घन्टे दो घन्टे के लिए दी जाती है, तो किस प्रकार से गुण्डों को पकड़ा जाय। मैं कहना चाहता हूं कि हीरा लाल जी के परिवार की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाये, आपने कहा कि एस0 एस0 पी0 से करा देंगे, आप सरकारी तौर पर सुरक्षा की व्यवस्था कराने का प्रबन्ध करेंगे? जो ग्राम समाज की भूमि है, हीरा लाल प्रधान हैं, लाखों रुपये की जमीन है, वह ग्राम समाज की भूमि है। वहां के पूंजीपति राधेलाल रस्तोगी उनको लालच देता रहा, लेकिन वह इस लालच में नहीं आये। गैंगस्टर का इन्तजाम किया जाता है, मैं नाम बता दूंगा आप जांच करा लेंगे और अगर आप सहमत हो गये कि हमला किया है, तो क्या उन पर गैंगस्टर की कार्यवाही करेंगे या केवल नेताओं के खिलाफ ही करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

एक चीज तो यह है कि उनकी सुरक्षा का इन्तजाम करें। नेता विरोधी दल मेरे चैम्बर में आ जायं, तो देख लिया जायेगा कि सुरक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है?

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, जिस तरह से यहां पर वक्तव्य दिये जा रहे हैं, यही कारण है कि पुलिस निरंकुश और उद्दंड हो गयी है। एक सवाल का भी उत्तर नहीं आया। इनको हया आनी चाहिये, इनको शर्म आनी चाहिए और आपसे क्षमा मांगनी चाहिए कि यह सूचना नहीं है। 82-83 की कार्यवाही हुई और जो उत्तर दिया है, उसको पढ़ें, तो मालूम हो जायेगा कि कितना गैर जिम्मेदाराना उत्तर है। गुण्डों और पुलिस वालों को संरक्षण देने से अपराध बढ़ते हैं। इसी सदन के विधायक थे छेदा सिंह, उनकी हत्या हो गयी. कांग्रेस के बड़े नेता की साजिश से क्रिमिनल्स ने उनकी हत्या कर दी। अब जो कातिलाना हमला हुआ यह ग्राम समाज की जमीन की सुरक्षा के कारण हुआ। बड़े लोग जमीन हड़पना चाहते हैं और प्रधान रोकना चाहते हैं तो उसे इस दुनिया से मिटा देंगे। अब शासन को ध्यान इस पर देना चाहिए लेकिन इस पर भी शासन की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान आता है। आप ऐसे वक्तव्यों को रोकें आप मंत्री को प्रताड़ित करें नहीं तो ऐसे ही ऊल-जुलूल वक्तव्य आयेगा और इससे पुलिस का मनोबल और बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिए तो दोनों को बुलाया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं !

श्री अध्यक्ष—

तो आप भी आ जाइयेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, अब तो आपकी पीठ से निर्देश हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मैंने एक सवाल पूछा था । मान्यवर, हीरा लाल जी के परिवार से मैं अच्छी तरह से परिचित हूं और मुझे उनके घर जाने का भी सौभाग्य एक बार प्राप्त हुआ है । मैंने एक सवाल किया था कि 82-83 की कार्यवाही का इक्जीक्यूशन कब हुआ और आर्डर कब हुआ था । इस पर मंत्री जी ने कह दिया कि सूचना की आवश्यकता है । मान्यवर, आपने कहा कि वे मुझे बता देंगे । मान्यवर, टैलीफोन होगा एस0 पी0 के कार्यालय में और वहीं से इनको सूचना मिल जायेगी । यह सवाल इस आदरणीय सदन में पूछने का तात्पर्य क्या है । सरकार जानबूझकर अपराधशील व्यक्तियों को संरक्षण देती है उनके खिलाफ के जो मामले आते हैं उन पर विवेक और निश्चयात्मक बुद्धि से काम करना चाहिए । सरकार की इस अकर्मण्यशील नीति पर मैं व्यवस्था चाहता हूं आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें क्या माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है क्या वह पूरी तैयारी के साथ आये थे क्या उन्होंने इस जानकारी को छिपाने की चेष्टा नहीं की है ? इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आप भी मंत्री पद पर विराजमान रहे हैं । आपको भी नियमों की जानकारी है क्या मान्यवर, इस सम्भावित सप्लीमेंटरी की जानकारी मंत्री जी को नहीं थी सदन इस बात को जानना चाहेगा आपके द्वारा शासन को क्या निर्देश दिया गया ? मान्यवर, शासन ने तथ्यों को दिखाकर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है इसलिए मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप शासन के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे कह दिया ।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, इधर जो राज्यमंत्री के वक्तव्य आ रहे हैं उसमें आम तौर से देखा जा रहा है कि अपराधों को छिपाने के लिए ही यह वक्तव्य तैयार करा रहे हैं । पहले साल भी एक ऐसा ही किस्सा हुआ जिसमें बाराबंकी के हरिजनों का मामला था

लेकिन दुर्भाग्य से सदन का कोरम नहीं था उसमें भी पूरे अपराध को छिपाने का वक्तव्य तैयार किया गया था आज भी इन्होंने यही किया, 4 लाइन का वक्तव्य बनाकर तैयार कर दिया। आपने कमरे में बुलाया कि बात करेंगे, ठीक है लेकिन यह सारा सदन इससे दिलचस्पी रख रहा है क्योंकि इन लोगों के इस व्यवस्था से अपराध बढ़ रहे हैं। मान्यवर, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और यह कहते हैं कि दरोगा चुनाव में घूमा, लखनऊ में घूमा, मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान भर में घूमे लेकिन अपराधी थाने के बगल में ही है, दरोगा से मिले हुए हैं, पैसा देते हैं, दरोगा पकड़ते नहीं हैं और वह इस तरह से घूमते रहते हैं। आपने 82-83 में कार्यवाही किया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यह जो रवैया सरकार का है वह अपराध को बढ़ाने का है और उनको संरक्षण देने का है। इनके जरिये सरकार निर्दोष लोगों की हत्या करवाती है। माननीय मंत्री जी, इस तरह का वक्तव्य देकर अपराध को छिपाने और सदन को गुमराह करने का आप काम न करें। कमरे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज निर्देश देने की बात है। इस तरह के तरीके आप परित्याग करें और सही तरीके से चीजों को सदन के सामने लायें।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब हो गया। अब आप बैठ जायं। माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं। मुझे कहना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने पर)

कृपया बैठ जायं। आप तो अपने नियम 300 के लिए बेचैन हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आपने रघुबर दयाल वर्मा जी का मनोबल तोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष—

उनका मनोबल न टूटे, वह भी बोल लें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि बंथरा की पुलिस लखनऊ की व्यवस्था में लगी रही इसीलिए वहां नहीं जा पायी। मैं एक नई बात कहना चाहता हूं कि जब इनकी पुलिस उस साइड में रही तो फिर गिरफ्तारी की तरफ पुलिस का ध्यान नहीं गया और सुरक्षा व्यवस्था की तरफ भी उनका ध्यान नहीं गया। जब ध्यान नहीं गया तो गिरफ्तारी का प्रयास नहीं हुआ। थाने में ही बैठकर कागजों में कुर्की की कार्यवाही कर दी। इसीलिए माननीय मंत्री जी ने उस सामान की पूरी फेहरिस्त नहीं बतायी कि क्या-क्या सामान कुर्क हुआ, क्या नहीं हुआ। इसलिए मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। थाने में बैठकर कुर्की हुई। अदालत से कब आर्डर हुआ, कौन दरोगा था, क्या-क्या सामान कुर्क हुआ। इस सबकी पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए थी और जैसा कि आपने कहा कि बंथरा की पुलिस लखनऊ की व्यवस्था में लगी रही तो यह गम्भीर बात है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो इनके पास सूचना हो और जब वे

आपके कार्यालय में आयें उस समय पूरी कुर्की के सामान की सूचना भी साथ लेते आये और तब सारी सूचना सदन को दें। यह मेरा आरोप है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसीलिए निर्णय लिया कि पूरी फाइल लेकर आ जायं। नेता विरोधी दल को भी इसीलिये बुलाया है कि वे मेरे चैम्बर में आ जायं, जो सुरक्षा की व्यवस्था होगी वह की जायेगी।

रामनगर, वाराणसी के दरोगा द्वारा श्री यदुनाथ सिंह के साथ किये गये दुर्व्यवहार तथा धारा 395 का मुकदमा दायर करने के सम्बन्ध में और पिछले सत्र में दी गयी सूचना पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक माननीय यदुनाथ सिंह जी की है . . . (व्यवधान)। क्या आप बोलना चाहेंगे ?

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, इसके पहले मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपने 300 पर आ जायं।

श्री यदुनाथ सिंह—

आज क्या विशेषाधिकार नहीं लिया जा रहा है ? मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपने दिया है तो वह हमारे सामने नहीं आया है। सोमवार को जब बैठेंगे तो इसे देख लेंगे।

*श्री यदुनाथ सिंह—

आपने बड़ा अच्छा किया। सदन के चलते ही वह आ जाय। मैं चाहूंगा कि आप उचित निर्देश देंगे। क्योंकि मेरा निजी मामला है। मान्यवर, पिछले सत्र सितम्बर में मेरे साथ ज्यादती हुई थी। जिस समय मैं सदन में आ रहा था और **जैसे ही मैं बनारस से रामनगर के चुनार** क्षेत्र में जा रहा था तो रामनगर के दारोगा ओम प्रकाश शाही अपने कुछ पुलिस दल के लोगों को लेकर उन्होंने हम लोगों को रोका—नार्दन इंडिया गेंजेज फेरीज ऐक्ट के अन्तर्गत। मान्यवर, इस ऐक्ट के अन्तर्गत कोई भी फेरी 9 बजे रात को नहीं चलती। यह आपको ज्ञात है और माननीय कौशिक जी भी मंत्री रहे हैं वे भी जानते हैं। जिस समय श्री अनंतराम जायसवाल पी0 डब्ल्यू0 डी0 मंत्री थे, श्री प्रभुनारायण सिंह राजस्व मंत्री थे और श्री टी0 एन0 सिंह मुख्य मंत्री थे यह पथ कर माफ हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक पी0 डब्ल्यू0 डी0 की फेरी चलती थी और सूर्यास्त के बाद नार्दन इंडिया फेरी ऐक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल कहीं भी फेरी ऐक्ट के अन्तर्गत सूर्यास्त के बाद स्टीमर नहीं चलते हैं। लेकिन भूतपूर्व काशी नरेश जिसका माननीय लोकपति त्रिपाठी अभी भी कहते हैं कि हम नमक खाते हैं। राजा-रानी का जमाना चला गया लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम उनका नमक खाते हैं। पिछले साल जब यह मामला आया था उस समय भी संसदीय कार्य मंत्री माननीय हुकुम सिंह रहे और नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे उस समय माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि इसको गंभीरता से लिया जाय। लेकिन आज भी हम लोगों पर 395 का मुकदमा चल रहा है। हमारे साथ अब्दुल सत्तार जो यूनिवर्सिटी से एम0 ए0 पास हैं और एल0 एल0 बी0 कर रहा है, को भी इसमें लिया गया है। 12, 13, 14 और 15 अगस्त को हमने गंगा नदी में बिताया और 15 अगस्त को हम पटना पहुंच पाये। हमारी कोई नीयत नहीं थी कि हम स्ट्रीमर अपने साथ ले जायं जब स्ट्रीमर ढकेल दिया गया तो उससे कहीं न कहीं लगना ही था, अगर बंगाल तक सीधे चला जाता तो वहां तक जाना पड़ता। इस सम्बन्ध में जांच करने का आश्वासन दिया गया था शासन द्वारा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 24 मल्लाह परेशान हैं, हम और हमारा परिवार परेशान हैं, तमाम आई0 पी0 सी0 के सैक्शन 25 लगा होता तो बर्दास्त कर लेते लेकिन हमारे ऊपर 395 का मुकदमा बना दिया गया है जब कि ऐसी कोई चीज नहीं थी कि यह धारा हमारे ऊपर लगाते। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न को आप स्वीकार करें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय यदुनाथ सिंह जी की बात को हम लोग कभी-कभी ऐसे ही मजाक में ले लेते हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब यह गत वर्ष मामला आया था उस वक्त भी इसकी गंभीरता को नहीं जाना था बाद में पता लगा वास्तव में माननीय यदुनाथ सिंह जी को स्ट्रीमर में जाना पड़ा। वहां की पुलिस और एक सामंतवादी के इशारे पर इनको परेशान किया जा रहा है। यह गरीब मल्लाहों की मदद कर रहे थे। आज इनकी जान को खतरा है। इनके ऊपर 395 का मुकदमा लगा दिया गया है। इसलिए आप आज ही शासन को निर्देश दीजिये कि उसे वापस लें। यह एक साजिश है कि इनको हो सकता है कि बाद में गैंगस्टर ऐक्ट में बन्द कर दें। आज 395 लगाने के बाद फिर कहेंगे कि यह 395 के दोषी हैं और तमाम धारायें हैं इसलिये इन पर साजिश करके गैंगस्टर ऐक्ट लगा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह मुकदमा वापस हो और जिन्होंने इनके खिलाफ 395 की कार्यवाही की है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए।

सत्र में उपवेशन के दिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मयंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि अभी आपकी पीठ से और शासन द्वारा भी कई बार विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है समस्त जिलाधिकारियों को कि जब राज्य विधान मंडल का सत्र चल रहा हो तो जिलों में समितियों की बैठकें न बुलाई जायं....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मयंकर सिंह जी गवर्नमेन्ट के आदेश स्पष्ट हैं, हो सकता है यह समझ कर लगाई हो कि आज शनिवार को बैठक नहीं होगी (व्यवधान) वह मुलतवी करा दी है। (व्यवधान) माननीय मनोहर लाल जी यह आपका विषय नहीं है। उनको कहने दीजिये।

*श्री मयंकर सिंह—

आपने सदन की बैठक बुलाई है, तमाम एजेंडा छपा है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

मनोहर लाल जी, माननीय मयंकर सिंह जी बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, उधर जिले में 11 बजे बेसिक शिक्षा परिषद् की बैठक जिलाधिकारी बहराइच ने बुलाई है जबकि इसके पहले कहा गया था कि इस तरह की बैठकें जिलाधिकारी न बुलायें जब सदन चल रहा हो। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि शनिवार की बैठक सदन की नहीं है तब भी यदि शनिवार को बैठक जिलाधिकारी बुलाते हैं तो आप देखें कि हम लोग शुक्रवार को शाम के 6-7 बजे तक सदन चलता है तो रहना पड़ता है, इसलिए दूसरे दिन शनिवार को जिलाधिकारी जिले के मुख्यालय पर 10 बजे बैठक बुला लें तो उसमें हम विधायक शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस पर भी आपकी पीठ से मान्यवर, कुछ निर्देश होने चाहिए। चूंकि जिले की बैठक में जिले का बजट निर्धारित होता है और संबंधित जिले के विधायक यहां मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को यहां से निर्देश भेजे जाते हैं कि माननीय सदन जब बैठा हो तो वहां बैठक न बुलायें। लेकिन बराबर बैठकें बुलाकर सदन का जिलाधिकारी अवमानना कर रहे हैं और हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अब आप बैठ जायं।

श्री राम सरन—

मान्यवर, पिछले सप्ताह में आपकी चेयर पर उपाध्यक्ष जी थे, श्री हुकुम सिंह ने आश्वासन दिया था, जब मैंने इसी प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न यहां उठाया था कि सहारनपुर के एस0 एस0 पी0 ने कहा कि महीने की बैठक 18 तारीख को बुलायेंगे, फिर कहा 24 को बुलायेंगे और इन तारीखों को एसेम्बली है, तो आश्वासन दिया था कि 24 की मीटिंग नहीं होगी, घर पर गया तो 24 मार्च की नोटिस मिली है।

एक सदस्य—

28 को होगी।

श्री राम सरन—

28 मार्च को एसेम्बली हो जाती तो आप क्या करते ? इसलिए निवेदन है कि कोई यहां से आदेश सरकार का अधिकारियों के पास नहीं जाता है और यहां यों ही आपको, हमको खुश करने के लिए कह देते हैं लेकिन इनके आदेशों का पालन वहां नहीं हो रहा है। इसलिए सख्ती से कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत गंभीर हैं। जिलाधिकारी जानबूझकर बैठक ऐसे समय बुलाते हैं ताकि सदन के माननीय सदस्य वहां बैठक में न पहुंच पायें। इस प्रकार वे शासन के आदेशों की अवहेलना करते हैं, यह कमजोरी सरकार में बैठे लोगों की है। सरकार में बैठे लोग जिस तरीके से अधिकारियों की वकालत यहां करते हैं इससे इनके अधिकारियों का मनोबल ऊंचा हो रहा है। वे मनमानी कर रहे हैं। मान्यवर, यह बहराइच का ही नहीं बल्कि प्रत्येक जिले की यही स्थिति है। ऐसे कम ही अधिकारी हैं जो विवेकशील हैं और सदन की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। देखते हैं कि कब बैठक बुलानी चाहिए? किन्तु अधिकांश जिलाधिकारी छांट-छांट करके थर्ड क्लास (तृतीय श्रेणी) के लोग, चापलूस हैं वे ही जिलाधिकारियों के पद पर नियुक्त हो रहे हैं। काबिल, योग्य आदमी जिलाधिकारी के पद पर नहीं बिठाये जा रहे हैं चूंकि वे नाजायज काम नहीं करेंगे। इसलिए नाजायज काम करने वाले जिलों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि सख्त निर्देश दें कि कोई भी जिलाधिकारी सदन के चलते बैठक बुलाता है तो वह दंड का भागी होगा।

(व्यवधान)

(श्री आंसान सिंह, श्री भगवती सिंह व श्री रामआसरे वर्मा आदि कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)।

श्री अध्यक्ष—

यह तरीका है? मैंने राम आसरे वर्मा जी को बुलाया है। जो और बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। बैठिये मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मुझे कभी-कभी बड़ा कष्ट होता है जब मेरे जैसे लोगों को नजरन्दाज कर दिया जाता है, खड़े होने पर भी आप अवसर नहीं देते हैं . . . (श्री रामआसरे वर्मा व श्री आंसान सिंह के एक साथ बोलने पर)।

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्णय देने जा रहा हूं लेकिन आप बैठते नहीं हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं बोल रहा था, लेकिन दूसरे सदस्य बोलने लगे तो मैं क्या करूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हरदोई जनपद में भी कई मीटिंगें जिला स्तर और ब्लाक स्तर की उस समय हुई हैं, जिस समय सदन चल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि सत्र के दौरान जितनी भी बैठकें जिले या ब्लाक में हुई हैं, उनकी सारी कार्यवाही निरस्त की जायें।

(व्यवधान)

श्री भगौती सिंह—

हरदोई और बहराइच की बात जाने दीजिए, 17 तारीख को उद्योग की मीटिंग लखनऊ में ही हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, अभी मयंकर सिंह जी ने जो सूचना बैठक के बारे में दी है . . .

(बोलने की अनुमति न मिलने के कारण उत्तेजित होकर श्री ओंसान सिंह सदन के फ्लोर पर आकर शोर करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओंसान सिंह जी आप अपने स्थान पर वापस जायं अथवा सदन छोड़ें।

श्री ओंसान सिंह—

(सदन के फ्लोर से)—मैं नहीं छोड़ूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन छोड़ें।

(श्री ओंसान सिंह के साथ श्री महराज सिंह यादव भी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये।)

श्री ओंसान सिंह—

[x x x]

(श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री धनराज यादव के प्रयास से फ्लोर पर बैठे दोनों सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री ओंसान सिंह—

[x x x]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है कि ओंसान सिंह जी वहां गये। ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि उनको जाना पड़ा। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि मैं और मेरी पार्टी के लोगों का एक कंडक्ट है, हमने तय किया है कि वहां पर नहीं जायें। इसके पहले भी ऐसी बात कही। किन्तु कभी-कभी बगावत फर्ज बन जाती है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, मैं आपके विवेक को चुनौती नहीं दे रहा हूं कि आप की दृष्टि किसके ऊपर पड़े। माननीय मैनेजर सिंह और माननीय रामसरन दास खड़े हुए, श्री ओंसान सिंह जी भी आपकी दृष्टि पकड़ने की बड़ी चेष्टा कर रहे थे, किन्तु आपकी दृष्टि रपट कर श्री राम आसरे वर्मा जी पर पड़ी। यही कारण था उनकी उत्तेजना का। वह क्या बात कहना चाहते हैं, आज तीन बजे उनके यहां क्रय केन्द्रों के आवंटन की बैठक है। वह ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आये हैं, उनकी रुचि है कि वह वहां जाकर अपने सुझाव दें। आपकी पीठ से एक नहीं अनेक बार इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं, लेकिन कोई रहस्य जरूर है कि सरकार वायदा करती है, लेकिन जिलाधिकारी उनका कहना नहीं मानते हैं। मैं अभी ऐसा नहीं मानता कि सरकार के अधिकारी निरंकुश हो गये हैं। मैं संसदीय कार्य राज्य मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार की बात करूंगा कि जिस दृढ़ता के साथ जिलाधिकारियों को सूचना देनी चाहिए, नहीं दी। इसलिए ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं कि ओंसान सिंह उत्तेजित होकर यहां आये।

नोट—[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर पीछे बैठने वाले लोगों तक आपकी दृष्टि चली जाये तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं विशेष तौर पर, जो पीछे बैठते हैं उनको मौका देता हूं और ज्यादा से ज्यादा उनकी बात सुनता हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, शाहजहांपुर में भी मीटिंग लगी हुई है ।

श्री आंसान सिंह—

मान्यवर, आप मुझे सुन लें ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, आज बैठक लगी है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं किसको-किसको सुनूं । यह मुनासिब नहीं है । माननीय आंसान, सिंह, आपकी भावनायें जो थीं उनके बारे में गुप्त जी ने कह दिया है । अब आप बैठें ।

श्री किरन पाल सिंह—

[x x x] ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय किरन पाल सिंह जो कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मयंकर सिंह जी ने एक सूचना दी कि उनके जनपद में आज बैठक होने वाली है । मान्यवर, आपकी पीठ से भी कई बार निर्देश दिये गये हैं और शासन की ओर से आदेश है कि सदन के चलते ऐसी बैठकों का आयोजन न किया जाय जिन समितियों में माननीय सदस्य, सदस्य वहां पर हों । यह भी निर्देश था कि अगर ऐसी बैठकें आवश्यक हों तो शनिवार या रविवार को की जायं । सामान्य प्रक्रिया रही है कि शनिवार को सदन नहीं बैठता है । यह असाधारण परिस्थिति है कि सदन बैठ रहा है । तो केवल इस कारण से, इसी बात का इम्प्रेशन लेते हुए संभवतः इस बैठक का आयोजन किया गया है । बैठक की सूचना आपने दी है, इससे पहले भी कभी अनजाने में किसी बैठक का आयोजन किसी-किसी जनपद में किया गया है तो हमने उस बैठक को निरस्त कराया है । मयंकर सिंह साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वह बैठक आज नहीं होगी उसकी कोई कार्यवाही आज अमल में नहीं लायी जायगी और उसकी कार्यवाही निरस्त कर दी जायगी । मान्यवर, इटावा की बात माननीय आंसान सिंह ने की है कि आज वहां पर बैठक का आयोजन कर लिया गया है । तो इसके अलावा भी यदि आज किसी जनपद में ऐसी समिति की बैठक होगी जिसमें माननीय सदस्यगण उसके सदस्य हों तो उस बैठक की कार्यवाही निष्प्रभावी मानी जायेगी ।

आप भी सहमत होंगे कि जब दो-दो महीने सदन चलता है तो आपकी भी शिकायत होती है कि स्कूलों का चयन होना है । अगर बैठकें दो महीने नहीं

नोट—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आयोजित की जायेगी तो हमको और आपको कठिनाई होती है कि हम अपने सुझाव नहीं दे पाते और जिन जनपदों में चयन आदि होना है उनको वंचित रह जाना पड़ता है । तो मैं सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब कभी ऐसी बात हो तो आप टेलीफोन कर दें मैं स्वयं ही उस पर कार्यवाही करूंगा और आपको कठिनाई नहीं होगी ।

तो मान्यवर, मैंने जो आश्वासन दिया है उसका पालन किया जायगा और जो निर्देश हैं उनका पालन किया जायेगा । इस प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आज फिर संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने गलत बयानी की है ।

औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें मैं निर्णय देने जा रहा हूं । आज नियम 300 की दो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं । एक सूचना माननीय यदुनाथ सिंह जी ने दी थी । मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं कि उनके मामले को देखें और उनके ऊपर गौर मुनासिब दफा नहीं चलनी चाहिए । जहां तक मयंकर सिंह साहब ने जो प्रश्न उठाया था तो इसमें मुख्य सचिव के आदेश हैं कि जब असेंम्बली चल रही हो तो जिले में कोई मीटिंग न हो । मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इसको देखा जाय, इसका कड़ाई से पालन हो । दोनों सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

(मद संख्या 9 पुकारे जाने पर ।)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इस समस्या का निस्तारण जिस ढंग से हुआ है उससे समस्या बनी रह गयी है । संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने शासन की गलती को हम सदस्यों पर डाल दिया है कि शनिवार होने की वजह से बैठक बुला ली गयी है । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को जानकारी होगी ।

मान्यवर, सदन के कार्य का निर्धारण कार्यमंत्रणा समिति द्वारा होता है और उसकी सूचना जब हाउस में दी जाती है तो शासन से उम्मीद की जाती है कि वह अपने विभागों को व आयुक्तों को इसकी जानकारी दें । यह जिम्मेदारी शासन की है कि वह विभागों को सूचित करता कि बैठक सदन की शनिवार को भी है, इसकी जिम्मेदारी यहां पर बैठे माननीय सदस्यों की नहीं है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं, सभी लोग कृपया बैठ जाएं शारदा प्रताप जी आपको भी इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैंने आप लोगों को भी सुना और माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री जी को भी सुना तभी मैंने अपना

निर्णय दिया है, अब किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान

संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री राम आँतार दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47 पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 1,64,71,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि मैं आज पर्वतीय विकास विभाग के सम्बन्ध में सदन में बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 1985-86 में जो हमारा प्लान परिव्यय था वह 177 करोड़ रुपये का और यही वर्ष 1986-87 में 205 करोड़ रु0 का है। विशेष केन्द्रीय सहायता 85-86 में 108 करोड़ रु0 की थी यह वर्ष 1986-87 में 120 करोड़ रु0 मिली है। इसी के साथ-साथ मान्यवर, सदन को यह बताना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास विभाग उन्नति की ओर और प्रगति की हर क्षेत्र में अग्रसर है और इस वर्ष विकास के कार्यों का जो हमारा लक्ष्य है और इसी से सम्बन्धित जो योजनाएं बनायी गयी हैं तथा इस सम्बन्ध में जो भी नीति निर्गत की गयी है, उसके संबंध में आदरणीय सदन में कुछ बातें रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारी नीति व परिस्थिति की नीति यें हैं कि पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप विकास में तेजी लाना है, 2—वनीकरण तथा भूमि व जल संरक्षण, एकीकृत जलागम प्रबन्ध, बागवानी विकास, पर्यटन का आँद्योगिक आधार पर विकास, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, संसाधनों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योगों का विकास, विशेषकर प्रदूषण रहित उद्योग जैसे इलेक्ट्रानिक्स, आप्टिक्स, हैंडलूम व सेरीकल्चर व ऊन पर आधारित उद्योग, सिंचाई, लघु सिंचाई साधनों का विकास, ग्रामीण पेयजल, सामान्य शिक्षा का गुणात्मक सुधार व सुदृढ़ीकरण, तकनीकी शिक्षा, सड़क व पुल, अनुसूचित जाति व जनजातियों के आर्थिक विकास में सुधार, स्थानीय उत्पादन और आय में वृद्धि के लिए रोजगारपरक कार्यक्रम का विस्तार जैसे आई0, आर0 डी0, एन0 आर0 इ0 पी0, आर0 एल0 इ0 जी0 पी0 आदि कार्यक्रमों के तहत हम पर्वत के विकास के लिए कृत संकल्प हैं। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में जो हमारा बागवानी विभाग है, इसके माध्यम से हम पर्वत का सर्वाधिक विकास करना चाहते हैं और आगे चलकर इसके द्वारा वहां का विकास करना ही हमारा उद्देश्य है। इस सम्बन्ध में वहां की जनता भी विशेष रूचि रखती है, इसलिए इस सन्दर्भ में भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार ने यहां के विकास के लिए बागवानी के सम्बन्ध में एक बड़ी रूपरेखा तैयार की है।

(11 बजकर 10 मिनट)

मान्यवर, बागवानी का हमारा आवंटित परिव्यय वर्ष 1985-86 में 475 लाख

रुपया था जो कि वर्ष 1986-87 में प्रस्तावित परिव्यय बढ़ाकर 500 लाख रुपया कर दिया गया। मान्यवर, बागवानी विकास व्यापक योजना (लागत 57.00 करोड़ रु0) विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित हैं। योजना विश्व बैंक के विचाराधीन हैं। इस वर्ष इस योजना की स्वीकृति में अग्रिम कार्यवाही हेतु, चालू वर्ष में 21.75 लाख रु0 की स्वीकृति जिसमें एलाइड गार्डेन्स की स्थापना, नवीन पौंध रोपण तथा पुराने पौंधों का जीर्णोद्धार, मौन पालन योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया हैं। मान्यवर, 10 करोड़ की इटली सरकार की सहायता से जैतून, बादाम, अखरोट, हैजल-नट आदि की खेती के विकास की योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। नीदरलैंड के सहयोग से मशरूम की खेती की योजना प्रस्तावित हैं। उद्यान के क्षेत्र में वृद्धि तथा मशरूम की खेती के प्रोत्साहन हेतु दीर्घ ऋणों की व्यवस्था की गयी हैं। वर्ष 1986-87 में 6 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में उद्यान, एक हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सब्जी उत्पादन तथा एक हजार हेक्टेयर में आलू उत्पादन के लक्ष्य हैं। रामगढ़ फल प्रोसेसिंग फैक्ट्री के जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण की परियोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया हैं। इसके लिये हार्टिको को इस वर्ष 10 लाख रु0 की स्वीकृति दी गयी हैं। वानिकी के क्षेत्र में हमने मान्यवर, महत्वपूर्ण कार्य किया हैं। वर्ष 1985-86 में प्रस्तावित परिव्यय 700 लाख रुपया था और अनुमानित व्यय 750 लाख रुपया था। वर्ष 1986-87 में प्रस्तावित परिव्यय 850 लाख रुपया हैं। वनों के संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबन्ध ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया हैं। चालू वर्ष में यू0 एन0 डी0 पी0 पी0 सहायता से आधुनिक अग्निशमन योजना का प्रारम्भ किया गया हैं। राजाजी पार्क वन्य जन्तु योजना के लिये 50 लाख रु0 की स्वीकृति दी गयी हैं। वन पंचायतों में वनीकरण तथा चारागाह विकास योजना की स्वीकृति दी गयी हैं। वर्ष 1986-87 में प्रस्तावित मुख्य लक्ष्य हमारा इस प्रकार हैं :—

1. 6400 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के पल्प उड प्रजातियों का वृक्षारोपण।

2. 3400 हेक्टेयर क्षेत्र में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण।

3. 610 रो0 कि0 मी0 सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।

4. बीस सूत्रीय कार्यक्रम 622 लाख पौंध का रोपण।

मान्यवर, ग्रामीण ईंधन प्रजातियों की वृक्षारोपण केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजना 3 पर्वतीय जिलों में पहले से कार्यान्वित की जा रही हैं। यह मान्यवर, भारत सरकार की योजना हैं, यह टेहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी में कार्यान्वित की जा रही हैं। दो अन्य जिलों में राज्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति दी जा चुकी हैं। 3 शेष जिलों में भी इस योजना का प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हैं। मान्यवर, पशुपालन कार्यक्रम के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1985-86 में परिव्यय 275 लाख रु0 था और वर्ष 1986-87 में आबंटित परिव्यय 280 लाख रु0 हैं। पशुओं के नस्ल में सुधार हेतु तरल नत्रजन टैक्नालाजी द्वारा वीर्य संग्रह, पशु प्रजनन कार्यक्रम का विस्तार तथा डीप

फ्रोजन, सीमन टैक्नालाजी द्वारा गढ़वाल तथा कुमायूं में प्रत्येक 150 पशु सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना, अधिक छपाई वाले क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। वर्तमान भेड़ प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण तथा उन्नत नस्ल के भेड़ पालन नस्ल का विस्तार किया जा रहा है। उचित स्वास्थ्य, उपचार तथा फीड व फीडर सोर्सेज में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1986-87 में हमारा लक्ष्य पशु चिकित्सालय का 20 का है। 3 पशु सेवा केन्द्र का है, 25 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र तथा भेड़ व ऊन विकास केन्द्र 6 है। मान्यवर, भेड़ एवं ऊन विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्र में महीन ऊन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 14 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की भेड़ों का प्रजनन किया जाता है। इस सन्दर्भ में 104 भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 86-87 में 6 नये भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्र स्थापित करने की हमारी योजना है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन का अपना एक मुख्य स्थान है। हम पर्वत का विकास बिना पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिये कदापि नहीं कर सकते। पर्यटन के माध्यम से ही हम पर्वत के लिए ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और धन भी अर्जित कर सकते हैं। मान्यवर, पर्यटन के लिये 1985-86 में हमारा परिव्यय 300 लाख रु0 था और इसको 1986-87 में हमने 315 लाख रु0 कर दिया है। मान्यवर, पर्यटन को औद्योगिक व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए तथा पर्यटकों को सुविधा देने के लिए आवासीय व्यवस्था, यातायात, होटलिंग, कैटरिंग आदि के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। माननीय, इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो पर्यटक आते थे उनका शोषण होटल वाले करते थे। पर्यटक जब नैनीताल या मंसूरी बस द्वारा बस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो होटल वाले उनसे मनमाना चार्ज करते हैं। इस सम्बन्ध में हमने एक यह योजना बनाई है कि हम पर्यटकों के लि 3 दिन के लिये टेन्टों की व्यवस्था करेंगे और तीन दिन के बाद वह अपनी व्यवस्था कर लेंगे जिससे कि होटल वाले उनका शोषण न कर सकें। इस तरह से जो पर्यटक 15 दिन के लिए जाते थे वे 4-5 दिन रहकर वापस चले आते हैं जिससे वहां की हमारी गरीब जनता और पर्वत के लोगों को लाभ पहुंचाने की हमारी आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए सरकार ने अपनी इस योजना को बढ़ाया है। अभी यह मंसूरी, नैनीताल, शंगोची और जगुनोची के लिए इस टेन्ट व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त आफ सीजन टूरिस्टों को आकर्षित करने हेतु विन्टर स्पोर्ट्स माउन्टेनियरिंग ट्रैनिंग का प्राविधान किया गया है, और विन्टर स्पोर्ट्स, स्कीइंग योजना के लिए प्राविधान किया गया है। पर्यटक स्थलों के विकास के लिए विशेषकर हनुमानगढ़ी पर्यटक क्षेत्र का विकास, चन्द्रवदनी सिद्धपीठ में आवास गृहों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। नैनीताल स्वागत केन्द्र (द्वितीय फेज) का विकास विचाराधीन है। जार्ज एवरेस्ट हाउस मंसूरी पर्यटक तथा सहस्त्रधारा का जो पर्यटक स्थल है उसके विकास के लिए हमारे बजट में प्राविधान है। अगले वर्ष मुनि की रेती

में आवास गृह का विस्तार, नाकुचिया ताल, हरकीदून, मुनिसयारी व डीडीहाट पर्यटक आवास गृहों की स्थापना का प्रस्ताव है। मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं सदन के सामने यह भी कहना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि हमारे पहाड़ों पर पेयजल की समस्या है। पीने के पानी की समस्या है। लेकिन इसके लिये हमारी सरकार जागरूक और प्रयत्नशील है। समय-समय पर पर्वतीय अंचल के सम्मानित विधायकों के साथ बैठकर इसको देखते हैं। अभी 2-3 महीने पहले विचार विमर्श किया गया था, सरकार पेयजल संकट के लिये जागरूक है। वहां पर पेयजल की जो स्थिति है, उससे सदन को अवगत कराना चाहता हूं। 1985-86 में जलागम प्रबन्ध पर 350 लाख रुपया आवंटित था, 1986-87 में 8 सौ लाख का प्रस्ताव किया गया है।

हमारी सरकार काफी जागरूक है। **हमारी नई प्रस्तावित येजना अगलार जलागम** परियोजना है। जो स्थिति है उसके आकलन के लिये एक कमेटी बनाई गई है। इस वक्त कुमायूं और गढ़वाल का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके बारे में सरकार काफी जागरूक है। मैं सदन को यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि मई महीने तक हम जो वहां पर पेयजल की समस्या है, उसमें काफी सुधार कर लेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में जलागम समस्या है। इसके अन्तर्गत अगलार जलागम परियोजना, बेनालगाड़ परियोजना, भीमताल जलागम परियोजना तथा कूच्चगाड जलागम परियोजना प्रस्तावित हैं। हम चाहते हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के पेयजल की समस्या में सुधार किया जा सके और हमारी सरकार इन योजनाओं के माध्यम से एक कीर्तिमान स्थापित कर सके। जिस प्रकार पेयजल के सन्दर्भ में चर्चा की, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 1985-86 में जलनिगम पर परिव्यय 2 हजार 450 लाख था और जल संस्थान पर 50 लाख था, इस वर्ष 1986-87 में 2 हजार 780 लाख का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत हम जो अभावग्रस्त ग्राम 565 हैं, उनमें जो पेयजल संकट है, उस समस्या को हल करेंगे और त्वरित योजनाओं के अन्तर्गत जो प्रस्ताव हैं, उनके द्वारा हरिजन पेयजल एवं डिग्गी निर्माण का कार्य पूरा किया जायेगा।

मान्यवर, पानी के साथ-साथ पहाड़ों पर बिजली की भी समस्या है। पहाड़ों पर जो बिजली की समस्या है, मैदान की जो स्थिति होती है, पहाड़ की स्थिति उससे भिन्न होती है। इसके लिये पर्वतीय क्षेत्र में 200 कि0 वाट तक की माइक्रो/मिनी जल विद्युत् योजनाओं का कार्यान्वयन बैकल्पिक ऊर्जा संस्थान द्वारा प्राप्त किया है। इस संस्था को 129 लाख रुपये की स्वीकृति लघु, मिनी विद्युत् योजनाओं हेतु दी गई है। जिससे पहाड़ की बिजली की समस्या हल हो सके। साथ ही साथ हमारी सरकार बैकल्पिक ऊर्जा साधनों का बड़े पैमाने पर विकास करा रही है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, धूम् रहित चूल्हा आदि। साथ ही साथ हमने यह भी दृढ़ संकल्प किया है कि क्लेस्टर आफ विलेजेज को घरेलू व उद्योग धन्धों के लिए समुचित विद्युत् प्राप्त कराया जाए। क्लेस्टर में विद्युत् देने से जो छोटे-2 किसान हैं, उनको सामूहिक रूप से लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की भी समस्या है। शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछली

दफा पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक हुई थी, उसमें यह तथ्य सामने आया था कि वहां पर शिक्षकों की संख्या कम है और जो स्कूल हैं, उनमें शिक्षकों की तादाद ज्यादा होनी चाहिये।

मान्यवर, हम प्रयत्नशील हैं और जहां तक माध्यमिक शिक्षकों का प्रश्न है, एक हाईकोर्ट में रिट पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसमें स्टे था जो अब वकेट हो गया है और हम जल्द ही यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। साथ ही स्कूलों की बिल्डिंगों के जो नियत मानक थे, उनमें सुधार किया है और 50 हजार रुपये से जहां भवन निर्माण करते थे, उसे बढ़ाकर 93,300 रुपया कर दिया है, जिससे कि वहां हमारे स्कूल अच्छी तरह से कायदे से बन सकें। वहां पर स्कूलों की बिल्डिंग के बनाने की समस्या को देखते हुए हमने यह प्राविधान किया है कि कीमतें बढ़ाई हैं। जिससे पर्वतीय अंचल में जहां स्कूल की बिल्डिंगों की कमी है, वहां शीघ्र बनें ताकि वहां पर हमारे विद्यार्थी अच्छे ढंग से पढ़ सकें। मान्यवर, जितने भी भवन रहित स्कूल हैं, उनके निर्माण के लिये हम जागरूक हैं और चाहते हैं कि उन भवनों का निर्माण शीघ्र हो सके। इस वर्ष 1986-87 में अध्यक्ष महोदय, हम राजकीय हाई स्कूलों का उच्चीकरण करने जा रहे हैं, उनकी संख्या 8 है। मान्यवर, पर्वतीय अंचल में सरकार ने प्राविधिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से हम चाहते हैं कि वहां के नौजवान ऐसी शिक्षा ग्रहण करें, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करें जिससे वह अपने लिये स्वयं अर्जन करने में सफल हों। इस सम्बन्ध में पर्वतीय अंचल में अभी गढ़वाल तथा कुमाऊं मण्डल में एक-एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना स्वीकृत की गयी है और कुछ ही दिन हुए मुख्य मन्त्री जी ने एक इंजीनियरिंग कालेज का शिलान्यास भी किया है। जो दो इंजीनियरिंग कालेज खोलने का सरकार का संकल्प है, वे शीघ्र ही खुलने जा रहे हैं। काशीपुर, उत्तरकाशी, देहरादून, लोहाघाट तथा श्रीनगर में पालीटेक्निक में इलेक्ट्रानिक्स कोर्स का प्राविधान किया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, यह देखें कि इस बजट पर चर्चा केवल डेढ़ घन्टे की है और आपने काफी समय ले लिया है। अब इसे संक्षेप में कर लें।

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है, पांच मिनट और चाहता हूं। मान्यवर, दो रूरल पालीटैक्निक स्वीकृत किये गये हैं। देहरादून और नैनीताल में कम्प्यूटर्स न्यूमेरीकली कन्ट्रोल्ड मशीन सी0 एन0 सी0 की स्वीकृति दी गई है। पालीटैक्निक के भवनों के निर्माण के लिये 6 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है और इनके विस्तार के लिये हमारी योजनाएं चल रही हैं। मान्यवर, अब इसी सन्दर्भ में हमारे पर्वतीय अंचल में उद्योगों के विकास के लिये भी हमारी सरकार कृतसंकल्प है। हम चाहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रानिक्स उद्योग ज्यादा बढ़ाएं। हमने इस ओर मान्यवर, बढ़ावा दिया भी है और भीमताल में एक टेलीविजन केन्द्र तथा लोहाघाट, पिथौरागढ़ में एक मिनी सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना आदि का काम किया है। हम चाहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को बढ़ावा मिले और इस ओर हमारी सरकार कृतसंकल्प है। इसी सन्दर्भ

मै मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर गढ़वाल निगम और कुमाऊं निगम, ये दो निगम हैं। इनके माध्यम से हम जो मुख्य काम कर रहे हैं पर्यटकों को सुविधा देने के अलावा, जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, पहाड़ों पर ईंधन की काफी समस्या हैं, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वहां के जो मूल निवासी हैं, उन्हें जलाने के लिये लकड़ी मिलने में काफी कठिनाई आती हैं।

इसी सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमने 42 हजार गैस कनेक्शन कुमायूं क्षेत्र में और 36 हजार गैस कनेक्शन गढ़वाल क्षेत्र में दिये हैं।

डाक्टर बंगाली सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी का भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, इस तरह से हमने इतने गैस कनेक्शन वहां उपलब्ध कराये हैं। उसके बारे में और भी प्रयत्नशील हैं।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि पर्वतीय विकास के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे, जिससे हम पर्वतीय विकास की दिशा में और आगे बढ़ सकें और पर्वतीय भाइयों की अधिक सेवा करने में समर्थ हो सकें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठें।

*श्री कमल किशन पाण्डेय—

श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने अपना भाषण शुरू किया था इस तरह से कि इस प्रदेश की सरकार की फर्स्ट प्रायरटी यह हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो। लेकिन, श्रीमन् अगर आप तथ्यों को देखेंगे, तो यह प्रायरटी सही लगती नहीं हैं। केवल धन व्यय करके और खास तौर से अगर धन अपर्याप्त हो, किसी क्षेत्र का विकास हो ही नहीं सकता हैं।

श्रीमन्, आप देखेंगे जिस गति से प्रदेश आगे बढ़ रहा हैं, उस गति से पर्वतीय क्षेत्र आगे बढ़ नहीं रहे हैं। श्रीमन्, इस वक्त की 1982-83 में जो गति थी, टोटल इनकम बढ़ने की प्रदेश की, वह थी 2.4। इस समय रीजनल ब्रेक-अप आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो गति हैं प्रगति की, वह सबसे कम हैं। पश्चिम में जो गति थी वह हैं 2.9, सेन्ट्रल यू0 पी0 में थी 2.2, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह थी 2.2, बुन्देलखण्ड में 2.3, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में केवल थी एक।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और, श्रीमन् इसका कारण यह है कि जो दो क्षेत्र हैं मुख्य क्षेत्र, जिन पर प्रदेश की, पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, वह है श्रीमन् कृषि और उद्योग। अगर कृषि और उद्योग में बढ़त नहीं होगी, तो किसी भी स्थान की अर्थव्यवस्था में बढ़त नहीं हो सकती है। आप देखेंगे श्रीमन्, कृषि और उद्योग इन दोनों क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है और जिस गति से प्रदेश आगं बढ़ रहा है, उस गति से पर्वतीय क्षेत्र बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है। श्रीमन्, कृषि को मैं पहले लेता हूं क्योंकि जैसा कि पूरे प्रदेश में है, वैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। कृषि में जो रेट आफ ग्रोथ हुई है प्रोडक्शन की 1981-82 में (बेस ईयर 1970-71) उसमें पश्चिम उ0 प्र0 में ग्रोथ रेट है 1/4, सेन्ट्रल यू0 पी0 में 1/6, पूर्वी उ0 प्र0 में 1/2, बुन्देलखण्ड में 1/5 और पहाड़ में केवल 0.6। उत्पादन में आप श्रीमन् देखें। प्रदेश का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 1960-61 को बेस मानकर 1982-83 में प्रदेश में 82-83 में 68.01 है और पर्वतीय क्षेत्र मे है 50.20 यह इसलिये आशाजनक है कि 60-61 में पर्वतीय क्षेत्रों की औसत उपज प्रदेश की उपज से ज्यादा थी। आज कम होती जा रही है।

इसी तरह से देखें कि क्या बढ़ोत्तरी हो रही है तो पायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र गिरता जा रहा है। ग्रास वैल्यू देखें प्रति एग्री-कल्चरल वर्कर, प्रदेश में है 2220, पहाड़ों में है 1960, लगभग 250 का अन्तर है। इससे यह स्पष्ट है कि कृषि के क्षेत्र में पहाड़ पीछे हटते जा रहे हैं। यह मुख्य बिन्दु है कि जो उन पर्वतीय क्षेत्रों में सम्मिलित हैं दो ऐसे जिले जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे सर्वश्रेष्ठ जिले हैं, वे हैं—देहरा-दून और नैनीताल। अगर देहरादून और नैनीताल इन दोनों को हटा दें तो आप देखेंगे कि जो 6 जिले हैं, उनकी गति क्या है? इस समय उन 6 जिलों का उत्पादन प्रति व्यक्ति उतना ही है, जितना पूर्व का है और बुन्देलखण्ड से जो बहुत पिछड़ा इलाका है, 400 रु0 औसत कम है क्योंकि बुन्देलखण्ड में जोत का औसत पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ा है। पूरब में उत्पादन ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या भी ज्यादा है। कम जनसंख्या होते हुए भी जो औसत उपज आ रही है, उसमें जो सबसे पिछड़ा जिला है पूरब का, उसके साथ आते हैं। इस प्रकार आप देखें कि कृषि में पर्वतीय क्षेत्र गिरता जा रहा है।

उद्योग में एक लाख जनसंख्या पर, जो औसत उद्योग में कर्मकार हैं, प्रदेश में 797, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में हैं केवल 450। अगर आप नैनीताल और देहरादून को हटा दें तो हमारे यहां एक लाख की आबादी में उद्योग में कर्मकार हैं सिर्फ 50, अगर औसत टोटल प्रोड्यूस को देखें, उद्योग में प्रोपोर्शन देखें तो प्रदेश में है 22, पश्चिम में है 19, पहाड़ों में है 11, बुन्देलखण्ड में है 12, जबकि केन्द्र में है 28, पूरब में है 29, यानी फिर पहाड़ सबसे कम हैं। अगर रेट आफ ग्रोथ बढ़ता तो हम कहते कि ठीक है, इसमें बुन्देलखण्ड का है 0.4, जबकि पहाड़ का उससे भी कम है। मैदानी इलाका पिछड़ा हुआ है, उससे भी कम रेट है।

बल हैं इनवायरनमेन्ट और इकालाजी में, हम समझ लें कि उद्योग लग नहीं सकते हैं। आप ही बतायें कि पर्वतीय क्षेत्र अपनी अर्थव्यवस्था कैसे सुधारेंगे ?

आपने तो बड़े आंकड़े दिये और बहुत कुछ कहा हैं सिंचाई के सम्बन्ध में। अब सिंचाई के सम्बन्ध में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र प्रदेश में सबसे कम हैं। इस समय जो पहाड़ का सिंचित क्षेत्र हैं वह 18.3 हैं जबकि प्रदेश का 39.53 हैं। परन्तु आश्चर्य इस बात का हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में केवल 10 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र हैं क्योंकि वहां पर सिंचाई नहीं की जा सकती हैं जब तक कि लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था न की जाय। इसमें से भी जो राज्य स्तर से सिंचाई की दर हैं वह 2.5 हैं और निजी क्षेत्र की दर 7.5 आती हैं। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का आशय 2.5 हैं। यह सब देखते हुए आप देखेंगे कि जहां हमें आवश्यकता हैं वहां आप धन में कटौती करते हैं और आपका विभाग कहता हैं कि जब तक आप हमें बिजली नहीं देंगे तब तक हम सिंचित क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन आप देखें कि कैपिटल एक्सपेन्डीचर हैं 13 करोड़ का यह दूसरी बात हैं कि बिजली के लिये आपके पास पैसा बचता नहीं हैं। 13 करोड़ में से अधिकांश भाग उन स्कीमों का हैं जो कि 1983-84 से चल रही हैं जिसे आप अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं। आपने वहां पर एक करोड़ रु0 नलकूपों के लगाने के लिये दिया हैं। आप ही बतायें कि क्या आप पर्वतीय क्षेत्र में नलकूप लगा पायेंगे ?

पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या सड़कों की हैं। सड़कों की हमारी बहुत मांग हैं उसमें आपने पिछले साल के मुकाबिले में 2 करोड़ रु0 की कमी कर दी हैं। यह कमी उसके बावजूद हैं कि प्रिसिक्स ईयर प्लान का जो स्पिल ओवर हैं वह हैं 248 करोड़ रु0 का। अब छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हासिल करने के लिये हमको सातवीं पंचवर्षीय योजना में 248 करोड़ रु0 खर्च करना पड़ेगा तब जाकर हम आगे की लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेन्डीचर में आपने 2 करोड़ रु0 से अधिक की कमी कर दी हैं।

सड़कों के निर्माण में सबसे बड़ी बात जनसंख्या की हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 92 प्रतिशत गांव हैं जिनकी जनसंख्या कम हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था 500 की आबादी का कि इसको सड़कों से जोड़ा जायेगा। अब भी वहां 92 प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़े ही नहीं हैं। 1980 से 85 तक वहां पर जो सड़कें बननी थीं वह बनी नहीं और 1985 में स्पिलओवर जो हैं वह हैं 3.000 किलोमीटर का और यही कारण हैं, फिर आप सोचें मार्च, 1983 में प्रति हन्डरेड किलोमीटर में सड़कों की लम्बाई पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक थी और अप्रैल, 1985 में आज पर्वतीय क्षेत्र में प्रति हन्डरेड किलोमीटर लम्बाई प्रदेश में चौथे नम्बर पर पहुंच गयी हैं, यह मौजूदा स्थिति हैं, आप देखेंगे कि हम पीछे हो गये हैं। आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना में सड़कें नहीं बनीं। आपके 90 प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़े हुये नहीं हैं। आप एक ओर तो विकास की बात करते हैं और दूसरी ओर आप गांवों को सड़कों से जोड़ नहीं पाते हैं। आपकी इन्डस्ट्रीज कैसे लगें, पर्वतीय क्षेत्र मैदानी इलाके की तरह से नहीं हैं कि वहां पर बैलगाड़ी जा सकें।

मान्यवर, हार्टीकल्चर के बारे में कहा गया है, आप कितना ही कर लीजिये उससे एर्वतीय क्षेत्र की आय में फर्क नहीं पड़ेगा। आपके एग्रीकल्चर विभाग ने स्वीकार किया है कि इन्फ्रा स्ट्रक्चर न होने के कारण जो फल का उत्पादन है, उसमें हर वर्ष 25-30 प्रतिशत नष्ट हो जाता है। श्रीमन्, किसी भी इकोनामिक एक्टीवीटी में 25-30 प्रतिशत से अधिक मुनाफा नहीं हो सकता है और इतने प्रतिशत फल नष्ट हो गये तो आप समझिये कि जो मुनाफा है वह नष्ट हो गया तो उससे इकोनामिक प्रगति नहीं हो सकती है। आप भले ही उत्पादन 3 लाख या 5 लाख टन दिखा दें, मुनाफे वाली चीज तो नष्ट हो गयी। मान्यवर, जब तक सड़कों की व्यवस्था नही की जायेगी तब तक यह नष्ट होते रहेंगे। लोग बाग और बगीचे लगाते हैं, तो वह लगा कर क्या करें, जब उत्पादन जो होगा उसकी कीमत ही नहीं मिलेगी। इनको हेड लोड से लाना पड़ेगा तो इनकी कीमत दुगुनी और तिगुनी हो जायेगी या तो खच्चरों से लायेंगे या आदमी के सिर पर लायेंगे। इस पर आप कोई सब्सिडी नहीं देंगे, आप मोटर ट्रान्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आप इसको कैसे करेंगे। तो आप देखें कि जब तक सही व्यवस्था सड़कों की नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस वर्ष 7वीं योजना में आपका जो स्पेल ओवर है, जो लक्ष्य है, उस तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, आप उसको हासिल नहीं कर पायेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। पूरा प्रदेश आगे जायेगा और हम पीछे जायेंगे।

दूसरी प्रमुख चीज किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये जो है, वह है विद्युतीकरण, क्योंकि जैसा मैंने कहा इरीगेशन कराना है तो विद्युतीकरण चाहिये, कोई इंडाई लगानी है तो विद्युतीकरण चाहिये। पहाड़ों में इनर्जी की कमी है। कोयला वहां पर जा नहीं सकता है, और अगर जायेगा तो कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जायेगा, तो वहां पर ऊर्जा का ही विकल्प है। हिमाचल प्रदेश ने बहुत प्रोग्रेस किया है, 16 हजार गांवों में 12 हजार गांव विद्युतीकृत हो गये हैं और हमारे यहां पर 15 हजार गांवों में 6 हजार गांव विद्युतीकृत हैं। तो देश का सबसे कम विद्युतीकरण पर्वतीय क्षेत्र में है। मान्यवर, आप इन्टर डिस्ट्रक्ट डिस्पैरिटी को आप देखें। नैनीताल में 80 प्रतिशत, देहरादून में 66 प्रतिशत और 6 जिलों में औसत 22-23 प्रतिशत आती है। विद्युतीकरण होगा नहीं, सड़कों का जाल बिछेगा नहीं और आप कह रहे हैं कि प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं।

फल उत्पादन का 30 प्रतिशत नष्ट हो रहा है कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था आप कर नहीं रहे हैं। आपके पास आज की तारीख में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इस व्यवस्था से पर्वतीय क्षेत्रों की बढ़ोत्तरी नहीं होने वाली है और इसका नतीजा हुआ है जो साफ में आपके सामने रखना चाहता हूं। इस समय बेरोजगारी आप देखिये 11 करोड़ की जनसंख्या इस प्रदेश की है इसमें से जो आपके अनइम्पलायमेन्ट रजिस्टर में अंकित किये गये हैं उनकी संख्या है 27 लाख। पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या है 48 लाख और अनइम्पलायमेन्ट के पंजीकृत लोग है 2 लाख। अगर आप औसत देखें तो पायेंगे हमारे यहां अनइम्पलायमेन्ट प्रदेश के औसत से 60 प्रतिशत ज्यादा है। इस पर आप कार्यवाही करें। हमारे यहां लिटरेसी 34 प्रतिशत

और पूरे प्रदेश की 22 प्रतिशत हैं लेकिन अनइम्पलायमेन्ट का परसेन्टेज आपके यहां से पर्वतीय क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अधिक हैं और आप कह रहे हैं कि आप विकास कर रहे हैं ।

टूरिज्म की बात आप कहते हैं हमें आश्चर्य हो रहा हैं कि आप कह कुछ रहे हैं और जो आपका बजट हैं वह दर्शा कुछ और रहा हैं । टूरिज्म में आपने कहा कि प्रगतिशील हैं । इस वर्ष का टूरिज्म का कैपिटल कांटेन्ट हैं उसमें 70 लाख की आपने कमी की हैं । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कैपिटल कांटेन्ट जो श्रीमन्, उसका था उसमें 70 लाख की कमी और माननीय मन्त्री जी का स्टेटमेन्ट हैं कि टूरिज्म के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं । पेयजल आप ले लीजिये, उसके बारे में हम आपसे ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि मान्यवर, हम लोगों ने उसके बारे में आपको बार-बार तंग कर रखा हैं और स्थिति से आप अवगत हैं । 1972 में जो स्केयरसिटी विलेजज का सर्वे हुआ और 1985 में जब यह प्लान आपका खत्म हुआ उस समय उस सर्वे से 1360 गांव बचे हुए थे स्केयरसिटी से जिनको पानी नहीं मिला था । 1360 गांव में से 660 गांव पर्वतीय क्षेत्र के थे जब कि मैदानी क्षेत्र में हमसे 10 गुना ज्यादा गांव हैं ।

श्री अध्यक्ष—

(पाण्डेय जी, जरा समय का ध्यान रखें ।)

श्री कमल किशन पाण्डेय—

श्रीमन्, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं ।

श्रीमन्, इस समय शिक्षा, अस्पताल और तमाम अन्य बातों के बारे में माननीय सदस्य बोलेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । सिर्फ दो चीजों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । पहली बात तो यह हैं कि क्या पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए उसे केवल सेन्ट्रल सब्सिडी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा ? मान्यवर, आप देखिए 11 हजार करोड़ रुपया जो पूरे प्रदेश का प्लान फण्ड हैं, उसमें जो स्टेट का कन्ट्रीब्यूशन हैं वह हैं 72 प्रतिशत । पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 7वीं योजना में 1050 करोड़ रुपये का जो कंट्रीव्यूशन हैं वह हैं 48 प्रतिशत । मान्यवर, केन्द्र जो सब्सिडी दे रहा हैं वह अपने अंशदान से काट कर देंगे तो विकास फन्ड कैसे बढ़ेगा ? इसलिए आप 75 प्रतिशत को मेन्टेन रखिये ताकि वहां का विकास हो सके । प्रायरिटीज आप निश्चित कर दीजिये पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार । इस समय वनों के लिए जो प्रायोरिटीज निश्चित की गई हैं उसमें 27 करोड़ पर्वतीय विकास फन्ड में . . .

श्री अध्यक्ष—

कृपया संक्षेप में कहिये ।

श्री कमल किशन पाण्डेय—

मान्यवर, वनों की जितनी आवश्यकता प्रदेश को हैं उतनी ही आवश्यकता पर्वतीय क्षेत्रों को भी हैं । लेकिन पूरे प्रदेश का बजट 42 करोड़ का हैं और पर्वतीय क्षेत्रों से आप 27 करोड़ और दे रहे हैं देखने की बात यह हैं कि 65 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष मुनाफा स्टेट को वनों से हैं । उसके बावजूद भी 27 करोड़ रुपया हमसे लिया जा रहा हैं । आप

मुनाफे का पैसा क्यों नहीं लगाते । हम उसे अपनी सड़कों में लगायेंगे । दूसरी बात यह है कि कैपिटल कांटेन्ट जो बजट में है, वह मैदानी भागों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में कम है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका एक मिनट बाकी है ।

श्री कमल किशन पाण्डेय—

जी हां । इसलिए इन्फ्रा-स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं बढ़ायेंगे तब तक पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं ।

(श्री पूरन सिंह माहरा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

समय का खयाल रखें । तीन-तीन मिनट का समय है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसलिए कहा ताकि आप पहले ही आगाह हो जायं । मैं चाहूंगा कि जो पहाड़ के सदस्य हैं, वे ही भाग लें तो अच्छा है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैं पर्वतीय विकास राज्य मंत्री जी के इस बजट का समर्थन करता हूं और अपने इस सदन के योग्य सदस्य श्री पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से इस सरकार और इस सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़े और निर्जनपन को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इस वर्ष एक अरब बीस करोड़ रुपया अंशदान देने का प्राविधान किया है । इस तरह से कुल मिलाकर 205 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । पर्वतीय विकास विभाग के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक पर्वतीय विकास विभाग के सचिव को पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कर रहे सभी विभागों के लिए प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये जाते हैं । तथा वित्त से सम्बन्धित कार्यों के लिए वित्त विभाग में अलग से एक सेल की नियुक्ति नहीं की जाती जो केवल पर्वतीय क्षेत्रों को देखें । तब तक पर्वतीय क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है । अतः मेरा सुझाव है कि इस विभाग को देखने के लिए वित्त विभाग में अलग से एक सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाय जो कि पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित वित्तीय समस्याओं को देखे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जितने भी विकास के काम हो रहे हैं जब तक शासकीय कार्यों के लिए वहां पर लागू वन अधिनियम का सरलीकरण नहीं किया जायेगा तब तक न वहां कोई अस्पताल बन सकेंगे, न सड़कें बन सकेंगी, न बिजली की लाइनें खींची जा सकेंगी और न अन्य कोई कार्य हो सकेंगे । इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर वन अधिनियम के सरलीकरण की योजना लागू की जायें । मान्यवर, तीसरी बात विद्युत से सम्बन्धित

हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत का प्रतिशत विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्रों में 22 परसेन्ट हैं जबकि देहरादून और नैनीताल का 90 परसेन्ट हैं इसलिए जो भी चाहे विद्युत् का हो या दूसरे विभागों का भण्डारण सामान अथवा आर्थिक अंशदान का वितरण हो उसे जिले को इकाई मान कर दिया जाय जिसका हिस्सा जितना होगा वह अपना हिस्सा ले लेगा। पूरे पर्वतीय क्षेत्र को इकाई मानकर वितरण न किया जाय।

तीसरी बात जो सबसे जटिल हैं वहां आज भी यह बड़ी समस्या हैं कि हमारी मां बहनों को 4-4 और 5-5 कि0 मी0 से पानी सिर में लेकर आना पड़ता हैं। पानी की व्यवस्था का काम आपने जल निगम और जल संस्थान को दिया हैं। एक पानी की व्यवस्था करता हैं और दूसरा उसका वितरण करता हैं। इससे बड़ी गड़बड़ी हो रही हैं। मेरा सुझाव हैं कि इन दोनों को मिलाकर एक कर दें। यदि ऐसा करना संभव नहीं हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कम से कम यह कर दें कि इनके लिए खण्ड अलग-अलग कर दें एक खण्ड को जल निगम को दे दीजिए और दूसरे खण्ड को जल संस्थान को दे दीजिये और उसको पूरी जिम्मेदारी दे दीजिए कि उस खण्ड में वह पानी की योजना बनाने की व्यवस्था एवं वितरण दोनों काम करे।

(इस समय 11 बजकर 56 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार मुहैया करने का माध्यम केवल पी0 डब्ल्यू0 डी0 हैं जिसके लिए आपने वहां के अलग चीफ इंजीनियर बनाये हैं। वहां पर वर्ष में दो महीने के लिए खाद्यान्न होता हैं बाकी समय वहां के लोग मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। वहां सारा काम पी0 डब्ल्यू0 डी0 के माध्यम से आप कराते हैं। मैंने सुना हैं कि आप पी0 डब्ल्यू0 डी0 का बजट वहां के लिए कम कर रहे हैं। आपने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लिए दो अलग-अलग चीफ इंजीनियर कर दिये हैं लेकिन कुमाऊं मंडल में वह नाममात्र के लिए हैं। वित्तीय काम करने के लिए कोई एकाउन्ट्स आफिसर नहीं दिया गया हैं वित्तीय मामलों के लिए उसे आज भी पौड़ी जाना पड़ता हैं। इसलिए काम जल्दी हो इसके लिए वहां अलग से स्टाफ दीजिए और पी0 डब्ल्यू0 डी0 व अन्चल तकनीकी विभागों को काफी पैसा वहां के लिए दीजिये ताकि वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके।

शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में तो सामान्यतः कह दिया हैं कि वहां काफी स्कूल खोल दिये हैं लेकिन वहां पर एक-एक अध्यापक देकर स्कूल चलाये गये हैं। अगर शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकता हैं तो इसके लिए शिक्षा विभाग में एक अलग सेल होना चाहिए जो वहां के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करे और बाद में उनका कनफरमेशन लोकसेवा आयोग से करवा दिया जाय।

एक बात मैं उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वहां उद्योगों का बड़ा खस्ता हाल हैं जिन लोगों ने 15 साल से उद्योग लगाये हैं उनकी हालत फटीचर हो गयी हैं। उनकी हालत को देख कर आज कोई नौजवान उद्यमी वहां उद्योग लगाने के लिए नहीं आ रहा हैं। वनों पर आधारित उद्योगों का रा-मैटीरियल समाप्त कर दिया गया हैं लेकिन उसका

आल्टरनेटिव कुछ नहीं दिया गया है इसकी वजह से वहां जो लुगदी फैक्ट्री लगी थी वह बन्द हो गयी है और उनके ऊपर **चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर वसूली करने की** कोशिश की जा रही है। एक तरफ आपने पैकेज करार के अन्तर्गत ऋण माफ करने की कोशिश की लेकिन दूसरी तरफ राजस्व विभाग वारंट लेकर उनके पीछे-पीछे घूम रहा है। पर्वतीय विकास मंत्री के साथ-साथ सौभाग्य से आप उद्योग मंत्री भी हैं इसलिए आप इस बात को देखने की कृपा करें। उनको बुलाकर बैठक का आयोजन कर समस्या का हल खोजें।

उद्यान वहां का प्रमुख व्यवसाय हो सकता है लेकिन कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि वहां कुछ भी इस सम्बन्ध में नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां उद्यान के अलावा कुछ हो नहीं सकता है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि डायरेक्टर हार्टिकल्चर को रानीखेत में बैठना चाहिये जिसके लिए जी0 ओ0 भी है कि निदेशक रानीखेत में रहेंगे और एडीशनल डायरेक्टर यहां लखनऊ में लाईजन का काम करेंगे लेकिन आज इनके स्थान पर एक स्पेशल सेक्रेटरी ढाई वर्ष से इस काम को कर रहे हैं जो अतिरिक्त भार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जिसका कोई करने वाला न हो, जिस विभाग का निदेशक ही न हो **वह कैसे काम करेगा यह आप अन्दाजा** लगा सकते हैं। इसलिए तुरन्त निदेशक **नियुक्त कर उसे रानीखेत में बैठा दें** और अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति कर यहां बैठा दें।

एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं नौकरियों के सम्बन्ध में आपने गृह जनपद की बाधा रखी है। पर्वतीय क्षेत्रों में वैसे ही अधिकारी और कर्मचारी जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वहां के लोग नौकरियों पर वैसे ही कम हैं, यदि कोई नवयुवक अपने गृह जनपद में कार्य करना चाहता है तो उसके लिए यह बाधा आड़े आती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए गृह जनपद की बाधा को खत्म कर दें। अगर आप चाहते ही हैं तो तहसील का प्रतिबंध लगा दें।

पर्यटन के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आप पर्यटन के लिए नैनीताल और मसूरी को ही पर्यटन स्थल के रूप में न लें। पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन के लिए बहुत आकर्षक हैं। जैसे कौसानी को ही ले लीजिये जिसको महात्मा गांधी जी ने हिन्दुस्तान का स्विटजरलैंड कहा था, इसी तरह रानीखेत, बागेश्वर, बैजनाथ, जागेश्वर गरुड़, गढ़वाल में चमोली आदि कई जगहें हैं जो बहुत अच्छे पर्यटक स्थल हैं। आपने वहां विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधा देने के सम्बन्ध में अलग-अलग नियम बना रखे हैं मदिरा के सम्बन्ध में ही आपके 8 किस्म के नियम हैं। कहीं पर आपने मद्य निषेध लागू कर रखा है और कहीं पर नहीं। इसलिए विदेशी पर्यटक वहीं जायेगा जहां पर उसे सुविधा अधिक मिलेगी। अगर आप मद्य निषेध लागू करना चाहते हैं तो सब जगह पूर्ण मद्य निषेध लागू कीजिये अथवा एक ही नीति आठों जिलों के लिए लागू कीजिये।

यातायात के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां केवल सड़क यातायात ही एकमात्र साधन है न वहां रेल यातायात है और न जल और वायुयान की सुविधा

है सारा आवागमन और व्यापार वहां परिवहन निगम के० एम० ओ० यू० और जी० एम० ओ० यू० पर निर्भर करता है। निवेदश्न है कि आप पर्वतीय क्षेत्र में यातायात को, जो हमारा परिवहन निगम संचालित करते हैं उसको नई-नई बसें उपलब्ध करायें और उनमें ड्राइवरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आज जो हो रहा है कि मैदान से ड्राइवरों की भर्ती करके पर्वतीय क्षेत्र में भेज देते हैं जिनको पहाड़ में बसों को चलाने का कोई अनुभव नहीं होता है जिससे एक्सीडेन्ट हो रहे हैं। इसलिए आग्रह है कि मैदानी क्षेत्रों से ड्राइवरों की भर्ती न करके पहाड़ों में बसों के लिए वहीं से ड्राइवरों की भर्ती करें।

मान्यवर, अन्त में कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र से सम्बन्धित जितने विभाग हैं उनमें थोड़ी सी आप मदद देते हैं जिससे काम पूरा नहीं होता है और जो पैसा देते भी हैं वह समय से न मिलने से सही काम नही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कर्मठ अधिकारी व कर्मचारियों की कमी है, वे काम करना चाहते हैं। इसलिए मंत्री जी से आग्रह है कि जनपद को एक इकाई मानकर पैसा उपलब्ध करायें तभी कार्य पूर्ण होंगे।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से जो प्रस्ताव पर्वतीय क्षेत्र के उत्थान के लिए, विकास के लिए रखा है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं एवं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको भी तथा कार्य मंत्रणा समिति के सभी सुयोग्य माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने पर्वतीय अंचल के इस बजट को जो सारा दिन चलता था, काट कर केवल डेढ़ घंटा कर दिया।

मान्यवर, पर्वतीय अंचल के सम्बन्ध में हमेशा इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि जितना रुपया प्रदेश को मिलता है वह सारा रुपया पर्वतीय क्षेत्र को दिया गया है। वह पहाड़ में सब चला गया है और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने भी लगातार इसी आरोप को दोहराया है कि पहाड़ पर सारा रुपया चला गया, पहाड़ समृद्धि से भर गया। तो माननीय सदन की जो इस प्रकार की भावना है उसमें हमको यहां बोलने के लिए भी समय नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पर्वतीय अंचल की भावनाओं को यहां व्यक्त करना चाहता हूं कि सारे बजट सत्र में हर विभाग के लिए समय है लेकिन पहाड़ के 8 जिलों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक दिन का समय भी नहीं दिया गया, इससे ज्यादा दुःख की बात माननीय सदन के सामने क्या व्यक्त करें। पर्वतीय अंचल के लिए आपके मन में कुछ करने की भावना है तो वहां की समस्याओं का हल ढूंढ़ना आवश्यक है। माननीय सदस्यों से आग्रह करते हुए कहना है कि पर्वतीय अंचल के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको सहन नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आपने जो कुछ भी कहा उसको सूत्र रूप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में जो धन दिया उसको स्वीकार करता हूं लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है, इसको भी स्वीकार करता हूं और मैं माननीय सदन के सदस्यों को

दावत देना चाहता हूं कि वहां आकर जितने विभाग हैं उनका निरीक्षण, परीक्षण जो करना चाहते हैं, करके देखें कि वहां कुछ हुआ है कि नहीं । यदि नहीं हुआ तो जितना रुपया दे रहे हैं इसका कोई मूल्य नहीं है । धरती पर कुछ नहीं है, शब्दों में है, कागजों में है, और इसके कारण हैं आपकी और विभाग की कठिनाई हम समझते हैं । वर्ष 1985-86 समाप्त हो गया, अभी तक जी0 ओ0 पूरे नहीं निकले हैं । मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि वित्त विभाग की इस प्रकार की अनीतिपूर्ण भावना के कारण जी0 ओ0 नहीं निकले हैं । मैंने स्वयं देखा है कि आपके विभाग के सेक्शन आफिसर से लेकर ज्वाइन्ट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी वित्त विभाग के एक-एक बाबू के पास गये हैं तभी कुछ जी0 ओ0 निकल पाये । वित्त विभाग का रवैया ठीक नहीं है, तो रुपया हमारे लिए स्वीकृत है लेकिन जी0 ओ0 नहीं निकल रहे हैं तो काम कैसे होगा ? इसके लिए सुझाव है कि इसको आप ठीक करें ।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी द्वारा सदन में व्यवधान उत्पन्न करने पर आपत्ति

(श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी द्वारा बैठे-बैठे व्यवधान उत्पन्न करने पर)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मेरा दूसरा सुझाव यह है . . .

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आप इनकी डाक्टरी करवा लें, कहीं यह माननीय सदस्य नशे में तो नही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शान्ति बनाये रखें, ऐसा कुछ नहीं कहें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

निश्चित रूप से यह पीकर आये हैं । आप स्वयं इसको देख लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सुन नहीं पाया, ऐसा कुछ नहीं कहा **है, सिर्फ इतना ही कहा है (व्यवधान)**

श्री मैनेजर सिंह—

[xxx] ।

इनको आप बाहर करिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर बात है । माननीय सदस्य मंत्री रहे हैं । मंत्री रहने के बाद सदन में इस तरह का हाव-भाव व्यक्त करें जैसे कि शराब पीकर आये हों तो यह किसी दृष्टि से अच्छा नहीं है । यह डूटिंग कर रहे हैं । तो प्रार्थना है कि इस माननीय सदस्य से निवेदन कर दें कि वह ऐसी हरकतें न करें ।

नोट—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन कोई ऐसी बात न करें, जिससे उत्तेजना पैदा हो ।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 47-पर्वतीय विकास विभाग (क्रमागत)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मेरा तो समय इसी प्रकार चला गया । मंत्री जी अब से ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र के कार्य हैं, उनमें पुनरीक्षण कर लिया जाये कि किस वस्तु की हमें आवश्यकता है और किसकी नहीं है । आप सभी को बिठाकर इस कार्य को करें । पहले हमारे यहां सात कमेटियां हुआ करती थीं, जिसमें सभी पर्वतीय अंचलों के माननीय सदस्य भाग लेते रहते थे, जो स्थान का परीक्षण करती थी और अपनी रिपोर्ट देती थी । तो फिर यहां कार्य होता था । वह कमेटियां फिर से बना दी जायें, ताकि पर्वतीय अंचलों का निर्माण कार्य ठीक से हो सके ।

यहां पर शिक्षा की बात आई, पर्वतीय अंचल में शाखा विद्यालय , प्राइमरी के हैं, जिनके न भवन हैं न अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था है । इन शाखा विद्यालयों को आप पूर्ण विद्यालय बनाने की व्यवस्था करें, तो बड़ी कृपा होगी । इसी प्रकार शिक्षा विभाग ने शुभ सूचना दी कि अध्यापकों की नियुक्ति हो सकेगी परन्तु पिछले 2 वर्षों से पहाड़ में अध्यापक न होने के कारण छात्रों का नुकसान हुआ है, अब तो परीक्षाएं हो रही हैं ।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी द्वारा सदन में व्यवधान उत्पन्न करने पर आपत्ति (क्रमागत)

(श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी द्वारा पुनः कराहने व व्यवधान उत्पन्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कौन बोल रहा है, यह आपका आचरण ठीक नहीं है । (व्यवधान) ठीक है, ठीक है मैं देख रहा हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

आपने अभी निर्देशित किया है, लेकिन वह बैठे-बैठे बेढंगी आवाज में बोल रहे हैं, तो यह शराब पीकर बैठे हैं ।

(कई सदस्य खड़े होकर कहने लगे कि यह शराब पीकर सदन में बैठे हैं)

आप इनकी डाक्टरी करवा लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है इनका आचरण ठीक नहीं था, माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री ने आते ही निर्देश दिया है उनको ।

(व्यवधान के मध्य श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी को कई सदस्यों की सहायता से सदन के बाहर ले जाये जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब निराकरण हो गया है । अब वह चले गये । अब कोई ऐसी बात न हो । मैंने निर्देश भी दे दिया था कि ऐसी वैसी कोई बात न करें ।

श्री मैंनेजर सिंह—

आप ऐसी व्यवस्था करें कि कोई माननीय सदस्य पीकर हाउस में न आ जाए, ऐसी व्यवस्था आप सुनिश्चित करें ।

(12 बजकर 10 मिनट)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में कोई सदस्य या मंत्रि-परिषद् का सदस्य, शराब पीकर आ सकता है और आकर इस तरह का आचरण कर सकता है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्य ने इस तरह का आचरण किया है उनकी डाक्टरी करवायी जाय । वह शराब पिये हैं । यह बहुत अहम मामला है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, अभी आपने आदेश दिया था कि कोई माननीय सदस्य इस प्रकार का आचरण न करें जिससे सदन में उत्तेजना हो । आपके आदेश के बावजूद भी माननीय सदस्य ने इस तरह की आपत्तिजनक हूटिंग की । माननीय मनोहर लाल जी ठीक कह रहे हैं । वह माननीय सदस्य पीकर आये हैं आप उनकी डाक्टरी करा लें चूंकि बार-बार उन्होंने आपके आदेश की अवहेलना की है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायें ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, वह शराब पीकर आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनसे कह दिया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए । आपने जो सवाल किया तो उन्होंने कोई शराब नहीं पी रखी है । कोई विधायक शराब पीकर नहीं आता है । अन्सारी साहब तो पीते ही नहीं हैं । शराब नहीं पीते हैं, जहां तक मेरा अन्दाज है ।

श्री मैंनेजर सिंह—

पीते हैं, सदन के अन्दर पीकर आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

डाक्टरी कराने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है ।

(शोर)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह लोग शोर मचा रहे हैं ।

[xxx]

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, निर्णय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग (क्रमागत)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि 2 वर्षों से हमारे यहां अध्यापक नहीं

नोट :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हैं । इण्टर और हाईस्कूल की परीक्षा हो रही है । जब वहां पर अध्यापक हैं ही नहीं तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां पर परीक्षार्थियों की क्या दशा होगी । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह शिक्षा विभाग से आग्रह करें कि पर्वतीय अंचल में रहने वाले जितने भी विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनको बोनस अंक दिये जायं क्योंकि वहां पर 2 सालों से हाई स्कूल और इण्टर-मीडिएट स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं ।

मान्यवर, अंशकालिक अध्यापकों के सम्बन्ध में कहा गया था । माननीय मुख्य मंत्री जी ने मीटिंग में कहा था लेकिन अब जुलाई आने वाली है, मार्च हो गया है, अंशकालिक अध्यापक आप कब नियुक्त करेंगे ? मान्यवर, हमारे यहां जो डी0 आर0 डी0 और आई0 आर0 डी0 में जितने काम हो रहे हैं वह जीरो के बराबर हैं । इसके बारे में जांच कराई जाय ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मेरा समय इसी में निकल गया । आप दो-तीन मिनट और दीजिए । मान्यवर, आज वहां पर भी विभागों के कार्यों की समीक्षा की आवश्यकता हो गयी है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कमेटी जिसका आप गठन करेंगे, पर्वतीय विकास विभाग के माध्यम से इसका निराकरण करने की चेष्टा करें । वहां पर जल निगम और जल संस्थान दोनों कार्य कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इन दोनों को एक कर दीजिये । जो विभाग जिस चीज को बनाये वह उसकी जिम्मेदारी ले, इसलिए इन दोनों विभागों को एक कर देना चाहिए और जहां तक आपने भवनों की बात कही, यह सही है कि पी0 डब्लू0 डी0 की वर्ष 1974-75 में इसके लिए शिक्षा विभाग से धन भी स्वीकृत हो गया, लेकिन पी0 डब्लू0 डी0 विभाग से जब सम्पर्क किया तो उनका कहना है कि रुपया नहीं आया और आप कहते हैं हमने बहुत ज्यादा रुपयों का अम्बार लगा दिया है, लेकिन पर्वतीय अंचल में इसके अभाव में कोई काम हो नहीं रहा है तो मान्यवर कृपया इसकी व्यवस्था अवश्य करवा दीजिए कि आखिर वह रुपया गया कहां ? आखिर में मान्यवर समय की कमी की वजह से कुछ बातें सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं कि जब तक संबंधित विभागों का आपस में कोआर्डीनेशन नहीं होगा, तब तक पर्वतीय अंचल ही नहीं वरन् पूरा उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर नहीं आ सकता है । दूसरे अभी तक आपने विपणन की व्यवस्था भी नहीं की है । हमारे पहाड़ों के फल, हिमाचल प्रदेश की मोहर लगकर दूसरी जगह बिकते हैं, इसी प्रकार से बहुत से दूसरे फल भी हमारे यहां के हिमाचल प्रदेश के नाम से बंबई में बिकते हैं, इससे उत्तर प्रदेश को कोई श्रेय नहीं मिलता है, यह केवल इस वजह से है कि हमारे विभागों में आपस में कोआर्डीनेशन नहीं है, इसलिए इसकी ओर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है । दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा नई सड़कों का प्रस्ताव वन विभाग ने अपने बजट में किया है और जब कि उन्होंने हमारे यहां की सड़कों को बनवाने से रोक रखा है इसलिए कि उनके जंगल कटेंगे और उनके पेड़ कटेंगे । तो इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि जब वह अपनी सड़कें बनायेंगे तो क्या

उनके जंगल या पेड़ नहीं कटेंगे ? इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि अगर वन विभाग वालों को सड़कों के बनाये जाने की व्यवस्था होती है, और स्वीकृति प्रदान की जाती है तो उससे पहले उन सड़कों के लिए भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जो वन विभाग ने वन अधिनियम के अन्तर्गत बहाना बनाकर रोक दिया है और मान्यवर, समय बहुत कम है और जैसा आपका निर्णय है उसका पालन तो अवश्य करना ही पड़ेगा ।

श्रीमती सरस्वती देवी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं मा0 पर्वतीय विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करती हूं तथा आभार प्रकट करती हूं कि हमारी सरकार का ध्यान सदियों से उपेक्षित रहे पर्वतीय अंचल के विकास की ओर गया । मान्यवर, मैं इस अवसर पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी को भी नहीं भुला सकती जिनके प्रयास से जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से बजट का प्राविधान किया और वर्तमान प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी जी का भी यही कहना है कि जब तक सौन्दर्य व सम्पदा से युक्त इस पर्वतीय क्षेत्र का विकास नही होगा तब तक देश व प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती । मान्यवर, वर्षों से पर्वतीय क्षेत्र का दोहन आर्थिक लाभ के लिए होता रहा, लेकिन उसका प्रभाव भविष्य में देश के पर्यावरण पर क्या पड़ेगा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम अभी वहीं पर मान्यवर, भू-स्खलन, सूखा और बाढ़ जैसी दैवी आपदाएं आती रही हैं । मान्यवर अंग्रेजों ने पर्वतीय क्षेत्र को केवल ऐशो आराम की ही जगह समझा था इसके विकास की ओर उनका ध्यान नही गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार का ध्यान इस ओर गया । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को अपने जनपद के लिए कुछ सुझाव देना चाहती हूं । मान्यवर, पर्यटन का विकास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर किया जाय ताकि वहां के पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके । इसके लिए सर्वेक्षण कराया जाय । मान्यवर, वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाय । मान्यवर, वन सम्पदा जड़ी-बूटियों पर आधारित रिसर्च केन्द्र स्थापित किया जाये । मान्यवर, सड़कों का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाय ताकि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा जा सके इससे वहां पैदा होने वाले फल व सब्जी के विपणन की व्यवस्था हो सकेगी । मान्यवर, एक इंजीनियरिंग कालेज के साथ-साथ एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय । मान्यवर, सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था अवश्य की जाय । इस समय अधिकतर सरकारी कर्मचारी इन सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण वहां ज्वाइन नहीं करते हैं जिससे विकास के कार्य रुक जाते हैं । मान्यवर, पिछड़ी व जनजातियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जिला मुख्यालय में की जाय । पीने के पानी की पहाड़ों में दिक्कत होती है लोगों को खासकर महिलाओं को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस बात की व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक गांव में नलों द्वारा पानी पहुंचाया जाय ।

राजस्व मन्त्री श्री बलदेव सिंह आर्य द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर आने पर आपत्ति

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राजस्व मंत्री सदन में बिल्ला लगाकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री जी सदन में बिल्ला उतारिये।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 47-पर्वतीय विकास विभाग (क्रमागत)

श्रीमती सरस्वती देवी—

भेड़ पालन तथा मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तथा उन पर आधारित कुटीर उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय। इसके अतिरिक्त फलों व आलू को सड़ने से बचाने के लिए मेरे जनपद **बारामण्डल में कहीं पर भी दो शीतगृह बनाये जायें। मान्यवर, मैं कहना तो और** बहुत कुछ चाहती थी पर समय की कमी के कारण मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

राजस्व मन्त्री श्री बलदेव सिंह आर्य द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर तथा श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी द्वारा सदन में पुनः आने पर आपत्ति

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, सदन में अभी मंत्री जी बिल्ला लगाकर आये और एक माननीय सदस्य शराब पीकर आये।

राजस्व मंत्री (बलदेव सिंह आर्य)—

मैं खेद प्रकट करता हूं।

*श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, अभी अन्सारी साहब सदन में शराब पीकर आये लोगों ने जाकर देखा। इस तरह से सदन का स्तर गिरता जायेगा। आपके नोटिस में बात आ गई है कम से कम आप चेतावनी तो दे दें। मुझे मालूम चला है कि हुकुम सिंह जी ने निकलवा दिया है। मान्यवर, आज शराब पीकर आये हैं, कल को भांग खाकर आ जायेंगे। आप कम से कम चेतावनी तो दे दीजिए कि सदन के अन्दर मर्यादा रखें। सदन के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य, कोई भी कर्मचारी शराब पीकर नहीं आये इस तरह सदन का स्तर गिर जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आज उस समय तो मैं था नहीं लेकिन जब नौटियाल साहब बोल **रहे थे तो लगातार एक माननीय सदस्य बाधा** उत्पन्न कर रहे थे। अफसोस इस बात का है कि वे मंत्री भी रह चुके हैं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे सदन की एक गरिमा है। उस गरिमा का आज उत्तर प्रदेश में क्या होगा। एक विधायक, हमारे माननीय सदस्य, अपने सदस्य के खिलाफ बोलने की कोई परम्परा नहीं है लेकिन सदन की गरिमा का प्रश्न है इसलिए कह रहा हूं। मान्यवर, शराब पीकर आना और एक हमारे माननीय सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे उनके भाषण में विघ्न डालना, बाधा डालना और अगर आपकी पीठ से कोई निर्देश नहीं होगा, कोई चेतावनी नहीं होगी, कोई व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे सदन चलेगा। आप निर्देश दीजिये, चेतावनी दीजिये, सजा दीजिये, निकलवाइये, कुछ कीजिये, कोई कार्यवाही कीजिये। यह सदन की गरिमा का सवाल है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो बात कही, वह सदन की कुछ परम्परा रही है। मान्यवर, एक सदस्य यहां शराब पीकर आये, माननीय नौटियाल साहब बोल रहे थे जो सदन के सम्मानित सदस्य हैं और बहुत ही शिष्ट व्यक्ति हैं उनके भाषण के बीच में जिस तरह का उन्होंने आचरण किया है उनको मान्यवर, सदन में इस तरह का आचरण करने के लिए भर्त्सना की जाय और उनको चेतावनी दी जाय कि भविष्य में कोई भी सदस्य इस तरह से शराब पीकर अगर सदन में आते हैं, तो उनके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, इससे पूरे सदन की अवगानना हुई है। मान्यवर, यह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। कल मान्यवर यह पेपर में आ जायेगा और यह बात सब जगह फैल जायेगी। तो मान्यवर, इस प्रकार के आचरण से पूरे सदन की अवमानना हुई है। मैं आपसे चाहूंगा कि इसको गम्भीरता से लीजिए। उनकी डाक्टरी जांच करवाई जाय और उनको इस सदन से निलम्बित किया जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है। इसको तो मान्यवर, आपको गम्भीरता से लेना चाहिए। यह पूरे सदन का अपमान है। मान्यवर, इसको गम्भीरता से लेते हुए आप अपना निर्णय चाहे इस समय दें या अपना निर्णय सुरक्षित कर लें, बाद में दें। लेकिन मान्यवर, आपको इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल और बहुत से नेताओं ने बहुत सी बातें उठाई, उसके पूर्व जो भी घटना सदन में हुई हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ श्रीमन्, यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ सदन के सामने हुआ, उसे श्रीमन्, आपने भी देखा और उस पर आपने निर्णय दे दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मान्यवर, जब आपने अपना निर्णय दे दिया तो वह मामला वहीं पर समाप्त हो गया। मान्यवर, इसी मामले पर जो सदन के समक्ष हुआ हो और जिस पर आपकी पीठ से निर्णय हो चुका हो, उसको पुनः सदन में उठाना, सदन की अवमानना है।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपके समक्ष माननीय मनोहर लाल जी ने और मैंने यह प्रश्न रखा कि माननीय सदस्य अन्सारी साहब ह्वीटिंग कर रहे हैं, जबकि माननीय नौटियाल साहब बोल रहे थे।

(व्यवधान)

आपने कहा कि कोई भी माननीय सदस्य इस प्रकार की हरकत न करें उसके बाद पुनः श्री अन्सारी साहब ने ह्वीटिंग की और मान्यवर, इतना ही नहीं, शराब की बदबू उनके मुंह से वहां पर आ रही थी, फिर उन्होंने सदन के अन्दर थूक दिया और आप देख लें वह इस समय सदन की गैलरी में बड़ी बुरी हालत में पड़े हुए हैं। मान्यवर, आपने जब यह निर्देश दिया कि वह माननीय सदस्य यहां से चले जायं, तब भी वह यहां से जा नही रहे थे तो दो माननीय सदस्य उन्हें उठाकर ले गये हैं। मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। माननीय सदस्य श्री अन्सारी ने आज जो आचरण सदन के अन्दर किया है शर्मनाक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, सदन की गरिमा का है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(घोर व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, यह आप चर्चा करा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं मान्यवर, किसी चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं। मैं आपका ध्यान आपकी पूर्व व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारी संसदीय परम्परा में इस तरह के उदाहरण भी हैं कि अगर किसी सदस्य के द्वारा इस तरह का आचरण किया गया है, जो माननीय सदस्य के चरित्र और उसकी गरिमा को लांछित करता हो, तो उसे सदन से निष्कासित भी किया गया है। मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने चप्पल फेंक दिया, लोक सभा का उदाहरण है, चोरी से भाग गये, किसी ने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत सिफारिश कर दी, यह सब ऐसे उदाहरण हैं जिससे माननीय सदस्यों से विशिष्ट आचरण की कल्पना की जाती है।

संपूर्ण देश की जनता हम से एक विशिष्ट आचरण की आशा करती है। कल जब अखबार के माध्यम से उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान की जनता को पता लगेगा कि एक माननीय सदस्य ऐसे सदन में आये, शराब पीकर और उत्तेजना पैदा कर रहे थे, तो इससे न केवल पूरे सदन का बल्कि जो गौरवमयी इतिहास संसदीय परम्पराओं का है, वह लांछित हो जायेगी। आपसे अपेक्षा तो यह थी कि तत्काल इसको विशेषाधिकार समिति में संदर्भित करते। हमारे नियमों में यह व्यवस्था है, आप नियम 64 देख लें। अगर किसी व्यक्ति के आचरण से संसदीय मर्यादा के प्रतिकूल कोई कार्य सदन के संज्ञान में, सदन के सामने होता है, तो सदन स्वयं न्यायालय के रूप में परिवर्तित होकर फैसला करता है। आप इसको विशेषाधिकार का मामला मान लें और तत्काल निर्णय दें कि ऐसे माननीय सदस्य को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाय।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जहां तक माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि सदन की गरिमा को कैसे रखा जाय ? मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं । मान्यवर, हमारा सबका, सभी सदस्यगण का प्रयास यही होना चाहिए कि सदन की मर्यादा कायम रहे, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों । एक प्रकरण को **लेकर दुबारा चर्चा हो रही है** । **यद्यपि** आपके निर्देश से यह प्रकरण समाप्त हो गया था । सम्मानित नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने बात कही कि आप **निर्देश दें कि ऐसी बात दुबारा नहीं इसकी** पुनरावृत्ति न हो । आपका निर्देश भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है । निर्देश न भी हो तो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सदन की मर्यादा को कायम रखें । नियमों **में, कारणों में और परम्पराओं में व्यवस्था** है और हमारी जिम्मेदारी में यह स्वयं **निहित है कि हम सदन की मर्यादा को** कैसे रखें । अगर हम लोग सदन की मर्यादा को नहीं रखते हैं तो हम अपने **दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं** । सम्मानित सदस्यों ने आरोप लगाया कि एक सदस्य शराब पीकर बैठे थे । अगर **आप में से कोई सदस्य इस बात को कह** दें निजी जिम्मेदारी पर कि हमने माननीय सदस्य से संपर्क किया और वह शराब पिये हुए थे तो आप इस तमाम प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें । केवल एक सदस्य ने आपके बोलते हुए **टोक दिया, इसलिए वह शराब पिये हुए** थे, आप जो बिना पिये यहां आकर लेटते हैं, तो क्या आप शराब पीकर आते हैं । या जिम्मेदारी की बात हो जाती है, सदस्यों **को टोकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर** किसी ने टोक दिया तो यह कहा जाय **कि शराब पिये थे यह उचित नहीं है** । **अभी आंसान सिंह यहां बैठे थे तो क्या वह शराब पिये हुए थे ?**

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप गलत आरोप लगा रहे हैं, इसलिए बीच में सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मौका मिलेगा ।

श्री हुकुम सिंह—

एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है । मैंने आग्रह किया कि आप व्यवस्था दे दें, आपकी व्यवस्था के बाद दुबारा उस प्रकरण पर जैसा बरार साहब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी । अगर सदन नियम से चलाना है तो, वैसे आपका विवेक है, कैसे चलायें ? **नियमों में यही है कि यदि कोई प्रकरण समाप्त हो गया, कोई चर्चा समाप्त हो** गई तो दुबारा उसको नहीं उठना चाहिए, चाहे नेता विरोधी दल का या नेता सदन का मामला हो । सदन के सामने सबके अधिकार समान हैं । नियम सबके ऊपर है । नियमों से बाहर जाने का अधिकार **न नेता सदन को है न नेता विरोधी दल** का है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको नियमों से ऊपर जाने का अधिकार नहीं है । जब चर्चा शुरू हो गयी और माननीय सदस्य बोलने लगे तो मान्यवर, अब आप चर्चा शुरू करावें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो समझता हूं कि नेता विरोधी दल, आप बैठें और इस प्रकरण को समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मुझे यह जानकारी दी गयी कि माननीय सदस्य शराब पी करके माननीय नौटियाल साहब के कटौती के प्रस्ताव में बार-बार बाधा डाल रहे थे । आप सुन लीजिये, नियमों की बात करेंगे तो आपके लिए भी नियम बहुत हैं, आप सदन में जो गुस्सा दिखाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है . . .

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह गुस्सा दिखाने की बात और आंख दिखाने की बात, मैं बड़े निवेदन और नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बुलवा तो दूं, लेकिन लोग हल्ला समाप्त करें तभी तो, नहीं तो यह सदन कैसे चलेगा ? सदन भी चलता रहे और माननीय सदस्य बोलते भी रहें तो क्या कोई माननीय सदस्य ऐसे में बोल सकेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरा कहना है कि मैं एक बार नहीं, कई बार यह कह चुका हूं कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, मेरी भी है लेकिन संसदीय कार्य राज्य मंत्री को कभी क्रोध में आकर या गुस्से में नहीं बोलना चाहिए । होना ऐसा चाहिए जिससे सौहार्द का वातावरण बने । ऐसे शब्द बोलने चाहियें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण के बारे में संसदीय कार्य राज्य मंत्री को जानकारी नहीं है, यह यहां नहीं थे ।

श्री हुकुम सिंह—

मैं था ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप बात सुन लें । यहां आज जब माननीय मंत्री जी, बल्देव सिंह आर्य जी आये, हम लोगों ने उनका नाम नहीं लिया, इसलिये नहीं लिया, क्योंकि इनके प्रति हम लोगों में सम्मान है । हमने सोचा कि ये बिल्ला लगाकर चले आये हैं तो धोखे से लगाकर चले आये हैं । इसीलिए किसी भी माननीय सदस्य ने आर्या साहब का नाम नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों को विश्वास है कि वे जानबूझ कर गल्ती नहीं करेंगे । यह प्रकरण किरन पाल सिंह जी ने उठाया कि माननीय मंत्री जी बिल्ला लगाकर आ गये । इसी प्रकार एक माननीय सदस्य शराब पीकर आ गये, वह भी भूतपूर्व मंत्री । तो प्रकरण यहां से शुरू हुआ । माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री यहां पर होते तो इतनी उत्तेजना न होती । यह मैं मानता हूं । अगर संसदीय कार्य राज्य मंत्री उपस्थित होते तो आप कार्यवाही उठा कर देख लें, जो उन्होंने कहा वही मेरी भी भावना थी । इधर का कोई सदस्य हो या उधर का हो, अगर वास्तव में वह शराब पीकर आया, संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने कहा कि एक माननीय सदस्य ने देखा लेकिन यह सच है कि एक ऐसे माननीय सदस्य ने देखा कि उस पर अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है । लेकिन मैं आपसे इसकी सफाई नहीं लेना चाहता ।

आप स्वयं देख लें । आपने डाक्टरी मुआयना करवा लिया होगा या जानकारी कर ली होगी । आप यहां पर शपथ लेकर कह दें कि वे शराब पीकर नहीं आये थे, तो मैं मान लूंगा । लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, इसीलिए मेरी बार-बार प्रार्थना है कि यह जो आज की घटना हुई यह बहुत ही अशोभनीय घटना हुई और इसलिए यह अशोभनीय घटना है कि आज प्रदेश की आम जनता हम लोगों के आचरण की नकल करती है । हम लोग क्या कर रहे हैं ? मिनिस्टर क्या कर रहे हैं ? बड़े-बड़े लीडर क्या कर रहे हैं ? उसकी मान्यवर, आमतौर से नकल की जाती है । आज हमारे माननीय सदन के एक सदस्य शराब पीकर यहां पर आये, चाहे इधर के हों या उधर के हों, लेकिन उनको नहीं आना चाहिये । माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री इतना उत्तेजित होकर बोले, अगर थोड़ा मुस्करा कर बोल देते तो क्या बिगड़ जाता ?

मान्यवर, यहां पर गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है गांधी जी ने शराब के बारे में यह कहा था कि शराब पीने वाला सबसे बड़ा अपराधी है । चाहे चरित्रहीनता हो या चोरी हो लेकिन सबसे बड़ा अपराध है शराब पीना । चलिये मैं यह मानकर चलता हूं कि माननीय सदस्य शराब पीकर नहीं आये, तो माननीय नौटियाल साहब जो हमारे दल के गंभीर और संयमित सदस्य हैं, उनके भाषण में विघ्न क्यों डालने लगे ? इसका आपके पास क्या जवाब है । इस पर मान्यवर, आप निर्देश दें ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मान्यवर, आप चाहते क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मुझे तो खेद है कि मेरी किसी बात . . .

श्री राम सरन—

मान्यवर, आप इनसे पहले मुझे सुनें । मैं खड़ा रहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी परसों तबियत खराब हो गयी श्री राम सरन जी, आपको कम बोलना चाहिए । माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को अपनी बात कह लेने दें ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

चाहे मर जाऊं, लेकिन बोलूंगा जरूर आप मौका दें ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, आप आदेश दें कि क्या होना है, मैं तो मुस्करा के कह रहा हूं ।

श्री राम सरन—

अगर आपके सदस्य महाराज ने शराब नहीं पी है, तो आपने उसको भगा क्यों दिया । आप उसको यहां पर बुला कर लायें । उसका डाक्टरी मुआयना यहां पर बुलाकर कराया जाय तो पता चल जायेगा । मान्यवर, ताला खुलवाकर पीछे वाले कक्ष से, उसे निकलवा दिया । मैं कहता हूं कि वह शराब पीकर आये हैं, आये हैं, आये हैं ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रकरण को समाप्त कर दें, वर्ना बहस शुरू हो जायेगी ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मैनेजर सिंह—

मैं माननीय नेता, विरोधी दल एवं अन्य नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण को समाप्त किया जाय । यह शर्म की बात है कि एक माननीय सदस्य पिए हुए थे । जो कुछ हुआ, वह नशे में हुआ, अब इसे समाप्त करें ।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-47, पर्वतीय विकास विभाग (क्रमागत)

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने पर्वतीय विकास के बजट पर कटौती के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया ।

पर्वतीय विकास एक मन्त्रालय के अधीन है, माननीय मन्त्री जी उसके मुखिया हैं । पर्वतीय विकास मन्त्रालय है, पर्वतीय विकास परिषद् है और यही नहीं, पर्वतीय अंचल से सम्बन्धित दोनों मण्डलों—कुमायूं मण्डल और गढ़वाल मण्डल के विकास से सम्बन्धित दो विकास मण्डल वहां पर हैं और इसके अलावा और भी सारा ताम-झाम जो इस सरकार ने किया है बजट के नाम पर, 156 करोड़ से 177 करोड़ किया और फिर 177 करोड़ से 205 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यह मैं मानता हूं । पर्वतीय विकास पर माननीय पाण्डेय जी के कटौती प्रस्ताव को आपने सुन लिया । एक नमूना और बताता हूं, जिस प्रकरण पर अभी इस सदन में चर्चा हुई, है, इस सरकार ने पर्वतीय अंचल में केवल एक चीज की है कि खूब शराब बांटी है, वहां पर इन्होंने कोई आर्थिक विकास नहीं किया, जिससे कि वहां पर जो गरीबी है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है वह दूर हो सके । सब कुछ है, लेकिन विकास नहीं हुआ है । इस सरकार ने पर्वतीय अंचल में शराब से भी गई बीती जहरीली चीजें बिकवाई हैं । इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया कि पर्वतीय अंचल में जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, पानी है, जंगल हैं, माइन्स हैं, जड़ी-बूटियां हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाय कि वहां के लोगों की आमदनी में वृद्धि हो । इस बारे में कभी भी गम्भीरतापूर्वक विचार नही किया गया । इसका नतीजा यह है कि वहां पर जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, वह नियोजित न होने के कारण विकास अवरुद्ध हो गया है । विकास की गति विपरीत दिशा की ओर जा रही है ।

जैसे उद्योग की बात है, हम चाहते हैं कि पर्वतीय अंचलों में औद्योगीकरण हो, लेकिन उसके लिये दो बातें कहना चाहूंगा कि एक तो ज्यादा से ज्यादा हो और दूसरे, कैसे उद्योगों की स्थापना करें । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक सीमेण्ट फैक्टरी खोली लोहाघाट, पिथौरागढ़ में और ऐसी जगह खोली जहां चारों ओर गांव हैं और सघन जंगल हैं । उसके मालिकों को इतना ज्यादा अधिकार दे दिया कि वहां सारे अधिनियमों का उल्लंघन करके उन्होंने जंगल के बीच से सड़क बनायी । हमारे यहां जंगल काटने के विषय में इतने सख्त नियम हैं कि कोई नहर नहीं बन सकती, गूल नहीं बन सकती, कुछ

नहीं बन सकता, लेकिन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए उनकी सड़क बन जाने दी।

मान्यवर, मैं कुछ समय की और आपसे मांग करता हूं। तो मैं कह रहा था कि आपको पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि वहां औद्योगीकरण तो हो लेकिन पर्यावरण का खतरा न पैदा हो।

पर्वतीय क्षेत्र के आठ-आठ जनपद औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं लेकिन जो सुविधा आपने देहरादून और नैनीताल में उद्योग खोलने के लिये दी है क्या आप वही सुविधा पिथौरागढ़ में भी देंगे? जो उद्यमी उद्योग लगाना चाहेंगे यदि उसे वही सुविधा देहरादून और नैनीताल में उपलब्ध हो जाती है तो फिर वह क्यों पिथौरागढ़ में जाना चाहेगा? यह भी देखने की बात है।

आपके विभाग से काश्तकारों के लिये, निर्माण कार्यों के लिये, औद्योगीकरण के लिये जो बजट जाता है उसकी लागत मैदानी क्षेत्र की तुलना में डेढ़ गुनी या दो गुनी होती है, फिर भी वहां पैसा कम दिया जाता है जिसके कारण जो योजना शुरू भी की जाती है उसका काम आगे चलकर रुक जाता है। इसलिये यह बात भी ध्यान देने योग्य है।

हमारे यहां एक मुकुट नाम की नहर है जो कि 12 साल पहले बनी थी जिसके निर्माण में 14 लाख रु0 व्यय हुए थे लेकिन उसमें आज तक एक भी छींटा पानी का नहीं गया है। जो भी विकास कार्यों के लिये पहाड़ों में पैसा जाता है उसका एक पैसे का भी प्रतिफल वहां की जनता को नहीं मिलता है इसलिये जरूरी है कि आप जो विकास योजना के नाम पर वहां के लिये धन दें उसका वेरीफिकेशन भी करायें।

वहां की शिक्षा की दशा के बारे में आपने सुन लिया है। पर्वतीय क्षेत्र में जो सीमान्त के जिले हैं वहां आपके प्रशासनिक कर्मचारी कम से कम जाना चाहते हैं। यदि जाते भी हैं तो पनिशमेन्ट के तौर पर या प्रमोशन पर या फिर पेंशन लेने के लिये जाते हैं केवल पिथौरागढ़ जिले में जुलाई 1985 तक सभी विभागों को मिलाकर 383 पद रिक्त हैं अधिकारियों से ले करके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक के। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी लिखकर दिया था कि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता है और जो जाते भी हैं वह अपने स्वार्थ के कारण से जाते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

मान्यवर, आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसे कि इसके नाम से ही स्वयं मालूम होता है कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पर्वतीय क्षेत्रों का समुचित विकास हो सके यही भावना विभाग का सृजन ही इस उद्देश्य से हुआ है, इसकी मूल भावना ही पर्वत पर्वतीय विकास के सृजन की थी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्र से भिन्न है और इस स्थिति में समस्याओं के निवारण के लिये इस विभाग का सृजन

हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो भी योजना पर्वतीय विकास विभाग में पारित हो जाती है, वित्त विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाओं के बीच फंस जाती है और जहां विलम्ब से स्वीकृति हो जाती है जिससे पर्वतीय क्षेत्र के विकास को समुचित विकास की गति नहीं मिल पाती है। मैं इस ओर खास तौर से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के लिए एक अलग से स्पेशल सेक्रेटरी या ज्वाइन्ट सेक्रेटरी स्तर की एक पोस्ट रखें जो कि हिल डेवलपमेन्ट के अन्दर की तमाम योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर सकें। विकास में गति आवे।

वन अधिनियम की ओर से भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की सारी की सारी योजनायें वन अधिनियम के जरिये चाहे किसी भी विभाग के मद की हों सड़क निर्माण की हों या स्कूल के भवन निर्माण की हों, इस अधिनियम से सारा कार्य ठप्प हो जाता है महज वन अधिनियम के कारण।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप उसका सरलीकरण करें। जो विकास के कार्य रुके पड़े हैं, विकास कार्यों में गति देने की दृष्टिगत रखते हुए इसमें सरलीकरण किया जाय। मान्यवर, रोड एक ओर 10 किलोमीटर बन गयी और दूसरी ओर 5 किलोमीटर बन गयी और बीच में 5-7 किलोमीटर की सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है इस कारण उस सड़क का लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल पाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो सड़कें हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाये। सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे डैम बनाये जायें और सिंचाई की व्यवस्था की जाये। गंगा का हरिद्वार से डाइवर्जन किया जाये और कोटद्वार भावर की ओर लाया जाये जिससे वहां की सिंचन क्षमता बढ़ेगी और सिंचाई के लिये यही एकमात्र विकल्प है। अगर आप छोटे-छोटे डैम्स की ओर ध्यान नहीं देंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा।

शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विभाग की ओर शासन का ध्यान ले जाना चाहता हूं वहां पर लोग जाते हैं और अपना ट्रान्सफर करा कर चले जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थान रिक्त हो जाते हैं और वहां के लोगों को जो सुविधायें मिलनी चाहियें वह नहीं मिल पाती हैं। आधार विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के विद्यालयों में स्थानीय लोगों को रखना चाहियें ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मान्यवर, हाई स्कूल और इन्टर तथा डिग्री कालेजों में कृषि विषय की शिक्षा दी जानी चाहिये। यह पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी विद्यालय या स्कूल में नहीं है। मान्यवर, हार्टीकल्चर और टूरिज्म से पर्वतीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है, पर्यटन के क्षेत्र में खासकर ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की पोस्ट वहां पर होनी चाहियें, इसकी नियुक्ति तुरन्त की जाये। हार्टीकल्चर के बारे में वहां पर ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की पोस्ट हल्द्वानी में हो जाये तो सुविधा होगी। राजा जी पार्क को बनाया तो जाय किन्तु स्थानीय लोगों को इससे परेशानी का सामना न हो इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

(श्री कमल किशन पाण्डे को पुकारे जाने पर।)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

सभी पहाड़ के माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सुझाव देना चाहते हैं, उनको आप अवसर दें, यह पहले भी हो चुका है। पर्वतीय विकास से सम्बन्धित विषय है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए पर्वतीय क्षेत्र के सदस्यों को बोलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

दो इधर के बोलेंगे और फिर दो उधर के बोलेंगे।

श्री हुकुम सिंह—

उधर के बोल चुके हैं और इधर के रह जायेंगे। सवाल इधर और उधर का नहीं है, आप इनको बुलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

10 बजे बजट शुरू हुआ था और साढ़े 11 बजे समाप्त होना था अब एक बज रहा है और तीन बजट हैं, तो टाइम को देखना होगा। जो माननीय सदस्य बोलने से रह जायें वह लिखकर माननीय मन्त्री जी को दे दें।

श्री हुकुम सिंह—

इस बजट को पारित करने की जिम्मेदारी हमारी भी उतनी ही है, जितनी कि आपकी है। अपने उत्तरदायित्व को हम समझते हैं अगर आप समय नहीं देंगे तो बहुत से सदस्य इस बजट की चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे। 10 बजे से 11 बजे तक क्या हुआ ? आप नहीं थे और उस समय को निकालते हुए डेढ़ घन्टे की चर्चा नहीं हुई है। आप इस बात की चिन्ता न करें, उससे ज्यादा चिन्ता हमको करनी है।

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री जी, एक दिक्कत यह हो जायेगी मेरे सामने, जो आपका विचार है उससे कोई माननीय सदस्य यह कहे कि पर्वत वाले नहीं बोलेंगे इधर वाले भी बोलना चाहते हैं ? तो कैसे रोका जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह—

[xxx] इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है मैंने जो बात रखी है रोक पाना आपका काम है पर्वतीय क्षेत्र का बजट है उनको ही बोलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने से किसको रोका जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसमें पर्वतीय का मामला नहीं है जो बाहर के लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के सभी विभाग इस विभाग से जुड़े हुए हैं हमको आज तक बोलने का मौका नहीं दिया और न मान्यवर, हमने दूसरे बजटों पर बोलने की इच्छा व्यक्त की है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप रुक जाइये।

नोट—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री लक्ष्मी नारायण—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी संसदीय कार्य राज्य मन्त्री जी ने बहुत ही खूबसूरत ढ़ग से एक लांछन लगाया कि आपको समझाना हमारी समझ से बाहर हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मन्त्री जी ने जो लांछन आपको लगाया हैं [xxx] इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

मान्यवर, यह आपके लिए नहीं हैं यह चेयर के लिए हैं। मान्यवर, आप कार्यवाही को देखें मन्त्री जी ने कहा हैं [xxx] यदि यह लांछन कार्यवाही में हो तो यह निकाला जाना चाहिए क्योंकि यह चेयर के खिलाफ हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कार्यवाही में हैं तो निकाल दिया जायेगा।

*श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए जितनी भी राजाज्ञाएं आज तक निर्गत हुई हैं उन राजाज्ञाओं का पालन आज तक नहीं हो पाया हैं, इन राजाज्ञाओं का पालन शीघ्र करवाया जाय। मान्यवर, इन राजाज्ञाओं के अनुसार ही नियुक्तियां की जाय, स्थानान्तरण किये जायं और पदोन्नतियां की जायं पर्वतीय क्षेत्रों में।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, आपने एक मरतबा व्यवस्था दिया कि एक आदमी इधर का बोलेगा और एक आदमी उधर का बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दिया। मैं बुला दूंगा लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दिया। इनको बोलने दें।

(व्यवधान के मध्य श्री हरिशंकर तिवारी के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी मौका मिल जायेगा, रुकावट कोई नहीं हैं लेकिन प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

(श्री हरिशंकर तिवारी, डाक्टर दिनेश जौहरी तथा प्रधान प्रभुदयाल के खड़े होने पर)।

आप लोगों को भी मौका मिलेगा। मैंने उनको बुला लिया हैं। आप लोग बैठ जायं।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और सिर्फ दो तीन बातों की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, अभी 3/4 फरवरी को पर्वतीय विकास की बैठक हुई थी। वह बैठक पर्वतीय क्षेत्रों के लिये एक कैबिनेट

नोट—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के समान हैं। उसमें जो निर्णय लिये गये उसकी वह कार्यवाही हम लोगों को मिल जानी चाहिए। इसीलिये मेरा आग्रह हैं कि आप उस बैठक की कार्यवाही हमें भिजवा दें। आज तक वह कार्यवाही नहीं मिली हैं, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। कौन लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में जो आपका वन अधिनियम हैं वह आड़े आया हैं। यह वन अधिनियम वहां पर न सड़कें बनने देता हैं, न नहरें बनने देता हैं और न बिजली के खम्भे लगने देता हैं और न उससे बिजली की सुविधा उपलब्ध हो सकती हैं। वहां से गंगा और जमुना नदियां निकल रही हैं लेकिन वहां का आदमी पीने के पानी के लिये वंचित हैं, यह कैसी विडम्बना हैं। मान्यवर, हमारे प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री पहाड़ों का विकास मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं को लेकर करना चाहते हैं। पहला हैं उद्यान, दूसरा हैं उद्योग और तीसरा हैं पर्यटन। यही तीन विन्दु हैं जो पहाड़ों का विकास कर सकते हैं। मेरा माननीय मन्त्री जी से आग्रह हैं कि वे इन विभागों को विशेष रूप से आदेशित करें। वे पर्वतीय क्षेत्र में जाकर इनका निरीक्षण करें कि कहां पर कौन सी योजना बन सकती हैं।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में कुछ उद्योग लगे हुए हैं जिनमें छूट की व्यवस्था रखी गई थी और उस छूट के न मिलने के कारण, उनकी वसूलियां की जा रही हैं। कच्चा माल न मिलने के कारण कुछ उद्योग बन्द भी हो गये हैं। इसलिये माननीय मन्त्री जी इन सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करें कि उनके यहां जितने भी रिक्त पद पड़े हुए हैं जैसा कि माननीय

(1 बजकर 10 मिनट)

प्रधान मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी की मंशा हैं, उन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाय और वहां पर पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगारों को रखा जाय। मैदान का आदमी जब पर्वतीय क्षेत्र में जाता हैं तो वह अपना स्थानान्तरण करवा देता हैं और दूसरे ही वर्ष वह समस्या हमारे सामने आ जाती हैं। मैं एक बात आपके द्वारा मन्त्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे जनपद में एक डैम बन रहा हैं जिसके कारण 159 गांव जलमग्न हो रहे हैं, उनकी संस्कृति जलमग्न हो रही हैं। ये गांव खाली हो जायेंगे। उनके विस्थापन की अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई हैं। अतः मेरी मांग हैं कि इन गांवों के लोगों के पुनर्वासन की सही व्यवस्था की जाय और साथ ही उनको वांछित पैसा भी दे दिया जाय। मान्यवर, पिछली बैठक में मैंने कहा था कि हमारे यहां जल निगम और जल संस्थान दो विभाग बने हुए हैं जो वहां पानी देने के लिये सक्षम नहीं सिद्ध हो रहे हैं। इस लिये मैं चाहूंगा कि इन दोनों विभागों को एक कर दिया जाय ताकि पर्वतीय क्षेत्र का इस दिशा में विकास हो सके और पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल के लिये अलग से अधिकारी रखे जायं और उनको सभी अधिकार दिये जायं।

मान्यवर, पहाड़ों के प्रशासन की समस्या पटवारियों के हाथ में हैं लेकिन उनके लिये कोई चौकियां नहीं बनायी गई हैं। मैदानी क्षेत्रों में कितनी चौकियां बनी हुई हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारियों की चौकियां नहीं बनी हैं। इसके लिये 1979 में कुछ पैसा स्वीकृत किया गया था लेकिन उसका यूटिलाईजेशन नहीं हुआ हैं। मैं चाहूंगा कि

पर्वतीय क्षेत्र के पटवारियों को और उनके साथ उनके सहयोगी चपरासियों को राजस्व के कार्यभार, अनेक वसूलियों और प्रशासन की विशेष के लिए समुचित व्यवस्था की जाय, चौकियों में उन्हें राइफल आदि की व्यवस्था की जाय तथा अतिरिक्त भत्ता और वेतन उनको मुहैय्या किया जाय साथ ही उनको वर्दी भी दे दी जाय जिससे वहां पर असामाजिक तत्वों के ऊपर असर पड़ सके।

मान्यवर, टेहरी बांध 1962 से बन रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध है। इस क्षेत्र में आने वाले सभी नागरिकों को सरकार से मिलने वाली ऋण आदि की सुविधाओं पूर्णरूप से वंचित रखा जा रहा है और यह पता नहीं है कि यह बांध बनकर कब तैयार होता है। अतः मैं चाहूंगा कि उनको ऋण आदि की सुविधायें दिलायी जायं। इस क्षेत्र के लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर वहां मकान बनाने अथवा पुराने मकानों में वृद्धि करने से लोगों को न रोका जाय और जो मकान बन रहे हैं उसकी बांध बनने से एक साल पूर्व तक के मकानों का मुआवजा दिया जाय जो न्यायसंगत है। उसके बाद नये टेहरी नगर में इन लोगों के लिये विशेष पुनर्वासन की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त वर्तमान महंगाई को देखते हुए मुआवजे की दर में समुचित बढ़ोत्तरी की जाय।

टेहरी क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को बांध बनने के कारण उनके भवन नहीं बन पा रहे हैं। यह विशेषकर सार्वजनिक निर्माण विभाग में देखा गया है। उनको मकान किराया भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। अतः मेरी मांग है कि उनके लिये यथोचित व्यवस्था की जाय।

पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी अधिकारीगण हैं उन्हें पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल को देखते हुए जोनों मुहैय्या करवाई जायं ताकि वे अपने अधीन हो रहे निर्माण कार्यों की उचित देखभाल कर सकें। मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में हमारे आग्रह पर मुख्य मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया था कि वहां पर प्राइमरी विद्यालयों के रिक्त पदों पर बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के न मिलने पर बी0 एड0 प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया जायेगा और उसके बाद जो पद रह जायेंगे उनमें योग्य अप्रशिक्षित लोगों को नियुक्त कर धीरे-धीरे उनसे बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण और पत्राचार प्रशिक्षण कराया जायेगा। मान्यवर, मेरा यह भी आग्रह है कि राजकीय हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेजेज में जो नियुक्तियां होने वाली हैं उनमें पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को ही नियुक्तियां दी जायं। यह मुख्य मंत्री जी ने अपने वहां के तीन भ्रमण के दौरों में कहा भी है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उनके अवशेषों का भुगतान किया जाय और उन्हें चयन वेतनमान दिया जाय ताकि वे रुचि पूर्वक विषम परिस्थितियों में कार्य कर सकें।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसलिये मैं चाहूंगा कि हर विद्यालय में वहां पर एन0 सी0 सी0 के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय जो पन्तनगर में है उसका एक कैम्पस रानीचौरी में है। वहां पर उन विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा जो कृषि से पास होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां हर

विद्यालय में कृषि विषय खोला जाय। इसके अतिरिक्त प्रदूषण कार्य मुख्य मन्त्री जी करा रहे हैं उसे रुद्रप्रयाग और टेहरी से प्रारम्भ किया जाय क्योंकि टेहरी बांध से बहुत बड़ा प्रदूषण हो रहा है। अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि वहां पर प्राइमरी विद्यालय के अध्यापकों की मांगें मान ली जायं और पर्वतीय क्षेत्र में उच्चीकरण, प्रान्तीयकरण और मान्यता के लिये मानकों में ढील दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और आपका भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

*डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पर्वतीय विकास से सम्बन्धित उद्योग मन्त्री वही हैं इसीलिये उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लालफीता शाही के चक्कर में आकर पहाड़ों का उद्योग खत्म होता जा रहा है। आज वहां का उद्योगपति परेशान है। इस समय वहां दो करोड़ रुपये की इंडोजरमन योजना भी ठप्प हो गयी है कॉम्फरप्लांट बन्द हो गया है। इसी तरह बनों पर आधारित उद्योग सब बन्द हो गये हैं। 1974 में तत्कालीन राज्यपाल के सलाहकार के साथ वहां के उद्यमियों की एक बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि वहां अधिक से अधिक सुविधा देंगे। लेकिन वह नहीं दी गयी। फिर 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और यहां के मुख्यमंत्री ने वहां के उद्यमियों को बुला कर कहा था आपको फिर सुविधा दी जायेंगी अनेकों उद्यमियों ने बनों पर आधारित अनेक उद्योग वहां लगाये लेकिन वन विभाग की अविवेकपूर्ण नीति के कारण बनों पर आधारित कच्चा माल न मिलने के कारण फिर से संकट आ गया। उनसे फैक्ट्री लगाते समय कहा गया कि दो साल तक फ्री बिजली दी जायेगी लेकिन वह भी नहीं दी गयी जिसके कारण वह फैक्ट्रीज सिक हो गयी हैं। इसके बाद माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ बात हुई और उन्होंने एक पैकेज प्लान बनाने की बात कही, उसके बाद वहां के उद्यमियों ने श्री श्रीपति मिश्र जी के सामने शिकायत की और उन्होंने कहा कि जो ऋण दिया गया है उसकी वसूली रोक दी जाय और उस पीरियड का ब्याज न लिया जाय और बिजली के कनेक्सन फिर से दे दिये जायं लेकिन इन पर कोई अमल नहीं किया गया और उन कारखानों की बिजली काट दी गयी जिसकी वजह से वह फैक्ट्रीज बन्द पड़ी हैं।

अभी 2 फरवरी को पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक हुई थी जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों ने माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने वहां की समस्यायें रखी और कहा गया कि एरियर का भुगतान पर्वतीय विकास परिषद् करेगी लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। आज वहां फैक्ट्री लगाने वाले लोग परेशान हैं। आज सारी सुविधा-काशीपुर को दी जा रही है पूरे पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है जिसके कारण उद्यमियों का हजारों लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस ओर ध्यान दें और जो उद्योग चौपट होने जा रहे हैं उनको बचा लें।

एक रेल लाइन बरेली से हल्द्वानी बड़ी लाइन पड़ने वाली थी। इसके बन जाने से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता लेकिन वह बड़ी लाइन अब मुरादाबाद-रामपुर होते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए काशीपुर तक सीमित रह गयी हैं जिससे इतना बड़ा पर्वतीय क्षेत्र इस लाइन से वंचित रह गया हैं।

आज हल्द्वानी में भीषण प्रदूषण हो रहा हैं उतना शायद ही किसी जगह हो रहा हो। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बस और ट्रक पूरे प्रदेश के हैं। इस प्रदूषण से डेढ़ लाख की आबादी प्रभावित हो रही हैं। हमारे यहां बरेली से हल्द्वानी को जब जाते हैं तो रास्ते में बहेड़ी के आसपास लोगों को नाक बन्द कर जाना पड़ता हैं यह बहेड़ी में 5, 6 मील का एरिया बुरी तरह से प्रदूषण से ग्रस्त हैं वहां पर फैक्ट्री से निकली गन्दगी से यह प्रदूषण हो रहा हैं इसी तरह लालकुआं की पेपर मिल, किच्छा की शुगर मिल से भयंकर प्रदूषण हो रहा हैं जिसकी वजह से अनेक बीमारियां फैल रही हैं। नैनीताल लेक में भी प्रदूषण हो गया हैं इस समय उसमें मछली भी पैदा नहीं हो रही हैं जो पैदा होने पर मर जाती हैं जहां पर हजारों हजारों में पर्यटक जाता हैं जो विदेशों से आता हैं।

(इस समय 1 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जयदीप सिंह बरार पीठासीन हुए)।

आप नैनीताल जायं तो देखेंगे कि वहां कितनी गरीबी हैं वहां जब आप बस से उतरते हैं तो 100 कुली घेर कर खड़े हो जाते हैं उसको देखने से ही पता लग जाता हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी गरीबी हैं कि एक बोझ को ढोने के लिये 100 आदमी आ जायं। इससे बुरा इम्प्रेशन पर्यटकों पर पड़ता हैं जो बाहर से आते हैं। इसीलिये मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसा सिस्टम कर दें टोकन बनवा दें कि एक आदमी बोझ उठाने के लिये आये इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूं भारत के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी का जिन्होंने पर्वतीय विकास के लिए, धनराशि में वृद्धि की हैं, और 105 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये कर दिया हैं, उत्तर प्रदेश शासन से 85 करोड़ रुपये और कुल 205 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी हैं।

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूं मुख्य मन्त्री जी का जिन्होंने पहाड़ों की ओर विशेष ध्यान देकर जो गत दो वर्षों में पर्वतीय विकास परिषद् की बैठकें नहीं हो रही थीं, उसको बुलाकर विधायकों के विचारों को सुना और तत्काल कार्यवाही के आदेश दिये। इस कार्यवाही में प्रमुख जो निर्देश दिये गये हैं उसमें जल संस्थान और जल निगम में एक समिति गठित की गयी हैं जो पहाड़ों की पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान करेगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि यह समिति एक निर्णय लेगी कि जल संस्थान या जल निगम में से एक ही इकाई काम करे और पेयजल समस्या का समाधान करे। इसी प्रकार अध्यापकहीन विद्यालयों में शिक्षित बेरोजगार लगाने का आश्वासन भी दिया हैं।

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहाड़ों पर अध्यापकों से उत्पन्न समस्याओं के लिये लगभग

2,807 अध्यापकों की पदोन्नति करके जो प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं थे राजकीय व प्राइमरी परिषद् के विद्यालयों की अलग-अलग उनकी व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने पहाड़ों पर और मैदानों में भवन निर्माण की धनराशि में वृद्धि की है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिये अब यह धनराशि 93,300 रुपये और पहाड़ों के ही मैदानी क्षेत्रों के लिये 66,700 रुपये एक स्कूल भवन निर्माण के लिये व्यवस्था किया है, इसके लिये मैं मुख्य मन्त्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, हमारी सरकार ने मजदूरों सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिये एक लेबर कोर्ट की स्थापना गढ़वाल मण्डल के देहरादून में करने की व्यवस्था किया है। सरकार मजदूरों की समस्याओं से परिचित होकर प्राविडेन्ट फन्ड शाखा को देहरादून में भी खोलने का निर्णय लिया है।

मान्यवर, एन0 सी0 डी0 सी0 की स्वीकृति से पी0 सी0 एफ0 को यह निर्देश दिये गये हैं कि सोयाबीन पर निर्भर उद्योगों की स्थापना गढ़वाल मण्डल में करे। यह उद्योग रैलडीह पर स्थापित किया जावे।

मान्यवर, यह निश्चित मत है कि वन अधिनियम के कारण पर्वतीय अंचल में सारे विकास के काम जैसे सड़क, पुल, अस्पताल, उद्योग और स्कूलों के निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गये हैं, इसलिये अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर इस वन अधिनियम को लचीला बनाने की प्रार्थना की जाये जिससे वहां विकास के कार्यों में बाधा न हो।

मान्यवर, मैं सरकार का आभारी हूं कि हमारी सरकार ने एक-एक इंजीनियरिंग कालेज, कुमायूं और गढ़वाल मण्डल में खोला है जिसका शिलान्यास मुख्य मन्त्री जी ने किया है।

मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां जो स्वीकृत कार्य हैं, जैसे रिस्पना और बिंदाल नदी के पुलों एवं स्टेडियम देहरादून में, उन पर शीघ्र काम कराया जाये।

मान्यवर, टेक्निकल एजूकेशन के लिये सभी जिलों में एक-एक अतिरिक्त आई0 टी0 आई0 खोलकर रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में डोईवाला में भी एक आई0 टी0 आई0 खोलने की कृपा करें।

अब मैं पर्वतीय क्षेत्र की पेयजल की योजनायें जो अधिकारी बनाते हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उनको सही प्रभावकारी योजनायें बनानी चाहिए और सरकार को सही आंकड़े देने चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि 1972 के सर्वे के आधार पर 7771 गांव पेयजल से अभावग्रस्त थे उनमें से 1981 तक 7141 ग्रामों की पेयजल की समस्या का समाधान हो गया, कहा गया, लेकिन 1980 के सर्वे के आधार पर 3615 ग्राम कैसे पेयजल से पुनः अभावग्रस्त हुए, यह चिन्ता का विषय है। तो यह फर्जी आंकड़े शासन को अधिकारीगण न प्रस्तुत करें। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि पहाड़ों पर अधिकारी ईमानदारी और निष्ठा से काम करें और पहाड़ों पर केवल भ्रष्टाचार एवं शोषण करने का काम न करें। पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु गूलर घाटी योजना के साथ-साथ गंगा, यमुना के पेयजल योजना का भी सर्वेक्षण कराया जाये।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख समस्यायें हैं, चिकित्सा, फलोउद्यान, कृषि, उद्योग शीतग्रहों की कमी, खाद्यान्न के लिये गोदामों की व्यवस्था और परिवहन की व्यवस्था व स्थानीय बेरोजगारों के रोजगार की ओर सरकार विशेष ध्यान दे और इनका विकास करे । सरकार चिकित्सा को ध्यान में रखकर एक मैडिकल कालेज की स्थापना गढ़वाल मण्डल में की जानी चाहिए । मैं सरकार से यह भी चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट बैंच की मांग चल रही है, पहाड़ों के भी हित में उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही किसी भी स्थान पर खोला जाये जिससे लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं एवं मान्यवर, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । धन्यवाद ।

श्री हरि शंकर तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्वतीय क्षेत्र के विकास बजट पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, दो तरह का बजट पेश किया जाता है, एक तो पर्वतीय विकास के नाम पर धोखाधड़ी का बजट और दूसरे मैदानी विकास के नाम पर बजट पेश किया जाता है । मैंने पर्वतीय विकास के नाम पर धोखाधड़ी शब्द का प्रयोग किया है, इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं । यह दोनों बजट एक ही वित्त विभाग द्वारा संचालित होते हैं, यह विभाग पर्वतीय क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में न रखकर उसके साथ घोर उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है और विकास के नाम पर उनकी कटौती कर देता है । इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि इस देश और प्रदेश के अधिकांश महत्वपूर्ण तीर्थस्थल इस प्रदेश में स्थित पर्वतीय अंचल में हैं । मान्यवर, सभी लोग जानते हैं कि चीन से लड़ाई के पूर्व इस पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन के कोई साधन नहीं थे । मैं चीन की लड़ाई का जिक्र कर रहा हूं, आप देखें कि चीन की लड़ाई के बाद ही सिर्फ बद्रीनाथ तक सड़कें बनाई गई और केदारनाथ धाम और मानसरोवर जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल आज भी आवागमन के नाम पर रो रहे हैं । वहां के निवासी सड़कों से अछूते हैं । यह राष्ट्रीय हित का एक महत्वपूर्ण मसला है, इसे आप गम्भीरता से देखें । पत्र-पत्रिकाओं में इस सदन के लोग पढ़ते होंगे कि मानसरोवर जाने के लिए पिथौरागढ़ जनपद में तवाघाट के बाद कोई रास्ता नहीं है और पैदल पहाड़ी और दुर्गम मार्ग से चलकर वहां से सात दिन तीर्थयात्रियों को मानसरोवर पहुंचने में लगते हैं । किन्तु जब यह तीर्थयात्री सात दिन में मानसरोवर पहुंचते हैं तो वहां पर यातायात के साधन इनकी प्रतीक्षा किया करते हैं । यह एक कैसी विडम्बना है कि एक तरफ पर्वतीय विकास के नाम पर धोखाधड़ी का बजट रखा जाता है और एक दूसरे देश में विदेश में जब यहां के तीर्थयात्री जाते हैं तो वहां पर उस देश के यातायात के साधन उनका स्वागत करते हैं । इस प्रदेश की धोखाधड़ी की सरकार कभी भी उनको विकास के नाम पर न धन देती है और न उनका विकास करती है ।

इसके अतिरिक्त जनपद चमोली में बाराहोती, जो हमारी सेनाओं का अन्तिम पड़ाव है तिब्बत जाने के लिए, वहां पर तिब्बत से साधन उपलब्ध रहते हैं, लेकिन

वहां से 30 किलोमीटर तक का नीतिपार तक का जो रास्ता है, उसमें से 18 किलोमीटर का रास्ता आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी तरफ भी यह सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। उसके महत्व की सरकार उपेक्षा कर रही है। सरकार राष्ट्रीय हित में ध्यान दे तो केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालकर उस रास्ते को बनवा सकती है, लेकिन इसकी सरकार को कभी चिन्ता नहीं है। मैं सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि माननीय मन्त्री जी आज जब तक इस बात का आश्वासन न दें तब तक आप इस बजट को न पास होने दें।

मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार बंधुआ मजदूरों के बारे में हमेशा झूठे आश्वासन देती है। मैं आपको पूरे दावे के साथ बताना चाहूंगा कि देहरादून में चकराता और उसके पास जो जौनपुर विकास खण्ड है, वहां पर आज भी जो खासी या खस जाति के लोग हैं उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। वहां के बड़े लोग और दूसरे सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी उनका शोषण करते हैं और उनका हक छीन लेते हैं और इसमें सबसे ज्यादा शर्म और कलंक की बात यह है कि उनकी लड़कियां आज भी पेशा करने के लिए विवश हैं और जगह-जगह वह भेजी और बेची जाती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका बिलकुल समय समाप्त हो गया है, आप बैठें।

श्री हरिशंकर तिवारी—

अन्त में मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी से कम से कम वह इस कलंक को दूर करने की अवश्य कोई व्यवस्था करें। मान्यवर, इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

*श्री किशन सिंह त्यागी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने के लिये समय दिया। मैं माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलना चाहूंगा। मेरे लायक दोस्त पांडेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में 8 जिले हैं। इन आठ जिलों की आबादी 48 लाख है। लेकिन यह सबके सब क्षेत्र पिछड़े हुये हैं। सड़कों के नाम पर वहां पर कोई चीज नहीं है। कुछ सड़कें हैं जो सन् 1962 में बनीं जबकि चीन ने हमारे देश पर हमला किया था। तब हमारे देश की दृष्टि गयी और वहां पर सड़कें बनीं। चीनी लोग वहां पर पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को अनाज, कपड़ा और पैसा देने लग गये थे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने इन सब विभागों को खोला जिसका बजट आज हमारे पर्वतीय विकास मंत्री जी ने रखा है। वहां पर 1980 से लेकर आज तक कोई सड़क नहीं बन पा रही है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार ने जो वन अधिनियम लागू किया है उसका उद्देश्य यह था पेड़ों की कटाई न हो सके और पेड़ों की कटाई होने से जो जमीन कट रही है वह सब रुक जाय और पेड़ों की रक्षा हो। लेकिन इसका असर यह हो रहा है कि जो विकास के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य हैं, वह सारे के सारे ठप पड़े हैं। न स्कूल बन पा रहे हैं, न अस्पताल बन पा रहे हैं और न सड़कें बन पा रही हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो वन अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाय और जहां पर विकास कार्य होते हैं वहां पर जो पेड़ बीच में आते हैं उनके काटने की इजाजत देनी चाहिये। वहां पर पेय जल की समस्या है। वहां पर बहुत सी नदियां वहीं से निकलती हैं लेकिन वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। हमारे यहां बहुत सी स्कीमें बनायी गयीं हैं, सरकार चाहती है कि वहां पर लोगों की पानी की समस्या दूर हो और उनको पानी मिले लेकिन सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और वहां के 80 प्रतिशत लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। वहां पर पीने की पानी की जो समस्या है उसका समाधान किया जाय। सड़कों के बारे में निवेदन यह है कि अगर वहां पर पक्की सड़कें न बन पायें तो कम से कम पैदल चलने के लिये, घोड़ों के चलने के लायक सड़कें बनाना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नैनीताल जनपद में सारा विकास हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 8 विकास खंड हैं और दूसरे क्षेत्रों में 7 विकास खंड हैं। मेरे क्षेत्र के 8 विकास खंडों में अभी पक्की सड़कों की बहुत कमी है। पैदल चलने के लिये और जानवरों के चलने के लिये सड़कें नहीं हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम पैदल चलने के लायक सड़कें बनवायी जायं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के 40 फीसदी से अधिक गांवों में बिजली नहीं है। केवल नैनीताल के तराई क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र आता है वह क्षेत्र विकसित है वहां पर बिजली है पानी, का इंतजाम है। वह क्षेत्र मैदानी है, वहां के लोग मेहनत भी करते हैं इसलिये वहां पर सब साधन हैं इसीलिये सब लोग कहते हैं कि सारी चीजें नैनीताल चली गयी हैं। नैनीताल के अनेक क्षेत्र बहुत पिछड़े हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहाड़ में विकास कार्य तेजी से हो सकें इसके लिये वन अधिनियम को खत्म करवाया जाय और जो कार्य रुके हुए पड़े हैं उनको तुरंत करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

(श्री किशोरी लाल सकलानी को पुकारे जाने पर।),

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप केवल 2 मिनट में अपनी बात कह लें क्योंकि एक सदस्य और भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री किशोरी लाल सकलानी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे पर्वतीय विकास विभाग के बजट पर बोलने के लिये समय दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटियों का खजाना है वहां पर आयुर्वेदिक अनुसंधानशाला की जरूरत है। पूरे पर्वतीय प्रदेश में आप जड़ी-बूटियों का अनुसंधान करवाने की कृपा करें। वहां पर ऐसी विलक्षण प्रासंगिक औषधियां बूटियां मिलती हैं जिनसे सोना भी बनाया जा सकता है मैं अतीत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आज भी एक ऐसा व्यक्ति हैं जो गोस्वामी गणेशदत्त जी के आश्रम में रहता था, तथा आश्रम में बूटी से बने हुए सोने को, पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो वह 30-30 सेर सोना कमर में बांध कर ले जाकर बेचता था और उस पैसे से उस जमाने में आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों की मदद करता था । वह आदमी सोना बेचने वाला आज भी जीवित हैं । उसी ने यह सब मुझे बतलाया हैं । इसलिए मान्यवर, अनुसंधान होना चाहिए ।

दूसरे मान्यवर, हमारा निवेदन यह हैं कि जहां आप सिंचाई की बात करते हैं । पर सिंचाई के साधन इन घाटी में प्राप्त नहीं हैं पूर्व में तो गंगा और पश्चिम में जमुना हैं लेकिन हमारे यहां खेती पानी के लिए प्यासी हैं और जो नहरें हैं भी पानी उनसे भी पर्याप्त नहीं मिलता हैं, और यह नहरें केवल सपोर्टिंग कैनाल्स हैं, बरसात होती हैं तो पानी मिलता हैं और बरसात नहीं होती हैं, तो पानी नहीं मिलता हैं, इसलिए सरकार से अनुरोध हैं कि हमारे यहां पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । और एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का अनुगृहीत हूं मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने 205 करोड़ रु0 दिए और इसमें से हमें केवल 85 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार से दिए गये और केन्द्र सरकार द्वारा जो 120 करोड़ रु0 दिए गये हैं, उनमें से आखिरी के तीन वर्षों में केन्द्र सरकार से कटौती का भय हैं चूंकि प्रदेश सरकार अपना पूरा हिस्सा नहीं दे रही हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि प्रदेश सरकार भी अपना पूरा हिस्सा देना सुनिश्चित कर ले ताकि हमारे यहां की समस्त योजनाएं समय से पूरी हो सकें ।

दूसरे मान्यवर, हमारे जनपद देहरादून की पर कैपिटा इन्कम की बात बहुत से आप में से कहते हैं कि अच्छी हैं, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि देहरादून शहर के कुछ लोगों की आमदनी तो 1 लाख-2 लाख रुपये की प्रतिमाह हो सकती हैं, लेकिन देहरादून के देहाती क्षेत्रों की आमदनी 5/- रु0 प्रति व्यक्ति से ज्यादा नहीं हैं । इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में भी आपसे अनुरोध हैं कि देहरादून के शहर की आबादी और आमदनी को छोड़कर अगर आप देहाती क्षेत्र की औसत आय लगायेंगे तो देहरादून का पूरे उ0 प्र0 में औसत आय बहुत कम आयेगी । अंत में एक बात और कह कर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि कच्चे माल जो उपलब्ध हैं, पर आधारित उद्योग हमारे यहां अधिक लगाये जाने चाहिए और जो इस समय लगे हुए हैं, उन्हें हटाया न जाए, बल्कि प्रदूषण रहित यंत्र उन पर लगाए जाएं, यही इनका विकल्प हो सकता हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री पुष्कर सिंह—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय पर्वतीय विकास राज्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया और मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय पाण्डेय जी द्वारा रखे गये कटौती

के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र बहुत पुराने समय से ऋषि-मुनियों का क्षेत्र रहा है जहां पर ऋषि-मुनि तपस्या करते रहे हैं। कुछ समय पूर्व तक यहां के लोग वही कठिनाई भरा तपस्वी जीवन ही व्यतीत कर रहे थे, लेकिन हमारी उ0 प्र0 सरकार और केन्द्रीय सरकार ने विशेष तौर से इस ओर ध्यान दिया और रुचि ली, तभी से पर्वतीय विकास विभाग की भी स्थापना हुई और मंत्रालय आदि बने, तभी से इस क्षेत्र में देखने योग्य प्रगति हुई है और जो आज हमारे माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है, उससे मैं समझता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होती और आज पर्वतीय क्षेत्रों में जो जन-जीवन में जो कठिनाइयां और समस्याएं हैं, उन्हें दूर करके उनका जीवन सुविधाजनक बनाया जायेगा और हर संभव विकास इस क्षेत्र के इस बजट के माध्यम से किया जायेगा और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ समय पूर्व से प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार इन क्षेत्रों की ओर बराबर ध्यान दे रही है और प्रति वर्ष इसके बजट में बढ़ोत्री भी की जाती है, तो इस तरह से इस क्षेत्र का विकास और तेजी से होगा आगे चलकर, लेकिन साथ ही साथ कुछ कठिनाइयां और बाधाएं भी हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम जो बना है। फारेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट उसके कारण यहां के विकास कार्यों में काफी रुकावट आयी है इनको व्यवहारिक बनाने की सिफारिश की जाय इसके अतिरिक्त जो वन विभाग/वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, उससे भविष्य में इसकी प्रगति में कुछ बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना है। माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 53,360 कि0 मी0 है, उसमें से 34,376 कि0 मी0 वन क्षेत्र है तो इस तरह से केवल 16 हजार 7 सौ और कुछ कि0 मी0 बच जाती है तो इस बची भूमि में हम क्या-क्या करें खेती करें, बागवानी करें या निर्माण कार्य करें या फिर नवीनीकरण करें इसलिए माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इस कार्यक्रम की तरफ पुनः ध्यान दें, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पर्वतीय क्षेत्र को कितना हिस्सा वन के अन्तर्गत लाना है और कितना हिस्सा इस बात के लिए छोड़ना है हम कृषि कर सकें, बागबानी कर सकें या निर्माण कार्य कर सकें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में सभी माननीय सदस्यों की एक राय है कि पर्वतीय विकास विभाग वहां पर केवल पैसे देने का काम करता है और जो विभाग काम करते हैं, उन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय पर्वतीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस संबंध में कोई प्रभावशाली निर्णय लिया जाय ताकि पर्वतीय विकास विभाग उन विभागों पर नियंत्रण रख सके, जो कि वहां पर काम करते हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठें। अब समय नहीं है।

(श्री कमल किशन पाण्डेय के पुकारे जाने पर)

श्री पुष्कर सिंह—

मान्यवर, दो मिनट और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय नहीं है। आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैंने माननीय कमल किशन पाण्डेय को बुला लिया है।

श्री पुष्कर सिंह—

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इसको रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया जाय, क्योंकि काफी समय हो गया, लेकिन इसका स्वरूप अभी तक निर्धारित नहीं हो सका है जिस कारण इसके प्रबन्ध में न केवल व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं बल्कि शिक्षा के स्तर में भी गिरावट आ रही है। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसको रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया जाय और इससे संबंधित विद्यालयों को शासन को वापस कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय पर्वतीय राज्य मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री कमल किशन पाण्डेय—

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों की यह राय है कि पर्वतीय विकास सही दिशा में नहीं हो रहा है। इसमें मान्यवर, सबसे बड़ी आपत्ति जो है, वह यह है कि धन का व्यय और आवंटन सही तरीके से नहीं हो रहा है। यह बात मान्यवर सही भी है। माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान आप ही के प्रस्तुत बजट की एक प्रति की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, भूमि संरक्षण विभाग के बजट की ओर आप देखें। इसमें बड़ी आश्चर्य बात यह है कि केवल बजट जो है, उसमें 60 लाख रुपया तो तनख्वाह के नाम पर है, 38 लाख रुपया महंगाई-भत्ते के नाम पर है और निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, वह केवल 20 लाख रुपये में हो रहे हैं। तो मान्यवर, इनका प्रशासनिक व्यय तो है 98 लाख रुपये का और निर्माण कार्य, जिसके लिए अधिक व्यय होना चाहिए, उस पर व्यय हो रहा है केवल 20 लाख रुपया। तो यह जो सभी माननीय सदस्यों की धारणा है, आपत्ति है, वह यह है कि विकास कार्यों में धनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यह बात आपके इस बजट से सिद्ध हो जाती है। इसके साथ-साथ दूसरा जो सब लोगों ने एक मत रखा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है। जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक विकास ही नहीं हो सकता।

मैं माननीय पूरन सिंह माहरा से एक बात कहना चाहता हूं, मैंने यह नहीं कहा कि फल उद्यान आय न बढ़े। मैंने यह कहा था कि जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, तब तक आपकी आय में वृद्धि नहीं हो सकती। जब तक 25 प्रतिशत फल उद्योग में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ायेंगे, तब तक फल उद्यान बढ़ाना कोई लाभ नहीं। श्रीमन्, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, क्योंकि सभी ने पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकर्षित किया। हम सब लोग चाहते हैं कि सभी क्षेत्र जो पिछड़े हैं, उनका विकास हो। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को केवल सुझाव देना चाहता हूं, वह यह है कि पूरे प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वे एक किसी विशेष कारण की वजह से पिछड़े हुए हैं। पूरब पिछड़ा है, क्योंकि

जनसंख्या उसकी ज्यादा है, पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखण्ड पिछड़े हुए हैं, एक भौगोलिक कारणों से, क्योंकि वहां पर छितरी हुई पापुलेशन है । समूचे प्रदेश के विकास के लिए आपको चाहिए कि प्लान में धन का आबंटन उसी उद्देश्य से, उसी नियत से, उसी आधार पर करें जिस आधार पर कोई क्षेत्र पिछड़ा हो । पूरब में आबंटन करें जनसंख्या के आधार पर । पर्वतीय क्षेत्र बुन्देलखंड में जो आबंटन होना चाहिए वह क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए । पर्वतीय क्षेत्र का प्लान फंड आप देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र की तुलना में आधा है । एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मैदानी क्षेत्र में जो आबंटन होता है वह पर्वतीय क्षेत्र से दुगुना है । अगर आपको पिछड़ापन दूर करना है तो उसी अनुपात में आबंटन करें तभी पिछड़ापन दूर हो सकता है वरना नहीं हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं ।

श्री राम आँतार दीक्षित—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे पर्वतीय विकास के बजट पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया और जो अच्छे-अच्छे सुझाव दिये उनके लिए मैं अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करता हूं लेकिन साथ ही साथ कुछ विषय जो हमारे माननीय सदस्य पाण्डेय जी ने रखे हैं, उस सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से सदन को बताना अपना कर्तव्य समझता हूं । पहली बात उन्होंने पर कैपिटा इनकम की बात कही अपना कर्तव्य समझता हू । पहली बात नहीं है । पर्वतीय क्षेत्र में पर कैपिटा इनकम 1124 रुपये हैं । बुन्देलखंड में 834, केन्द्रीय क्षेत्र में 782, पूर्वी क्षेत्र में 603 और पश्चिमी क्षेत्र में 862 रु0 है । इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि पर कैपिटा इनकम में कोई गिरावट नहीं आई है । मान्यवर, 1-4-85 को 616 गांव ऐसे थे जिनमें पेयजल योजना प्रभावी नहीं थी । 1980 के सर्वे के अनुसार 3200 अतिरिक्त गांव अभावग्रस्त पाये गये और उसको सातवीं योजना में पूरा कर लिया जायेगा । यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं ।

दूसरी बात खाद्यान्न के सम्बन्ध में रखी गई है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि खाद्यान्न का उत्पादन 1950-51 में 6.10 लाख मैट्रिक टन था और अब 84-85 में 13.43 लाख हुआ है । यह जस्ट डबुल हो गया है चावल के उत्पादन के संबंध में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 75-76 में 3.05 लाख टन था वह 84-85 में 4.95 लाख टन हो गया है । सोयाबीन का उत्पादन 77 से 80 तक 28.20 हजार मैट्रिक टन था और अब 103.04 हजार मैट्रिक टन हो गया है और हमें आशा है कि यह निरन्तर बढ़ता ही रहेगा । इसके अतिरिक्त हमारे माननीय सदस्य बरेली ने कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में बातें कहीं । मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उद्योग पर्वतीय क्षेत्र के 4 जिलों में हम लगाने जा रहे हैं । इसमें 2 करोड़ रु0 केन्द्रीय सरकार से और 2 करोड़ रु0 इकनामिक डैवलपमेंट बैंक से तथा 2 करोड़ रु0 राज्य सरकार से दिया जायेगा और शीघ्र ही वह उद्योग लगाये जायेंगे ।

सेब के संबंध में माननीय सदस्य बलिया के चौधरी साहब बहुत इन्टरेस्टेड थे । मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अब तक हिल-वे से रोड हेड तक सरकार

रियायत देती थी, अब 200 किलो-मीटर से ज्यादातर दूरी से भी बागात से सेब सड़क पर लाने के लिये सरकार सहायता प्रदान करेगी । अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य नौटियाल जी ने कुछ समस्यायें हमारे सामने रखीं । मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उपसमितियों के गठन का जो प्रश्न है, उससे सहमत हूं । मैं शीघ्र ही सर्वदलीय उप समिति का गठन करके चाहूंगा कि वह अच्छे अच्छे सुझाव पर्वतीय विकास के संबंध में दें जिससे हम पर्वतीय विकास कर सकें । अभी हमारे माननीय सदस्य पूरन सिंह ने तार्किक सुझाव रखे और विशेष तौर से कहा कि अधिकारी जो भेजे जाते हैं या बहुत समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं । मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अब इस मामले में देर नहीं होगी, शीघ्रातिशीघ्र नियुक्तियां होंगी । ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके । नौटियाल जी ने कहा कि मौके पर जाकर जो विकास कार्य हैं, उनका सर्वेक्षण किया जाय । मैं चाहूंगा यह उप समितियां मौके पर जाकर वहां जो कार्य चल रहे हैं, उनका सर्वेक्षण करें और समय समय पर शासन स्तर से जैसा मुख्यमंत्री जी ने पर्वतीय विकास की बैठक में घोषणा की थी वर्ष में दो बार और मुझे भी आदेश दिया था कि आप भी मौके पर महीने में एक बार जाकर विकास कार्यों का सर्वेक्षण करें ।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस परिपाटी का निर्वहन पूर्णरूपेण किया जायेगा । जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है और जो अमूल्य सुझाव आये हैं मैं उनको देखूंगा एक बात और कहना मुनासिब समझता हूं, अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य नौटियाल जी ने साखा विद्यालयों के बारे में कहा । मैं इस मामले को पूरे तरह से देखूंगा, छानबीन करूंगा और जो भी सम्भव हो सकेगा, इस विषय में करूंगा । जहां तक पर्वतीय अंचल के विकास का प्रश्न है धार्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हर दृष्टिकोण से पर्वतीय अंचल का अपना महत्व है । सरकार की इच्छा है कि पर्वत का विकास करें ताकि पूरे देश के अन्दर जो पर्वत के साथ समूचे देश की ऐसी भावना जुड़ी है, अखण्डता और एकता की बात निहित है । हम चाहते हैं कि पर्वत का विकास हो ताकि सुदूर दक्षिण से जो लोग आकर एक आस्था की भावना व्यक्त करते हैं, जो एकता का प्रतीक है, उस स्थल का विकास हो और एकता की भावना जीवित रहे । मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और माननीय पाण्डेय जी हमारे मित्र हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा निवेदन है कि जिस तरह से ठन्डे पहाड़ की जहां बर्फ पड़ती है, पर्वतीय विकास में है, प्रदेश के अन्दर ऐसे भी पहाड़ी इलाके हैं, जहां बर्फ नहीं पड़ती है, गरम पहाड़ हैं जैसे मिर्जापुर का दक्षिणांचल और बुन्देलखण्ड की पहाड़ी क्या इनको भी पर्वतीय विकास में शामिल कर सकते हैं, या शामिल करने के लिये सोचेंगे ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री जी पहाड़ के सही विकास के लिये प्रयास कर रहे हैं, मैं उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं और आपके माध्यम से उनसे मैं आग्रहपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने

कहा था कि दो साल से पर्वतीय अंचल में अध्यापक नहीं रहे हैं। आज भी अध्यापकों की कमी है। परीक्षाएं हो रही हैं। शिक्षा विभाग की पिछले दिनों ऐसी नीति रही है कि ऐसी स्थिति में बोनस अंक दिये गये हैं। मैं आपसे, चूंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि शिक्षा बिभाग से क्या यह कहलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल में जहां ऐसी स्थिति है और परीक्षाएं हो रही हैं, वहां पर परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिये जायें, क्या इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमल किशन पाण्डे—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जो 1140 की फीगर उन्होंने बताई, उसमें 20 परसेंट आय वन से दिखाई है। जबसे वन निगम बना है, यह आय किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है, सीधे सरकार के हाथ में चली जाती है, क्या यह सही है। दूसरी बात मैंने यह आंकड़े 70-71 के ग्रोथ रेट को बेस ईयर मानकर दिये थे और दूसरे आंकड़े 81-82 को आधार मानकर प्लानिंग कमीशन द्वारा प्रकाशित कराई गयी किताब के अनुसार दिये गये हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों को देख कर इस बारे में बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने आपकी बात नोट कर ली है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 1,64,71,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अकबर हुसैन बाबर द्वारा पर्चा बांटे जाने पर व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी एक माननीय सदस्य अकबर हुसैन बाबर सहित एक पर्चा बांट रहे हैं। इस पर्चे के अनुसार हमारी माननीय मंत्री जी बख्शी जी की जो बाल विकास परियोजना, मवैया में है उनके बारे में है। क्या यह पर्चा बांटना उचित है ?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यदि सदन में कोई पर्चा दिया होता तो दूसरी बात थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई पर्चा दिया हो, तो मैं इसकी कोई अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)

वैसे पर्चा देने का कोई नियम या प्राविधान नहीं है। विधान सभा के माध्यम से

दिया हो तो व्यवस्था की बात हो सकती है । मैनेजर सिंह जी, आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

यदि इसी सम्बन्ध में है तो मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता । आप वर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । आप कृपया बैठें ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर इसी से सम्बन्धित प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं एक गम्भीर बात सदन की संज्ञान में ला रहा हूं ।

माननीय अकबर हुसैन बाबर एक पर्चा बांट रहे हैं । उस पर्चे में गम्भीर बात उठायी गयी है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप उसी पर बोल रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप लोग बैठें । माननीय मन्त्री जी को बजट प्रस्तुत करने दें ।

अनुदान संख्या 78-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या 79-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या 80-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) तथा अनुदान संख्या 81-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं रंजीकरण)

*वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 26,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 18,21,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 86,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,45,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, जब आज पर्वतीय विकास के बजट पर बहस हो रही थी, उसमें सदस्यों की भावना दोनों पक्षों से जो आयी थी वह यह थी कि प्रदेश के और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये अधिक धन शासन प्लानिंग में खर्च करे। श्रीमन्, यह जो बजट प्रस्तुत हो रहा है, यह उन संसाधनों को जुटाकर, धन एकत्र करके, विकास योजनाओं पर धन उपलब्ध कराता है। मान्यवर, चूंकि सदन की भावना है कि ज्यादा से ज्यादा कर हों, संसाधन बढ़े, इसलिए मैं सोचता हूं कि इसमें शायद कटौती का प्रस्ताव आगे हो नहीं। मान्यवर, जो इन विभागों के क्रियाकलाप हैं, उसके बारे मे मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं।

मान्यवर, मुख्यतः बिक्रीकर, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन यह वह मदें हैं, जिनके माध्यम से हम अपने संसाधन जुटाते हैं। इसके साथ ही संस्थागत वित्त निदेशालय के माध्यम से जो हमारे बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की संस्थायें हैं, उनमें लाइजर वर्क करके विकास की योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा धन दिलाने का प्रयास करते हैं। मान्यवर, बिक्रीकर जो कि हमारी आय का मुख्य स्रोत है—डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनमें 45 और 50 प्रतिशत तक इस माध्यम से आते हैं। मान्यवर, इसमें 1985-86 के जनवरी माह तक 459.62 करोड़ रु0 की आय हुई जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में हुई आय से 73.14 करोड़ अधिक है। मान्यवर, जो आंकड़े हैं उसके अनुसार इस वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह तक यह अनुमान है कि 586 करोड़ के करीब यह आय हो जायेगी।

इसी प्रकार से यह प्रयास किया जा रहा है कि जिस सत्र के लिये, जिस वर्ष के लिये हम अभी आपसे स्वीकृति लेंगे, उसमें भी हमको टैक्स चूंकि उगाना है, तो और संगठन को व्यवस्थित करके यह अनुमान किया गया है कि 665 करोड़ रु0 तक इस बिक्रीकर की आय को ले जायेंगे।

यह जो इतनी 73 करोड़ रु0 की आय हमने विगत वर्ष से इस वर्ष की है, इसकी उपलब्धता का बोझ हमारी जो सीमा मार्गों पर 46 चौकियां हैं, 31 सचल दल इकाइयां हैं, 19 विशेष अनुसंधान शाखा की इकाइयां हैं, उन्होंने बड़े व्यवस्थित रूप से अपना काम किया, उसी से यह सम्भव हुआ। ये जो 46 चौकियां हैं, इन्होंने दिसम्बर, 1985 तक अनधिकृत रूप से माल लाने वाले जो वाहन थे, इनको चेक किया और इनसे 3.35 करोड़ रु0 के दण्ड को उन पर लगाकर धनराशि वसूल की। 31 सचल दल जो हैं, उन्होंने 1.80 करोड़ रु0 का अर्थदण्ड लगाकर वसूली की। यह सचल दल के लिये इतना सरल काम नहीं है। इसका इससे अन्दाजा लगायें कि विगत वर्ष में रोड्स पर से 20,01,452 ट्रक पास हुए, कुछ में चैकिंग की गयी, जिस तरह से उससे यह हुआ। विशेष अनुसंधान शाखा ने दिसम्बर, 1985 तक सर्वेक्षण करके 6.29 करोड़ रु0 का बिक्रीकर निर्धारित किया, जो

विगत वर्ष 4.31 करोड़ रु0 के मुकाबले में कितना अधिक है, आप देखेंगे।

इसी तरह से पिछले बजट सत्र में माननीय गुप्त जी ने यह कहा था कि अगर अपवंचन को रोकने के लिये प्रभावी ढंग अपनाना है तो रेलवे स्टेशन्स के ऊपर कुछ किया जाना चाहिये। उन्होंने यह कहा था और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा था कि रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक कर चोरी होती है। इसके ऊपर भी प्रयास किया गया और आप देखें कि लखनऊ में, जो आंकड़े बता रहा हूं 1-1-86 से 15-1-86 तक 15 दिनों के हैं। पिछले वर्ष 85 में 4 करोड़ 2 लाख रु0 के लगभग माल को रेलवे स्टेशन पर चैक किया गया। इस साल जो चैकिंग करायी गयी 7.58 करोड़ रु0 की हुई। यह दिखाना चाहता हूं कि इसमें देखें कि कितना ज्यादा कर अपवंचन स्टेशनों के माध्यम से किया जा रहा था, उसको चेक किया जा रहा है। आगरे में 85 में 8 करोड़ 66 लाख रु0 का 15 दिन में पकड़ा, वर्ष 1986 में 11 करोड़ 83 लाख रु0 का कर अपवंचन पकड़ा, बरेली में वर्ष 85 में 1 करोड़ 7 लाख रु0 का और वर्ष 86 में 3 करोड़ 78 लाख रु0 का कर अपवंचन पकड़ा, कानपुर में, यह एक सप्ताह का है, वर्ष 85 में 3 करोड़ 32 लाख रु0 का और वर्ष 86 में 5 करोड़ 61 लाख रु0 का कर अपवंचन पकड़ा। यह देखा गया कि स्थायी व्यवस्था इस पर की जानी चाहिये क्योंकि रेलवे विभाग अपने कैम्पस के अन्दर कोई स्थायी व्यवस्था कराने के लिये तैयार नहीं था, तो तीन चौकियां लखनऊ और कानपुर रेलवे स्टेशनों पर स्थापित की जा रही है। इसके बाद प्रदेश के जो बड़े-बड़े स्टेशन हैं, वहां पर व्यवस्था की जायेगी। अभी फिलहाल लखनऊ और कानपुर पर तीन-तीन चौकियां स्थापित की जा रही हैं जिससे अपवंचन को रोका जायेगा।

(2 बजकर 10 मिनट)

इस प्रकार श्रीमन्, ट्रक जो चेक पोस्ट से निकलते हैं, कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि बिना टैक्स दिये या बिना अपने पत्रादि दिखाये हुए वे भाग जाते हैं। तो इसके लिये 30 मोटर साइकिलों की व्यवस्था की जा रही है कि जिसके द्वारा उनको आगे जाकर रोका जा सके। श्रीमन्, फार्म 31 और फार्म 34 का भी बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये एक विशेष प्रकार के स्टैम्प बनाये गये हैं जो कि आयुक्त के कार्यालय से ईश्यू किये जायेंगे और उन पर नम्बरिंग होगी और यह हर चेक पोस्ट पर जायेंगे।

इसी तरह से विभाग की एक योजना कमप्यूटराईजेशन की है। दिसम्बर, 84 से जनवरी, 86 तक जो 1,66,258 ट्रक निकले थे उसमें से कमप्यूटर को फीट करके पता लगाया गया कि 61,322 वाहन ऐसे निकले जिन्होंने उस माल को प्रान्त के अन्दर ही बेच दिया और फार्म 34 का दुरुपयोग किया। जब कमप्यूटर ने यह बताया तो फिर उनके मालिकान को पकड़ा गया पता लगा करके और अब उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह से—

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि एक पर्चा उधर पढ़ा जा रहा है वह क्या है?

श्री अधिष्ठाता—

कोई भी पर्चा या पत्र नहीं पढ़ा जा रहा हैं, आप कृपया बैठें। अभी तमाम माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मैं कह रहा था कि इसी तरह से फार्म 31 का भी विवरण कमप्यूटर में फीट करके पता लगाया जा रहा हैं। इसके अलावा कमप्यूटर से असेसमेन्ट भी किया जायेगा और प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के पर्सनल असेसमेन्ट की इनफारमेशन भी फीट की जायेगी और सबका पता लगाया जायेगा। डेस्क असेसमेन्ट सिस्टम व्यापारियों के लिये भी किया गया हैं कि जो व्यापारी माल का दुरुपयोग करते हैं उसका पता भी कमप्यूटर फीट करके लगाया जायेगा, ऐसी व्यवस्था हैं।

श्री शत्रुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। जब सदन की कार्यवाही चल रही हैं तो आपस में बातचीत मा0 सदस्यों को नहीं करनी चाहिये, लेकिन कैबिनेट स्तर की मन्त्री बख्शी जी ऐसा कर रही हैं। माना कि होली हैं लेकिन इसके माने तो यह नहीं हैं कि सबको बात में लगा लें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि कोई भी आपस में बातचीत न करें।

श्री राम सरन—

एक पर्चा यहां से आपके पास गया, फिर वह आपकी पीठ से उधर की सीटों पर घूम गया।

श्री अधिष्ठाता—

कोई पर्चा यहां नही आया, आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, शासन को चुस्त बनाने के लिये कुछ प्रशासनिक कार्यवाही की गयी हैं और इसमें 5 सहायक आयुक्तों और 45 बिक्री कर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी हैं। तो इस तरह से प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये दन्डात्मक कार्यवाही की गयी हैं। मान्यवर, बिक्रीकर विभाग में अधिकारियों के प्रीशक्षण को और प्रभावी करने के उद्देश्य से नई तकनीकी का समावेश किया गया हैं, जिस हेतु आगामी वर्ष में भी 6.06 लाख रु0 का प्राविधान किया गया हैं। स्वतः कर निर्धारण योजना में व्यापारियों की सुविधा हेतु विगत दो माह में प्रदेश के मुख्य नगरों में बाजारों में शिविर लगाये गये, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में लगभग 5330 वादों का निस्तारण हुआ। पंजीयन की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जा रहा हैं। यह आदेश दे दिये गये हैं कि व्यापारियों की हैसियत का सत्यापन तहसीलदार से न कराकर बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा बैंकों से ऋण लेकर उद्योग लगाने वालों के लिये पंजीयन की शर्तों को शिथिल किया गया हैं और कर मुक्त वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिये जमानत की आवश्यकता अब नहीं रह गयी हैं। उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये लगे हुये पान, सलमा, सितारा गोटा, विद्यार्थियों के काम आने वाले नक्शे,

चार्टस, इन्स्ट्रूमेन्ट बक्स आदि को तथा सभी प्रकार के कृषि उपकरणों को कर मुक्त किया गया है। साइकिल और आटा मैदा सूजी की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर की दर घटाकर क्रमशः 2 तथा 4 प्रतिशत कर दी गयी है। बेकरी उत्पादनों के कच्चे माल पर कर मुक्ति प्रदान की गयी है।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, कोरम नहीं है। आप पूरा करायें।

(कोरम की घन्टी बजायी गयी तथा कोरम पूरा होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

यह जो है 1-10-82 से 31-3-90 तक इनमें जो इंडस्ट्री लगेगी उनको 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के लिए निर्मित माल पर बिक्रीकर की छूट प्रदान की गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी, समय का ध्यान रखें, 3 घन्टे निर्धारित हैं और आप चाहेंगे कि सदस्यों के भी विचार आ जाय।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, एकदम से शार्ट में बताये देता हूं माननीय सदस्य जब बोल लेंगे तो उसके बाद बोलेंगे। रिफण्ड में सबसे पहले यह होता था कि वाउचर लेकर पहले वह ट्रेजरी मे जाता था और उसके बाद बैंक में तो अब यह व्यवस्था की जा रही है कि वह सीधे बैंक से भुगतान ले सकता है। लेकिन जो सबसे एक जबरदस्त काम हुआ है वह यह है कि जो सम्भवतः हमारी समझ में प्रदेशों में कही नहीं किया गया है यहां अपने यहां भी नहीं हुआ है सेल्स-टैक्स विभाग में जो कर्मचारी रिटायर हुआ है अभी जनवरी माह में जहां विभाग परसनली उनको पेंशन दे सक्ता है तो उनके सारे कागजात रिटायरमेन्ट के अगले दिन पूर्ति करके दी गयी ताकि उनको वह ए0 जी0 आफिस से करा सकें।

(व्यवधान)

इसी तरह से दूसरा विभाग स्टाम्प और निबन्धन रीजस्ट्री वाला है इस समय जनवरी, 86 तक इस विभाग द्वारा 1,28,77,99,817.91 रुपये की इसमें आय उपलब्ध करायी गयी जो गत वर्ष की अपेक्षा इसी अवधि के लिए 23.47 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह से श्रीमन्, आप यह अनुमान किये होंगे इस वर्ष के लिए 1,37,39,25,000 आय का अनुमान लगाया गया है तथा आगामी वर्ष के लिए 1,50,14,25,000 रुपये आय उपलब्ध कराने का अनुमान किया गया है। कर अपवंचन को रोकने के लिए काफी कार्यवाही की गयी है। इस वर्ष जनवरी, 86 तक कर अपवंचन के 11,107 मामले पकड़े गये जिनसे 111.71 लाख रुपये की वसूली की गयी है। जो पिछले वर्ष 41.22 लाख रुपये की थी उससे आप कम्पेयर कर लें कि कितना किया गया है। इसी तरह से 17-10-85 को यह स्टाम्प अधिनियम के परिशिष्ट 1बी के अनुच्छेद 15 एवं 23 की मदों की धाराओं में कुछ संशोधन किया गया इससे भी उम्मीद है कि हमारी कुछ आय बढ़ेगी। इसी तरह से श्रीमन्, जो स्टैम्प बिक्री करते थे कचहरियों में, अभी पिछले अधिनियम में संशोधन किया गया था उनका जो बिक्री

करने का था वह 500 रुपये था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अनुमति से वह 1000 रुपये तक बिक्री कर सकते थे उसके बाद उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी राजस्व परिषद् की। उसके लिए अब यह आया कि उनको दिक्कत हो रही है इसलिए इसको व्यवहारिक बनाने के लिए कि सुविधाजनक तरीके से लोगों को स्टैम्प उपलब्ध हो सके।

जनवरी 1986 तक 10.56 लाख लेख-पत्रों का निस्तारण हुआ जब कि गत वर्ष इसी अवधि में 8.92 लाख दस्तावेज निस्तारित किये गये थे। इस तरह से मान्यवर, आप देखें कार्य में प्रगति हुई है।

मान्यवर, अब मैं मनोरंजन कर के बारे में आता हूं। यह विभाग मनोरंजन कर देखता है। मनोरंजन कर हमारा मेन इनकम का साधन है। इस विभाग ने 1985-86 में दस माह की अवधि में 51.24 करोड़ रुपये की आय दी जो कि इसी अवधि में पिछले वर्ष हुई आय से 5.30 करोड़ रुपये अधिक है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, वहां पर दूसरी विधान सभा चल रही है।

श्री अधिष्ठाता—

कोई विधान सभा नहीं चल रही है। ऐसी टीका न करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप भी टीका न करें। सदन की कार्यवाही यहां पर चल रही है। (हां लाबी की तरफ इशारा करते हुये) वहां भी चल रही है।

श्री अधिष्ठाता—

सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चल रही है। यह सदन के बाहर की बात है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह सदन के बाहर नहीं है। [xxx]।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इस समय हमारे प्रदेश में 764 सिनेमा गृह हैं। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में 115 अस्थायी सिनेमा तथा 50 वीडियो भी चले और उनसे यह आय सम्भव हुई है। यह सोचा गया कि प्रदेश की आबादी और जनसंख्या को देखते हुये नये सिनेमागृहों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नये बनने वाले सिनेमागृहों को अनुदान दिये जाने की योजना शुरू की गई। उसके अनुसार इस योजना के अनुसार पिछले वर्ष 46 सिनेमा-गृह खोले गये। एक वर्ष में इतने सिनेमा-गृह पहले कभी नहीं खोले गये थे। इसको भी आगे बढ़ाने पर शासन विचार कर रहा है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग

नोट—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सिनेमा का लाभ उठा सकें और यहां पर सिनेमा का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके।

इसी तरीके से वी0 सी0 आर0 और बी0 डी0 ओ0 की भी व्यवस्था की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो शोर हो रहा है उधर से, उससे सदन की कार्यवाही पर प्रभाव पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं उसको सुनिश्चित करवा लेता हूं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, दरवाजे बन्द करवा दिये जायं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपकी बात सुन ली। मैं सुनिश्चित करवा देता हूं।

(हां लाबी की तरफ शोर होने पर)

श्री शत्तरुद्र प्रकाश—

देखिये यह हो रहा है।

श्री किरन पाल सिंह—

इसका स्तर गिरता जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जो हमारा संस्थागत वित्त निदेशालय है जो केन्द्रीय वित्तीय संस्थायें हैं—आई0 डी0 बी0 आई0, आई0 एफ0 सी0 आई0 तथा एल0 आई0 सी0 और व्यावसायिक बैंक हैं उनके माध्यम से जो टारगेट था वह 1100 करोड़ का था जिसके विपरीत माह अक्टूबर, 1985 तक 716.26 करोड़ का संस्थागत वित्त स्वीकृत कराया गया। इस तरह से नेवार्ड के माध्यम से 154 करोड़ रुपये स्वीकृत कराया गया जो कि हिन्दुस्तान में सर्वाधिक था।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डेढ़ घन्टा इसके लिये समय निर्धारित है और आपको उत्तर भाषण भी देना है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, अब मैं ग्रामीण अंचलों में आता हूं। जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं उनकी संख्या अब 39 हो गई है। फिर उनकी ब्रांचेज भी खुलती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हर जनपद में ग्रामीण बैंक खुल गये हैं और मैदानी क्षेत्रों में शेष 5 जनपदों में से चालू वित्तीय वर्ष में बुलन्दशहर और गाजियाबाद में भी ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव है। मान्यवर, चूंकि समय कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी कि खत्म करें क्योंकि इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे चूंकि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की विकास की बातें करते हैं और इस विभाग के द्वारा विकास के लिये संसाधन जुटाये जाते हैं बैंकों से पैसा लेने में यह लाइन का काम करते हैं। इसलिये मैं अपेक्षा

करता हूं कि इस विभाग की अनुदानों का सभी माननीय सदस्य समर्थन करेंगे।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े गौर से माननीय वित्त मन्त्री जी को इस बिक्री-कर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विवादास्पद मदों के बारे में सुन रहा था मैं सोचता था कि माननीय मन्त्री जी कुछ ऐसी घोषणायें करेंगे जिससे सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आज उथलपुथल मची हुई है, व्यापारियों और उद्योगपतियों में उसमें कुछ राहत देंगे और जो व्यवसायों में उथलपुथल मची हुई है उसके बारे में कुछ घोषणायें करेंगे। लेकिन यह उत्तर प्रदेश सरकार का आज से नहीं सन् 47 से जो रवैया चला आ रहा है उसी के मुताबिक इस बार भी लकीर पीटते हुये माननीय मन्त्री जी ने बजट मांगें प्रस्तुत की हैं। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला प्रदेश है और इसका घनत्व भी सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद भी सारे देश में उत्तर प्रदेश का पिछड़ेपन में 12वां नम्बर है।

आज तक हमारा आर्थिक विकास नहीं हो पाया है इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी केन्द्र की सरकार और प्रान्त की सरकार दोनों ही ने इस प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में कभी नहीं सोचा कि इसका आर्थिक विकास होना चाहिये। अभी पर्वतीय विकास विभाग पर माननीय मन्त्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया इस बजट से वहां खर्च करना है जिसके लिये तमाम घोषणायें उन्होंने कीं। यह पैसा बिक्री-कर की वसूली से वहां देंगे। मैं आपका ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में यह बिक्री-कर सबसे पहले गवर्नमेन्ट आफ इंडिया एक्ट, 1935 की सातवीं अनुसूची में सूची (2) की 48 वी0 प्रविष्टि के अनुसार "माल की बिक्री और विज्ञापन पर कर" लगाने का अधिकार केन्द्रीय विधान मण्डल से अपवर्जित करके प्रान्तीय विधान मण्डलों में निहित किया गया। अधिष्ठाता महोदय, इस एक्ट के अनुसार 1938 में मद्रास ने मद्यनिषेध लागू करके राजस्व की हानि को पूरा करने के लिये कम दर पर सामान्य बिक्री-कर लगाया। तो यह कर प्रथम बार 1938 में मद्रास उत्तर प्रदेश और 1941 में पश्चिम बंगाल के अन्दर लगाया गया। यह इसलिये नहीं लगाया गया कि इससे पूरे राजस्व की प्राप्ति का संसाधन बनाया जाय। यह इसलिये लगाया गया था कि मद्रास में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया था उसकी पूर्ति के लिये सामान्य कर के रूप में यह लगाया गया था जिसका अधिकार केन्द्र सरकार ने दिया था। उसी के तहत मद्रास को यह अधिकार मिला था। आगे चल कर विज्ञापनों पर कर का अधिकार वापस ले लिया गया और बिक्री-कर का अधिकार ज्यों का त्यों रहने दिया गया।

लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बिक्री-कर को, जो सामान्य कर में लेना चाहिए था, वह उत्तर प्रदेश में राजस्व का 50 प्रतिशत से ज्यादा इकट्ठा करके देते हैं, जैसा कि मन्त्री जी ने अभी बताया है। तो यह ठीक कहा है। हमारे पास अमृत प्रभात की 7 तारीख की कटिंग है, जिसमें है कि मुख्य मन्त्री जी ने प्रेस कांफ्रेन्स में कहा था, फोटो छपी है मुख्य मन्त्री जी तम्बू में बम्बू लगाये बैठे हैं, उसमें इनकी फोटो है, कांफ्रेन्स में घोषणा किया है—"मेरा दूसरा काम राजस्व की कमी को दूर करना तथा ऐसे संसाधन जुटाना है जिनसे कोषवृद्धि हो।" उन्होंने बताया "मैं शीघ्र ही विभिन्न विभागों के लिए राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित कर दूंगा। अकेले बिक्री-कर से वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।"

मान्यवर, आप देखें, मुख्य मन्त्री जी एक तरफ कहते हैं कि बिना कर लगाये संसाधनों को बढ़ायेंगे और दूसरी तरफ प्रेस कांफ्रेन्स में कहा कि 200 करोड़ बिक्री-कर से प्राप्त कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो कितनी बड़ी यह विडम्बना है। बिक्रीकर को ऐसा कर समझ बैठे जिससे प्रदेश का सारा खर्च पूरा कर देंगे जबकि होना चाहिए था कि सामान्य कर के रूप में लागू होना चाहिए था। प्रदेश में जो औद्योगीकरण है, जो व्यापारियों को परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए था।

मुख्य मन्त्री जी, मान्यवर, लाबी में अधिकारियों से बात कर रहे हैं।
(मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्त रहें, बैठ जायं।

मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि श्री मनोहर लाल जी को कैसे भ्रम हो गया कि बिक्रीकर से जो वसूली हो रही वह पूरी हो रही है? सही बात तो

यह है कि जितनी वसूली होनी चाहिए वह पूरी नहीं हो रही है। इसको वह समझ रहे हैं कि वसूली हो सकती है और इसको वह बुरा मान गये। अभी तक जनवरी तक जो रिपोर्ट आयी है, करीब 73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुई है और जो वसूली होनी थी उससे 73 करोड़ रुपये टारगेट से ज्यादा वसूल हुये हैं, आशा है कि और भी वसूली हो सकती है, यह उनको बुरा लगा और कहा कैसे कह दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जरूरत पड़ेगी तो जहां पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, वसूली नहीं हो रही है, तो किया जा सकता है। इसको वह कह रहे हैं कि मुख्य मन्त्री ने कैसे कह दिया ?

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि सदन चलना चाहिए नियमों और कानून से। यदि नियमों का पालन आप, हम और मुख्य मन्त्री नहीं करेंगे तो नियम बिना सदन नहीं चल सकता है। व्यवस्था का प्रश्न है कि कटौती का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, सरकार की तरफ से खण्डन कटौती के प्रस्ताव के बाद आना चाहिए और कटौती प्रस्ताव पेश करते समय नहीं आना चाहिए। इस पर व्यवस्था आप दें।

श्री अधिष्ठाता—

नियमों की अवहेलना नहीं हुई है। बयान की तरफ ध्यान दिलाया था, तो मुख्य मन्त्री ने बता दिया।

श्री मनोहर लाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं दो बार इस सम्मानित सदन का और पार्लियामेन्ट का भी, सदस्य रह चुका हूं, कई बार बजट को देखा है, कटौती के प्रस्तावों को पेश करते हुए देखा है।

मैंने इस तरह का कभी भी व्यवधान नहीं देखा है। मैं कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं और मुख्य मन्त्री को बहुत जल्दी पड़ गई (व्यवधान) आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ गये, इसलिए मुख्य मन्त्री को बुलाया गया। आप अपना भाषण जारी रखें। डेढ़ घन्टे में बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आपके सुझाव भी महत्वपूर्ण हैं और दूसरों के भी महत्वपूर्ण हैं। आप समय का ध्यान रखें।

श्री मनोहर लाल—

जिन बातों के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, उनकी तरफ मैं खुद आ रहा था। तो मैं बता रहा था कि उन्होंने बिक्री-कर के बारे में कुछ संकेत दिया है अक्टूबर के अन्त में कि दो सौ करोड़ रुपये का हम बिक्री-कर विभाग से राजस्व प्राप्त कर लेंगे। क्या यह उचित है ? इस तरह से बिक्री-कर को यह एक ऐसा संसाधन बना लेंगे, जिसमें यह व्यापारियों की दशा और उनकी परेशानियों को नहीं देखेंगे, औद्योगीकरण में जो प्रदेश पिछड़ा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ राजस्व प्राप्त करना ही, उनको बराबर निचोड़ना ही क्या सरकार का काम

रह गया है ? मंत्री जी तमाम इन दिक्कतों की तरफ ध्यान देते तो अच्छा होता। (व्यवधान) मैं यह बता रहा था कि मन्त्री जी ने जिस समय यह मीटिंग की है, एक तम्बू के नीचे बैठे हुए हैं। वह फोटो मेरे पास है, वह तम्बू में बम्बू लगाये बैठे हैं, जो प्रधान मन्त्री को अभिनाभ बच्चन ने सुनाया था। वह फोटो मेरे पास है।

माननीय स्वरूप कुमारी बख्शी जी यहां से चली गई, जिस समय बनारसीदास प्रदेश में मुख्य मन्त्री थे, उस समय दीदी जी इस सदन की एक सदस्य थीं और उस समय उन्होंने 28 मई, 1979 को सदन में एक काम रोको प्रस्ताव रखा था और उसमें मांग किया था, अमीनाबाद, लखनऊ में व्यापारियों पर जो गोलीकाण्ड हुआ था, कि उत्तर प्रदेश की जो बनारसी दास सरकार है, वह व्यापारियों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बिक्री-कर को समाप्त कर दे। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब वह सरकार में हैं, उस समय जो काम रोको प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था, उस पर अब भी वह बल देती हैं या नहीं ? या व्यापारियों के किये गये उस समर्थन को वह स्वीकार करती हैं या नहीं।

श्री मुईद अहमद—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सन् 78 में जब जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस समय उसने अपने एलेक्शन मैनिफेस्टों में कहा था कि हम बिक्रीकर को बिलकुल माफ कर देंगे, तो उसे आपने अपने तीन साल के शासनकाल में क्यों नहीं समाप्त किया ? जो आप बख्शी जी का उदाहरण दे रहे हैं।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं इस तरह की बातों में फंस जाऊंगा तो हमारा काफी समय चला जाएगा। 28 मई, 79 को इनका यह प्रस्ताव आया था, वह विचार कर लें और बिक्री-कर के स्थान पर जो उत्पादन शुल्क लगाने की बात कही थी, वह वही उत्पादन शुल्क बिक्री-कर के स्थान पर लगा दें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिन पर बहुसूत्री बिक्री-कर लगता है। उत्तर प्रदेश के आसपास कई ऐसे प्रांत हैं। जैसे दिल्ली है, वहां पर एक साजिश के तहत प्रदेश को पिछड़ा रखने के लिए कितना सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश के साथ होता है, इसको मैं साफ करना चाहता हूं।

मान्यवर, दिल्ली के अन्दर बिक्री-कर की दर केवल 4 प्रतिशत है और दिल्ली से मिले हुए गाजियाबाद और गोण्डा जैसे जो स्थान हैं वहां पर बिक्री-कर की दर 2 से लेकर 13 प्रतिशत तक की है। तो आप देखें कि जो व्यापारी या उपभोक्ता है उसको जहां से सामान सस्ता मिलेगा वह वहां से खरीदेगा। अगर कोई सामान है और उस पर उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर ज्यादा है तो दिल्ली के नजदीक के उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां के लोग उस सामान को दिल्ली से लाते हैं क्योंकि वह सामान यहां महंगा मिलता है इससे उत्तर प्रदेश को बिक्रीकर का नुकसान होता है। सरकार का ध्यान इधर नहीं गया है। तो क्या इस प्रदेश की सरकार सो रही है ? जब दिल्ली में 4 प्रतिशत की बिक्री-कर की दर है तो यहां पर क्यों नहीं है। माननीय मन्त्री जी अपने जवाब देते समय इसके बारे में बतायें। ऐसा

सौंतेला व्यवहार क्यों रखा गया है। माननीय, जब कमलापति त्रिपाठी इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने अपना संकल्प संख्या पी0 277/दस-25-1973-दिनांक 25-3-1974 (परिशिष्ठ-1) के अनुसार बम्बई विश्वविद्यालय के अर्थ-शास्त्र के निदेशक डा0 डी0 पी0 लकड़-वाला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी ताकि उसकी सिफारिशों के आधार पर बिक्री-कर का सरलीकरण किया जाय। उसमें बिक्री-कर के सम्बन्ध में जो तमाम समस्यायें हैं जिनके कारण व्यापारियों को रोज दिक्कत होती है उनके निरा-करण के लिये उस कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने अपना कार्य किया और अपना प्रतिवेदन दिया लेकिन उस प्रतिवेदन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इस प्रकार से कितना बिक्री-कर चोरी होता है इसका सरकार ने कतई अन्दाजा नहीं लगाया है। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के कमिश्नर, बिक्री-कर जो हैं उन्होंने स्वयं मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाया है कि बड़े पैमाने पर बिक्री-कर की चोरी होती है। यह सरकार कुछ संस्थाओं को बिक्री-कर से छूट देती है जो चूने का काम करती हैं या जो संस्थायें ईंट भट्ठे चलाती हैं उनको छूट दी जाती है।

तो माननीय, यह संस्थायें कौन चलाता है? जो इस सरकार के चमचे लोग हैं, जो पिछलग्गू लोग हैं और पिट्ठू लोग हैं, जो सरकार में रहते हैं और सरकार के बाहर भी रहते हैं वह ऐसी संस्थायें चलाते हैं। ऐसी संस्थायें ईंट भट्ठे, चूना भट्ठों का काम करके छूट लेती हैं और उससे करोड़ों रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार का नुकसान होता है। उन्होंने 7-8 महीने पहले कहा है कि नोएडा के अन्दर जो फैक्टरियां लगी हैं वहां पर टेलीविजन बनते हैं लेकिन असलियत में वहां पर माल नहीं बनता है, माल गाजिया-बाद में बनता है और गाजियाबाद में बनाकर मुहर नोएडा की लगती है और बिक्री-कर से छूट ली जाती है तो इस तरह से 5 करोड़ रुपये के बिक्री-कर का नुकसान हुआ है। यह सरकार की नाक के नीचे हो रहा। उन्होंने इसके बारे में लिखा है लेकिन कतई कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से छूट के नाम पर तमाम गड़बड़ियां की जा रही हैं लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और मन्त्री जी ने भी इस तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता—

इस अनुदान पर 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आधा समय समाप्त हो गया है। मन्त्री जी का और आपका भाषण पूरा नहीं हुआ है। आप समय का थोड़ा ध्यान रखें। जो समय निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक चलना है।

श्री मनोहर लाल—

माननीय, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे शान्ति-पूर्वक बोलने दें।

श्री अधिष्ठाता—

क्या 90 मिनट आपको ही दे दिया जाय?

श्री मनोहर लाल—

तो माननीय, आप देखें, हमारे भारतवर्ष की जो राजस्व प्राप्तियां हैं, उसमें

बिक्री-कर के द्वारा जो हमारा हिस्सा है, 1969 से 1974 तक वह 19.2 प्रतिशत है। तो पूरे देश के राजस्व में जो हमारा हिस्सा है वह बराबर घटता चला गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा अंश है, उसमें उत्तर प्रदेश में वर्ष 1948 से लेकर वर्ष 1961-62 तक अगर आप देखें तो केवल 12.8 प्रतिशत ही रह गया बल्कि पहले यह 17.2 था। यानी घटता चला गया। दस-बारह सालों में यह अंश घटकर 12.8 प्रतिशत ही रह गया और इधर 12 सालों में शायद 2.5 प्रतिशत वृद्धि हुयी होगी और जब कर आप लगाते हैं तो आपको देखना चाहिये कि किन उद्योगों पर कितना लगाये और अगर किसी निर्धारित नियम के अनुसार आप यह कर नहीं लगायेंगे तो इससे देश और प्रदेश की आमदनी घटती चली जायेगी और दूसरी तरफ आप बिक्री-कर बढ़ाते चले जा रहे हैं और बार-बार कर बढ़ाने से व्यापारियों के ऊपर जो बोझ डालते हैं और आप पर अगर कोई भी कमी आई तो आपने व्यापारियों के ऊपर जब चाहा बिक्री-कर के रेट बढ़ा दिये और उससे काफी पैसा वसूल लिया। इस तरह करने से उनके अन्दर एक क्षोभ की भावना उत्पन्न होती है इसलिये इस ओर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

दूसरे माननीय मन्त्री जी ने जो फ़ार्म 31 को कम्प्यूटर द्वारा व्यापारियों को प्रदेश में बांटने की बात कही है वह समझ में नहीं आती। क्योंकि कम्प्यूटर से आज हर काम गलत हो रहे हैं और मान्यवर, प्रदेश के समस्त व्यापारियों को इस फार्म के कारण बहुत असुविधा हो रही है और बहुत से व्यापारी लाइन लगाये खड़े रहते हैं परन्तु उनको यह फार्म मिलते नहीं हैं। जबकि यह फार्म दफ्तरों में काफी मात्रा में रहते हैं और वहां के क्लर्क वगैरह 10-10, 5-5 रुपये लेकर व्यापारियों को देते हैं जबकि इनकी कीमत केवल 10-15 पैसे होगी तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त है इसकी ओर कृपया ध्यान दें और इसके लिये कोई उचित व्यवस्था करवा दें अन्यथा व्यापारियों से ही कह दें तो वह लोग स्वयं छपवा ले साथ ही मान्यवर, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहूंगा कि 33 सूत्रीय मांग जो व्यापारियों ने दी है उसकी ओर आपने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। शुरू से आज तक जो व्यापारियों की समस्यायें रही हैं उनकी ओर माननीय मन्त्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, परन्तु मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इनकी ओर अवश्य ध्यान दें। मान्यवर, इनकी समस्याओं पर बिक्री-कर सम्बन्धी ध्यान न देने से आप स्वयं देखें इनका भार पहले नगण्य में था परन्तु अब इनका भार बहुत अधिक हो गया। समय मान्यवर कम है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ सुझावों के बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। जिसमें पहला सुझाव तो हमारा मान्यवर यह है कि दूसरे राज्यों के बिक्री-कर प्रणाली का बारीकी से अध्ययन किया जाये। दूसरा सुझाव मान्यवर यह है कि बहुसूची कर से एक सूची कर जो अधिकतर प्रथम चरण पर लगाया जाता है, बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम की धारा 4(1) "ख" जो कुछ संस्थाओं को छूट प्रदान करती है, उसमें संशोधन किया जाये और इस सम्बन्ध में कुछ विशेष लोगों को जो छूट दी जा रही है,

वह गलत काम हो रहा है, इसको देखा जाए।

दूसरे मान्यवर, उ0 प्र0 में कर सम्बन्धी एक अत्यन्त आपत्तिजनक बात यह है कि कर की दरें अधिक संख्या में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और साथ ही मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि दरों में बार-बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही आगरा और फिरोजाबाद के सम्बन्ध में भी एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन चीजों पर एक बार आपने कर लगा दिया, उस पर दुबारा कर नहीं लगाना चाहिए। मान्यवर, फिरोजाबाद और आगरे में चूड़ियों का काम बहुत होता है। इसमें मान्यवर होता यह है कि एक बार कांच पर यह टैक्स लगाते हैं और दूसरी बात जब चूड़ियां अलंकृत की जाती हैं, तो उस पर फिर यह टैक्स लगाते हैं, हालांकि इस पर स्पष्ट आदेश उ0 प्र0 कर आयुक्त के हैं कि इन अलंकृत चूड़ियों पर दुबारा टैक्स न लगाया जाये, परन्तु मान्यवर, फिर भी इनमें दो बार टैक्स वसूला जा रहा है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है।

तो दोहरी तरह से, बहुसूत्रीय जो बिक्री-कर वहां पर लिया जा रहा है, इसके बारे में माननीय रघुबर दयाल वर्मा ने सवाल भी किया था और माननीय मन्त्री जी ने उसका उत्तर भी दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

अब मान्यवर, मैं चमड़े के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, चमड़े में कच्चे माल पर टैक्स लगता है और मण्डी शुल्क भी लगता है। जो छोटे-छोटे कारीगर हैं, जूता बनाते हैं, वे बड़ी दूकानों पर जूता बेंच देते हैं और वह तो टैक्स से बच गये, लेकिन वे बड़े दुकानदार चोरी करते हैं लेकिन बड़े दूकानदारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जो छोटे-छोटे लोग जो जूता बनाते हैं आगरा और कानपुर के अन्दर उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बारे में माननीय मन्त्री जी स्पष्टीकरण अवश्य दें। मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन मान्यवर, समय कम है।

श्री अधिष्ठाता—

उत्तर भाषण में कह लीजिएगा।

श्री समरपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपको धन्यवाद। यह बात सर्वविदित है जो माननीय मनोहर लाल ने बार-बार कहा कि हमारा प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसमें दो राय नहीं है। मान्यवर, वित्त की विकास में क्या भूमिका है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो माननीय मुख्य मन्त्री का और माननीय वित्त मन्त्री का, बिक्री-कर विभाग का और जो उसके आयुक्त हैं, उनकी सराहना करूंगा कि उन्होंने बिना दर बढ़ाये हुए बिक्री-कर की इतनी अधिक वसूलयाबी की। करीब 100 करोड़ रु0 जनवरी तक ही अधिक वसूल हो गया। यह सब उत्तर प्रदेश के विकास में ही लगेगा। माननीय मनोहर लाल जी बिक्री-कर के बारे में एक प्रतिशत जनता की वकालत कर रहे थे, यह जो रुपया वसूल हुआ है, यह सारा का सारा रुपया उत्तर प्रदेश के विकास में लगेगा। बिक्री-कर न लिया जाय, यह कोई समझदारी की बात नहीं है।

मान्यवर, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उन बैंकों का सिर्फ 28 प्रति-

शत निवेश ही हमारे उत्तर प्रदेश में विनियोजित किया हुआ लगा था यानी ऋण और निक्षेप का अनुपात केवल 28 प्रतिशत था। क्योंकि बैंकों का जो नियंत्रण था, वह केन्द्रीय सरकार के अधीन था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संस्थागत वित्त विभाग को आयोजित करके इस कमी को पूरा किया। संस्थागत वित्त निदेशालय उन बैंकों की नीतिरीति में हस्तक्षेप करता है, उनको मजबूर करता है कि जो प्रदेश सरकार की विकास की योजनाएं हैं, उन्हें अपनी कार्यक्रमों में सम्मिलित करें। आज हमारे आर्थिक विकास का कोई अंग ऐसा नहीं है जो संस्थागत वित्त की कार्यप्रणाली से अछूता रहा हो। कार्यप्रणाली में, 1985-86 में इस विभाग की मेहरबानी से बैंकों तथा वित्त संस्थाओं का लगभग 1100 करोड़ रुपया विकास कार्य में लगाया गया है। उन्हीं की कृपा से आज छोटे-छोटे दूकानदारों में, छोटे-छोटे किसानों, जो गरीब लोगों को रोजगार मिलते हैं। यह समझ लीजियेगा कि अगर यह संस्थागत वित्त विभाग न होता, तो आपकी कोई योजना, चाहे वह एन0 आर0 ई0 पी0, आई0 आर0 डी0 की हो, उनका कोई सफल कार्यान्वयन न होता।

मान्यवर, व्यवसायिक बैंकों की मनोवृत्ति से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह बैंक बड़े-बड़े लोगों को पैसा देना चाहते हैं और शहरी लोगों को देना चाहते हैं। यह संस्थागत बैंक की देन है जो कि सुनियोजित करता है कि कहां-कहां पैसा लगाया जाय ? व्यवसायिक बैंकों को मजबूर करता है कि विकास में पैसा लगाया जाय, देहातों में पैसा लगाने के लिए मजबूर करता है। बड़ी-बड़ी योजनाओं को उपलब्ध कराने की योजना बनाता है। सारा संस्थागत वित्त विभाग इस ओर प्रेरित है और सामंजस्य स्थापित करता है कि विकास के कार्य कैसे होंगे, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सही दिशा कैसे प्रदान हो सकती है। मान्यवर, समय बहुत कम है इसलिए मैं इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय रिछारिया जी, इस बिक्री-कर या संस्थागत वित्त का काम भले ही न देखते हों लेकिन सदन में यह सरकार के प्रवक्ता हैं और उन्हें मैं अच्छा आदमी समझता हूं और जो बिक्री-कर आयुक्त हैं वह भी कुल मिलाकर ठीक आदमी हैं। मैं समझता था कि यहां पर कुछ अच्छी बातें प्रस्तुत की जायेंगी परन्तु मुझे बड़ी निराशा हुई। बिक्री-कर को दो दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए यह व्यापारियों की समस्या है, मैं इसको व्यापारियों की समस्या नहीं मानता। बिक्री-कर राजस्व प्राप्ति का एक साधन है। उस साधन की उगाही के लिए एजेन्ट के रूप में व्यापारी काम करता है। बिक्री-कर डाइरेक्ट व्यापारियों से लिया जाता है लेकिन कुल मिलाकर उसका प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है। चुनाव के समय में आप जब जनता से वोट मांगने जाते हैं तो उस समय आप कह देते हैं कि बिक्री-कर नहीं लिया जायेगा। इसी तरह लोक सभा चुनाव के समय प्रतापगढ़ में श्री राजीव गांधी ने कहा कि बिक्री-कर समाप्त किया जायेगा लेकिन जब सरकार बन गई तो

लोक सभा के पहले ही सत्र में यह सवाल उठा तो कहा गया कि सम्भव नहीं है। यहां भी सरकार बनी और मुझे भी सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

यहां इन्होंने कहा कि सरलीकरण करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने सरलीकरण के नाम पर कोई नई घोषणा नहीं की है। इन्होंने स्वतः कर निर्धारण योजना की बात कही। जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय स्वतः कर निर्धारण स्कीम लागू की गई और उस पर इन्होंने 20 प्रतिशत का राइडर लगा दिया। कल मन्त्री जी ने कहा कि हम इसको 20 परसेन्ट से 10 परसेन्ट कर रहे हैं आप हमारे विचार से सिद्धान्ततः सहमत हो गये। यह 10 परसेन्ट हो, 2 परसेन्ट हो या 1 परसेन्ट हो आप यह राइडर खत्म कीजिये तभी स्वतः कर निर्धारण सही रूप में आ जायेगा। मान्यवर, अगर किसी व्यापारी का कोई पैसा इनके डिपार्टमेन्ट में जमा हो तो उस पर 20 फीसदी इन्टरेस्ट ले लेंगे लेकिन आज तक इन्होंने एक भी आदमी को इंटरेस्ट नहीं दिया जब कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि बिना ब्याज जोड़े रिफन्ड किया जायेगा तो कार्यवाही की जायेगी। आपने एक के भी खिलाफ कार्यवाही नहीं की। आप जो पैसा देंगे वह 040 हेड में जमा कर देंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो आप इन्टरेस्ट वापस लेने की बात करते हैं, वह किससे वापस लेंगे।

हिन्दुस्तान की एक दो स्टेट्स को छोड़कर किसी भी स्टेट में खाद्यान्न पर टैक्स नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न पर टैक्स लगाकर महंगाई बढ़ाई जा रही है। अगर कोई चीज प्रोसेसिंग करके तैयार की जाती है, जैसे अरहर से दाल बनाई जाती है, सरसों से तेल बनाया जाता है तो उस पर परचेज टैक्स नहीं लगता है, सेल्स टैक्स लगता है। लेकिन गेहूं पर परचेज टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों लगता है। 200 सौ ढाई सौ रुपये बोरे पर 16 प्रतिशत के करीब टैक्स पड़ता है। माननीय रिछारिया जी ने प्रेस कांफ्रेन्स में वक्तव्य दिया था कि 80 प्रतिशत व्यापारियों से दो प्रतिशत रेवेन्यू लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि दो प्रतिशत रेवेन्यू के लिये 80 प्रतिशत व्यापारियों को क्यों परेशान कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं माफ कर देते हैं? आपने कहा भी था कि माफ करने के लिये सोच रहे हैं। अब एक बात और कहना चाहता हूं कि 4-12-79 के पूर्व 2 लाख के ऊपर विक्रय धन वाले व्यापारियों से बिक्री-कर के अलावा एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगता था, 7-9-81 को घोषित किया कि सेल्फ थ्री एफ समाप्त माने, अतिरिक्त कर समाप्त कर दिया लेकिन 1 प्रतिशत वस्तुओं में मिला दिया और अवर्गीकृत में भी 7 से 8 प्रतिशत कर दिया। इसी प्रकार अक्तूबर 83 में 10 लाख का राइडर लगाया और बाद में उसको भी खत्म कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि आप जनता को धोखा देना बन्द कर दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*डा0 रजनी कान्त दत्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संस्थागत वित्त और संस्थागत निदेशालय की उपलब्धियों और उसकी ओर से जो कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता के कल्याण के लिये कार्य किया गया है, वह स्वयं में कीर्तिमान है। माननीय मन्त्री जी के संज्ञान में मैं कुछ बातें लाना चाहता हूं। 27 अगस्त, 1977 को अध्यक्षा शकुन्तला नैय्यर और 27 नवम्बर, 1979 को अध्यक्षा नैय्यर साहब एवं पंडित कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में बिक्री-कर सरलीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। मेरा अनुरोध है कि उस प्रक्रिया को शीघ्र लागू किया जाय।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें मन्त्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। हस्तकला कुटीर उद्योग में जो गरीब मजदूर जो कच्चा माल काम में लाता है, उसको बिक्री-कर प्रक्रिया से मुक्त कर दिया जाय। बनारस में रेशम साड़ी उद्योग है। मैं मन्त्री जी का ध्यान बनारस के रेशम उद्योग की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, रेशम ककून से बनता है। बनारस का यह उद्योग वरीयता प्राप्त निर्यातपूरक ग्राम उन्मुख शुद्ध रूप से हस्तकला कुटीर उद्योग है। जो बड़े लोग रेशम मंगाते हैं उस धागे पर सेल्स टैक्स नहीं है लेकिन जो गरीब बुनकर थोड़ा बहुत रेशम खरीदता है उस पर 2 प्रतिशत बिक्री-कर और 10 प्रतिशत सरचार्ज है। एक किलो रेशम 600, 700 में आता है। एक किलो रेशम के धागे पर 13-20 पैसे सेल्स टैक्स पड़ जाता है, जो गरीबों को देना पड़ता है। एक बनारसी साड़ी 4 सौ, 5 सौ ग्राम की होती है। एक साड़ी पर 6 रुपया 60 पैसा गरीब बुनकरों को देना पड़ता है।

श्रीमन्, इसका नतीजा यह होता है कि गरीब बुनकर जो साड़ी बनाकर बाजार में लाता है, वह मास्टर वीवर की साड़ी से 6.60 रुपया मंहगी पड़ती है और वह बाध्य हो जाता है कि मास्टर बीवर की खिड्डयों पर काम करें। तो यह उसको बन्धुवा मजदूर बनाने की साजिश है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य किसी प्रान्त में सेल्स टैक्स नहीं है। आपने कोर्ट फीस फर्स्ट अपील पर 2 परसेन्ट और सेकेन्ड अपील पर 7.2 परसेन्ट कर दिया है। इनको घटाकर कम किया जाय। मान्यवर, 31 दिसम्बर, 1985 तक एक लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में स्थायी सिनेमा बनाने के लिये जो अनुदान दिया जाता था, उसे दो वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाय। आज सिनेमा उद्योग संकट में है। जो लोग बिना टिकट सिनेमा देखते हैं, उनको दण्डित करने के लिये मोबाइल कोर्टस की स्थापना की जाय और उससे उसी प्रकार चैकिंग की जाय जिस प्रकार रेलवे में की जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि लोअर क्लास पर मनोरंजन कर 125 परसेन्ट है और अपर क्लास पर 150 परसेन्ट है, तो अपर क्लास के लिये भले ही और बढ़ा दिया जाय, लेकिन लोअर क्लास के लिये कम किया जाय। गरीब जनता के लिये मनोरंजन कर घटाया जाय क्योंकि यही एकमात्र गरीब जनता के मनोरंजन के लिये सुलभ साधन है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रिछारिया जी एक योग्य और अनुभवी मन्त्री के रूप में इस बजट को पेश कर रहे हैं। श्रीमन्, समस्याओं के निराकरण में इनकी बड़ी भारी अभिरुचि है, लेकिन उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे

ऐसा महसूस हुआ कि रिछारिया जी के ऊपर भी भ्रष्ट अधिकारियों का असर होने लगा है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिक्री-कर की वसूली तो जनता से की जाती है, लेकिन यह कौन वसूल करता है? व्यापारी जो आपके कस्टोडियन के रूप में काम करता है, कस्टोडियन से वसूली करने में सरकार को क्या दिक्कतें आती हैं, उनका स्पष्टीकरण यह होना चाहिये। वह तो आया नहीं। श्रीमन्, व्यापारियों को क्या दिक्कतें हैं। सरकार और व्यापारियों के मध्य में जो दिक्कतें हैं, उनका निराकरण कर उसकी कानूनी प्रक्रिया में सुधार करना चाहिये, लेकिन यह देखने को नहीं मिला। इसलिये मैं दो बातें निवेदन करना चाहता हूं कि कानूनी प्रक्रिया में जो कठिनाइयां हैं या व्यापारियों को दिक्कतें हैं, उन पर विचार करके यह बजट रखा जाना चाहिये। फार्म 31-ख के लिए व्यापारियों को रोजाना दौड़ना पड़ता है। आपको मालूम है कि औसत एक महीने में व्यापारियों को कितने फार्म की जरूरत पड़ती है, उतने फार्म पहले ही उपलब्ध करा दिये जायं तो उनके दौड़ने का समय समाप्त हो जायगा और इस तरह से इसमें भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1979 में उत्तर प्रदेश सरकार ने संविधान के आर्टीकल 226 के अन्तर्गत आर्टीकल की जो परिभाषा है, उसको मानते हुए यह निश्चित किया कि एक बार जिस चीज पर कर लग जायगा, उस पर दोबारा कर नहीं लगेगा। यह संविधान की मंशा है। इसको मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1979 में इसको फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में दोबारा कर लगाने से माफ कर दिया यह मानते हुए कि चूड़ी बन जाने के बाद उसमें अलंकरण होता है। अतः एक बार चूड़ी बन जाने के बाद उसका अलंकरण उसकी मन्यूफैक्चरिंग नहीं है। अलंकरण से आकृति नहीं बदलती। तो जो चूड़ी और ग्लास बिक्री-कर पेड हो को अलंकृत करके बेचते हैं, उन पर दोबारा सेल्स टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये। क्योंकि वह मैन्यूफैक्चरिंग के अन्तर्गत नहीं आते। लेकिन इनके एक अधिकारी ने 1984 में एक लेटर भेजा है। उसका हवाला देते हुए माननीय मन्त्री जी में निवेदन करना चाहता हूं कि इस 16-1-84 के लेटर में लिखा है कि एक बार चूड़ी पर अलंकरण करने के बाद उसे उत्तर प्रदेश में बेचने पर उस पर दोबारा

(3 बजकर 10 मिनट)

बिक्री-कर देय नहीं होगा। यह 1984 का पत्र है। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनके अधिकारी इस आर्डर के बाद, 1979 के आर्डर के बाद भी दोबारा कर लगायेंगे, तो यह आर्टीकल 226 जो है उसका सीधा-सीधा उल्लंघन है। उस मामले को मन्त्री जी पुनः देखें।

मान्यवर, मनोरंजन कर के नाम पर सिनेमाघरों में जो टिकटें दी जाती हैं, उनमें बहुत जालसाजी चल रही है। प्रदेश के अन्य जनपदों की बात तो छोड़ दें, राजधानी लखनऊ में ही देख लें। जो मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिकारी हैं और सिनेमाघर के मैनेजर हैं—दोनों में समझौता होकर जाली टिकटें धड़ल्ले से बिक रही हैं। एक यहां गुप्ता जी हैं, उनको आपने अधीक्षक बना दिया है, उनके खिलाफ तमाम विधायकों ने शिकायत की है। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं

कि इस कर वंचना को रोकने के लिये आप अपने अधिकारियों के विरुद्ध जो शामिल हैं और जिनके विरुद्ध तमाम माननीय सदस्यों ने शिकायतें भी की हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही करें। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि बिक्री-कर में जो छूट की सीमा दी है, रजिस्ट्रेशन में छूट की सीमा दी है, कोई दुकानदार अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, छूट की सीमा के अन्तर्गत अपना माल बेचता है, ट्रांसपोर्ट के जरिये भेजता है, तो आपके अधिकारीगण उनको पर्चा दिखाने के लिये कहते हैं और उस पर्चे के नाम पर बड़ा रजिस्टर्ड व्यापारी उनसे 4 परसेन्ट से लेकर 10 परसेन्ट तक ले लेते हैं और अधिकारी रिश्वत खुले-आम उन गरीब लोगों से लेते हैं इसे आप देखें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें। मैंने माननीय शैलेन्द्र कुमार को बुला लिया है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जो इनका एस0 टी0 ओ0 आफिस है, उसमें तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त है। 6 जनवरी, 1985 को बिक्री-कर के आयुक्त ने गाजियाबाद और नोयडा के व्यापारियों ने दिल्ली के नाम पर 5 करोड़ की 3 महीने में कर वंचना को पकड़ा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े व्यापारियों के माध्यम से यह जो कर वंचना हो रही है, उसको रोकने की कृपा करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत संस्थागत वित्त विभाग के बजट को मैं समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, निबन्धन विभाग में आय में जो 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसके लिये माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, इलाहाबाद में निबन्धन कार्यालय की हालत बहुत जर्जर है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि उस कार्यालय की शीघ्र मरम्मत की व्यवस्था करायी जाय। श्रीमन्, विक्रेताओं द्वारा जो स्टाम्प पेपर बेचे जाते हैं, उसकी सीमा घटायी गयी है, उससे आम जनता को काफी कठिनाई होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि स्टाम्प पेपर की विक्रय की सीमा को बढ़ाया जाय ताकि आम जनता को सुविधा से मिल सके। मान्यवर, निबन्धन एवं स्टाम्प की आय में बहुत ही वृद्धि हुई है, इसके लिये आई0 जी0 रजिस्ट्रेशन बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि इस समय प्राय: नकली और जाली स्टाम्प पेपरों की बिक्री बहुत सुनने में आती है, सरकार द्वारा उस पर रोक लगायी जाय और नियंत्रण किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, दिल्ली में बेनामे नहीं होते हैं। बेनामों की जगह एग्रीमेन्ट, बिल और पावर आफ एटार्नी होती है। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिल्ली के लोग जो उत्तर प्रदेश में भूमि खरीदते हैं, गाजियाबाद और मेरठ में, वह लोग कर वंचना के लिये वसीयत करा लेते हैं, एग्रीमेन्ट करा लेते हैं या पावर आफ एर्टानी करा लेते हैं। इस तरह से स्टाम्प ड्यूटी आदि की चोरी करते हैं। कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जैसे शेड्यूल कास्ट की जमीन है, बिना परमिशन के नहीं बिक सकती है, नान ट्रांसफरेबिल है, गांव सभा की जमीन है, बिना पट्टे के नहीं हो सकती है, नान ट्रांसफरेबिल होती है—उन जमीनों का ट्रांसफर भी बिल, एग्रीमैन्ट और पावर आफ एर्टानी के जरिये हो जाता है। इस प्रकार के केस गौर से देखे जाने चाहिये। गाजियाबाद और मेरठ में इस तरह के केसेस बहुत होते हैं। मान्यवर, गाजियाबाद में जो कालोनियर्स आपरेट कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी बेईमानी हो रही है। प्रशासन ने भी उसकी बाबत लिखा है, मैं भी कह रहा हूं। काशीपुर में जिस तरह से बेनामों पर फोटो मंगाये जाते हैं गाजियाबाद में भी फोटो अगर बेनामों पर लगा दिये जायं तो कुछ चेक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मनोहर लाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं।

श्री गजराज सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सेल्स टैक्स बजट पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में हमारे मन्त्री श्री ओम प्रकाश रिछारिया जी तथा जोजेफ आयुक्त जैसे कर्मठ अधिकारी इस विभाग को सम्भाले हैं। मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के हित में जो भी योजनायें चलायी जा रही हैं, उनके हित में है। मैं हापुड़ क्षेत्र से चुनकर आया हूं जहां उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मण्डी है। एक तरफ जहां जोजेफ जैसे ईमानदार अधिकारी हैं, वहीं दूसरी तरफ मिश्रा जैसे बेईमान बिक्री-कर अधिकारी भी लगे हुए हैं। अगर इनको नहीं रोका गया तो यह मण्डी उजड़ जायगी और इसके द्वारा जो लाखों लोगों को व्यापार मिलता है, नहीं मिलेगा।

इस सम्बन्ध में दो सुझाव देना चाहता हूं। प्रान्तीय बिक्री-कर की वसूली निर्माता को माल बनाकर भेजते समय कर लेनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे फायदा होगा और इससे प्रान्तीय सरकारों को बिक्री-कर प्राप्त होगा, छोटे-छोटे व्यापारियों का समय और परेशानी बचेगी। शुरू में ही माल जब तैयार होगा तो वे शुरू में ही सारे बिक्री-कर के पैसे को वसूल कर सकते हैं जिससे कि भ्रष्टाचार और बेईमानी, जो अधिकारी करते हैं, वह बच सकेगी। कर अपवंचना को रोका जा सकता है। इससे व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को भी आसानी होगी। इसी के साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मनोहर लाल जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

संविधान द्वारा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश के राजस्व के लिये जो कर का निर्धारण है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें बिक्री-कर का बहुत बड़ा योगदान है। बिक्री-कर के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं।

बिक्री-कर जो गांव में ईंट भट्ठों पर लगता है, वह एक बार लगा दिया जाता है और भट्ठे वालों की और बिक्री-कर अधिकारियों की ऐसी साजिश होती है जिससे पता ही नहीं चल सकता कि कितना कर देना चाहिये। बस्ती के डुमरियागंज में 13 लाख रु0 राजस्व है। मैंने इसी विधान सभा में सवाल किया था तो पता चला कि 19 लाख रु0 बिक्री-कर भट्ठों पर बाकी था। उसकी वसूली नहीं हुई। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे न्यायालय तक सबने माफ करा लिया। यहां की न्याय प्रक्रिया में भी कुछ सुधार होना चाहिये। नेपाल में यह व्यवस्था है कि नीचे के न्यायालय ने अगर सजा कर दी और ऊपर के न्यायालय ने छोड़ दिया तो नीचे के न्यायालयों को दण्डित किया जाता है। इसको भी देखना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि बिक्री-कर की वसूली के लिये इनका अपना विभाग होना चाहिये, ये तहसील में भेज देते हैं। वसूली के लिये इनके पास अपना विभाग हो और साइटेशन नोटिस, कुर्की और वारण्ट जारी करने का हक होना चाहिये।

स्टैम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि इसमें भेद है। हमारे गांव में जो लोग जमीन खरीदते हैं तो 1000 रु0 पर 75 रु0 का स्टाम्प लगता था। अब यह कर दिया है कि उस गांव में कितने रुपये पर जमीन बिकी है, उसके हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी। इससे विवेक मिल जाता है रजिस्ट्रार को और अन्य अधिकारियों को। एक बार जब कोई खरीदता है तो उस समय नहीं बताते हैं कि कितनी ड्यूटी लगेगी?

चार महीने के बाद ए0 डी0 एम0 के यहां से नोटिस पहुंच जायेगी कि आपको इतने का स्टाम्प लगाना चाहिये था, यह नहीं लगाया है तो इतना जुर्माना दीजिये। तो इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि जो निर्धारण हो जाय वह उसी समय ले लिया जाया करे।

बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश में खाने पर भी टैक्स लगाया जाता है। गरीब आदमी होटल में खाने के लिये जाय और वहां पर रोटी पर टैक्स लिया जाये इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती है। तो इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि आप भट्टे की तरह होटलों से भी एक मुश्त टैक्स की वसूली कर लिया करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें। देखिये अब समय कम है। 25-25 मिनट तो मन्त्री जी ने और मनोहर लाल जी ने ले लिये और पांच-पांच मिनट के समय में कुछ सदस्य बोल लिये, जब तक समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो मैं मजबूर हूं और अब मैं मनोहर लाल जी को बुलाता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

हम लोगों को केवल एक-एक मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, बस एक मिनट में ही आप लोग अपनी बात समाप्त करियेगा।

श्री अमर चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को सिर्फ दो-तीन सुझाव ही देना चाहता हूं। 1983 से 1985 तक चल-चित्र बनाने की योजना सरकार ने बनायी थी जिसके अन्तर्गत केवल 27 सिनेमागृह ही बन कर तैयार हुए हैं प्रदेश के लिये वित्तीय संसाधनों के बढ़ाये जाने की आवश्यकता है अतः प्रदेश के अन्दर व्यापक स्तर पर सिनेमाघरों का निर्माण हो और इसकी अवधि को 1990 तक और बढ़ा दिया जाय।

दूसरी बात भट्ठों के सम्बन्ध में जो सुझाव आया इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें बड़े पैमाने पर बिक्री-कर अधिकारियों के द्वारा भट्ठों से अवैध धन वसूल किया जाता है। इसका जितना पैसा सरकार के पास जाता है उससे दुगुना अधिकारियों की जेबों में जाता है इस लिये इसके लिये लाइसेन्स कर के रूप में इसकी व्यवस्था की जाय।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां जो वाहनों की खरीद होती है जैसे ट्रक, मोटर, स्कूटर, मोटर साईकिल आदि इनकी बिक्री-कर सिर्फ 20 पैसे के टिकट पर हो जाती है। अगर इस पर भी स्टाम्प-कर लिया जाये जो रीजस्ट्री के माध्यम से, तो फिर इससे बड़े पैमाने पर कर की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, बिक्री-कर सरकार की आय के सबसे बड़े साधनों में से एक है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस आय को बढ़ाने के लिये सरकार की हालत उस आदमी की जैसी होती चली जा रही है जो कि अधिक अंडे को प्राप्त करने की लालच में मुर्गी को भी मार डालता है। यह हालत सेल्स टैक्स की दरों और बिक्री-कर की दरों में लगातार बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है।

मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के मुकाबिले में यहां रेट कम है और केवल दो चीजों के नाम गिना दिये। मैं उनको बीसियों चीजों के नाम बतला सकता हूं जिस पर दिल्ली के मुकाबिले में यहां टैक्स का प्रतिशत अधिक पड़ता है। यहां दो-तीन परसेन्ट से ले करके 14 परसेन्ट तक सेल्स टैक्स है उत्तर प्रदेश में मेरा सुझाव है कि सरकार सभी चीजों पर एकरूपता के आधार पर एक रूप से टैक्स की दर बना दे तो आमदनी भी अधिक होगी और चोरी की सम्भावना भी कम रहेगी।

रीजस्ट्री के माध्यम से आपके स्टैम्पों से आय बढ़ी, यह खुशी की बात है कि दो वर्षों में एक अरब रुपये से बढ़ कर आय डेढ़ अरब से ज्यादा हो रही है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा घपला हो रहा है। आगरा में भूमि का सर्किल रेट लगा दिया गया है। जिस इलाके में 40 रुपया गज जमीन की कीमत है वहां 450 रुपया सर्किल रेट है। इससे 200 गज जमीन गरीब आदमी 8,000 रुपये में खरीदता है। लेकिन स्टाम्प 8400 रुपया का लगाना पड़ता है। आपके स्टैम्प की बिक्री बढ़ती है लेकिन गरीब का पेट कटता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर बस एक बात और। इसी प्रकार आवास विकास परिषद् से जिन दुर्बल व निम्न आय वर्ग के लोगों ने किश्तों पर 30 हजार का मकान लिया। अब उसकी रीजस्ट्री पर कायदे से 3150 रु0 का स्टाम्प होना चाहिए परन्तु उनसे एकदम तीन गुना 9375 रु0 का स्टाम्प लगाने को कहा जाता है। हजारों लोग परेशान हैं।

श्री रामसिंह एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। मैनपुरी में असिस्टेंट कमिश्नर जुडीशियल सेल्स टैक्स की पोस्ट है। इसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तीन जिले आते हैं—फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इटावा, हैं। मेरा निवेदन है कि इस कार्यालय को मैनपुरी में ही रखा जाये। सबसे अधिक रैवेन्यू जिला मैनपुरी इनमें से देता है और यहां मैनपुरी जनपद की 1200 अपीलें पेंडिंग हैं और इटावा जनपद की केवल 200 अपीलें पैन्डिंग हैं। फर्रुखाबाद की भी इटावा के बराबर अपील पैन्डिंग है मेरा निवेदन है कि आप इस ए0 सी0 जे0 के कार्यालय को इटावा न ले जाकर मैनपुरी में ही बनाये रखें।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, इसलिये मैं आपका आभारी हूं। जो बातें छूट गयी हैं, उनको मैं 2-4 मिनट में कहना चाहता हूं जो बिक्री कर के अनिर्णीत मामले हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 1982-83 में 3,75,647 1983-84 में 4,16,743 मामले पैन्डिंग हैं 1982-83 में 59 प्रतिशत और 1983-84 में 50 प्रतिशत अपीलें पैन्डिंग हैं 1982-83 में 72 प्रतिशत और 1983-84 में 74 प्रतिशत रिवीजन पैन्डिंग हैं। मान्यवर, 1982-83 में बिक्री कर का बकाया 240.60 करोड़ रुपया था और 1983-84 में 290.56 करोड़ रूपया बकाया था। तो मान्यवर, केसेज पड़े हुए हैं और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। मान्यवर, बिक्री कर अधिभार जो लगाया जाता है, उसको समाप्त किया जाय व्यापारियों ने कहा है कि पहली अप्रैल से वह आन्दोलन करेंगे तो आप सरचार्ज के बारे में विचार करें कि वह न लगे।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, सैम्पलिंग, श्रम, वाट माप आदि से संबंधित 33 सूत्रीय मांग पत्र पर शासन शीघ्र निर्णय ले क्योंकि अनावश्यक रूप से व्यापारियों को परेशान किया जाता है। बहुत से व्यापारी संघर्ष के रास्ते पर हैं, इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि औद्योगिक विकास के लिये बिक्री कर का सरलीकरण किया जाये। स्टाम्प तथा निबन्धन में कम मूल्यांकन के कारण 4 करोड़ रुपये का अपवंचन होता है और सरकार को हानि होती है। मान्यवर, प्रयुक्त न्यायालय फीस स्टाम्पों का दुबारा प्रयोग, जाली न्यायालय फीस स्टाम्पों का प्रयोग सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन से सरकार को बहुत नुकसान होता है। मान्यवर, मनोरंजन कर में बड़ी चोरी होती है, उससे सरकार को बहुत नुकसान होता है। स्थायी सिनेमा हालों से ही सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। स्थायी सिनेमाओं के वर्तमान वितरण में सामंजस्य

नहीं हैं अतः चुने हुये स्थानों पर अधिक सिनेमा हाल होना चाहिये। सचल सिनेमाओं द्वारा कर की चोरी अधिक होती हैं। वी0 सी0 आर और वीडियो की बढ़ती भरमार को ध्यान में रख कर कर लगाना चाहिये। मनोरंजन के नाम पर बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं के संरक्षण में चलने वाले क्लबों पर अधिक कर लगना चाहिये। मान्यवर, लक्ष्मी टाकिज 50 वर्ष पुराना हाल हैं। सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने कई बार उसको बन्द कर लाखों रुपये का चूना सरकारी खजाने को लगा दिया हैं। आप इस ओर ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो नई घोषणाएं करनी थीं इन्होंने नहीं किया लेकिन बिक्री कर के सरलीकरण में और व्यापारियों को राहत देने में जो तमाम बातें हमारे सदस्यों ने अभी कहीं हैं उनकी तरफ ध्यान देते हुए, अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना हैं, प्रदेश की आर्थिक प्रगति करनी हैं, औद्योगीकरण बढ़ाना हैं और जो फर्जी बेनामें वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए जरूर माननीय मंत्री जी कदम उठायेंगे। इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मंत्री जी से कहता हूं कि इस कटौती को मान लें क्योंकि हमने सुझाव ही दिये हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

माननीय अधिष्ठाता जी, अगर अभी समय बता दें तो उसी हिसाब से मैं प्रारम्भ करूं।

श्री अधिष्ठाता—

समय तो हो चुका हैं, 5 मिनट में कर लें 25 मिनट तो आपने पहले ही कर लिया था, मनोहर लाल जी की तरह हमारी सहायता करिये।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, जब मनोहर लाल जी कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे तो एक बात कही कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ षडयन्त्र कर रही हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं दे पाये लेकिन जरूर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यन्त्र किया क्योंकि उनके दल का जो दर्शन हैं वह कृषकों के करीब हैं व्यापारियों के करीब नहीं हैं, यहां उन्होंने राजेन्द्र गुप्त जी का हक छीना हैं, आज कटौती का प्रस्ताव उन्हें पेश करना चाहिए था और यह उनका निजी मामला हैं। श्रीमन्, उन्होंने बहुत बातें उठायी हैं, मनोहर लाल जी ने कहा कि फार्म 31 मिलने में बड़ी किल्लत हो रही हैं तो श्रीमन्, इसमें व्यवस्था की गयी हैं कि फार्म 31 कोई भी व्यापारी 3 महीने के लिए एडवांस ले सकता हैं और उसको एडवांस दिया जाता हैं। आपने जो कहा पहले उसमें एक दिक्कत होती थी फार्म 31 में वह यह थी, कभी-कभी यह होता था कि अधिकारियों को हस्ताक्षर करना पड़ता था और एक-एक व्यापारी सैंकड़ों की संख्या में फार्म लेता था तो उसमें जो दस्तखत करना पड़ता था उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था जिसके कारण असुविधा होती थी। इसके लिए यह कर दिया गया कि अब दस्तखत करने की आवश्यकता नहीं हैं उसके लिए यह बनाया गया हैं कि उसको मंडल के हिसाब से फिर सेक्टर के हिसाब से उसको पंच करके फार्म दे दिया जाता हैं। इसी तरीके से आपने कुछ और बातें कही। एक बात आपने कांच की चूड़ियों

पर उठायी थी जिस पर सदन में एक प्रश्न भी आया था पूरे प्रदेश में सब जगह वन प्वाइन्ट टैक्स लग रहा है कहीं भी डबुल टैक्स नहीं है। चूड़ी का जो आपने कहा यदि कोई चूड़ी निर्माता सादी चूड़ी बना कर स्वयं अलंकृत करता है तो उस पर एक ही बार टैक्स है। लेकिन यदि कोई सादी चूड़ी बनाता है और दूसरा निर्माता उसे पर्चेज करके अलंकृत वगैरह करता है तो उस पर दुबारा टैक्स लगेगा। माननीय वर्मा जी ने एक बात उठायी थी कि जनता पार्टी के समय में संशोधन किया गया था लेकिन जो उन्होंने संशोधन किया था प्रविष्ट में किया था परिभाषा वही रही जो 1975 से लागू थी और हाई कोर्ट ने उसको जस्टीफाई किया 1984 से हम जिस परिमाप से टैक्स ले रहे हैं वह सही है। आपने दर की बात कही। उसके बारे में कहना चाहता हूं कि 10 प्रतिशत जो कि जनता पार्टी के समय में स्लैब था, वही चला आ रहा है। आपने कहा कि नोयडा के जो व्यापारी हैं वे कर अपवंचना कर रहे हैं। उसके लिये हमने स्टैप जारी किया है तो फार्म 31 और 34 के लिये भी जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो माल उत्पादन करेंगे उसके लिये वैट स्टैप लगाना जरूरी होगा और इस तरह से चोरी रोकना सम्भव हो सकेगा।

एक सुझाव माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने दिया और यह कहा कि जो व्यापारी अपना टैक्स 20 प्रतिशत बढ़ा कर लगायेगा स्वतः कर निर्धारण योजना में, उसको मान लिया जाय कि वह सही है। हमने यह कहा था कि यह बात दृष्टिकोण में रखी जायेगी कि जो व्यापारी 10 प्रतिशत तक बढ़ा कर देगा उसको इस स्वतः कर निर्धारण योजना का बैनिफिट दिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि रिफन्ड के ऊपर ब्याज नहीं मिलता। श्रीमन्, ऐसा कहीं नहीं हुआ। अब एक आदेश जारी कर दिया गया है कि रिफन्ड के ऊपर व्यापारी को ब्याज दिया जाय। प्रेक्टिस में यह था कि व्यापारी यह लिख दिया करते थे कि उनको ब्याज नहीं चाहिए। यह शिकायत की गई कि अधिकारी लेते हैं। अब इसी माह मार्च में यह आदेश किया गया है कि यदि कोई व्यापारी अपनी सहमति प्रकट करता है कि उसको ब्याज नहीं चाहिए तब भी उसको ब्याज सुनिश्चित कर दिया जायेगा और ब्याज दिया जायेगा।

आपने कर के सरलीकरण की बात भी उठायी। मान्यवर, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम बिक्री कर को समाप्त करें, ऐसा नहीं कहा था। 1980 के चुनाव में हमने कहा था कि बिक्री कर का सरलीकरण करेंगे। माननीय कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और उसमें बिक्री कर के ऊपर, पांच चीजों पर जैसे वनस्पति, घी, सीमेन्ट औषधियां आदि चीजों के ऊपर उत्पादन शुल्क लगाये जाने की संस्तुति की गई थी। उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री की एक मीटिंग हुई थी और उस समय जब इसकी समाप्ति की बात कही गई थी तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिमी बंगाल, तामिलनाडू और कर्नाटक और आंध्र के मुख्य मंत्रियों ने इसका घनघोर विरोध किया था और पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है वह तो कुछ और टैक्स जो केन्द्र सरकार के परिपेक्ष में आते हैं, उनमें भी लगाने की परमीशन चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट कर रखी है। उनके विरोध के कारण इस चीज को लागू करने में कुछ विलम्ब हुआ क्योंकि उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सहमति आवश्यक है।

माननीय गुप्ता जी ने एक बात और कही थी कि व्यापारियों को इस संबंध में जानकारी नहीं हो पाती। उसके बारे में यह किया गया कि आयुक्त स्तर से जो परिपत्र जारी होते हैं उनका संकलन साइक्लोस्टाइल करा कर प्रकाशित कराया जायेगा और जैसे किराना और मरचेन्ट एसोसियेशन के जो पदाधिकारी और अध्यक्ष हैं उनके पास भेज दिया जायेगा जिससे उनको जानकारी हो जायेगी कि क्या-क्या सुविधायें सरकार दे रही है और किस तरह से रूल्स में परिवर्तन कर रहे हैं। (लाल बत्ती जलने पर) एक मिनट में समाप्त करता हूं आप लाल बत्ती जला रहे हैं। व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उसके बारे में बिक्री कर की हर जोन में जो सलाहकार परिषद् है उनके सदस्यों को पत्र भेजा गया कमिश्नर के यहां से जिसमें कहा गया कि यदि आपके यहां किसी प्रकार की बिक्री कर की चोरी हो रही है या किसी बिक्री कर अधिकारी या कर्मचारी से वह असंतुष्ट है तो उसकी सूचना वह उस पत्र को भर कर भेज दें तो उसमें कार्यवाही की जायेगी। इसमें यह भी किया गया कि व्यापारी अपना पता न दे ताकि यह बात जो होती है कि व्यापारी का पता लग जायेगा कि उसने लिख कर दिया है तो उसे अधिकारी परेशान करेंगे तो उसे दूर करने के लिये यह भी किया गया है कि वह हस्ताक्षर भी न करे केवल सूचना भेज दे। आप आश्चर्य करेंगे कि केवल दो तीन मामले आये हैं उसमें भी यह लिख दिया है कि आपको तो सब जानकारी है। मैं कहूंगा कि यह प्रत्येक नागरिक का फर्ज है कि वह अपने कर्तव्यों को मुस्तैदी से निर्वहन करे।

अभी शर्मा जी ने एक बात कही कि जो पिक्चर थियेटर बनाये जा रहे हैं उनके लिये जो अनुदान की घोषणा की थी उसे आगे बढ़ाया जाय। इस पर विचार कर लिया जायेगा। क्योंकि इस साल हमारे यहां 46 सिनेमा घर बनाये गये जिससे लगा कि लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी प्रकार वीडियो और वी0 सी0 आर0 को ज्यादा व्यावहारिक बनाने की बात कही गयी इस पर भी शासन विचार कर लेगा।

एक बात फर्जी रजिस्ट्रेशन के बारे में कही गयी। फर्जी रजिस्ट्रेशन न हो इसके लिये लेखपाल या उस गांव के मास्टर अथवा किसी जिम्मेदार आदमियों की सूची में शामिल किया गया है जो विटनेस रहेंगे ताकि फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोका जा सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने परसों फोटो लगाने के बारे में कहा था। कुछ जिलाधिकारियों ने अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था की है कि फोटो लगायेंगे।

सिनेमा टिकटों की चोरी के बारे में कहा गया तो मैंने आपको बताया कि इसमें काफी सख्ती बर्ती गयी है और इस तरह के 161 गंभीर मामले पकड़े गये जिसमें 56 सिनेमाघरों के लाइसेंस निलंबित किये गये। तो इस तरह की कार्यवाही की जा रही है और सख्ती इसमें की जायेगी। मान्यवर, आप ज्यादा अधीर हो रहे हैं कि मैं जल्दी समाप्त करूं तो माननीय सदन की भावना को देखते हुए कि हमारे संसाधन ज्यादा से ज्यादा हों

उसको ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं मनोहर लाल जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने के लिए खड़े हो रहे हैं इसके लिये मैं उनको धन्यवाद करता हूं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

श्री मनोहर लाल जी, क्या आप वापस ले रहे हैं अपना कटौती प्रस्ताव ?

श्री मनोहर लाल—

एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अब बैठें ।

श्री मनोहर लाल—

मेरी दो बातों का जवाब नहीं आया । एक तो फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों के बारे में जो वहां पर बनती हैं जो अलंकृत की जाती हैं उन पर दुबारा टैक्स लगाया जाता है । इसी तरह से जो तमाम क्लब चलाये जाते हैं जिनको सत्ता पक्ष के लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है जिनमें शराब पी जाती है और न जाने क्या क्या होता है उनके बारे में नहीं बताया ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अभी तीन रोज पहले मनोहर लाल जी पर आरोप लगाया था और यह कहा था कि जब रामायण हो जाती है तब वह पूछते हैं कि राम राजा था कि रावण राजा था । तो इनको पता नहीं मैंने फिरोजाबाद पर इतने विस्तार में वक्तव्य दिया, डिटैल में बताया । आपने अपने दूसरे प्रस्ताव के जो बात कही है तो यह क्लब वह हैं जो हर नागरिक के लिये हर शहर में जो सिटी क्लब, लखनऊ क्लब, जिमखाना क्लब बनते हैं उसमें प्रत्येक नागरिक, आप जैसे संभ्रांत नागरिक उसमें शामिल होते हैं वह वहां क्या करते हैं यह उनके चरित्र की बात है ?

*श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मैनपुरी में बिक्री कर के संबंध में अपीलेट कोर्ट जिसमें फर्रुखाबाद में 200, इटावा में 200 और मैनपुरी में 1300 अपीले पैंडिंग हैं, किन्तु अपीलेट कोर्ट मैनपुरी से हटाकर इटावा ले गये जिसके संबंध में मंत्री जी से मिले तो उन्होंने स्पष्ट आदेश कर दिया लेकिन अधिकारियों ने उस आदेश को नहीं माना । तो क्या मंत्री जी फिर अपना साहस जुटाकर मैनपुरी में कोर्ट रखोंगें ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, हमारे पास लिस्ट है ट्रिब्यूनल्स की और इसमें मैनपुरी का नाम नही है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-78 संस्थागत वित्त निदेशालय के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,21,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत संम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 86,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,45, 72,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26 गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) को अलग-अलग प्रस्तुत करने की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

इससे पहले मंत्री जी से कहूंगा मद 9 (6) और 9 (7) गृह (कारागार) तथा राजनैतिक पेंशन की मांगे अलग-अलग मंत्री प्रस्तुत करेंगें और कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्य अलग-अलग पेश करेंगें और इनके लिये 45-45 मिनट का समय निर्धारित है । समय का माननीय सदस्य ध्यान रखें ।

अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार)

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 15,79,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अधिष्ठाता महोदय जेल के संबंध में हमारी कुछ सामग्री हमारे सदस्यों को मिली होगी । हमारी सरकार ने जेल को बढ़ाने के लिए और उसके उत्थान के लिए और बन्दियों की परेशानियों के समाधान के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये हैं और निरन्तर हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जेल के अन्दर जो अनियमितताएं होती हैं, बन्दियों को जो दिक्कतें होती हैं, उनका हम किस प्रकार से सामाजिक और नैतिक रूप से उत्थान करें कि यह कार्य आगे चलता रहे । इस संबंध में विभाग द्वारा जो कार्यकलाप किये गये हैं और हमने जो सुविधानुसार कार्य किया है, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे । जेल विभाग के संबंध में जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं । हमारे प्रशिक्षण केन्द्र और जेल डिपो केन्द्र हैं, जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या 65 है । पांच केन्द्रीय कारागार हैं, एक आदर्श-कारागार है, दो खुले शिविर हैं । उसके साथ-साथ एक किशोर सदन है और एक नारी बंदी निकेतन है । एक सदर लाक-अप है और तीन उप कारागार है और 51 कारागार हैं । यह संस्थाएं पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं, जिसके अन्तर्गत हमारा पूरा प्रशासन काम कर रहा है ।

(इस समय 3 बजकर 52 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इसके साथ-साथ अब मैं प्रदेश के बंदियों की संख्या के बारे में आपको बताना चाहूंगा । 28 फरवरी, 86 तक 29,081 बन्दी थे, जिसमें से 22,932 विचाराधीन बन्दी हैं और 7,737 सिद्ध दोषी बन्दी हैं । हम जो सुविधाएं अपने बन्दियों को दे रहे हैं उस सम्बन्ध में हमने कुछ अच्छे कदम उठाये हैं । पुराने जमाने में जो उन्हें दिक्कत होती थीं, उसको दूर करने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आनन्द नारायण मुल्ला की जो रिपोर्ट है, उसको लागू करने का हमने पूरा प्रयास किया है । बन्दियों को जो सुविधाएं मिला करती थीं, उनके जीवनस्तर को ऊंचा करने के लिए हमने उनके खाने की सुविधा को बढ़ाया है । सप्ताह में एक बार अच्छा भोजन मिलने की क्षमता को हमने बढ़ाया है और चाय की सुविधा को भी बढ़ाया है । उन्हें इस वक्त साबुन नहीं मिला करता था, तो उनको हमने साबुन दिया है, जिससे वह अपने कपड़ों को साफ रख सकें । बन्दियों के

जेल में ओढ़ने और बिछाने की अभी तक अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, इस संबंध में दरी की व्यवस्था बढ़ा कर उनके लिए कम्बल की व्यवस्था को बढ़ाया गया है। उनको मानवता के नाते यह सारी सुविधाएं दी गई हैं।

चिकित्सा सम्बन्धी जो सुविधाएं कम होने की शिकायतें हुआ करती थीं, उनको बढ़ा दिया गया है। हमारे किसी रोगी को अस्पताल ले जाने की सुविधा नहीं होती थी, अब हमने जेलों में एम्बुलेंस गाड़ियां भी दी हैं। हमने और भी सुविधाएं प्रदान की हैं। उसके अन्तर्गत हमने अपने 18 अस्पतालों में एक्सरे और ई0 सी0 जी0 प्लान्ट्स लगाये हैं, जिससे ऐसे बन्दियों को जेल अस्पताल में ही इन चीजों की सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

मान्यवर, हमने लगभग 26 जेलों में पेयजल की सुविधा को बढ़ावा दिया है जहां पर पानी की दिक्कत थी, वहां पर पानी की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से जहां पर विद्युत नहीं थी तो लगभग 50 जेलों में विद्युतीकरण करके प्रकाश देने की व्यवस्था की है। इसी के साथ-साथ शौचालयों के संबंध में बहुत सी रिपोर्ट्स आयी हैं, हमारे सदस्यों ने भी कहा है और हमारी आनंद नारायण मुल्ला कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी तो हमने 27 जेलों के अंदर स्वच्छ सुलभ शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था करवायी है। हमारी महिलाओं और बच्चों के लिये अलग-अलग बैरकें नहीं थीं। हमने उनके लिये, महिलाओं और बच्चों के लिये, अलग बैरकों की व्यवस्था की है। कम आयु के बच्चों के लिये अलग व्यवस्था की है ताकि उनके जीवन पर कैदियों के आचरण का प्रभाव न पड़े तो इसके लिये हमने व्यवस्था की है। इसी के साथ साथ जो हमारे वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये कुछ योजनायें लागू की हैं।

हमने एक साल में एक महीने के अग्रिम वेतन की सुविधा दी है। इसके साथ-साथ ड्रेस में हमने भत्ते का प्राविजन किया है। 10-12 घंटे काम करते-करते वह थक जाते थे तो उनके काम के घंटे घटाकर 8 किये हैं जिससे उनकी कार्य-क्षमता बढ़े और वह अच्छा कार्य कर सकें। उनके रहने के लिये हमने विचार किया है और ज्यादा से ज्यादा मकान बनवाकर उनको देकर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, इसी के साथ-साथ जो सुधार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनसे कैदियों का नैतिक स्तर ऊंचा हो तो उनके खेल कूद की योजना चलायी है। प्रदेश स्तर पर खेल-कूद करवाने की योजना बनायी है। इसी तरह से उनके लिये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है और कारागार दिवस का भी आयोजन किया जाता है। उनको धार्मिक उपदेश दिया जाय ताकि उनका पुराना इतिहास दूर हो सके और उनके जीवन का उत्थान हो सके और उपदेशों से वह अपनी नैतिक उन्नति कर सकें इसके लिए धार्मिक उपदेश देने की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, इसी के साथ साथ उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि उनके जीवन स्तर का सुधार हो और वह शिक्षित हो सकें। इसी तरह से उद्योगों के क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जब वह जेल से बाहर आयें तो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपना काम करके अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सकें। उनको दस्त-

कारी के क्षेत्र में कालीन बनाने का काम, निवाड़ बनाने का काम, दरी, तम्बू एवं साबुन आदि बनाने के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण पाकर वह जब जेल से निकलेंगे तो अपने जीवन को और अच्छी तरह से गुजार सकेंगे। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ ने तम्बू उद्योग में इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही साथ जेलों में औद्योगिक क्षेत्र में 19 प्रतिशत वृद्धि हमने की है। अमीनाबाद स्थित जेल डिपो में 150 प्रतिशत अधिक सामान का विक्रय किया गया है तो यह एक नया कीर्तिमान है। इससे पता चलता है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं वह काफी कामयाब हुआ है।

इसी तरह से जो कृषि फार्म हैं वहां पर, बंदियों से काम लिया जाता है और उससे काफी गल्ले का उत्पादन हुआ है जो उन पर खर्च होता है। वह इसका उपभोग करते हैं। तो फार्मों को चला कर बंदियों के हित में बहुत अच्छा काम किया गया है। इसी तरह से घूरमा कैंप के बंदियों को सीमेंट फैक्टरी में इनको काम करने के लिये भेजा जाता है और इनको रोजाना 8.50 रुपया वहां पर मिलता है। इसी तरह से सितारगंज जेल में इनका बहुत अच्छा योगदान है जिससे कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काफी बढ़ावा उनको मिला है और जब सुरक्षा की व्यवस्था हमने महसूस करी तो जेल के समस्त अधिकारियों को यह आदेश दिए कि हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को आप करेंगे और यदि इसमें कुछ कमी पायी जाती है, या कहीं से कोई शिकायत आती है, तो उनसे जवाब भी हम तलब करते हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको ससपेंड भी किया जाता है।

श्री किरन पाल सिंह—

दिल्ली की घटना के बाद यह आदेश दिये हैं या इससे पहले।

श्री जैफर अली नकवी—

जब से मेरे पास यह विभाग है, तभी से यह आदेश दिए गये हैं और मान्यवर हमारी जेल रिफार्म्स कमेटी वर्ष 1983 में जस्टिस आनन्द नारायण मुल्ला की अध्यक्षता में गठित हुई थी, उस रिपोर्ट में कैदियों की सुविधाओं से संबंधित बहुत सी बातें थीं कि जेल के अंदर सुधार होना चाहिए, नैतिक शिक्षा, पढ़ाई, स्वच्छ भोजन और पानी तथा बिजली आदि की बहुत सी बातें थीं। इसके अंतर्गत हमने बहुत कुछ सिफारिशों को माना है और अभी भी कुछ पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। मान्यवर, इसी के साथ-साथ स्वच्छ शौचालय पेय जल की 26 स्थानों पर व्यवस्था की गयी। पहले वहां पर हाथ की चक्की का आटा इस्तेमाल होता था, अब मान्यवर, हमने विद्युत-चक्की की व्यवस्था की है, ताकि महीन आटा उपलब्ध हो और इससे इनके स्वास्थ्य बनें। तो मान्यवर, इस प्रकार से हमने बहुत कुछ जेल रिफार्म्स कमेटी की सिफारिशों को लागू किया है और जेल कर्मचारियों के आवास के बारे में जो बातें कही गयीं। तो आवास योजना के संबंध में भी हम पूर्णरूप से विचार कर रहे हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने जेल पुलिस कर्मियों अन्य पुलिस कर्मियों के बराबर भत्ता दिए जाने की मांग करी है, इस संबंध में भी हम तत्परता से विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, विभिन्न कारागारों में 7,479 सिद्धदोष बंदी थे, इनमें से 263 को प्रोबेशन पर मुक्ति दी गयी और 474 बंदियों को पैरोल तथा 379 बंदियों को अपने परिवार से संबंध बनाये रखने के लिए गृहअवकाश स्वीकृत किए गये। जिससे वह अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और इसके साथ-साथ हमारे जो प्रस्ताव हैं 1986-87 के उसके अंतर्गत किशोर बंदी गृह बनाने की बात भी प्रस्तावित है। इस व्यवस्था को हम शीघ् ही लागू करने जा रहे हैं ताकि जो छोटे बच्चे कभी किसी वजह से जेल में आ जाते हैं, उन पर अभ्यस्त अपराधियों का असर न पड़े। इसके साथ-साथ मान्यवर, हमारी जिला स्तर पर सब-जेल बनाने की योजना भी है, सबसे पहले हम दो जेल एक सहारनपुर जनपद में देवबंद में और इसी प्रकार से जनपद हमीरपुर के महोबा में यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बुलंदशहर में हमारे माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि उनके यहां का जेल शहर के अंदर आ गया है, जिससे वहां की पोजीशन खराब हो रही है, हमने इनके इस प्रस्ताव को भी माना है, और उस जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने जा रहे हैं, यह भी हमारा एक प्रस्ताव है।

साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे कर्मचारियों के लिए एक हजार मकानों के बनाने की घोषणा की है, इसको शीघ् ही पूरा कराने की हमारी योजना है। इसी उद्देश्य से अगले चार वर्षों में 1004 नये आवासों के बनने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दी है। इन आवासों का निर्माण कार्य भी वर्ष 1986-87 में प्रारम्भ किया जायगा। इसके अतिरिक्त 1,152 आवास अष्टम वित्त आयोग के माध्यम से प्राप्त अनुदान के द्वारा निर्मित किये जायंगे। इस प्रकार अगले चार वर्षों में 2156 आवास जेल कर्मियों के लिए उपलब्ध हो जायंगे, जिससे आशा है कि जेल प्रशासन को स्वच्छ एवं सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि अष्टम वित्त आयोग के माध्यम से लगभग 1.822 लाख रु0 का अनुदान भारत सरकार द्वारा अगले चार वर्षों के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। आशा है आप इस पर अपना सुझाव देंगे।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार), के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, बड़ी विडम्बना है कि सदा बहार जंगलों की सुरम्य घाटियों में कुलाचें भरने वाले मृग-छौने को आम सड़ी-गली, टूटी-फूटी जेल की दीवालों के बीच खड़ा कर दिया गया है। हमारे यहां कहावत है कि-आजादी से पूर्व जिन जेलों में हमारे देश के आजादी के योद्धाओं ने अपना घर, अपना परिवार और दुनियां के सभी आकर्षणों और आरामों का बलिदान कर भारत माता की मुक्ति का संकल्प लिया था और दुनिया के सामने शंखनाद कर कहा था कि 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।' वहीं आजादी के बाद देश के राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं ने राजनीति की दीक्षा ली है और अपने राजनैतिक जीवन का

विन्यास किया। आज भारत में उन जेलों की दशा देख कर रोना आता है। आजादी के बाद से लेकर आज तक जेलों की दशा में कुछ सुधार नहीं हो सका है। यदि हम रुपये का जो अब मूल्यांकन हुआ है, उसका हिसाब लगायें, वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसका हिसाब लगायें तथा कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन में जो वृद्धि हुई है, इन सबका हिसाब लगा लें, तो सन् 1952 से लेकर आज तक जेल का बजट लगभग एक सा ही रहा है, बल्कि सही बात यह है कि निरंतर घटता ही रहा है। इस बजट में कुल 15,79,70,000 रु0 दिया गया है। इसमें से 80 लाख रु0 भवन निर्माण पर चला जायेगा, कुछ रख रखाव पर चला जायगा, बाकी पैसे का हिसाब तीन साल का मैं दे रहा हूं। आप इनके आंकड़ों को देख लें, आप पायेंगे कि ये रकमें इधर-उधर की हेरा-फेरी के बाद लगभग बराबर रही हैं। वर्ष 1983-84 में वेतन अधिष्ठान पर 6,64,09,000 रु0, कारखाना पर 1,97,52,000 रु0, निर्माण पर 77,45,000 रु0, कंटिन्जेंसी पर 7,75,57,000 रु0। 1984-85 में वेतन अधिष्ठान पर 7,22,39,000 रु0, कारखाना पर 1,92,71,000 रु0, निर्माण पर 81,18,000 रु0, कंटिन्जेंसी पर 6,02,35,000 रु0। 1985-86 में वेतन अधिष्ठान पर 7,86,28,000 रु0, कारखाना पर 2,54,72,000 रु0, निर्माण पर 90,51,000 रु0, कंटिन्जेंसी पर 5,80,99,000 रु0।

मान्यवर, ये तो आंकड़े हैं, रख-रखाव, वेतन और व्यवस्था आदि के संबंध में, पर मान्यवर, बंदियों पर ये क्या खर्च करते हैं, उसके आंकड़े लें, तो एक बन्दी के भोजन पर रु0 3.40, दवाओं पर 17 पैसे, वस्त्रों पर 40 पैसे सफाई और रख-रखाव पर 14 पैसे अन्य व्यय पर 22 पैसे, प्रशासनिक व्यय पर 2.49 पैसे। इनका कुल व्यय 6.82 पैसे है। इनमें से प्रशासनिक व्यय में 2.49 पैसे निकाल दें, तो कुल 4.33 पैसे ये प्रति कैदी पर खर्चा करते हैं। अपने कर्मचारियों के ऊपर तो इससे भी कम खर्च करते हैं। अगर एक बंदी के खर्च को पूरी 7 रु0 मान लें तो एक बंदी परिवार रक्षक की संख्या 4 मान ली जाय, तो एक परिवार को 840 रु0 वेतन मिलना चाहिए, पर मान्यवर, 175 रु0 मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिलाकर यह कुल 500 साढ़े 500 रुपया महीना आता है।

(4 बजकर 10 मिनट)

अगर यह आंकड़े लिये जायं तो यह आंकड़े इस प्रकार हैं—भोजन पर 3 रु0 40 पैसे, दवा 17 पैसे, वस्त्र 40 पैसे, सफाई एवं रख-रखाव 14 पैसे तथा अन्य व्यय 22 पैसे और प्रशासनिक व्यय 2 रु0 29 पैसे हैं। इस प्रकार कुल व्यय 6 रु0 82 पैसे है। अब इसमें से यदि 16.49 पैसे प्रशासनिक व्यय निकाल दें तो कुल 4 रु0 33 पैसे एक बन्दी के ऊपर खर्च करते हैं और मान्यवर यह जेल के कर्मचारी को जो तन्खवाह देते हैं यदि वह देखें तो बहुत ही भयानक आंकड़े सामने आने वाले हैं। एक आदमी का खर्चा 6 रु0 22 पैसे है और यदि एक आदमी के परिवार की संख्या 4 सदस्य की मान ली जाय तो कुल जोड़कर 840 रु0 पड़ता है। इस हिसाब से जेल के बन्दी के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं उस हिसाब से 4 सदस्यों के परिवार वाले एक व्यक्ति को 840 रु0 तनख्वाह मिलनी चाहिए और

यह दे रहे हैं 175 रु0 मूल वेतन उसमें डी0 ए0 वगैरह मिलाकर मिलता होगा 500 रु0 या 700 रु0 के करीब मिलता होगा । इस प्रकार वहां के कर्मचारियों से ज्यादा बन्दियों के ऊपर खर्चा किया जाता है । इस बारे में अब तक जितनी भी स्थिति सामने आई है उसको देखें ।

मुल्ला जो एक बहुत बड़े जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई है । अब भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कह दिया है कि उस रिपोर्ट को मान लें । उस रिपोर्ट के चैप्टर 24 पेज 288 पर लिखा हुआ है कि जेल के कर्मचारियों की तन्ख्वाह पुलिस के समान होनी चाहिए । उसमें जेल वार्डन का पद पुलिस कांस्टेबिल का और हेड वार्डन का पद हेड कांस्टेबिल का और सहायक अधीक्षक का पद पुलिस सब इन्सपेक्टर का और अधीक्षक को पुलिस इंसपेक्टर का पद दिया जाय । यह उन्होंने कहा है लेकिन यह सब कहने के बाद आज तक उस रिपोर्ट के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया । मान्यवर, अब इसके बाद भवनों की स्थिति के ऊपर आते हैं । भवनों की स्थिति आज सबके सामने जाहिर है । वहां पर शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है । सफाई के नाम पर सिर्फ दीवालों की रंगाई पुताई करके आप अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं । माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम और आप एक साल जेल में रह लें तो मैं तो टूटा फूटा वापस लौट आऊंगा लेकिन आपकी क्या स्थिति होगी ।

मान्यवर, आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है और 113 करोड़ रु0 की मांग की है उसमें से कितना मिलेगा ? कितना नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं ? मान्यवर, इन्होंने बन्दियों की संख्या बताई कि बहुत है । मान्यवर, सभी जेलों की कुल क्षमता 32,633 है और 2,772 कैदी बन्द हैं । यह कृपा कर रहा है पुलिस विभाग और न्याय विभाग जिससे जेल के अन्दर बन्दियों की संख्या ज्यादा नहीं हो पाती है । जो दोषसिद्ध बन्दी आते हैं उनकी संख्या निरन्तर कम होती जा रही है । यह 1983 में 9,661 थी, 1984 में 8595 और 1985 में 7693 थी । इस तरह यह पुलिस और न्यायालयों की दया दृष्टि से जेलें चल रही हैं । बाहर अपराध बढ़ रहे हैं और जेल में अपराधी कम हो रहे हैं । पहले तो पुलिस पकड़ती ही नहीं है अपराधियों को और अगर पकड़ भी लेती है तो न्यायालय मेहरबानी कर देते हैं । नये बन्दियों की संख्या पहले की अपेक्षा घटी है । घटने का कारण यह है कि जो दोष सिद्ध कैदी होते हैं, उसमें यह हो गया है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है । पुलिस गरीब लोगों को बन्द करती है । अदालत में भी गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है । मान्यवर, यह जो पुस्तक 83 में लिखी गयी है । इसमें भरतपुर जेल के एक बन्दी को फांसी की सजा हुई है । उसने अपनी फांसी का कारण क्या बताया है यह मैं बताना चाहता हूं । "वी आर इन्नोसेन्ट बट वी आर पूअर । सो वी आर हीयर वेटिंग टू डाई । नो वन विल सेव अस । नो वन वान्ट्स टू ।" उसका कहना है कि हम गरीब हैं इस-

लिये जेल में आये हैं, हम गरीब हैं इसलिए दुनिया का कोई आदमी हमें नहीं चाहता है, यहां तक कि खुदा भी हमको नहीं चाहता है । यह कारण है, दुर्दशा की हालत गरीबों की कर दिया जेल में । उत्तर प्रदेश के किसी जेल के आंकड़े मंगा लीजिये जितने जेल में बन्दी हैं, आपको मालूम हो जायेगा कि असली तस्वीर क्या है । आगरा के जेल में मैं कई बार गया हूं और हमने वहां पूछा तो लोगों ने बताया कि हम लोगों के पास अदालत में मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं था इसलिए हम जेल में बन्द हैं । हमने अदालत में खड़े होकर मान लिया कि हमने जुर्म किया है । हमारे पास 10 हजार मुकदमों पर खर्च करने के लिए नहीं था । मेरी चुनौती है मन्त्री जी अगर पूरे प्रदेश की जेल में ढूंढ़ें तो आपको एक भी असली अपराधी नहीं मिलेगा, जिसने अपराध किया हो । सब गरीब लोग जेलों में बन्द हैं ।

मान्यवर, अब मैं अस्पतालों के बारे में बताना चाहता हूं । अस्पतालों को तो मैं कहूंगा कि यह डाक बंगले हैं जितने बड़े अपराधी हैं, जो बड़े-बड़े गुण्डे हैं, उनको अस्पतालों में चारपाई, बिस्तर और नौकर मिलता है । चपरासी मिलता है । यह अस्पताल जेलों के डाक बंगले हैं । डाक्टर वहां कभी नहीं बैठता है । मैं खुद अपनी आप बीती बताना चाहता हूं । हम लोग आगरा जेल में गये थे, हम लोग जिस दिन जेल से छोड़े गये, हम लोगों का वेट लिया गया और लम्बाई नापी गई और हम लोग छोड़ दिये गये । डाक्टर वहां था नहीं, अन्दाज से हम लोगों का वेट और लम्बाई डाक्टर ने लिख दिया । माननीय मंत्री जी अगर इसको प्रमाणित करना चाहें तो तथ्य मौजूद हैं । आप सूचना मंगवा लें और उन लोगों को बुला लें, उनका वेट तो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन लम्बाई तो घटी, बढ़ी नहीं होगी, आप देख लें । अस्पतालों में दवा बेची जाती है । खाने पीने का सामान बेंचा जाता है । अस्पतालों में 56 रुपया प्रति सप्ताह फल, दूध, दवा सब चीज बिकती है । सप्तम वित्त आयोग ने सिफारिश की कि कूलर लगा दिया जाय । गुण्डों को हवा खाने के लिए आप कूलर लगा रहे हैं । चार्ल्स शोभराज के मामले में क्या हुआ है, अब भी आपकी आंख नहीं खुल रही है । तिहाड़ जेल से भागने के तथ्य क्या हैं । जो तथ्य आज सामने आ रहे हैं, वह सब इस पुस्तक में हैं, जो सन् 83 में लिखी गयी है ।

जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं था उसके पहले एक समय था जब समझा जाता था कि अपराधी पेट से ही जन्म लेकर आता है । पूर्व जन्म के संस्कार से मानव-क्रिया व्यापार से विकसित होता है किन्तु मनोविज्ञान की आधुनिकतम खोजों ने इस मान्यता को निराधार कर दिया और अब अवधारणा पैदा हुई कि मनुष्य मूलतः अपराधी नहीं है । परिस्थितियां वातावरण व्यक्ति को अपराधी बनाता है । सामाजिक वातावरण और परिस्थितियां अपराधियों की संरचना करती हैं ।

इसलिये महात्मा गांधी ने, पूज्य बापू ने नारा दिया था कि अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं और उसी परिकल्पना के ऊपर हमने सोचा था कि हम हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी जेलें स्थापित करेंगे कि जिससे परिस्थितियों में फंस कर जो अपराधी बन गये, वह व्यक्ति अपनी अपराधी मनोवृत्ति को छोड़कर एक सभ्य

और सम्भ्रान्त नागरिक बनकर निकलें। आपने किया क्या है ? आंकड़े देकर आप जो चाहें कह लें, लेकिन जेलों की मूल संरचना को देखें कि जेल में एक भला आदमी पहुंच जाय तो एक माह के अन्दर वह छीवराम और मानसिंह बनकर निकलेगा। जेलों में गुण्डे तैयार किये जाते हैं। मैं आंकड़े देना चाहता हूं कि स्थिति क्या है। इसी पुस्तक में लिखा है तिहाड़ जेल के बारे में साफ-साफ लिखा है कि "करप्शन इन दि जेल इज ए थ्री टियर सिस्टम इट स्टार्ट्स एंट दि आफिसियल्स लेवेल एण्ड इज राउटेड थ्रू दि हारडेंड क्रिमिनल्स टू दि आर्डिनरी प्रिजनर इन दिस "सैटिंग" दि मिडिलमैन आर दि हार्डेन्ड क्रिमिनल्स।" यह एक लम्बी रिपोर्ट है जो पूरी मैं पढ़ नहीं सकता, समय कम है। जेलों में तीन तरह से अपराध चलता है। अफसर से शुरू होता है और उसमें कर्मचारी तक इन्वाल्व होते हैं। वहां शराब और हेरोइन जाती है और दुनिया के जघन्य से जघन्य काम जेल की चहारदीवारी में होते हैं। उसको आज तक कोई रोक नहीं पाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप काफी देर बोल चुके हैं केवल 45 मिनट का समय है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, 45 मिनट का समय कम है। अभी तो शुरू किया है। आप लाल बत्ती बुझा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति ने 45 मिनट तय किया है। उसी में खत्म होना है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, इनके यहां उद्योग चलते हैं। इनके यहां दो विभाग चलते हैं कृषि और उद्योग। मिर्जापुर में एक फार्म है कृषि का, वहां पर खेती होती है। उसके लिए संपूर्णानन्द, सितारगंज में 250 एकड़ की जमीन है। फिर घाटी की बढ़िया जमीन है जो बड़ी मूल्यवान है। वहां की पूरी की पूरी खेती समाप्त होती जा रही है। वहां उस फार्म पर कैदियों से जो काम कराया जाता है उसकी मजदूरी दी जाती है 50 पैसे पर हेड। फिर भी वह घाटे में चल रहा है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि कुछ नहीं कर सकते तो वहां की खेती को अपने बंदियों को दे दीजिये और उस पर बंदियों और कर्मचारियों से सहकारिता के आधार पर चलावें और उसमें उनका शेयर कर दें तो वहां पर घाटा नहीं होगा।

मान्यवर, इन्होंने जो खेती के आंकड़े दिये हैं, झूठे हैं। मान्यवर, इसके अलावा उद्योग भी चलते हैं। आंकड़े दे दिये कि सफलता से चल रहे हैं। लेकिन मान्यवर, वहां पर एक दरी या कम्बल नहीं बनते। मान्यवर, आंकड़े ले लें या डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट ले लें, सन् 80 से 84 के बीच में वहां एक उद्योग निरीक्षक हैं डी0 के0 दीक्षित साहब उन्होंने पूरे डिपार्टमेन्ट को बिना जानकारी कराये अपने कमीशन के लिए कम्बल खरीद लिये जो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं और उनका उपयोग नहीं हो रहा है। दरियां खरीद लीं, जो पड़ी सड़ रही हैं और उनका उपयोग नहीं हो रहा है। मेरे पास उस आदेश की फोटोस्टेट प्रति है जिसमें कहा गया है अधिक शीत के कारण मांग की गयी है। मान्यवर, आप देखें कि 83 लाख के कम्बल खरीद लिये,

50 लाख की दूसूती खरीद ली और 10.52 लाख की दरियां और 7 लाख के बक्से पड़े सड़ रहे हैं और उनका उपयोग नहीं हो रहा है। फिर भी विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। कुछ नहीं हो पा रहा है। न उन बंदियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, न जेलों के रखरखाव पर धन खर्च कर रहे हैं, वहां भ्रष्ट अधिकारी बैठे मौज मार रहे हैं। जेल के सारे कर्मचारी, अधिकारी वहां के पैसे को लूट कर खा रहे हैं। जेलों की स्थिति मुर्दाघर से ज्यादा गयी बीती स्थिति में है। आप बंदियों को संभ्रान्त नागरिक बनाना चाहते हैं एक अच्छे आदमी की श्रेणी में लाना चाहते हैं उसमें सुधार करके।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राणा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री विजय सिंह राणा—

आपके जेल हैं 66, जो आपकी नयी परिकल्पना है कि व्यक्ति आपराधिक परिस्थितियों से बनता है, उस आधार पर जो जेलें बनी हैं, 5 प्रकार की जेलें हैं। आप देखें मान्यवर, बंदियों में सुधार की बाबत जो कार्य किया जा रहा है घुमरा, मिर्जापुर में तो बंदी सीमेन्ट फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको दो ढाई रुपये मजदूरी मिलती है और जो सितारगंज में कृषि कार्य करते हैं उनको 50 पैसे मजदूरी मिलती है। उस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि बाल सुधार विद्यालय, लखनऊ विगत कई वर्षों से बन्द पड़ा है, वह भवन भी टूटकर गिरने की स्थिति में है। उसके इसमें फर्जी आंकड़े पेश किये जा रहे हैं। किशोर सदन बरेली में 32 बच्चे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि यह सदन भी अगले साल तक टूट जायेगा। आदर्श जेल, लखनऊ में कुछ ठीक से काम चल रहा है। नारी निकेतन जो है उसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां शाम की पाली से 6 बजे से ड्यूटी शुरू हो जाती है और वहां का फाटक बन्द हो जाता है अगले दिन सुबह 8 बजे तक। मान्यवर, वहां जो महिलायें काम करती हैं वह अपने बच्चों अपने परिवार को छोड़कर आती हैं वह औरतें भी चारदीवारी में जाकर बंद सी हो जाती हैं।

मान्यवर, वहां मसाले का काम होता है। आगरा के केमिकल परीक्षण गृह में उसका परीक्षण किया गया, विजिलेंस ने जांच की है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि मसाला खाने योग्य नहीं है यहां का। लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट पर विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय राणा जी ने माननीय मंत्री जी के कुछ शक्ल की, कुछ इनकी खूबसूरती की बात कही। मान्यवर, मैं भी कह सकता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारा यह मिनिस्टर अपने चरित्र में, अपने किरदार में, अपनी शक्ल सूरत में, कहीं बड़े लोगों से, अगर यूं भी कहूं कि राम से मिलता

हैं, तो गलत नहीं हैं । मान्यवर, जिस दिन राज्यपाल महोदय का यहां अभिभाषण था, सब ही ने देखा कि माननीय राणा जी ने एक दस पैसे का कागज का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाकर यह बताया था कि उनका असली चेहरा क्या हैं ।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल एक दिन जब यहां गिरोहबंदी विधेयक पेश हो रहा था, उस दिन बिल्कुल एकदम ऐसे कह रहे थे जैसे गोया कोई विधेयक यहां पेश नहीं हो रहा हैं बल्कि शराफत और इंसानियत को कोई खतरा पेश हो गया हैं । कटौती का प्रस्ताव राणा साहब ने पेश किया तो वही दृश्य फिर सामने था और लगा कि शराफत और इन्सानियत फिर खतरे में आ गयी हैं । आप इतने परेशान और चिन्तित नजर आये, हमें यह लगा कि उस दिन भी आपकी चिन्ता सही थी और आज भी सही हैं । अगर आदमी शराफत और उसूलों को अपना ले और अपने को ऊंचा करे, वह सब करने की कोशिश करे जो इन्सानियत की तरक्की के लिए जरूरी हैं तो जिन खतरों से आप दो-चार होते हैं, वे पेश नहीं आयेंगे । माननीय मंत्री जी ने जेल में सुधार, कैदियों के लिए पानी, कम्बल, सीवर, लैट्रीन इत्यादि की उचित व्यवस्था इत्यादि करने में जो काम किया हैं, वह तारीफ के काबिल हैं और प्रशंसनीय हैं । मंत्री जी के इन तमाम इन्तजामात में जो कमियां थीं, जो आप अपनी तरफ से सुझाव देना चाहते थे, आपने नैतिकता का भाषण ज्यादा दिया हैं, सुझाव प्रस्तुत नहीं किये हैं । मैं अगर कहूं कि कटौती का प्रस्ताव ही इस लायक नहीं था कि माननीय सदन का समय लगाया जाय और बहस करने के लिए समय बरबाद किया जाय ।

मैं अपने सामने बैठे हुए वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह करूंगा कि चूंकि आप बहुत अच्छे तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं, इसलिये सदन का समय ज्यादा नष्ट न करें । मैं माननीय मंत्री जी का इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी तरक्की का काम कर रहे हैं, वह अपनी जगह बहुत सही हैं लेकिन जेलों में जो सप्लाई के नाम पर तमाम रोशनी, पानी और गल्ला जाता हैं और जो तमाम चीजें जेलों में पहुंचती हैं, उससे जेल के कैदी को सेहत मिलना चाहिये, फायदा मिलना चाहिये । इस बात पर ध्यान रखिये कि जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट और जेलर मोटे न होते चले जायं और कैदी को फायदा न पहुंचे । मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया, मैं इसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

"जेल" शब्द जितना ही भयावह हैं, उतना ही महत्वपूर्ण भी हैं । देश के तमाम बड़े नेता से लेकर श्री कृष्ण से लेकर चोर उचक्के और समाज के सज्जन आदमियों का स्थान जेल हैं । इसलिए जेल बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हैं । इसकी उपेक्षा लगातार हो रही थी, शासन की तरफ से तो हमेशा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की जाती रही है, जब कि हर राजनीतिक आदमी जेल में आता-जाता रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितना जेल के बजट पर पैसा खर्च होता है, क्या कभी इस बात का भी पता लगाया जाता है कि बन्दियों के रहन-सहन पर भी इसका कोई असर पड़ता है या नहीं, जेल से बाहर आने पर उनमें क्या सुधार हुआ है या नहीं हुआ है ? जिन अपराधी प्रवृत्तियों के कारण उनको जेल में बन्द करना पड़ा था, उसमें कमी आयी है या और बढ़ोत्तरी हो गयी है, इसका ध्यान रखना चाहिए और इसे विशेष तौर से देखना चाहिए, जबकि सर्वथा इसका अभाव हो गया है । दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जेल में दो-तीन बातें वृहत् रूप से विचार करने की हैं । एक तो सफाई, दूसरे पीने का पानी, तीसरे शौचालय और चौथा कपड़ा । यह चारों बातें ऐसी हैं जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । हम लोग भी जेल में रहे हैं वहां जो बन्दी जाते हैं उन्हें कपड़ा साफ करने के लिए साबुन का पूर्णतया अभाव रहता है । हफ्ते में कभी-कभी एक आध बार साबुन दिखाई पड़ जाता है । कपड़े भी चिथड़े रहते हैं । कम्बल में जूं इतनी रहती है कि पता ही नहीं चलता है कि यह कम्बल जूं से बना है या धागे से बनाया गया है । वहां लोगों के रहन-सहन की व्यवस्था अच्छी नहीं है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी राणा जी ने कहा कि जेल के कर्मचारियों का वेतन, जेल के वार्डन और पुलिस का वेतन बराबर होना चाहिए । मुल्ला कमेटी की संस्तुति लागू करने के सम्बन्ध में कोई विचार सरकार ने नहीं किया जबकि इसके लिए तीन लोगों की एक उप समिति भी बनायी गयी थी उसने अपेक्षा की थी कि 6 महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को दे दें, लेकिन वह भी अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं दे पायी । इस देश के 14 प्रदेशों में जबकि उसकी संस्तुतियां लागू कर दी गयी हैं लेकिन सबसे बड़ा प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश है इसमें उसकी संस्तुतियों को पता नहीं किन कारणों से लागू नहीं किया गया है ।

देश में असामाजिक तत्वों की और घातक हथियारों की बढ़ोत्तरी है जेल से बाहर फांद कर लोग भाग रहे हैं । बलिया में जो डाकू जेल से भागा था उसे अभी-अभी मारा गया है । चार्ल्स शोभराज की घटना अभी की आपके सामने ही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

इस तरह से मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जेल के वार्डन को आधुनिक हथियार से लैस करना चाहिये । उनकी दुर्गति को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन में भी बढ़ोत्तरी करनी चाहिए ।

एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि आप भी राजनैतिक हैं और जब राजनैतिक आदमी जेल में जाते हैं तो वहां पर ए, बी, सी क्लास को लेकर बराबर झगड़ा होता रहता है । खाने में मक्खन और रोटी के लिए मार-पीट हुआ करती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सी,

बी और ए क्लास को समाप्त करके सबको एक क्लास में ही मर्ज कर दें जिससे कि सारी विसंगतियां दूर हो जायं । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह तो औपचारिकता है । मान्यवर, न तो उत्तर में कटौती का समर्थन हुआ और न कोई प्रस्ताव के समर्थन में ही बोला । इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अपने प्रस्ताव को वापस ले लें । जब कभी टाइम होगा तो आप कटौती का समर्थन करवा दीजियेगा और फिर मैं इसे पास करवा दूंगा । जेलों में टट्टी की, पानी की और बिजली की व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, अभी तक 36 जेलें ऐसी हैं जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, 35 जेलों में फ्लश की टट्टी की व्यवस्था नहीं है और 29 जेलों में बिजली नहीं है । आपने पिछले बजट में वादा किया था, लेकिन आज तक आप आपने वादे को पूरा नहीं कर पाये । मान्यवर, हर जिले में भ्रष्टाचार है । खुले आम फीस ली जाती है, 13 रुपये दरवाजे पर लिये जाते हैं, 5 रुपये अन्दर जाने वाला बुलाने के लिए लेता है, 2 रुपये चुंगी का लिया जाता है और 5 रुपया ड्यूटी बंदी रक्षक फीस है, इस प्रकार से कुल 25 रुपया लिया जाता है । यह फीस बन गयी है । अस्पताल में भर्ती होने के लिए 50 रुपया लिया जाता है, अच्छा खाने के लिये 5 रुपया लिया जाता है, 15 दिन के आधा किलो दूध के लिये 50 रुपया लिया जाता है और काम से बचने के लिए 65 रुपया फीस ली जाती है । तो इसको एक प्रकार से फीस के रूप में कायम कर दिया गया है ।

मेरा सुझाव है कि आप नाई की व्यवस्था कर दें । आपने कहा था कि 30 जेलों में नाई की व्यवस्था की जायेगी लेकिन अभी तक नहीं की गयी है । आप कर्मचारियों को रख दें, यह चीजें कर दें तो बड़ी सुविधा हो जाये । मान्यवर, जेल मैनुअल न मालूम कब लिखी गयी और आज तक पता नहीं है उसका क्या हुआ है, उसको सामने लाया जाये और हर बन्दी को मालूम होना चाहिए कि उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं ? न बंदी जानता है और न कर्मचारी जानता है, एक आदमी छड़ी लिये बैठा रहता है, जो वह कहता है, वही होता है । दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि मुल्ला कमेटी की संस्तुतियों को लागू किया जाये । जेलों में जो वार्डर होते हैं उनको साल में 90 दिन अधिक काम करना पड़ता है, 12 महीने के बजाये उनको 13 महीने की तन्खवाह जरूर मिलती है, फिर उनको 62 दिन अधिक काम करना पड़ता है । उनको पुलिस से कम तनख्वाह मिलती है, इस अन्तर को मिटाया जाना चाहिए । जब श्यामलाल वाजपेई जी मंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उसका अभी तक पालन नहीं हुआ है । मान्यवर, जेलों में बहुत सी रिक्तियां हैं अधीक्षक केन्द्रीय कारागार 4, अधीक्षक जिला कारागार 4, अपर अधीक्षक 11, उपाधीक्षक 7, कारापाल 1, उप कारापाल 52, सहायक कारापाल 24, लेखाकार 1, लिपिकीय वर्ग 50 और कम्पाउन्डर 54 । आपके तीन रेन्ज के डी0 आई0 जी0 के खिलाफ विजिलेंस की जांच हुई, एक के खिलाफ रिपोर्ट आ गयी है और दो ने उसको दबवा दिया है । 24 सीनियर

अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस की रिपोर्ट हैं, उसको निकलवाना चाहिए । जो छोटे अधिकारी हैं, उनको छोटी सी गलती पर हटा दिया जाता हैं । आगरा में एक जेल वार्डन को हटा दिया गया, केवल उसने एक दिन अनियमितता की थी, जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं और जिनके खिलाफ विजिलेंस की रिपोर्ट हैं, उनको नहीं हटाया जाता हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री जफर अली नकवी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन किया और कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया । माननीय राणा जी ने बड़ा तेजस्वी भाषण दिया, उसको हर कोई नहीं समझ सका, लेकिन फिर भी मैं उनकी कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं । कम्बल की खरीदारी के सम्बन्ध में यहां पर कहा गया, उसमें हमारा जो ग्रामीण खादी बोर्ड हैं राज्य सरकार के प्रतिष्ठान के रूप में उसी से किया गया हैं, यह प्रत्याशित मांग के विरुद्ध होने के कारण कहीं कमीशन का कोई सवाल यहां नहीं पैदा होता । दूसरे यह सुविधा श्री गांधी आश्रम को प्रदान की गयी क्रय की, इसमें कहीं कमीशन की बात हमारे सामने नहीं हैं । मसाले की शिकायत इन्होंने करी यह महानिरीक्षक द्वारा स्वयं प्राप्त हुई हैं और इसमें जो एनालिसिस की रिपोर्ट हैं यह 15-3-86 को आ गयी हैं जिस पर कार्यवाही करने जा रहे हैं । नाई के बारे में कहा गया तो 30 कारागारों में नाई की व्यवस्था हमने कर दी हैं बाकी विचाराधीन हैं जो रिक्त पद की बात कही राणा साहब ने उस पर हमने लोक सेवा आयोग से परमीशन मांगी हैं हमें आशा हैं कि जल्दी ही वह आ जायेगी और यह हो जायेगा । जो वार्डन की बात कही गयी तो उन्हें 330—495 दे रहे हैं और 81.6 भत्ता दे रहे हैं । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सब्जी का व्यय उनसे नहीं लिया जाता हैं क्योंकि वह जेल से उपलब्ध होता हैं ।

इस प्रकार बन्दियों की खुराक की दरें व सुविधाएं इस प्रकार हैं—भोजन पर व्यय 3.40 पैसा, दवाओं पर 17 पैसा, वस्त्र पर 40 पैसा, सफाई तथा रख-रखाव पर 14 पैसा, अन्य व्यय 22 पैसा तथा प्रशासनिक व्यय 2.49 पैसा हैं । राणा साहब ने जो पानी की, भ्रष्टाचार की, नाई की यह सब बातें कहीं हैं हम उन सब पर विचार कर रहे हैं । जो मुल्ला कमेटी ने 1983 में रिपोर्ट दी हैं उसमें हमने बहुत कुछ किया हैं, 50 प्रतिशत काम कर लिया हैं और बाकी को जल्दी ही कर रहे हैं । हमें आशा हैं कि जेल के सम्बन्ध में जो सुझाव हैं कटौती के प्रस्ताव में उनमें जो मुमकिन हो सकते हैं उनको अवश्य करेंगे और इस सम्बन्ध में मैं आशा करता हूं कि राणा साहब का जो कटौती का प्रस्ताव हैं उसको वह वापस ले लेंगे जिससे जेल के सुधार में कामयाबी मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह हैं कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 15, 79,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11,42,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो शब्द मुझे इस बजट के सम्बन्ध में कहना है । यद्यपि यह एक ऐसा बजट है जिसमें मैं यह उम्मीद करता था कि विरोध पक्ष जो है वह इस पर कटौती का प्रस्ताव नहीं देगा किन्तु वह तो एक आदत की बात है चाहे अच्छी बात हो या खराब बात हो, सबका विरोध करना ही है । मैं यह बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि शासन ने 1 अप्रैल, 1986 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है । इस पर मेरे लायक माननीय सदस्य कह सकते हैं कि 300 रुपये कम है लेकिन एकाएक 100 रुपये बढ़ाया जाना बहुत बड़ी बात है । यह पालिटिकल पेंशन जब शुरू हुई थी तो उस समय यह 15 रुपये थी । 15 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपया हुई । फिर बढ़ते-बढ़ते 100 रुपये हुई, फिर 125 रुपये हुई, फिर 200 रुपये हुई और अब 300 रुपये पर आ गई है । यह हमारे शासन की बड़ी उपलब्धि है और इसके लिये हमारा शासन, हमारे मंत्रीगण और माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

इसके अतिरिक्त हमारी एक और उपलब्धि है । माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने एक सेवा सदन लखनऊ में स्थापित किया है । जिन सेनानियों का कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रित नहीं है उनकी हम सेवा कर सकें इसीलिये हमने उनके रहने के लिये एक सेवा सदन बनाया है । उसमें 25 सेनानी रहते हैं जिन्हें भोजन आवास पढ़ने के लिये अखबार, पत्रिकाओं, देखने के लिये टी0 वी0 और दवाओं आदि में ये सब चीजें उपलब्ध हैं । मैं तो विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वह लखनऊ में ही है वहां आप जाकर देखें कितनी अच्छी व्यवस्था वहां पर है ।

इसके अतिरिक्त तीसरी जो उपलब्धि इस समय इस विभाग ने की है वह यह

हैं कि शहीद स्मारकों का निर्माण कराया जा रहा है—

"निज पूर्वजों के सतगुणों का ध्यान
जो रखती नहीं,
वह जाति जीवित जातियों में रह
कभी सकती नहीं ।"

शहीद स्मारक इस वर्ष 7 बनाये जा रहे हैं जिनमें कुछ बनकर तैयार हो गये हैं । एक शहीद स्मारक कुम्हाड़ (अल्मोड़ा) में बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन भी हो गया है । दूसरा शहीद स्मारक चौरीचौरा (गोरखपुर) में है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि चौरीचौरा वह स्थान है जिसने इस देश के इतिहास को नया मोड़ दिया था । सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्य इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं । एक शहीद स्मारक काकोरी में बनाये जाने के लिये पैसा सैंक्शन हो गया है और उस पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है । एक शहीद स्मारक मुंशीगंज में बनाया जा रहा है । यह वह स्थान है जहां स्वराज्य की लड़ाई और समाजवाद की लड़ाई एक साथ शुरू की गई थी । मुंशीगंज में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और राय बरेली के लाखों किसान इकठ्ठा हुये थे जिनपर अन्धाधुन्ध गोलियां बरसाई गई थीं । इसके अलावा एक शहीद स्मारक मोहमदाबाद (गाजीपुर) में बनाया जा रहा है जिसमें कार्य प्रारम्भ हो गया है । मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह वह स्थान है जहां पर 18 अगस्त, 1942 को जब जनता ने तहसील को घेर लिया तो अंग्रेज फौजों ने और पुलिस ने वहां पहुंच कर कहा कि अगर कोई झंडा लगाना चाहता है तो अकेले आये । पहले एक आदमी झंडा लेकर गया तो जैसे ही वह तहसील की इमारत पर पहुंचा तो उसे गोली मार दी गयी और वह वहीं पर गिर गया फिर अंग्रेज कप्तान ने इसी तरह कहा तो 9 आदमी एक के बाद एक करके झंडा लेकर वहां गये, विश्व के इतिहास में ऐसी सहादत कहीं नहीं मिलती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह स्थान गरिमा और पूजा का स्थान है जहां पर स्मारक बनाने की स्वीकृति दी गयी है और वह बन कर तैयार हो रहा है ।

चन्द्रशेखर आजाद स्मारक इलाहाबाद में बना हुआ है उसे और बड़ा और सुन्दर बनाने का काम आरंभ कर दिया है । इसी तरह ठाकुर जसवंत सिंह, बांगरमऊ, उन्नाव में बन रहा है । दूसरा राव रामबक्श शहीद स्मारक, बक्सर उन्नाव में बन रहा है । 1957 में अंग्रेज फौज लेकर वहां गये और उनके मकान पर जो बरगद का पेड़ लगा हुआ था उस पर उनको लटका दिया गया । तो उस फांसी के स्थान पर शहीद स्मारक बन रहा है, जिसको देखने के लिये मैं भी वहां गया हूं ।

इस तरह शासन की इच्छा ही नहीं तमन्ना है कि जहां-जहां पर एक शहीद ने भी अपना खून गिराया है वहां पर शहीद स्मारक बने । इस संबंध में मैं सारे माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि उनके यहां सहादत हुई है तो वह उसे शासन को बतायें । इसके लिये हमने जिलाधिकारियों को भी लिखा है कि उनके जनपद में कोई शहीद हुआ है तो उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायें । लेकिन आपके द्वारा दी हुई सूचना का हम अधिक स्वागत करेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

बलिया में भी बताइये ।

श्री रामनरेश शुक्ल—

आप सूचना देंगे तो वहां भी जरूर बनेगा ।

माननीय, एक बात और जरूरी है जो मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को जो उम्र में 5 वर्ष की जो छूट दी जाती थी वह दिसम्बर, 1985 में समाप्त हो गयी थी उस पर हमारे शासन ने निर्णय लिया है कि इसको 1992 तक कर दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आखिर में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विवाह के लिये 4 सौ लोगों को उनकी लड़कियों के लिये अनुदान दिया गया है, चिकित्सा अनुदान 203, श्रवण यंत्र दांत चश्मा आदि के लिये 1344 तथा अन्य अनुदान 52 लोगों को तो इस प्रकार यह अनुदान 1999 लोगों को 28 फरवरी, 1985 तक दिया जा चुका है । माननीय, इस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या 20 हजार से ऊपर है ।

अंत में मैं सभी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारी बातों का ध्यान से सुना और जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे उन पर हम गंभीरता से विचार करेंगे ।

माननीय, अब मैं कहना चाहूंगा कि इतने अच्छे काम में आप अपनी कटौती न पेश करते तो एक ऐतिहासिक बात होती ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय, मेरा निवेदन है कि यह बजट जो पेश है यदि डेढ़ गुना कर दें तो हम अपने कटौती को वापस लेते हैं और सर्वसम्मति से पास कर दिया जाय ।

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय, निश्चित रूप से यह ईमानदारी की बात और सच्चाई की बात है कि उधर से एक साथी चीख रहे थे कि कटौती का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए । मैं स्वयं समझता हूं कि जिन देश के सपूतों ने अपना तन, मन, धन न्यौछावर करके, अपना शरीर का त्याग करके इस देश को अन्तिम मंजिल तक पहुंचाया, जिनके खून और पसीने से बलिदानों की कहानी लेकर, बलिदानों के सहारे खेतों से उठकर विधानसभा और सचिवालय तक आये, उनकी स्मृति में उनकी सुविधा में, उनके सत्कार में जो कुछ कर सकते हैं उसको हमको करना चाहिए । यह देश और प्रदेश उन परम्पराओं का देश है जहां मरे हुए पितरों का तर्पण किया जाता है और उनकी श्रद्धा में श्राद्ध रचाया जाता है, वहां उन शहीदों और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से इस देश को आजाद कराया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया उनके लिये जो कुछ हम कर सकते हैं वह करना चाहिए । इसलिये कटौती का प्रस्ताव रखते हुए मुझे स्वयं संकोच हो रहा है ।

मान्यवर, आपने प्रयास किया और पेन्शन बढ़ा दिया, आपने तय कर दिया कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को पास बसों में चलने के लिये दिये जायेंगे, यह भी तय किया कि लड़कियों के लिये विवाह के लिये 3 हजार रुपये देंगे, यह भी तय किया कि उनके आश्रितों को नौकरियों में, दुकानों में और अन्य कामों में प्राथमिकता दी जायेगी, तो यह सब आपने ठीक किया है और जो सुविधायें दी हैं वह ठीक है, यह आपका, हमारा, देश और समाज का कर्तव्य था जिसको पूरा किया गया।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने जो यह सुविधायें दिया है उनसे पेट और शरीर की ज्वाला शान्त होगी, लेकिन इस देश की धरती की मिट्टी में से जो करोड़ों लोग हर साल पैदा होंगे उनकी मानसिक संतृष्णा पैदा करने के लिये, बौद्धिक संतृष्णा बढ़ाने के लिये अपने सही सिस्टम बनाने की बात उनसे होने वाली नहीं है। चूंकि आज देश कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है और पुरानी परम्परायें मिटती जा रही हैं, पुराने संस्कार बदलते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आज आवश्यक है देश के ऊपर बलिदान होने वाले जवानों, शहीदों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये जो कुछ हो सकता है किया जाये जिससे भावी पीढ़ी जिनको देश का निर्माण करना है, उनके आदर्शों को सामने रखा जाना चाहिए जिनसे भावी पीढ़ी प्रेरणा ले।

माननीय मन्त्री जी आप आजादी की लड़ाई से निकले हुए व्यक्ति हैं, कालेज छात्र संघ से निकले हुए मन्त्री हैं, इस लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हर जिले के स्तर पर एक पुस्तक का प्रकाशन होना चाहिए जिसमें उस जिले के सारे स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लेने वालों सेनानियों का जीवन परिचय अंकित हो, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी उसे पढ़े और उससे मार्ग दर्शन प्राप्त कर सके। ऐसे ही एक सेनानी हमारे यहां फूल सिंह चौहान थे, जब मैं पढ़ा करता था उन दिनों की बात है वह कुएं में बैठकर अखबार छापा करते थे, मेरे पिता भी वहां जाया करते थे वह उस कुएं पर कांटे डाल देते थे, हम अपनी मां के साथ उनको कुएं के अन्दर रोटी पहुंचाने जाया करते थे। तो उनका जीवन कितना कंटकाकीर्ण और त्यागमयी था। तो ऐसे लोगों की स्मृतियों को आपने ताजा नहीं किया, उजागर नहीं किया तो तमाम महान विभूतियां हमारी आंख से ओझल हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ी उनके बारे में कुछ जान भी नहीं पाएंगी। इसके लिए आपको चाहे जो कुछ करना पड़े, चाहे जो कुछ खर्च करना पड़े, अवश्य करें। जिले के सभी खोये, बिछुड़े और ओझल स्वतन्त्रता के योद्धाओं का जीवन चरित्र उसमें होना चाहिए। इसके लिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर जिले की जिला कलेक्ट्री में एक कीर्तिस्तम्भ बनवाया जाए और उसमें उस जिले के सारे योद्धाओं के नाम लिखवाये जाएं, और जिनको फांसी की सजा हुई है, या जिनको गोली मारी गई हो, ऐसे तमाम लोगों की मूर्तियां उसके सामने लगाई जाएं। ऐसे कीर्तिस्तम्भ-तीर्थस्थल हर जिला हेडक्वार्टर पर अवश्य बनवाये जाएं, ताकि कलेक्ट्री में जाने वाले लोग उनको जान सकें, समझ सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें।

आपने विधान सभा के सामने पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की मूर्ति लगवा रखी है, सचिवालय के सामने अभी और काफी जगह पड़ी है, वहां पर भी शहीदों की स्मृति में एक विशाल कीर्तिस्तम्भ बनवाया जाए। उस पर सरकार को चाहे जो कुछ भी खर्च करना पड़े। जिससे प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की, जिनके त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ है, स्मृति को अक्षुण्य रखा जा सके।

इसके अतिरिक्त भी मैं और कुछ सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। यह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कौन है, कौन नहीं है, इसकी परिभाषा तो आपने दे दी, लेकिन उन सबको प्रमाणित कौन करेगा, यह परिपाटी आज तक बहुत दोषपूर्ण है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस जमाने में चोरी, डकैती में सजा पाए थे, किन्तु फर्जी प्रमाणित कराकर राजनैतिक पेन्शन ले रहे हैं, मुस्तैदी से सुविधा मांग रहे हैं और उनके लड़के लड़कियां नौकरियों में जा रहे हैं। एक तरफ आत्म सम्मानी देश भक्त उपेक्षित रहें और दूसरी तरफ चोर, डकैत, फर्जी स्वतन्त्रता सेनानी बनकर मौज मस्ती करें, यह हमारे लिए बड़े लज्जा की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रमाणित करने की परम्परा गलत है और आप कहते हैं कि साथ रहने वाला प्रमाणित करेगा, जिसने बैंत खाये हैं वह प्रमाणित करे। मैं इस सबका विरोध करता हूं। इसकी जांच करने वाला जो कार्य है, उसकी आप अपने स्तर से जांच करायें, चाहे आप जांच का जो भी माध्यम रखें, किन्तु केवल दूसरे के भरोसे पर बैठ कर नहीं।

(5 बजकर 10 मिनट)

वहां पर कुछ लोग पल रहे हैं जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेन्शन देने के लिये फर्जी प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाते हैं जो आजकल ऐसे दफ्तर कुछ जगहों पर खुल गये हैं। ऐसे चोर, लुटेरे लम्पटों को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की श्रेणी में रखने की कोशिश न करें इससे देश का बड़ा अहित हो जायगा। जिसने वास्तव में स्वतन्त्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी है, जिसने भाग लिया है और जिसने देश पर अपना बलिदान दिया है उनके सामने कभी यह कल्पना नहीं होगी कि हमारे सामने देश आजाद हो जायेगा और लोगों को राजनीतिक पेन्शन मिलेगी। न उन्होंने किसी ऐसे लालच में आकर ऐसा काम किया है। उनके सामने दूसरा आकर्षण था और वह देश को आजाद देखना चाहते थे इसलिये उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। कोई व्यामोह उनके साथ नहीं था उन्होंने देश के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो ऐसे एक नहीं असंख्य लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमको पोलीटिकल पेन्शन लेनी है। ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले और देश प्रेमियों से आप यह उम्मीद करें कि वह खुद चलकर पोलीटिकल पेन्शन के कार्यालय में जायेंगे, फार्म जमा करेंगे, झूठा प्रमाण-पत्र देंगे यह सम्भव नहीं है। उन लोगों से ऐसी आशा आप न करें कि पोलीटिकल-पेंशन पाने के लिये वह दफ्तरों के चक्कर लगायेंगे। इस देश और प्रदेश में दोनों तरह के लोग हैं। एक तो वह हैं जिन्होंने झूठे प्रमाण-पत्र दिये हैं क्योंकि उनका कोई ईमान नहीं है और वह पोलीटिकल पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ

ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान को रखा है और पोलीटिकल पेन्शन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाये हैं और न पेन्शन के लिये आवेदन किया है। आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं तो उनकी जानकारी कराकर आपको पेन्शन देने का काम करना चाहिये।

मैंने थोड़े दिन पहले एक प्रार्थना-पत्र दिया था आगरे के एक शकूर अली "अमर" साहब का। वह वाकई में आजादी की लड़ाई के योद्धा हैं। उसके बाद उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये काम किया है, नोवाखाली गये हैं, लाहौर गये हैं। उनके जीवन परिचय की रिपोर्ट अखबारों में छपी है आगरा के अखबारों में छपी है और दिल्ली के अखबारों में छपी है। जो बड़े-बड़े अखबार हैं, जैसे कौमी आवाज है, "टाइम्स आफ इंडिया" है, पायनियर है तो इन सब अखबारों में उनके जीवन के बारे में छपा है। तो इससे बड़ा प्रमाण-पत्र और क्या हो सकता है। आप चाहेंगे कि वह इन कार्यालयों के चक्कर लगायें और इन कार्यालयों के बाहर खड़े होकर गुहार करेंगे कि सरकार पोलीटिकल पेंशन दे ऐसा सम्भव नहीं है। इसीलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो वास्तव में इस पेन्शन के लायक हैं इनको पेन्शन देने का काम करें। यह आपकी, हमारी, सरकार की और समाज की जिम्मेदारी है कि उनको पेन्शन मिले तो ऐसी जांच आप किसी अन्य स्तर से न करायें, अपने स्तर से करायें। इन शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव दिये आप उनको पूरा करने के लिये कार्यवाही करें और उनको अवश्य पूरा करें, अगर आप इनको पूरा करते हैं तो मुझे अपने कटौती के प्रस्ताव को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

*श्री नेक चन्द्र पांडेय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। माननीय राजनीतिक पेन्शन मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय राणा साहब ने अपने कटौती का प्रस्ताव रखते समय जो सुझाव दिये हैं तो मैं उनकी भी सराहना करता हूं। मान्यवर, इसमें कटौती के प्रस्ताव की कोई आवश्यकता है ही नहीं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये हमारी सरकार जो कुछ भी करेगी वह कम ही रहेगा। इसमें आगे बढ़कर उनके परिवारों के लिये उनके नाम के लिये, उनके कीर्ति स्मारक बनाकर, हमारी सरकार जितना ज्यादा से ज्यादा काम करेगी हम उसकी उतनी ही सराहना करेंगे। हमारी सरकार जनपद स्तर पर शहीद स्मारक बनाने जा रही है कुछ चीजों के बारे में उन्होंने हमारा आह्वान किया है इसके लिये हम उन्हें बधाई देते हैं। मान्यवर, मैं कुछ सुझावों को सरकार के समक्ष विचार के लिये रखना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है और गांव-गांव को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा है इसीलिये मैं चाहूंगा कि वह सम्पर्क मार्ग जिससे गांव को जोड़ा जा रहा है उस गांव से वरिष्ठ सम्पर्क मार्ग बनाने की व्यवस्था की जाय। दूसरा मान्यवर हमारे जनपद कानपुर में बिठूर यात्री स्थान है जहां पर 1957 में नाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साहब धूंधूं पन्त शहीद हुए हैं वहां पर अभी तक कोई शहीद स्मारक उनके नाम का नहीं बनाया गया है इसलिये हमारा आपसे सुझाव है कि बिठूर में उनकी यादगार के नाम पर एक बहुत बड़ा शहीद स्मारक बनाया जाय। साथ ही हमारे देश, प्रदेश के सेनानियों की जो उम्र कम हो रही थी उसके लिये हमारी सरकार ने जो उपलब्धि की है उनकी दवाओं के लिये, यात्राओं के लिये और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिये पेन्शन में जो वृद्धि की है इन सब का मैं हृदय से अभिनन्दन करता हूं और जो एक बात माननीय राणा साहब ने जिला स्तर पर ऐसी व्यवस्था किये जाने की बात कही कि पाठशालाओं में हमारे शहीदों के बारे में उनकी जीवन सम्बन्धी बातों की जानकारी के लिये व्यवस्था पढ़ाई के रूप में की जाय ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके और देशभक्ति की भावना उनमें भी जागृत हो सके, इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं अभी माननीय मन्त्री जी ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को जो 300 रुपये पेंशन के रूप में देकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया है इससे मुझे कष्ट होता है। जिसके त्याग, तपस्या और बलिदान से आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसको मात्र 300 रुप्ये देकर यह समझने लगे हैं कि हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गयी। मान्यवर, आप देखें कि जब यह आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कोई इस बात की कल्पना भी नहीं करता था कि देश के आजाद हो जाने पर आजाद भारत के लोग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों का अपमान करेंगे जैसा की आज हो रहा है। और आने वाली पीढ़ी इस आजादी की कुर्बानी को भूल जायेगी। श्रीमन्, पेन्शन का जो प्रासेस है वह बहुत ही काम्पलीकेटेड है। इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है क्योंकि आज हमारे बूढ़े स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी इस सम्बन्ध में दर-दर की ठोकरें खाते हैं और इसके लिये उन्हें कुछ देना भी पड़ता है तब उनको पेन्शन मिल पाती है। मान्यवर, उन्हें अपमानित होना पड़ता है। कृपया माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें और ऐसी सहज व्यवस्था करें ताकि इन बूढ़े स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को किसी प्रकार का भविष्य में कष्ट न हो। साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि पेन्शन की धनराशि को और बढ़ा दिया जाय। शहीद स्मारकों के बनाने की बात माननीय मन्त्री जी ने कही है कि जो भी माननीय सदस्य जहां के लिये कह देंगे वहां पर हम यह स्मारक बनाने पर विचार करेंगे। मान्यवर, शहीद स्मारक नयी पीढ़ी के लिये प्रेरणा का श्रोत होते हैं और इसे देखकर नई पीढ़ी बहुत कुछ सीखती है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि कौन-कौन और कहां-कहां शहीद हुए हैं उनकी एक सूची सर्वे कराकर तैयार करें और उसी के आधार पर उन स्थानों पर तुरन्त शहीद स्मारक बनवाने का कष्ट करें। मान्यवर, आजादी की लड़ाई में बलिया चाहे 1857 हो या 1942 सब से आगे रहा है। मान्यवर, शहीद मंगल पाण्डेय जो बलिया के नगवा गांव के थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू की थी और जो आजादी के प्रथम

शहीद हैं उनका अभी तक स्मारक नगवा में नहीं बन पाया है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने इनके स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में यहां आश्वासन भी दिया था, किन्तु अभी तक कोई कार्य इस ओर शुरू नहीं हुआ है। कृपया इस ओर तुरन्त ध्यान दें और शहीद मंगल पाण्डेय का स्मारक बनवायें। 1942 में आजादी की लड़ाई में बलिया के गांव बैरिया में भी अनेकों व्यक्ति शहीद हो गये। बलिया का चप्पा-चप्पा शहीदों से भरा हुआ है लेकिन अभी तक न बलिया में शहीद स्मारक बना और न उन स्थानों पर जहां लोग शहीद हो गये। बलिया में आज शहीद परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है।

श्रीमन्, ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि बलिया के शहीदों और प्रदेश के सारे शहीदों का तुरन्त स्मारक बनावें।

*श्री राम भजन लाल—

मान्यवर, मैंने देश की आजादी के लिए जिस वक्त में जेल काटी थी, उस वक्त मेरे दिमाग में किसी तरह का मानिजा या कोई दर्जा या पद मुझे लेने की इच्छा नहीं थी, बल्कि यह काम अपना फर्ज समझ करके हमने किया था। असली कुर्बानी उन लोगों की है, जो गोलियों का निशाना बने, फांसी के तख्ते पर झूले, अपने घर की जवान औरतों तथा बच्चों को छोड़कर जेल के सीकंजों में बन्द हुए थे। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सामने वह प्रसंग छिड़ गया, तो मुझे अपने साथियों की याद आती है। "गाहे-गाहे बांजख्वां ई दफ्तरे पारीना रा, ताजा ख्वाही दास्तान गरदा रहाये सीना रा।" अगर अपने सीने के दागों को हरा-भरा रखना चाहते हो, तो अपने पुराने इतिहास के पन्ने को उलटिये पढ़िये और याद रखिये। मैं आज इस मौके पर लोकमान्य तिलक, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू की याद आती है।

अब मैं दो शेर ऐसी सुनाना चाहता हूं, जो सरदार भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल से सम्बन्धित हैं। सरदार भगत सिंह ने अपने भाई कुलतार सिंह को फांसी की सजा सुनाने के बाद जो पत्र लिखा था, वह यह है कि "थोड़े दम का मेहमा हूं, ऐ अहले महफिल, चिरागे शहर हूं, बुझना चाहता हूं" इसी तरह से राम प्रसाद बिस्मिल ने भी उसी सूरत में कहा था कि "सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है" हमारी आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गयी थी, जिसमें कि एक अनूठा अस्त्र अहिंसा और सत्य का इस्तेमाल किया गया था। दुनियां की दूसरी कौमें भी आज उसकी सराहना करती हैं तथा अनुकरण करती हैं। अब मैं बोलना तो और चाहता था, लेकिन समय कम है, तो फिर एक चीज में जो कई एक मुख्य मन्त्रियों से बराबर दोहराता रहा हूं, स्वर्गीय राज नारायण मिश्रा, जिनको कि फांसी की सजा सुनने के बाद 8 पौंड वजन बढ़ गया था, यह एक अद्वितीय कुर्बानी थी, जिसका कि उदाहरण संसार में नहीं मिलता। मैंने यह प्रार्थना की थी कि उनके नाम का कोई स्मारक या स्कूल या अस्पताल बनवा दिया जाय। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ने माननीय मन्त्री जी का बजट भाषण सुना ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । 23 अगस्त, 1942 को 9 लोग सहजनवा में शहीद हुए ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । व्यवस्था सदन के सम्बन्ध में दी जायेगी ।

श्री राज किशोर सिंह—

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसमें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पेन्शन से पैसा काटा गया है जिससे लखनऊ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए भवन बनाया जायेगा । मैं भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हूं मेरा भी पैसा काटा गया है लेकिन कुछ पता नहीं है कि कहां मकान बने और उनमें कौन रह रहा है । मन्त्री जी यह बतायें कि इनके यहां कितने मामले विचाराधीन हैं, सैकड़ों दरख्वास्तें अभी भी इनके अनुसचिव के यहां फाइल में पड़ी हुई हैं और मेरे पास कुछ नाम हैं । कमला देवी उर्फ खेमों देवी, सत्य नरायन सिंह एम0 पी0 थे, उनकी पत्नी हैं, केन्द्रीय गवर्नमेन्ट उनको उनके मरने के बाद से ही पेन्शन दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास दरखास्त 4 साल से पड़ी हुई है । यहां का अनुसचिव बार-बार डी0 एम0 को लिखता है कि कमला देवी उनकी पत्नी थीं कि नहीं थीं, जब कि उन्होंने वसीयतनामा लिखा है, रजिस्ट्रीशुदा उनकी शादी हुई है । इसी तरह से रामकृष्ण वाराणसी के हैं । रामनाथ गाजीपुर के हैं । विश्वनाथ मदीना हैं बलिया जिले के । वह बहुत ही मशहूर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं । उन्होंने अपनी बीमारी में दवा के लिए पैसा मांगा है । मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी सारी फाइलें मंगवाकर देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

राजकिशोर सिंह जी, आप लिखकर भेज दीजिये ।

श्री विजय सिंह राणा—

मैं ने आपसे पहले ही कहा था कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की श्रद्धा में उनको तर्पण करते हुए हमने जो श्रद्धांजलि पेश की है उसमें कटौती करने की मेरी भावना नहीं है । अगर मन्त्री जी यह आश्वासन दे दें कि मैं ने जो सुझाव दिये हैं मन्त्री जी उनको पूरा कर देंगे तो मैं कटौती का प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हूं । मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को जिले की सीमा के अन्दर निकलने की सुविधा दे रखी है । अगर किसी को कानपुर से उन्नाव आना है तो वहां बस रुकती नहीं है । बस वाला कहता है कि यह सीधे लखनऊ जाकर रुकेगी, इसलिए नहीं बैठायेंगे ।

यह जो परेशानी है इस समस्या को हल कराने का कष्ट करें । परिवहन मन्त्री जी भी बैठे हैं । इस समस्या का निदान किया जाय । दूसरा मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था

की गई हैं। जो विधवा पुत्री हैं और अपने पिता के घर में रहती हैं, उसका भार भी सरकार को वहन करना चाहिये। एक पेन्शन विधवा पुत्री के लिये भी कर दें। मान्यवर, हमारे यहां आगरा में शहीदे-आजम भगत सिंह और चन्द्र शेखर आजाद नूर दरवाजे पर रहे हैं। साइन्डरसन को गोली मारने के बाद यह क्रान्तिकारी आगरा में स्थापित हुये। कानपुर में बम बनता था और आगरा में इस्तेमाल किया जाता था। बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है। उनके एक साथी राम सिंह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं, वह भगत सिंह की यादगार में संजय पैलेस के अन्दर एक कृति स्मारक लगवाना चाहते हैं। मान्यवर यह मामला इनकी फाइलों में विचाराधीन है। आगरा के सम्पूर्ण जनता की भावना इससे जुड़ी है। मन्त्री जी सदन में खड़े होकर आश्वासन दें कि भगत सिंह की कृति स्मारक वहां लगवा दी जायेगी।

मान्यवर इनकी हालत तो यह है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के नाम पर इनको मोती लाल, जवाहर लाल, स्वरूप देवी, सरला देवी, प्रियंका, मयंका, संजय गांधी इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी। यही सबसे बड़े इनके चहेते हैं, जिनके बलिदान से आजादी आयी। हर जिले में इन्हीं के नाम से कालोनी बनी हैं, पार्क बने हैं. इन्दिरा कालोनी, मोती लाल कालोनी, हर जगह इन्हीं के नाम का इस्तेमाल किया जाता हैं और जितने योद्धा थे उनका नाम मिट गया। लखनऊ में एक राम सागर कालोनी थी तो उसको भी बदल कर इन्दिरा कालोनी कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इनको मिटवाइये और जिले के जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके नाम से इनको बनाइये। इन लोगों ने जो बलिदान किया है अपने को आजादी के लिये, उनकी कृतियों को उजागर कीजिये। जवाहर लाल, मोती लाल और इन्दिरा गांधी ने जितना किया था उससे ज्यादा इनको मिल चुका हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

इसको निकलवा दीजिये। जो एक परिवार के लिये कहा हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

देखकर निकाल दूंगा।

श्री विजय सिंह राणा—

घर की खेती हैं। कैसे निकाल देंगे?

श्री राम नरेश शुक्ल—

राणा साहब ने कहा कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियां बननी चाहिये। इस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया हैं। 6 का फैसला हमने किया हैं। गेंदा सिंह की देवरिया में, सेठ अचल सिंह की कृष्ण दत्त पालीवाल की, खूब सिंह की, और सुभाष चन्द्र बोस की लखनऊ में तथा इलाहाबाद में पंडित जवाहर लाल नेहरु की लगा रहे हैं। जो बाकी हैं कृपा करके सारे सदस्य जैसा मैंने पहले निवेदन किया आप हमारी सहायता करें।

सही नतीजे के आने पर कि कौन सही था और किस स्थल पर उनकी शहादत हुई थी। यह आप हमको मदद करें। दूसरी बात यह हैं कि नाना साहब का स्मारक बनाने की जहां तक बात हैं, वह बिठूर में बना हुआ हैं। मैं देखने गया

था कि उसका सौन्दर्यीकरणा कैसे किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि नानावती का मामला अभी तक तय नहीं हो पा रहा है । यह दिमाग में है कि उनका स्मारक बनाया जाय क्योंकि वह लड़की थी जिसे अंग्रेजों ने घोड़े के पीछे बांध कर बिठूर ले गये । लेकिन वह स्थल नहीं पता लगा कि कहां था जहां उनका अंतिम काल आया था । सड़कों के बारे में कहा गया, तो शासन ने पहले ही फैसला ले लिया है और यह आदेश जारी कर दिया है कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं गांवों के सम्पर्क मार्गों की, वह सेनानियों के नाम पर वहां के लोगों से मशवरा करके रखी जायं । दूसरी चीज यह है कि अभी हमारे एक सज्जन ने पूछा कि लम्बित केसेज कितने हैं, तो 400 के लगभग तो सेन्टर के हैं और 600 के लगभग इस प्रदेश के हैं । इसमें नवम्बर, दिसम्बर और इस तरफ की शामिल हैं । जहां तक इन लम्बित दरख्वास्तों का सम्बन्ध है, विश्वास रखिये, किसी भी तरह से इनको निपटा दिया जायगा । अगर ज्यादा समय लगा तो दिसम्बर, नहीं तो 31 मार्च तक सारे मामलों पर फैसला हो जायगा । मैंने राणा जी की बहुत बातें मान ली हैं । कीर्ति स्तम्भ की जो बात है राणा साहब इस पर जुटे हुए हैं तो हर ब्लाक में कीर्ति स्तम्भ लगाए गये हैं । कोई जिला स्तर की बात बतावें तो मैं वहां पर भी लगवा दूंगा । जहां तक गोरखपुर की बात एक मित्र ने कही, उस पर विचार हो रहा है, जल्द ही बन जायगा । अब उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन है कि राणा साहब एक इतिहास कायम करें और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पैन्शन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11,42,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग

*ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 75,79,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आज भारत जैसे विशाल देश के हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मान्यवर, इस बार हमने जो अपने संसाधन बढ़ाये हैं, वहीं नयी चुनौतियों और उपलब्धियों के लिये पूरी तरह से तैयार होकर आने वाले कल का स्वागत कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह वह प्रदेश है जहां हिमालय की चोटियों से निकलने वाली गंगा के दोनों किनारों पर तमाम दर्शनीय तीर्थस्थल हैं। यही वह प्रदेश है जहां ताजमहल है। जिस कंठ मुख में सुन्दरता कदमों पर बिखरी पड़ी है, ऐसे प्रदेश में पर्यटन की बहुत सम्भावना है। मान्यवर, सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमने कुछ करने की कोशिश की है, ताकि विदेशी पर्यटक आकर्षित हों और देश के दूसरे कोने के जो लोग हैं, वे भी पर्यटन के लिये आगे आ सकें।

मान्यवर, पर्यटन सिर्फ एक घूमने फिरने का विभाग नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, लोगों को एक करने के लिये, सबसे ज्यादा योगदान देने वाला विभाग है। इसके माध्यम से हम एक जगह इकट्ठा होते हैं। पूरब के लोग पश्चिम जाते हैं, पश्चिम के लोग पूरब जाते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की दूरियां खत्म करके हम एक जगह इकट्ठा होते हैं एक संस्कृति में जोते हैं, देश को एक करते हैं, देश को मजबूत करते हैं। मान्यवर, यह घोषणा करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जहां पिछली 6 पंचवर्षीय योजना में 2,654 लाख रुपया व्यय किया वहीं इस पंचवर्षीय योजना की जो हमने रूपरेखा बनायी है वह 36 करोड़ से अधिक है। पिछले 30 वर्षों में जो नहीं हुआ, वह अगले 5 वर्ष में हम करने जा रहे हैं। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 1984-85 मे जहां हम 5 पर्यटक आवास गृह बना पाये, वहीं 1986-87 में 23 से अधिक पर्यटक आवास गृह बनाकर हम पर्यटकों को उपलब्ध करा देंगे। मान्यवर, दर्शनीय तीर्थस्थल, धार्मिक स्थल और संस्कृति के माध्यम से जो हमारी अमूल्य धरोहर है, पर्यटन को बढ़ावा दें। मान्यवर, हमने बहुत से सांस्कृतिक मेले आयोजित किये हैं, उसमें पर्यटक काफी बड़ी संख्या में आये। हमने शरदोत्सव मनाया, रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में मनाया। यही नहीं दिल्ली में हमने उत्तर प्रदेश का पर्व मनाकर हमने उत्तर प्रदेश की सीधा, सच्ची और आकर्षक तस्वीर सबके सामने प्रस्तुत की।

मान्यवर, हमारे पास विपुल भण्डार है प्राकृतिक सौन्दर्य का। जिसमें कार्बेट पार्क और इस तरह के तमाम सुरक्षित जंगल यहां पर हैं जहां कि प्राकृतिक सौन्दर्य में रमते, विचरण करते पशु पक्षी देखे जा सकते हैं। मान्यवर, इन सभी जगहों पर हमारा यह विचार है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि पर्यटक आयें और इसका आनन्द उठायें। इसके लिये केन्द्र सरकार से मदद मिली है। हम कुछ हाथी की व्यवस्था वहां करने जा रहे हैं, कुछ विशेष रूप से बसों की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से पर्यटक जो यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य है, जो विचरण करते पशु पक्षी हैं उनको हूबहू देख सकें और विदेशी पर्यटक भी आकर्षित

हो सकें। मान्यवर, यह अफ्रीका के सफारी जंगलों की तरह करने जा रहे हैं। केन्द्र सरकार से जो सहायता मिली है उसके जरिये हाथियों की खरीद कर रहे हैं और बसों को खरीदने जा रहे हैं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में डौलिया फ्लावर्स हैं, उन सबको देखने के लिये पर्यटकों को इतनी ऊंची जगह पर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मान-सरोवर में पहली बार हम तीर्थ यात्रियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

आजकल रेल के माध्यम से और सड़क के माध्यम से पर्यटकों का आना-जाना ज्यादा होता है, इसलिये 13 पर्यटक आवास-गृह बनाने जा रहे हैं। बस्ती, मगहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, खतौली, कानपुर, मुजफ्फरनगर, शिकोहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी, बरेली, शाहजहांपुर तथा मुरादाबाद में इनका निर्माण किया जायगा। झांसी, देवगढ़, श्रावस्ती, बलरामपुर, दुधवा, हरगांव, गोरखपुर में भी वर्ष 1986-87 में पर्यटक आवास गृह की व्यवस्था करायेंगे। हिण्डन, भदोही तथा मुरादाबाद में मोटेल का भी निर्माण कर रहे हैं। तीन ऐसे स्थल हैं, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक भी है—काशी, अयोध्या और मथुरा। इनमें जो सुन्दरता है जो धार्मिक स्थान हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिये और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सकें इसके लिये एक समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं। उनके निर्देशन में न्यास की स्थापना कर रहे हैं, जो इनकी धरोहर को सुरक्षित रखेगा।

यह देश एक ऐसा देश है, इस देश का सौभाग्य रहा है कि यह राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर की धरती रही है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। वे उन हर जगहों पर जाना चाहते हैं जो स्थान भगवान बुद्ध से जुड़े हैं। एक ही बार में सभी स्थानों पर सस्ती एवं स्वच्छ आवासीय व्यवस्था, साफ सुथरा एवं सस्ता भोजन, सुलभ परिवहन व्यवस्था यात्रा के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। जापान से एक प्रतिनिधि मण्डल आया था, उसने विश्व शान्ति के लिये एक घन्टे का "शान्ति घण्टे" का उपहार दिया था। हम जापान और थाईलैण्ड के सहयोग से पर्यटकों को सुविधायें देने के लिये नये युग में प्रवेश करेंगे।

हमारा प्रयास है कि जो संरक्षित स्थल हैं, उनको केन्द्र के माध्यम से सुन्दर बनायें। वाराणसी में घाटों के जीर्णोद्धार हेतु 63.50 लाख रु0 दिये हैं, दुधवा/कार्बेट पार्क हेतु 5.14 लाख रु0 दिये हैं, मथुरा पर्यटक बंगले हेतु 27 लाख रु0 तथा लखनऊ महोत्सव हेतु 2.058 लाख रु0 दिये हैं केन्द्र सरकार ने।

मुझे मालूम है कि समय कम है और बहुत से लोग अपने सुझाव देना चाहते होंगे। पर्यटन को विभाग के रूप में नहीं चला सकते हैं, इसको तो जन-आन्दोलन के रूप में चलाना पड़ेगा तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिये उद्योग का दर्जा दिया है। लघु उद्योग को मिलने वाली समस्त सुविधायें पर्यटन उद्योग को मिलें, इसके लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। पर्यटन निगम की स्थापना की है, जो पर्यटकों के हित का ध्यान रखता है। हमारा उद्देश्य यह है कि वह दर्शनीय स्थल, जहां वे नहीं पहुंच

पाते हैं, वहां तक पहुंच सकें और रास्ते की असुविधाओं को दूर किया जाय। अच्छे अतिथि सत्कार के लिये भारत विख्यात रहा है। पर्यटन की सुविधायें जुटाकर इस देश की एक अच्छी तस्वीर आने वालों के सामने रख सकें, जिससे कि इस देश की एक अच्छी छवि पर्यटक के दिल में उतर जाय, यही हमारा प्रयास है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य केवल विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

प्रागैतिहासिककाल से भारतवर्ष ऋषियों मुनियों और देवताओं की तपोभूमि रहा है, शूरवीर, योद्धाओं की रणभूमि रहा है और संस्कृति का केन्द्र रहा है। यही कारण है कि हमारे देश पर प्राचीनकाल से ही पूरे विश्व के तमाम यात्री, साहित्यकार, इतिहासकार, इसकी ओर निगाह लगाये रहते थे। और यहां पर समय-समय पर भ्रमण करने के लिए हमारी संस्कृति के ज्ञान और आध्यात्मिक-बौद्धिक शान्ति के लिए तथा महत्वपूर्ण इतिहास कला को जानने के लिए लोग प्रयास करते रहे हैं और यहां भ्रमण के लिए आते रहे हैं। पाश्चात्य महान विद्वान मैक्स मूलर का कहना है-इफ वी वेयर टू लुक ओवर दि होल वर्ल्ड टू फाइन्ड आउट दि कन्ट्री मोस्ट रिचली इन्डाउड विथ आल दि वेल्थ पावर एण्ड ब्यूटी दैट नेचर कैन बेस्टो इन सम पार्ट्स ए वेरी पैराडाइज आन अर्थ आई शुड प्वाइन्ट टू इंडिया इफ आई वेयर आस्क्ड अन्डर व्हाट स्काई दि ह्यूमन माइन्ड हैज मोस्ट फुल्ली डेवलप्ड सम आफ इट्स च्वाइस्ट गिफ्ट हैज डीपली पाण्डर्ट ओवर दि ग्रेटेस्ट प्राबलम आफ लाइफ हैज फाउन्ड सालूशन आफ सम आफ दैम व्हिच वेल डेजर्व दि एटेंशन इवेन आफ दोज हू हैव स्टडीड प्लेटो एण्ड कान्ट आई शुड प्वाइन्ट टू इण्डिया। मान्यवर, इसका हिन्दी में अनुवाद है कि यदि पूरे विश्व में ऐसा देश खोजना हो जो हर प्रकार की सम्पदा, शक्ति एवं सौंदर्य, जो प्रकृति प्रदान कर सकती है, से परिपूर्ण हो किसी सीमा तक इस पृथ्वी पर स्वर्ग के लिये मुझे भारतवर्ष को इंगित करना चाहिये। यदि मुझसे पूछा जाय कि किस आकाश के नीचे मनुष्य के मस्तिष्क ने अपने कुछ चुनिन्दा उपहारों को पूर्णरूपेण विकसित किया है जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का गहराई से चिन्तन किया है और उसमें से कुछ का समाधान भी पाया है, जो उन लोगों का भी ध्यान आकर्षित करने की योग्यता रखते हैं, जिन्होंने प्लेटो और कान्ट का अध्ययन किया है—मुझे भारतवर्ष की ओर इंगित करना चाहिये।

मान्यवर, पर्यटन विभाग केवल महत्वपूर्ण इससे ही नहीं लगता है बल्कि पूरे विश्व की निगाह इस पर है। हमारे देश का प्रागैतिहासिक काल से अपना अलग एक इतिहास रहा है जिसने सभी देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहां केवल भ्रमण के स्थल ही नहीं बल्कि यह राम और कृष्ण की जन्म और कर्म भूमि भी रही है यहां गौतम बुद्ध और नानक ने जन्म लिया है। यहां शूरवीर योद्धा जन्मे हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है

कि हिमालय से लेकर गंगा और जमुना के किनारे-किनारे होते हुए तमाम प्राकृतिक धरोहर वन, नदी, नाले झरने हमारे देश में हैं। जिसकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, पर्यटन विभाग का बजट जो कि पर्यटन के विकास के लिये तथा ज्ञान की वृद्धि के लिये हैं, विश्व से आने वाले लोगों तथा देश के पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिये हैं।

मान्यवर, 1974 में इस निदेशालय की स्थापना हुई और जबसे यह मंत्रालय बना इस पर कोई चर्चा नहीं होती थी बल्कि ऐसे ही बजट पास हो जाता था लेकिन अब इस पर चर्चा होने लगी हैं, इसकी कीमयों को दर्शाया जाने लगा हैं। मंत्री जी ने कहा कि इस विभाग का सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम और विकास करने जा रहे हैं और इस हेतु 36 करोड़ रुपये का प्राविधान हैं। लेकिन यदि आप पिछले दो-तीन वर्षों के आंकड़े उठा कर देख लें तो आपको मालुम हो जायेगा कि इसके बजट में कटौती के प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता ही नहीं हैं, प्रति वर्ष इसमें अपने आप ही कटौती होती चली जा रही हैं। वर्ष 1983-84 में इसका बजट था 1,45,11,000 रु0 का वर्ष 1984-85 में था 85,10,000 रु0 का और इस वर्ष यह 75,79,000 रु0 का हैं। तो इस तरह से कटौती के प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता ही नहीं हैं। लगता हैं कि मंत्री जी इसका विकास नहीं बल्कि विनाश करने जा रहे हैं।

पर्यटन विकास में जो मुख्य बाधा हैं कि हमारे देश के लोग धार्मिक स्थलों से तो परिचित हैं लेकिन यहां पर जो प्राकृतिक धरोहर हैं उससे वे अनभिज्ञ हैं। इसके लिये जो धन का आवंटन होना चाहिये उसमें भी लगातार कटौती होती चली जा रही हैं। इस तरह से इसके विकास में भी निरन्तर कटौती न होती चली जाय, भय तो इसी बात का हैं। मान्यवर, इस वर्ष 6 करोड़ रुपये के लगभग आउट ले प्लान इनका हैं उसमें मैदानी इलाकों के लिये और पर्वतीय क्षेत्रों के लिये दोनों का ही हैं। किन्तु बजटीय योजना पर्वतीय क्षेत्र के लिए 85,79,000 रुपये हैं और मैदानी क्षेत्र के लिये 41,43,000 रु0 ही हैं यह कैसे पूरा करेंगे ?

मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी जवान हैं, और पर्यटन विभाग से संबंधित पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं वह काफी गड़बड़ी कर रहे हैं और अन्दरूनी रूप से काफी भ्रष्ट भी हैं। यही वजह हैं कि 4-5 वर्ष पहले जो विदेशी पर्यटक आते थे उनकी संख्या में गिरावट आई हैं। जो देशी पर्यटक हैं, उनकी संख्या में भी कमी हुई हैं, आप अपनी आंख के नीचे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चले जाइये, जो स्वागत कक्ष हैं, वह बहुत गन्दा हैं तथा बन्द मिलेगा। चाहे जहां और इलाहाबाद का भी स्वागत कक्ष बहुत गन्दा हैं तथा बन्द मिलेगा। चाहे जहां आप देखें वहीं ऐसा ही आपको मिलेगा। आप कहीं पर न जायें लखनऊ में गोमती होटल में चले जायें वहां पर जिस तरह का रहन सहन हैं, भाषा एवं भोजन हैं, उसको देख कर एक बार जाकर दूसरी बार नहीं जायेंगे। खाना बहुत महंगा हैं। माननीय मंत्री जी जवान हैं। आप कहीं पर्यटक मन में, उमंगों में इसके साथ न हो लें। आपका पर्यटन विभाग विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर

लॉट रहा है। माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की कि इसको एक उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में मथुरा है। यहां पर गोकुल होटल है वह घाट पर जा रहा है, जबकि हीरयाणा मथुरा सीमा पर डवीचक पर्यटन केन्द्र है, जो बहुत ज्यादा लाभ दे रहा है। बृन्दावन मथुरा में है किन्तु बृन्दावन गार्डन हरियाणा में चल रहा है।

एक सदस्य—

बृन्दावन गार्डन बंगलौर में है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

यहां पर भी है। वह बृन्दाबन गार्डन मैसूर में है।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, आप देखोंगे कि बहुत से पर्यटन केन्द्र निर्माणाधीन हैं। आप देखों कि झांसी रेलवे स्टेशन पर स्वागत कक्ष का निर्माण लागत 60 हजार से सन् 1983 में शुरू किया गया, परन्तु वह आज तक नहीं बन पाया है। शासन की स्वीकृति नहीं गयी है और रेलवे विभाग ने आवंटन अवैध करार दिया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाये और जो निर्माणाधीन कार्य हैं, उनको पूरा कराया जाये। उसका आपके यहां पुनरीक्षण अनुमान भेजा गया, आपने उसको शासन को भेजा है लेकिन आज तक जो उसके पुनरीक्षित अनुमान का व्यय है उसकी स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से हीरद्वार में पर्यटन आवास गृह है उसकी 12.55 लाख की योजना है वह भी शासन की स्वीकृति हेतु लम्बित है। गढ़मुक्तेश्वर में मार्गीय सुविधा, कछला में पर्यटन आवास गृह, देवा शरीफ में यात्री निवास गृह, गोरखपुर में आगन्तुक स्वागत केन्द्र, भदोही में मोटेल-वाराणसी, मिर्जापुर पर्यटक आवास गृह। यह सब मान्यवर, आपके यहां आपके विभाग से स्वीकृति के लिए गये लेकिन अभी तक इन पर स्वीकृति नहीं मिल पाई है मुरादाबाद में मोटल एवं मार्गीय सुविधा भी पुनरीक्षित अनुमान के लिए रुकी है।

मान्यवर, पर्यटन प्रचार हेतु वीडियों तथा अन्य फिल्मों का निर्माण 10.16 लाख रुपये से अयोध्या, चित्रकूट तथा प्रयाग पर रंगीन चलचित्र बनाने के लिए योजना भेजी गयी है लेकिन शासन से इसकी स्वीकृति अभी नहीं मिल पाई है वर्षों से यह योजना लम्बित है और हम यह कैसे मान लें कि शासन पर्यटन के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अभी आपने कहा है कि 3 बस और 6 टैक्सियां हैं लेकिन इलाहाबाद हरिद्वार और लखनऊ में वाहन चालकों के पद ही नहीं सृजित हैं और न दे रहे हैं। इसी प्रकार से उप निदेशक और सहायक निदेशक के पद रिक्त हैं प्रोन्नति आप कर नहीं रहे हैं। इसी के साथ-साथ बलरामपुर और आगरा के पर्यटन कार्यालयों में छत नहीं है वहां के कर्मचारी उसके अन्दर बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगरे में आपने 8 लाख रुपये की एक भूमि खरीदी पर्यटन आवास गृह बनाने के लिए लेकिन आपके अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि वह पता नहीं कर सके कि वह जमीन किसकी है। वह जमीन कैन्ट की थी और इस प्रकार वह योजना आपकी अधर में रह गयी। इसी प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश राजकीय विकास निगम का मैनेजर हाई स्कूल पास है और केवल होटल मैनेजमेन्ट का

डिप्लोमा लेकर सबके ऊपर बैठ गया है जिससे जो कर्मचारी हैं उनमें असंतोष व्याप्त है जिसके कारण आपका होटल विभाग और यह सब घाटे में जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ पर्यटन विभाग में वित्तीय सलाहकार, कानूनी सलाहकार, बिक्री कर सलाहकार आयकर सलाहकार है और मैनेजर मुख्यालय पर एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति को बैठा दिया है और वह अवकाश प्राप्त व्यक्ति बेचारा इतना अक्षम है कि वह समय से आयकर रिटर्न नहीं दे पाया और आयकर विभाग ने एक लाख रुपया जुर्माना कर दिया। एक तो आपके पास ऐसे ही पैसा कम है दूसरे उसमें से एक लाख रुपया उन्हें देना पड़ा।

मान्यवर, जब विधान सभा चल रही हो तो उस सत्र की बैलेन्सशीट निगम की पहले सत्र में यहां आ जानी चाहिए लेकिन मान्यवर, पिछले 6 वर्ष से आपके निगम की बैलेन्सशीट ही नहीं, तैयार है तो इस सदन में क्या आयेगी। इस प्रकार से मान्यवर, बहुत घपले होते जा रहे हैं। हमारे मंत्री जी नये हैं इनको मालूम तो है नहीं। अभी कांग्रेस शताब्दी का समारोह जब हुआ तो बाम्बे में 5 लाख रुपये केवल पंडाल के लिए दे दिये गये और वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी न वहां पंडाल लगा और न पर्यटन का विकास हुआ। कांग्रेस शताब्दी समारोह में पर्यटन विभाग पंडाल लगा भी देती तो उससे क्या विकास होता क्या प्रसार होता। इस तरह से हजारों लाखों रुपये इस विभाग के केवल दिखावे में और ऐशोआराम में खर्च होते जा रहे हैं। पिछले महीने लखनऊ महोत्सव यहां पर हुआ। हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मान्यवर, आप जानते हैं कि यहीं पर आपकी नाक के नीचे अधिकारी और मंत्रीगण ने आपस में एक दूसरे को पुरस्कार दे दिया। इसका लाभ दिखाई नहीं दिया। प्रयाग और वाराणसी में भी महोत्सव होना था लेकिन वहां के इन्चार्ज 1984-85 के चुनाव में व्यस्त रहे जिससे उन्होंने सारा का सारा पैसा लौटा दिया। यह ईमानदारी उन्होंने की।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के लिये एक संयुक्त निदेशक का पद है जो इसीलिये सृजित किया गया था जिससे वहां के विकास की देख रेख हो सके। वहां पर कुछ आर्थिक कमजोरियां हैं, वहां के लोग परेशान हैं। किन्तु मान्यवर, उस संयुक्त निदेशक को यहां लखनऊ मुख्यालय में लाकर बिठा दिया, लगता है कम्प्यूटरी करिश्मे से विकास की योजना है।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश राजकीय पर्यटन विकास निगम घाटे पर चल रहा है। उनके कर्मचारियों का वेतन वितरण नहीं हो पाता। और ऐसी स्थिति में एक महिला विशेष को वाइस चेयरमैन नियुक्त इस निगम में करके खर्चे को और बढ़ा दिया गया। इस तरह से इनके विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इससे पर्यटकों की संख्या पर विशेष असर पड़ता है। इस विभाग के अन्दर कुछ काम नहीं हो रहा है। जो लोग यहां आते हैं, उनका दुर्व्यवहार देख कर निराश हो जाते हैं और इससे पर्यटक के रूप में अध्ययन और शोध की भावना से आये लोगों को आघात पहुंचता है। इस प्रकार इस पर्यटक विकास का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और इसी वजह से इनका आकुपेंसी रेट भी घट कर 25-30 हो गया है।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । हमारे माननीय मंत्री जी नौजवान हैं, उनसे हमें विशेष आशा है कि वे इस विभाग के अन्दर निश्चित रूप से सुधार करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री श्रीनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । यह जो पर्यटन का बजट रखा गया है यह अत्यन्त स्वल्प है । इस सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों को इसमें बढ़ोत्तरी की मांग करनी चाहिए । क्योंकि इस बजट का सम्बन्ध इस देश की कला, संस्कृति, साहित्य और ऐतिहासिक विरासत से है जिसको सुरक्षित रखने के लिए इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को विरोध नहीं होगा । माननीय मंत्री जी ने इसके लिए 36 करोड़ रुपये का बजट रखा है । यह पर्यटन विभाग जो इतना बड़ा विभाग है जिसमें देश-विदेश से लोग आते हैं, इससे बढ़कर नेशनल इन्टीग्रेशन की कोई और बात नहीं हो सकती है फिर भी उसके लिए इतना कम बजट रखा गया है यह अत्यन्त स्वल्प है । इसको बढ़ाना चाहिए और हम लोगों को यूनानिमसली यह कहना चाहिए कि इस विभाग के अन्तर्गत जो कमियां हैं उनको दूर किया जाय और उसके लिए सदन को संस्तुति करनी चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3 नगरों-बनारस, मथुरा और अयोध्या-के उन्नयन के लिये, इनकी ऐतिहासिकता को देखते हुये, इसके विकास के लिये एक कमेटी का गठन किया है जिसके वे अध्यक्ष हैं । उसके लिये जो वे कार्य करने जा रहे हैं, वह बड़ी प्रसन्नता की बात है । भारत सरकार ने 3 विभागों में पर्यटन को बांटा है—बौद्ध परिपत्र, ट्रैकिंग सर्किट (पर्वतारोहण) और वन्य जन्तु पथ ।

माननीय, मैं आपका ध्यान वाराणसी की ओर ले जाना चाहता हूं जिस क्षेत्र से मैं आता हूं । वाराणसी बहुत पुराना नगर है । वहां पर सारनाथ एक स्थान है । उसको देखने के लिये देश-विदेश से लोग आते हैं । उसके संबंध में मेरा सुझाव है कि वहां पर अहमदाबाद की तरह जैसा साबरमती में ध्वनि और प्रकाश का प्रबन्ध है उसी तरह से सारनाथ में और अयोध्या में ध्वनि और प्रकाश का प्रबन्ध करना चाहिए ।

(6 बजकर 10 मिनट)

एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे यहां पंचकोशी एक स्थान है जहां पर पंचकोशी का मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में धार्मिक स्त्री-पुरुष जाते हैं । हमारे माननीय सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी बैठे हैं वह जानते हैं कि राजा-महाराजाओं के समय से यह बहुत धार्मिक स्थल बना हुआ है लेकिन उसके रख-रखाव का कोई प्रबंध नहीं है । लाखों की संख्या में यात्री वहां जाते हैं, उनके रहने के लिये और बैठने के लिये कोई स्थल नहीं है जहां पर वह आराम कर सकें । सड़कों की हालत भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अच्छी नहीं है। हमारी सरकार ने इधर जरूर सड़कों का निर्माण किया है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। वहां पर सड़कें, बगीचे, रोशनी आदि का प्रबंध होना चाहिये।

बनारस घाटों के लिये प्रसिद्ध है। राजा-महाराजाओं के जमाने में घाटों का निर्माण हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रद्धेय डा0 संपूर्णानन्दजी ने घाटों की ओर ध्यान दिया था और 64 घाटों की मरम्मत कराई थी। मैं माननीय श्रीपति मिश्र जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में 64 लाख रुपया भारत सरकार के पर्यटन विभाग से यहां के लिये लिया था उसमें से 43 लाख रुपया नगर विकास में खर्च कर दिया। तो पर्यटन विभाग से जो पैसा मिला था उसे नगर विकास में खर्च नहीं करना चाहिए था वह पैसा पर्यटन विभाग के पास आना चाहिये।

तीसरा वहां एक भारत माता का मंदिर है वह बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन उसको देखने के लिये हिन्दुस्तान से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। उस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां महाराजा मानसिंह ने एक आबजरवेट्री बनाई थी जो नष्ट हो रही है उसको भी सरकार को ठीक कराना चाहिये उसके लिये भी सरकार को पैसा देना चाहिये ताकि उसका विकास हो सके। 5

पर्यटन विकास का एक अलग मंत्रालय के द्वारा ही विकास हो सकता है जैसे हरियाणा में हुआ है (लाल बत्ती होने पर) मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। मुझे एक बात खेद के साथ कहनी पड़ती है कि बनारस के संबंध में एस0 एस0 भटनागर जो आटोमिक इनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, ने कहा है मधुर मनोहर अतीव सुन्दर सर्व विद्या की राजधानी है। जहां पर संगीत और कला ही दिखाई पड़ती हो लेकिन वहां पर बनारस महोत्सव नहीं मनाया जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैंने अभी अपने नौजवान मंत्री जी का भाषण सुना। बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने पर्यटन की आवश्यकता को बताते हुए कहा कि हम इसे आंदोलन का रूप देकर इसे उद्योग घोषित करने की बात उन्होंने की। इन सारी बातों को सुनने के बाद मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अभी हमारा प्रदेश पर्यटन विकास में बहुत पीछे है और हमारा पर्यटन विभाग दिशाविहीन होकर जैसे कोई नाव बिना पतवार के चल रही हो उसी तरह से चल रहा है जिसको अपनी मंजिल का ही पता नहीं है कि कहां प्रदेश को ले जाना है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है और उस सहित सारे प्रदेश में सभी प्रदेशों में दो चार आकर्षण के स्थान ऐसे हैं जहां पर हजारों पर्यटक आते हैं जो उनके आकर्षण के केन्द्र होते हैं। देशी-विदेशी पर्यटक वहां जाना चाहते हैं लेकिन हमारे प्रदेश में ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो प्रमुख स्थान रखता है जैसे आगरा तथा वृज का क्षेत्र मथुरा, वृंदावन गोवर्धन, नंदगांव बरसाना गोकुल तथा

आगरे का ताजमहल, फतेपुर सीकरी लाल किला सिकन्दरा, दयालबाग जो पर्यटन के लिये आकर्षण केन्द्र हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। पर्यटन की दृष्टि से हालत यह है कि उन्हें देखने के लिये 1976 में हमारे देश में 8 लाख 25 हजार विदेशी पर्यटक आये और आज 1986 में 10 साल बाद भी केवल 8 लाख 60 हजार ही पर्यटक आये। संख्या बढ़ी ही है लेकिन थोड़ी ही।

लेकिन इनमें से आगरा जो पर्यटक आये जहां सन् 76 में उनकी संख्या ढाई लाख थी यानी 31 प्रतिशत वह 1986 में घटकर डेढ़ लाख यानी 17 प्रतिशत रह गयी है। इस प्रकार आगरा का महत्व पर्यटक आकर्षण के लिए घट रहा है। जो चिन्ता की बात है। इसलिये उद्योग का दर्जा देने के लिए पर्यटक को उद्योग मानकर आगरे को विकसित किया जाये। चूंकि वहां दूसरे उद्योग जैसे इलेक्ट्रानिक और पावरलूम के उद्योग अभी तो नहीं लगाये जा रहे हैं, विचाराधीन हैं, वह तो लगें ही साथ ही पर्यटकों को बढ़ायें तो पर्यटक उद्योग से ही आपको लाखों करोड़ों रुपये का राजस्व आगरे से आपको मिल सकता है। मान्यवर, एक तो आगरा प्रदूषण की मार से वैसे ही मर रहा है और दूसरे वहां अच्छी सड़कें और पार्क नहीं हैं, आमोद-प्रमोद केन्द्र नहीं हैं बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों को आकृष्ट कर सके, वहां कोई फौव्वारा नहीं है जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सके। होता यह है कि सुबह विदेशी पर्यटक आते हैं और शाम को दिल्ली लौट जाते हैं। इसलिए आगरे में जब जगह और होटल हैं तो पर्यटन का दर्जा देकर प्रमुख केन्द्र बनाकर उसी प्रकार उसका विकास करें जिससे पर्यटक आकर्षित होकर दिल्ली रात बिताने के बजाय आगरे में ही ठहरें और यहां से भगवान कृष्ण की जन्म भूमि मथुरा वृन्दावन, नंदगांव और बरसाना को देखकर फिर दिल्ली जायें। इसलिए आगरा ऐतिहासिक स्थान होने से ताज महल को जो लाखों देशी-विदेशी पर्यटक देखने आते हैं, दयालबाग को देखने आते हैं वह इन इमारतों के साथ-साथ लाल किले और सिकन्दरा को देखेंगे. इसके लिए योजनापूर्वक आगरे का विकास करना पड़ेगा। मान्यवर, यह बताया गया है कि लाल किले और सिकन्दरा में फ्लड लाइट की व्यवस्था है लेकिन वह वर्षों से बंद पड़ी है, इसको चालू किया जाये। इसलिए माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है कि पर्यटन की दृष्टि से आगरे की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए उसे उद्योग का दर्जा देकर आप एक आगरा पर्यटन विकास प्राधिकरण बनायें जिसमें केन्द्र का भी पूरा सहयोग लें। केन्द्र के रक्षा मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय की मदद लें, उनके लोग भी शामिल हों। आप आगरे में एयर जंक्शन बनायें ताकि वह हवाई सेवा के प्रमुख केन्द्र से जुड़ सके। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अमिताभ लवानियां—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पर्यटन के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हमारे प्रदेश की विश्व के प्राचीनतम भू-भागों में सबसे पुरानी और गौरवमयी गाथा है जिसमें आगरा, झांसी, कालिंजर, चुनार व इलाहाबाद के

किले उन रणबांकुरों की याद दिलाते हैं और उनकी कहानियां आज भी वहां गूंजती हैं, गंगोत्री से लेकर विन्ध्याचल की पहाड़ियों, फूलों की घाटियों, रंग-बिरंगे पहाड़ इस प्रदेश में नजर आते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र बना हुआ है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने मूल जनपद आगरे की तरफ, जो ऐतिहासिक नगर है, मुगलों की वर्षों तक राजधानी रही है, उसकी ओर, आकर्षित करना चाहता हूं । आगरे में स्थित ताज महल जो विश्व की सुन्दर और भव्य इमारत है, जो प्रदूषण का शिकार हो रहा है जिसके संबंध में मैंने यहां 301 नियम में उठाया था कि ताज के अन्दर दरारें पड़ गयी हैं और बरसात में उसमें पानी चूता है, इसीलिए टैक्निकल सलाहकारों से सही जांच करायी जाये, यह मांग की थी उसकी ओर सरकार ध्यान दे ।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगरे में कीठन झील है, जो शेर शाह सूरी मार्ग पर स्थित है, इसको पर्यटन केन्द्र के लिये विकसित किया जाय, जिस प्रकार कि हरियाणा सरकार ने बटकल झील का सुन्दरीकरण किया जिससे वहां हजारों पर्यटक उसको देखने रोज आते हैं, इससे राजस्व में वृद्धि होगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगरे में जब सुलाहेकुल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसमें स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भाग लिया था, उसमें डाक्टर अम्मार रिजवी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वहां किले में लाइट एण्ड साउन्ड का प्रबन्ध किया जायेगा जिससे प्रोग्राम दिया जा सके तथा जिससे वहां पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके । मान्यवर, आगरा में जहां लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं, न कोई म्यूजियम है न कोई चिड़ियाघर है । ताज के पास एक झील बनवाने का पहले प्रस्ताव था, वह भी पूरा नहीं हुआ है, तो सैलानियों के लिए आगरा में ताज को छोड़कर और कोई भी चीज मन बहलाने के लिए मनोरंजन करने के लिए नहीं है । न उसे वहां कोई सुविधा है न सौन्दर्य दिखाई पड़ता है । आगरा के बाहरी क्षेत्र बटेश्वर में तमाम स्तूप बने हुए हैं और 101 शिव मन्दिर बने हैं । किन्तु इतने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान को पर्यटन के नक्शे पर नहीं लिया गया है । आगरा में एक आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाए, ताकि उच्चकोटि के प्रतिभावान कलाकार वहां आकर अपनी प्रतिभा को और निखार सकें और अपनी प्रतिभा का वहां प्रदर्शन कर सकें और लोग अपना मनोरंजन कर सकें और साथ ही ज्ञान प्राप्त कर सकें । दो वर्षों में पर्यटन को उद्योग बनाने की बात आपने कही थी, लेकिन आज तक वह सम्भव नहीं हो सका है । मैं कहूंगा कि जिस विभाग से इतना राजस्व प्राप्त होता है . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठ जायें ।

श्री अमिताभ लवानियां—

इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो कि बोलने का मुझे मौका दिया । मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी के बजट का विरोध करता हूं । पर्यटन बड़ा महत्वपूर्ण मोहकमा है । टूरिज्म बाज-बाज मुल्कों में बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है । मान्यवर, दुनिया में जाने कितने मुल्क ऐसे हैं, जिनकी एकोनामी टूरिज्म पर निर्भर करती है । ऐसे बहुत से मुल्क हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं ।

(इस समय 6 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 कृष्णबीर सिंह कौशल पीठासीन हुए) ।

हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क और प्रदेश में इस इंडस्ट्रीज को बिल्कुल नजरन्दाज कर दिया गया है और इस पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है । यदि हिन्दुस्तान में टूरिज्म पर जोर दिया जाये, तो यह बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है । अभी मंत्री जी ने यह कहा कि अफ्रीकन सफारी के तरीके पर हिन्दुस्तान में सफारी शुरू करेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में यह सम्भव नहीं है । हिन्दुस्तान में जंगलों की टोपोग्राफी अफ्रीका से बिल्कुल ही अलग है । अफ्रीका में जो जंगल होते हैं, वह खुले हुए मैदान होते हैं, जिन्हें वहां पर ब्रुशेज कहते हैं और वह यहां के जंगल की तरह नहीं होते हैं । वहां पर जो भी जानवर हैं उनको आप देख सकते हैं, लेकिन यहां के जंगलों में आप हफ्तों घूमते रहें, तब भी हो सकता है कि पूरे जानवर मौजूद होते हुए भी आप उनको न देख सकें ।

दूसरी बात मैं बाराबंकी के बारे में यह कहना चाहूंगा, पिछले बार भी मैंने इसी सदन में पर्यटन के बजट पर बोलते हुए इस बारे में कहा था, बाराबंकी में एक सारी दुनिया में प्रसिद्ध 'पारिजात' का पेड़ है, जो दुनियां में एक अलग चीज है । हिन्दू धर्म में भी इसके लिए कोशिश है और दुनियां के लोग दूर-दूर से यहां आते हैं इस अजीब पेड़ को देखने के लिए । कहा यह जाता है कि अर्जुन ने यहां आकर पुराने जमाने में वास किया था और उनका लगाया हुआ यह पेड़ है । दुनियां में यह अपने तरह का अकेला पेड़ है, लेकिन गवर्नमेन्ट की तरफ से वहां आने वाले लोगों के ठहरने-रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । इस पर मैंने पिछली बार कहा था और इस बार फिर मांग करता हूं वहां पर जो लोग देखने आते हैं, उनके ठहरने के लिए एक अच्छे डाक बंगले का इंतजाम किया जाये नहीं तो आज उन्हें मजबूरी में बिना वहां ठहरे लखनऊ वापस आना पड़ता है ।

नेशनल पार्क की जो बात है, उसके बारे में यह कहना चाहता हूं ,मैं विधायक हूं, दो महीने से किसी नेशनल पार्क में जाना चाहता हूं । किन्तु स्थान ठहरने का नहीं मिल पा रहा है । बड़ी मुश्किल से एक नेशनल पार्क में चार दिन ठहरने की इजाजत मिल गयी थी, किन्तु आज फिर मुख्यमंत्री का पत्र मिला है और उस परमीशन को फिर खारिज कर दिया गया है । मैं विधायक हूं और साथ ही फारेस्ट स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूं, फिर भी नेशनल पार्क में मुझे कोई जगह नहीं मिल रही है, तो सोचने की

बात है कि एक साधारण टूरिस्ट को कैसे ठहरने की जगह मिल सकती है और उसको क्या सुविधा मिल सकती है ? मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से केवल एक मिनट और बोलना चाहूंगा । आप डाक बंगलों की बातें करते हैं । करीब में ही पिकनिक स्पाट, लखनऊ में है । वहां पर मुझे जाने का इत्तफाक हुआ है । पिकनिक स्पाट, कुकरैल का यह हाल है कि पिकनिक स्पाट में जो कमरे हैं उनके अंदर घास उगी है । मान्यवर, कमरे के अंदर घास बहुत मुश्किल से उगती है । कमरे में वहां घास उगी है, यही कारण है कि वहां पर कोई रहना नहीं चाहता । वहां पर जाने वाले पर्यटक वहां रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि जिस कमरे में घास उगी हो वहां कौन रहना चाहेगा । पर्यटन विभाग और फिशरीज वाले ही वहां रहते हैं उनके लिए 2 कमरे बुक हैं । तो यह आपके डाक बंगलों की हालत है । इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका विरोध करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अशोक सेहरा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने के लिए समय दिया । मैं इस बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है । यहां पर बहुत से पर्यटन स्थल हैं जहां पर देश और विदेश से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं । जिस तरह से पर्यटन का ढंग और नीति हरियाणा में लागू की गयी है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहिए । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश और विदेश के यात्रियों को आकर्षित करने के लिए नयी योजनायें प्रारम्भ की जानी चाहिए और पर्यटकों को परिवहन, आवास, सूचना एवं गाइड की सुविधाएं मिलनी चाहिए । प्रदेश में आरक्षित वनों में राष्ट्रीय उद्यानों की कोई कमी नहीं है इनके लिए प्रचार की बड़ी आवश्यकता है ताकि पर्यटक यहां पर अधिक से अधिक संख्या में आ सकें । हमारे यहां उत्तर प्रदेश में अनेक धार्मिक स्थान हैं जैसे मथुरा, वृंदावन, बनारस, अयोध्या, चित्रकूट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री बौद्ध स्थल सारनाथ आदि स्थान हैं । इसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए और इन स्थानों पर पर्यटकों को सुविधाएं देने की व्यवस्था करें ताकि यहां पर देश और विदेश से अधिक से अधिक पर्यटक आ सकें ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद आगरा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, आगरा ताज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है । ताजमहल से आगे एक बैराज बनाने की योजना थी । इसको 1975-76 में लागू किया गया था । लेकिन अभी तक इस योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ है । इस बैराज के बनने से यमुना में नौका बिहार, उसके किनारे पर सौन्दर्यीकरण, ओपेन एयर थियेटर, ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट, मछली पकड़ने का आकर्षण पैदा किया जाय ताकि देश और विदेश के पर्यटक जो केवल एक दिन के लिए आगरा आते हैं

वह अधिक से अधिक आगरा में रुकें । आगरा में एक टूरिस्ट बंगला हैं जिसमें 30-40 बेड हैं । इनको बढ़ाकर 500 बेड कर दिये जायं जिससे कि आगरा में आने वाले पर्यटकों का शोषण होटल वाले न कर सकें ।

मान्यवर, ताजमहल के पास ही एक ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रहालय बनाया जाय जो मुगल कालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता हो । आगरा की ऐतिहासिक इमारतों का पूर्ण विवरण इस संग्रहालय में रखा जाना चाहिए । मान्यवर, इसी तरह से आगरे में अजायबघर या पक्षी विहार की स्थापना करनी चाहिए । आगरे में जो कीठम झील हैं जो आगरे से केवल 12 किलोमीटर दूर हैं वहां पर यह अजायबघर और पक्षी विहार बनाया जाय । यहां पर नौका बिहार, मत्स्य शिकार की सुविधाएं विकसित की जाय और इसको इस प्रकार विकसित किया जाय जैसे भरतपुर (राजस्थान) में पक्षी विहार हैं । ऐसा करने से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इस स्थान पर आयेंगे । मान्यवर, पर्यटकों के लिए लाइट और साउंड सिस्टम का प्रोग्राम भी आगरे में करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को जानकारी और उनका मनोरंजन हो । मान्यवर, आगरा शहर की आबादी बहुत बढ़ गयी हैं । वहां पर ट्रैफिक की समस्या हैं । बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए वहां पर ट्रांसपोर्टनगर की व्यवस्था की गयी थी । लेकिन प्रायः देखा गया हैं कि ट्रक आज भी घनी आबादियों में खड़े रहते हैं जिससे नगर का ट्रैफिक जाम रहता हैं इससे नयी सड़कों का निर्माण आज अत्यन्त आवश्यक हैं । बंबई और कलकत्ता जाने वाला ट्रैफिक नगर के मध्य से गुजर रहा हैं जिससे पर्यटकों को अत्यन्त असुविधा हो रही हैं । इस समय दो बाई-पासों की आगरा में नितान्त आवश्यकता हैं । एक दिल्ली से आने वाली रोड को ग्वालियर रोड से और कानपुर रोड से यदि जोड़ सकें तो इन दो बाई पासों से आगरा शहर से शाही इमारतों को जाने वाले रोड पर भीड़ कम रहेगी जिससे पर्यटक आसानी से आ जा सकेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद ।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपका बेहद आभारी हूं कि आपने पहली बार में ही बगैर उठक बैठक किये बोलने का अवसर दिया और मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद बांदा की ओर ले जा रहा हूं । मान्यवर, जनपद बांदा एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान रहा हैं । जब भगवान शंकर ने जहर पिया था तो कालिंजर में ही उन्हें आकर शांति मिली थी और भगवान राम की सीता जब खो गयी थीं तो चित्रकूट में ही रहकर उनका पता लगाया गया था । इसी तरह से जब अर्जुन और कृष्ण पर बुरे दिन आये थे तभी आज का जो बांदा हैं, पहले का बैरागपुरी था तो इसी बांदा में उनको शरण मिली थी परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा हैं कि जितनी उपेक्षा आज बांदा जनपद की पर्यटन विभाग की ओर से हो रही हैं वह कहीं भी किसी अन्य स्थान की नहीं हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रही हैं। जहां पर देश और विदेश का पर्यटक हजारों की संख्या में आता है वही पर्यटक मध्य प्रदेश के खजुराहो और बांदा के कालिंजर और चित्रकूट भी आते हैं। परन्तु इन पर्यटकों के लिए वहां पर सुविधा के नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। कालिंजर किले में शेरशाह सूरी बारूद से जलकर मरे थे और दूसरे यह स्थान चंदेलों की राजधानी भी रही है। इन्हीं सारे कारणों की वजह से यहां प्रत्येक वर्ष बहुत से पर्यटक आते हैं परन्तु यहां पर न तो कोई ठहरने की व्यवस्था है न बिजली की, न पानी की और न ही किले के अंदर बैठने की ही कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ-साथ मान्यवर, इस प्रदेश के जनपद के बुद्धिजीवी और पत्रकारों की गोष्ठी भी इस क्षेत्र के विकास के लिए बराबर होती रहती है। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां पर एक कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी लगता है इसमें भी हजारों पर्यटक आते हैं परन्तु कोई सही पूरी तरह से सुविधा न मिलने के कारण पर्यटकों को आक्रोश रहता है। इसलिए इन तमाम बातों को देखते हुए माननीय मंत्री जी इसे भी पर्यटक केन्द्र घोषित करने का कष्ट करें और पर्यटकों से संबंधित तमाम सुविधाओं की व्यवस्था करने पर भी विचार करें।

मान्यवर, इसके साथ-साथ चित्रकूट की ओर माननीय मंत्री जी को ले जाना चाहता हूं जहां पर प्रत्येक अमावस्या को बहुत बड़ा मेला लगता है और देश विदेश के पर्यटक यहां आते हैं लेकिन पर्यटन विभाग की तरफ से इस स्थान की बहुत उपेक्षा की जा रही है। इसके अलावा यहां पर और भी बहुत से दर्शनीय स्थान हैं जैसे हनुमान धारा, जानकी कुण्ड, प्रमोद वन, स्फटिक शिला है और यहां आने जाने वालों के लिए वाहनों की भी बड़ी परेशानियां होती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यदि यहां पर कुछ टैक्सियों और बसों की व्यवस्था करा दी जाये तो इससे पर्यटकों को भी सुविधा होगी और सरकार को लाखों रुपये का राजस्व भी प्रत्येक वर्ष प्राप्त होगा। इसके साथ ही चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां देश और विदेश के प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। इसलिए यहां पर एक वायुदूत की व्यवस्था देश विदेश के आने वाले पर्यटकों के लिए कर दी जाये जैसे कि खजुराहो में है तो खजुराहो से चित्रकूट वायु सेवा बहुत अच्छी चल सकती है और इससे राजस्व का फायदा भी अच्छा होगा। कालिंजर और चित्रकूट पर फिल्में तैयार की जायें चलचित्र निगम के माध्यम से ताकि इन ऐतिहासिक पर्यटक स्थानों का प्रचार हो और इससे राजस्व की और अधिक वृद्धि हो सके। अंत में मान्यवर, जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा कालिंजर और चित्रकूट में महोत्सव की भी व्यवस्था की जाये, लेकिन मान्यवर, न तो वहां पानी की व्यवस्था है, न ठहरने की व्यवस्था है और न बिजली की व्यवस्था है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बांदा जनपद के नरैनी क्षेत्र में विन्ध्यवासिनी के स्थान पर पानी, बिजली, नल तथा पर्यटकों के आने पर ठहरने की व्यवस्था की जाय, जिससे आपके राजस्व को फायदा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

*श्रीमती रीना कुमारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । पर्यटन विभाग मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विभाग है, लोग आज तक इसका मतलब नहीं समझ पाये हैं । लोग अब तक यही समझते हैं कि पर्यटन विभाग का काम केवल विश्राम गृह बनाना ही है, जबकि इस विभाग का काम केवल यह नहीं है, पर्यटन विभाग का काम जनता को जानकारी दिलाना है । जो हमारे देश और प्रदेश में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थान हैं, उनकी जानकारी पर्यटन विभाग को दिलानी चाहिए । इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि पर्यटन विभाग में जितना पैसा लगाया जाय, उससे कहीं दुगुना पैसा मिल सकता है,अगर हम अपने पर्यटन स्थलों का अच्छा प्रोप्रोगंडा करें ।

मैं मान्यवर, ज्यादा समय न लेकर कुछ सुझाव देना चाहती हूं । मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में ज्यादातर लोग धार्मिक स्थान पर जाते हैं और यही उनका टूरिज्म का साधन है । धार्मिक स्थानों पर घूमने से ही उनकी टूरिज्म होती है । टूरिज्म विभाग को चाहिए कि उनको आने-जाने की सुविधा सही तरीके से करें और डिपार्टमेंट को यह भी चाहिए कि जिस श्रेणी के लोग हों, उसी श्रेणी के उनके लिए विश्राम गृह और खाना आदि उपलब्ध करायें । मान्यवर, बहुत से तीर्थ स्थानों पर जब लोग जाते हैं, तो उन्हें यह शिकायत होती है कि उन्हें बसें ठीक से नहीं मिलीं और रहने और खाने-पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई । तो मान्यवर, पर्यटन विभाग को चाहिए कि इनके ऊपर विशेष ध्यान दें और खाने-पीने की जो सुविधा है, उसको ठीक करायें और विश्राम गृह सस्ते दामों पर उपलब्ध करायें । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमारे प्रदेश में बहुत सी ऐसी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो कि मुस्लिम वक्फ के अन्तर्गत आती हैं, मुस्लिम वक्फ इमारतों की सुरक्षा ही कर सकता है । लेकिन टूरिस्ट विभाग को चाहिए कि जो पर्यटन स्थल हैं, उन स्थानों पर लोगों को ले जाने का काम करें ।

मान्यवर, जो आरकिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के अन्दर इमारतें हैं, पर्यटन विभाग को चाहिए कि टूरिस्ट को उन जगहों तक पहुंचाने का काम करें । मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर माननीय मंत्री जी द्वारा जो पर्यटन विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जब हम टूरिज्म या टूरिस्ट सेन्टर्स की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन केन्द्रों को स्थापित करते समय हमारी दृष्टि रेवेन्यू अर्जित करने की भी होती है इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने विभाग को दो हिस्सों में बांटना चाहिए । एक तो जहां पर आलरेडी स्टैब्लिश्ड टूरिस्ट सेन्टर्स हैं उनको आप जितनी भी आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हों, प्रदान करें ताकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं वे उनकी ओर आकर्षित हो सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो हमारी सांस्कृतिक थाती हैं उसका भी प्रबन्ध इन केन्द्रों के माध्यम से होना चाहिए तभी इस विभाग की सार्थकता होगी, इसलिए मेरा निवेदन हैं कि आप नये सेन्टर्स बनवायें उनमें ऐसे अधिकारियों को लगायें जिन्हें टूरिज्म से कुछ लगाव हो। इस ओर उनकी दृष्टि साफ होनी चाहिए। मेरे हाथ में अयोध्या की एक छोटी सी पुस्तिका हैं जो आपके पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित कराई गयी हैं। इसमें कौन-कौन से अयोध्या के निकट तीर्थस्थल हैं, सबको दिखा दिया लेकिन सारे हिन्दुस्तान का व्यक्ति जिसको धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का जरा सा भी ज्ञान हैं वह श्रवण कुमार के नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। अकबरपुर तहसील में तमसा नदी के किनारे स्थित श्रवण क्षेत्र हैं जहां पर श्रवण कुमार अपने माता-पिता की सेवा करते हुए मारे गये उसका कहीं पर भी जिक्र इस पुस्तिका में नहीं हैं। इस तरह से श्रृंगी ऋषि का अपना महत्व हैं। जिन्हें प्रचलित धार्मिक कहानियां तथा किंवदंतियां का ज्ञान हैं उन्हें ज्ञात होगा कि राम की उत्पत्ति के लिए मंुगेर से ऋषियों के कहने पर श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या से दूर सरयू के तट पर श्रृंगी ऋषि आश्रम में बैठकर अपने तपोबल से उस यज्ञ का समापन किया। इसके बिना तो हम राम राज्य की कल्पना ही नहीं करते लेकिन आपकी बुकलेट में अगर उसका नाम नहीं हैं तो कौन सा आकर्षण होगा जिससे लोग आकर्षित होंगे। जो धार्मिक परम्पराओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं उनकी कैसे आकांक्षा जगेगी ? कैसे इच्छा जागे ? कैसे उत्सुकता जगेगी ? अगर आपकी बुकलेट में इसका वर्णन होगा तभी वह आकृष्ट हो सकेंगे।

इन सेन्टर्स के बारे में मेरा निवेदन हैं कि आप इनको दो हिस्सों में इन सेन्टर्स को बनाये एक को आधुनिक साजसज्जा से सुसज्जित कीजिये तथा दूसरे को रिलीजियस प्वाइंट बनाइये ताकि जो सैलानी आयें सिर्फ तफरीह के लिए, वहां के वातावरण के लिए, रमणीक स्थलों को देखने के लिये वे तो उसमें रहें और जो दूसरा उसमें धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जायें। जो लोग धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जाते हैं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन को जाते हैं उनके महत्व को जानने के लिए आप प्रचार कीजिये और उन नगरों में भी ऐसी व्यवस्था कीजिये कि जब वह राम की नगरी में जायें तो ऐसा महसूस करें कि वह राममय हो गया या शंकर की नगरी में प्रवेश करें तो उसको लगे कि काशी की महत्ता क्या हैं ? भगवान शंकर का क्या स्थान हैं ? पर्यटन विभाग को इस ओर दृष्टि डालनी चाहिए और जब तक आप इस दृष्टिकोण से कार्य नहीं करेंगे तब तक इसकी सार्थकता नहीं होगी ! इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमर चन्द्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं कि सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र के बारे में कहना हैं तो या तो आप समय कम कर दें या समय बढ़ाकर सबको मौका दें। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा प्रयास होगा कि मैं सीमित समय के अन्दर ज्यादा से ज्यादा विधायकों को बुलवा सकूं ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे पर्यटन के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मंत्री जी द्वारा रखे बजट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है जिसका की हम और आप लोग अक्सर यह देखने में आया है कि बहुत उपेक्षा करते हैं । मान्यवर, वास्तव में हिन्दुस्तान की धरती दुनिया से सबसे सुन्दर धरती मानी जाती है, दुनिया के कोने कोने से पर्यटक यहां आने के लिये बेचैन रहते हैं । वह यह जानना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की संस्कृति क्या है ? अनेकों सम्राटों, बादशाहों ने तरह-तरह की संस्कृति इस देश को दी है । यह प्राचीन संस्कृति है । मान्यवर, समय बहुत कम है, सीमित समय में कुछ बातें कहना चाहूंगा ।

बाहर के किसी मुल्क को आप देखें वास्तव में दिन भर काम करने वाले व्यक्ति चाहे डाक्टर के रूप में काम करते हों, अध्यापक के रूप में काम करते हों, किसान के रूप में काम करते हों, 5 दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद पर्यटक केन्द्रों पर जाते हैं और एक दिन पूरी तरह से विश्राम करते हैं । हमारे देश में भी जगह-जगह पर्यटन केन्द्र स्थापित होने चाहियें । प्रदेश के इस कोने से उस कोने तक नागरिक जायें और प्रदेश की सभ्यता की जानकारी उनको मिल सके । एक तो जितने हाईवे हैं, उन पर होटल्स बनाये जायं, वहां पर आवास एवं खाने की व्यवस्था हो । दिल्ली से आगरा ताजमहल जो देखने जाते हैं उस रोड को भी ठीक कराया जाय । गाजियाबाद दिल्ली से लगा है, दिल्ली के तमाम लोग घनी आबादी में रहते हैं हरियाणा में दिल्ली के निकट एक बड़कल लेक है वहां दिल्ली के बहुत लोग जाते हैं अगर इसी तरह से गाजियाबाद में हिन्डन नदी पर एक लेक बनवा दिया जाय तो दिल्ली से वहां बहुत लोग आयेंगे इससे प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति होगी । इसी प्रकार मुरादनगर नहर पर एक लेक बनवाया जा सकता है । गढ़ में पिछले कई सालों से पर्यटक केन्द्र बन रहा है, वह अधूरा है, उसको पूरा कराया जाय ।

मान्यवर, अन्त में यह कहना चाहता हूं कि जो पर्यटन निदेशक हैं उनका व्यवहार अलोकतांत्रिक है, उनको हटाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, दुनिया के जितने पुराने शहर हैं उनमें जेरुसलम एक है और दूसरा बनारस है । काशी की महत्ता के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं । एक बात कहना चाहूंगा कि काशी बनारस प्रयागराज । काशी बनारस में गंगा है, जो वहां के घाट के बारे में करीब 63-5 लाख रु0 शासन ने स्वीकृत किया है । वहां पर एक तुलसी घाट है, रामचरित मानस की रचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महाकवि तुलसी दास ने वहीं पर की थी। वहां पर तुलसी दास की प्रतिमा भी लगी है। मेरा सुझाव है कि शिव की जटा से भागीरथी निकल कर, गंगा काशी में कैसे अवतरित हुई ? गंगा के पूरे विकास की प्रक्रिया को, इतिहास को ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से दिखाया जाय। मान्यवर, एक लाख पर्यटक बनारस में प्रति दिन आते हैं। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में कोई दूसरा शहर नहीं होगा जहां एक लाख पर्यटक प्रति दिन आते हों। एक बात और कहना चाहूंगा। भारत माता मन्दिर वहां का एक ऐसा मंदिर है, जैसा कि हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। आजादी की लड़ाई में जितने लोगों ने कुर्बानी दी है, चाहे क्रांतिकारी हों, चाहे अहिंसक आन्दोलन से संबंधित हों और चाहे महात्मा गांधी के साथ काम करने वाले लोग हों, शहीद भगत सिंह हों, सुखदेव हों, चन्द्रशेखर आजाद हों, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, ये शिव प्रसाद गुप्त के घर में शरण लेते थे और उन्होंने वहां पर भारत माता मंदिर का निर्माण कराया। वह मन्दिर अब विनाश के कगार पर है। वहां पर भारत का एक मानचित्र संगमरमर का बना है, जैसा कि इस देश में कहीं नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मंदिर का अधिग्रहण भारत सरकार कर ले, वरना वह मंदिर विनाश के कगार पर है। हम पिछले 5-6 साल से भारत सरकार और सूबे की सरकार से इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि एक बार वे बनारस चल कर इस ऐतिहासिक आजादी की लड़ाई से संबंधित लोगों के मन्दिर को देखें और उसको बचाने के लिये कार्य करें। इन शब्दों को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। श्रीमन्, उन्होंने दो उद्देश्य पर्यटन के बताए, एक तो राष्ट्रीय एकता की बात कही और दूसरी बात राजस्व वृद्धि की कही। यह चीज ऐसी है, जैसा तिवारी जी ने कहा, उसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि राजस्व की वृद्धि के लिये आपका जो यह 76 लाख का बजट है, उसके माध्यम से आपके लिये यह करना कठिन है। वास्तव में पर्यटन केन्द्रों पर 10-20 रुपये में रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। आप 100-200 रुपये किराये वाले होटल बनाते हैं। इससे राष्ट्रीय एकतावाली बात पूरी नहीं हो सकती है। तो होटल मैनेजमेंट की जो बात कही, उसमें भारत सरकार को प्रेरित करें कि ऐसे स्थानों पर लोगों के वित्तीय संसाधन ऐसे नहीं हैं कि आप वहां काम कर सकें। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर छोटे-छोटे किस्म के ऐसे होटल बनाए जायं जहां 10-20 रु0 में, जैसे नेपाल में 10 रुपये में साफ-सुथरा कमरा, भले ही कच्चा हो, लेकिन साफ होता है, मिल जाता है, तो वहां पर 10-20 रुपये में कमरा मिल जाय। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे बहुत सी झीलें बनी हुई हैं। मैं झीलें बनाने की बात नहीं कहूंगा।

मान्यवर, तुमरिया, ढोंढा और बौर जलाशय आदि सैकड़ों मील के क्षेत्र में फैले

हुए दर्शनीय जलाशय हैं । उनमें सैलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का इंतजाम करें और पर्यटन उद्योगों को आकर्षित करके पर्यटन केन्द्र बनाने का कार्य करें । जिससे वहां पर लोग पहुंच सकें । अभी एक माननीय सदस्य कटौती के समय कह रहे थे कि पर्यटन निगम में घाटे के बावजूद वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिया । तो पहली बार, अभी तक जो निगम हैं उनमें आई0 ए0 एस0 अधिकारी या राजनीतिक लोग रहे हैं और इस पर माननीय सदस्य हमेशा एतराज करते हैं । पहली बार उसमें वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है जो उस विषय का जानकार है, एक्सपर्ट हैं और उनके इस विषय के 14 वर्ष के अनुभव से पर्यटन निगम लाभान्वित होगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । भगवान राम, श्री कृष्ण और भगवान शंकर की धरती पर चर्चा हुई, लेकिन इस देश के लिये और विश्व के कल्याण के लिये मान्यवर, सत्य अहिंसा और शांति के प्रतीक महात्मा बुद्ध के निर्वाण स्थल की ओर माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न करूंगा । हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी जब माननीय मंत्री जी आने वाले थे और इनके हवाई जहाज का इंतजार करते रहे लेकिन कसया में ये उतर नहीं सके । आप वहां का कार्यक्रम फिर से बनायें और महात्मा बुद्ध के उस स्थल को देखें । यह स्थल उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से पूरी तरह से उपेक्षित रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि कुशीनगर में पर्यटन विभाग की तरफ से कोई कार्य अब तक नहीं हुआ है । भारत सरकार ने, जिस समय चीन के प्रधानमंत्री आने वाले थे, एक टूरिस्ट बंगला बनवाया था, जिसमें 170 रु0 किराया लगता है जो अशोक ग्रुप में है । मान्यवर, वहां जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके लिये वहां रहने के लिये कोई उचित स्थान की व्यवस्था नहीं है । लंका, जापान, थाइलैंड, तिब्बत, चीन से हर साल हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक आते हैं । जिनको रहने के लिये भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है जिस कारण उनको वहां से भागकर दूसरी जगह जाना पड़ता है । कुशीनगर में सरकार द्वारा एक बंगला बनना चाहिये जो हास्टल टाइप रहे ।

मान्यवर, 1981-82 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्री श्री शंकर दयाल शर्मा व श्री चन्दूलाल चंदाकर ने 3 स्टार होटल का शिलान्यास वहां पर जापान सरकार के सौहार्द्र से किया । 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कोई काम आगे नहीं बढ़ सका है । मुझे यह जानकारी मिली है कि उसके लिये जापान और बर्मा सरकार ने भारत सरकार को पैसा दिया है । इस बात पर ध्यान दिया जाय कि वह 3 स्टार होटल जल्दी बन सके इसलिये आवश्यक हो तो भारत सरकार से पत्र व्यवहार भी किया जाना चाहिये ताकि वह काम आगे बढ़े । मान्यवर, कसया में हवाई अड्डा भी है वहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं, माननीय मंत्री जी भी इसे स्वीकार करेंगे, वहां वायु-दूत सेवा प्रारम्भ करने के लिये भारत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार से सिफारिश करें या स्वयं उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन में शामिल करके वायुदूत सेवा प्रारम्भ कराने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ अनुग्रह नारायण सिंह जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो पर्यटन के मोनोग्राम की तरह खूबसूरत बजट रखा है, उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। मान्यवर, हमारा क्षेत्र कौशाम्बी जो नगर से 90 कि0 मी0 पर है। मान्यवर, कुशीनगर में विकास किया जा रहा है। मान्यवर, मैंने 3-4 बार कौशाम्बी नगर के बारे में सवाल भी उठाया है लेकिन पर्यटन विभाग की ओर से अभी तक उसको नहीं लिया गया है। मान्यवर, जहां बांदा में चित्रकूट।

(कई सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

अतवारा झील आदि है। तेहराबाद में पर्यटन अधिकारी रहते हैं। कौशाम्बी नगर को इस तरह उपेक्षित रखना और पर्यटन स्थल की पुस्तक में न लिया जाना दुर्भाग्य है कौशाम्बी को इस बार पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करके उसका विकास किया जाय ताकि वहां अधिक से अधिक पर्यटक आ सकें और इस तरह से वहां घोषित करके पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, इस पक्ष के और उस पक्ष के तमाम सदस्यों के सुझाव आपके सामने आ गये हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को पर्यटन विकास विभाग के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, देश में धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सौन्दर्य वाले तमाम ऐसे स्थान हैं, जिनको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे इस देश की आजादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए हैं, जहां जहां पर लोगों को फांसी हुई है—उनका इतिहास, उनकी जीवन शैली, उनके चरित्र का भी ज्ञान आम लोगों को होना चाहिये। इसीलिए इन स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में दर्ज करके उनका विकास करवाया जाय जिससे कि लोग उनके विषय में जान सकें और देश की जो बिगड़ती हुई स्थिति है गिरता हुआ नैतिक चरित्र है—उन लोगों की जीवन शैली देखकर-समझ कर लोग अपनी भावना बदल सकें और नयी भावना जागृत हो सके। लोग जान सकें कि यह शहीद आजादी के प्रति कितने समर्पित थे। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई, राजेन्द्र लाहिड़ी को गोंडा में

(इस समय 6 बजकर 57 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फांसी हुई थी, अस्फाक उल्लाह को फैजाबाद में फांसी हुई रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी हुई थी । चन्द्रशेखर आजाद, जो कि अंग्रेजों से लड़ते हुए ऐल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे । ऐसे तमाम शहादत स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाय प्रचार प्रसार और ऐसे स्थानों का विकास किया जाय । काकोरी में, जब नेता सदन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी थे, उन्होंने वहां जाकर घोषणा की थी कि पर्यटक स्थल घोषित किया जायगा, चौरीचौरा, गोरखपुर को भी पर्यटक स्थल घोषित करने की घोषणा की थी । पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर माननीय बलराम जाखड़ जी जब वहां गये थे तो काकोरी की दुर्दशा देखकर रो पड़े थे । मेरी मांग है कि ऐसे स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित तथा प्रचारित किया जाय ।

पर्यटन विभाग में जो निर्माण कार्य हो रहा है, उनकी लम्बी चौड़ी सूची आपके सामने रखी है । सार्वजनिक निर्माण विभाग राजकीय निर्माण निगम जैसी संस्थायें अगर आपके निर्माण में सहयोग नहीं दे रही हैं तो आप अपनी अलग इकाई बनायें और उसके माध्यम से अपने निर्माण कार्यों को करायें ।

वायुदूत सेवा प्रारम्भ की है, कुछ सेवायें पहले से हैं, आप भी बहुत कुछ करने की बात कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि ऐसी जगहों पर जहां जल मार्ग बना सकते हैं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये उन्हें बनायें जैसे इलाहाबाद से वाराणसी, इलाहाबाद से आगरा, जलयान या जल नौका सेवा भी उपलब्ध करायें । इलाहाबाद, प्रयाग एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है । तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कि यदि उनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाय तो आय भी होगी और उनसे जो शिक्षा ग्रहण होगी वह देश के विकास के लिये कामयाब होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

अभी भाई शतरुद्र प्रकाश जी ने वाराणसी में भारत माता का मन्दिर स्थापित करने की बात कही ..

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो उन्होंने कह दिया, अब आप समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

दो तीन वर्ष पूर्व इलाहाबाद पर्यटक आवास गृह से कूद कर स्व0 राम गरीब, मैनेजर चित्रकूट पर्यटक केन्द्र ने आत्महत्या कर ली थी । इसके पीछे भी विभागीय भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न था । इसकी बेसहारा विधवा को शासनादेश के अनुसार सेवा में नियुक्ति दी जाय । मेरे कुछ सुझाव और हैं, इसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूं । इलाहाबाद में कौशाम्बी, श्रृंगवेरपुर, शिवकुटी, बेनीपुर करछना, लक्षागृह भारद्वाज आश्रम हंडिया में भिस्की और उपरदहा, झूंसी, कड़ा, दुर्वासा आश्रम, मैक्फर्सन झील आदि को भी पर्यटक स्थलों में शामिल करके विकसित किया जाय ।

लोकनायक जय प्रकाश जी के जन्म स्थान "सिताबदियरा" बलिया को भी पर्यटक स्थल घोषित करके विकसित कराया जाय ।

बलिया जिले के सीयर क्षेत्र में कोइली मोहन ताल का विकास कराया जाय ।

वाराणसी में भारतमाता के मंदिर का अधिग्रहण करके पर्यटन स्थलों की सूची में रखा जाय ।

राज मार्गों पर 50-50 कि0 मी0 पर रैन बसेरा होटलों का निर्माण कराया जाय ।

बांदा में कालिंजर, महोबा, भूरागढ़, अजयगढ़ (कर्बी) आदि की सुरक्षा तथा पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जाय ।

मानसरोवर यात्रा की पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ले, केवल प्रबंधकीय कार्य नहीं होना चाहिये ।

इसी के साथ ही मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का आभार प्रगट करता हूं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिया और सुझाव दिये । माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी का आभारी हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को बड़े भारी मन से रखा है । मैं जो कहना चाह रहा था, वही वह कह रहे थे । लगता है कि जो कटौती का प्रस्ताव उन्होंने रखा है वह मात्र औपचारिकता की है इसलिये मैं उनका आभारी हूं । मान्यवर, उनका क्षेत्र इलाहाबाद है जिसका शायद उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है । वहां पर पर्यटन विभाग के माध्यम से एक जलक्रीड़ा की योजना उनके क्षेत्र के लिये विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त 100 शैया का यात्री निवास गृह भी वहां पर बनाया जायेगा जो कि उनके क्षेत्र में ही बनेगा जब इतना बड़ा हिस्सा उनको मिल रहा है तो फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि वे कटौती के प्रस्ताव पर बल दें । इसलिये उनको चाहिये कि अपने प्रस्ताव को वे वापस ले लें ।

जो उन्होंने सुझाव दिये हैं वह तो हम कर ही रहे हैं । जहां तक बजट को बढ़ाने की बात है, ऐसी ही एक मांग आगरा के लिये भी आयी है, मैं इस पर जरूर विचार करूंगा कि क्या कर सकता हूं ? जो कर सकता हूं, जरूर करूंगा । विकल जी ने इसको दिशाविहीन बजट बताया है लेकिन मैं इसको सही दिशा में ले जा रहा हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि इसे मंजिल तक पहुंचाऊंगा । ताजमहल को लेकर जो चिन्ता व्यक्त की गयी है इससे मैं केन्द्र सरकार को अवगत करा दूंगा ।

कालिंजर और चित्रकूट के संबंध में भी ध्यान आकर्षित किया गया है । राम वन गमन मार्ग की जो योजना है उसके संबंध में अयोध्या से चित्रकूट तक जो हम विकास कर सकते हैं, उसे करेंगे । चित्रकूट में जो पर्यटक आवास है उसमें पानी की कमी की शिकायत थी, उस कमी को दूर कर दिया गया है । शतरुद्र प्रकाश ने भारतमाता के मन्दिर की बात की है, उसके लिए मैं उनको दावत देता हूं, वह आवें, बैठें और बात करें हम जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, हमारे साधन सीमित हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से केन्द्र सरकार के सहयोग से कुछ कर सकें । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हर जिले में जिला योजना के अन्तर्गत कुछ

बातें आ सकती हैं। कभी-कभी वहां पर भी पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों को अनुरोध करना चाहिए कि जिला योजना समिति पर्यटन को भी बढ़ावा दे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो सुझाव दिया है अगली अयोध्या के सम्बन्ध में जो पुस्तक प्रकाशित होगी उसमें यह दोनों नाम अवश्य रखे जायेंगे। आर्ट गैलरी का सीधा सम्बन्ध हमारे विभाग से नहीं है लेकिन इसे हम सम्बन्धित विभाग तक अवश्य ही पहुंचा देंगे। हम सभी बातों पर विचार करेंगे।

मान्यवर, जितनी अच्छी बातें कही गयी हैं उन सभी पर मैं विचार करूंगा। आपके माध्यम से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा बजट सीमित है। मान्यवर,

(7 बज कर 10 मिनट)

हमारा बजट बहुत सीमित है। यह पूरे बजट का 0.0018 प्रतिशत पर्यटन को मिलता है। हमारे पास साधन नही है। इन सीमित संसाधनों में हम अधिक से अधिक सुविधायें देने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 75,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री, (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

मान्यवर, यह बहुत ही छोटा सा विधेयक है। उ0 प्र0 जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 की उपधारा (1) में 3 शब्दों के लिये संशोधन की व्यवस्था की गयी है। 31 मार्च, 1986 के स्थान पर 31 मार्च, 1987 किया जा रहा है। मान्यवर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) 1977 की धारा 2 में जिला परिषदों के जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, उन सभी को 31 मार्च, 1986 तक जिलाधिकारी में निहित कर दिये गये थे। 31 मार्च, 1986 तक बहुत थोड़ा समय बचा है और इतने कम समय में चुनाव करा सकना कठिन है और अगर हम इसको न लाते तो बैधानिक अड़चन पैदा हो जायेगी। मान्यवर, जिला परिषदों का

गठन शीघ्र हो इसके लिए हम उनका चुनाव कराना चाहते हैं । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि सितम्बर के पहले सप्ताह तक में विधान सभा का सत्र चलता रहा, उसके बाद प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो गयी, जिलों में बाढ़ आ गयी, सारी सरकारी मशीनरी उस ओर लग गयी और 6 फरवरी से यह सदन चल रहा है । जिला परिषदों के चुनाव में माननीय सदस्यों के योगदान की आवश्यकता होती है और फरवरी और मार्च में चुनाव हो नहीं सकते थे, इसीलिये इसकी अवधि को बढ़ाना पड़ा है और आप लोग इसको पारित करें मेरा निवेदन है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस विधेयक के द्वारा दो शब्दों में परिवर्तन किया जा रहा है । 31 मार्च, 1986 के स्थान पर 31 मार्च, 1987 कर दिया जाये । मान्यवर, अंग्रेजों ने भी थोड़ी सी जमीन भारत की मांगी थी और उसका परिणाम निकला कि देश गुलाम बन गया । बिच्छू डंक मारता है, सूई के बराबर होता है, परन्तु विष सारे शरीर में फैल जाता है । मान्यवर जहां तक देश के विकास का सवाल है, उसके लिये जनता का सहयोग चाहिये और जनता के सहयोग को प्राप्त करने के लिये तीन स्तर की इकाइयों का निर्माण किया गया है—ग्राम सभा, क्षेत्रीय परिषद और जिला परिषद । ग्राम सभाओं के चुनाव हो गये, क्षेत्रीय समितियां भी गठित हो चुकी, जिला परिषदों के सदस्यों का भी निर्वाचन हो गया । मान्यवर, बात समझ में नहीं आती है कि जिला परिषद के गठन के लिए मात्र जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव शेष रह गया उसके लिए फिर से जो शक्ति जनता की जिला परिषद में निहित है वह शक्ति पुनः इस विधेयक के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट में निहित कर दी जायेगी मान्यवर, कोई काम तो शेष नहीं रहा जिला परिषद के गठन के लिए एक वर्ष का समय फिर से लेने का क्या कारण है ? मंत्री जी ने कहा इसे पास कर दीजिए शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो जायेंगे । यह वायदे कई बार हो चुके हैं मान्यवर, प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव इसीलिए रखा है । अगर शीघ्र से शीघ्र होना है तो एक वर्ष का समय लेने का क्या औचित्य है ? अगर आप 31 मार्च, 1987 की जगह आप एक महीना, दो महीना, तीन महीना का समय ले लेते और जून के अन्दर चुनाव कराने की बात करते तो मैं संशोधन भी पेश न करता । माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर चलो 30 दिन का समय ले लेते और उसके अन्दर चुनाव कराते हैं तो इसकी आवश्यकता न पड़ती । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं यही नहीं जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है मान्यवर, बड़ी दुर्दशा हो रही है जिला परिषद के बहुत से काम हैं कुछ ठेके हैं, कुछ अस्पताल हैं, स्कूल हैं, गोले हैं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिला परिषद इकाई पूर्णतः पंगु हो

गयी हैं, कोई दम न रहा, कोई काम न रहा बिल्कुल पंगु हो चुकी हैं। मान्यवर, साल भर के लिए जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार देकर आप इसको बर्बाद कर देना चाहते हैं। जहां तक जिला मैजिस्ट्रेटों के नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता नहीं तो आप उनका कत्ल कर देंगे। तमाम जिला मैजिस्ट्रेटों ने कहा कि ऐसे ही सारे काम मेरे पास लदे हुए हैं, जिला परिषदों का काम और लाद दिया गया इसके बोझ से मैं दबा जा रहा हूं उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊं या जिला परिषद् मिट जाय। ऐसे हालात में जहां चल रहा हैं वहां पर एक साल का समय लेने का कोई औचित्य नहीं हैं। जहां तक इस तरह की चीजें हैं उसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं ये जितने भी काम जिला परिषद् के अन्तर्गत हैं वह बर्बादी की हालत में हैं। मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0 और आई0 आर0 डी0 के जितने काम हैं उसमें जिला परिषद को काम करने को दिया जाता हैं और ऐसी लूट मची हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं हैं राजस्व विभाग में भी ऐसी लूट नहीं हैं जिला परिषद की इकाई खुली लूट मचा रही हैं कोई देखने वाला नहीं हैं, न कोई नियंत्रण हैं। जिला मैजिस्ट्रेट के पास समय नहीं हैं कि इसको देखे। एक साल की और बर्बादी करने के लिए यह विधेयक यहां लाया गया हैं जनता के अधिकारों का हनन और जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के लिए ही इन्होंने यह संशोधन पेश किया हैं। इसे प्रवर समिति में भिजवाने की कृपा करें वहां से विचार आ जायेगा जिससे एक साल की बर्बादी होने से बचा जा सके।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक छोटा सा यह विधेयक हैं जिसमें सिर्फ तीन शब्द बदले जा रहे हैं और 31 मार्च, 86 के स्थान पर 31 मार्च, 87 किया जा रहा हैं। श्रीमन्, मैं इसी छोटे से शब्द की बात करता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो आज उधर बैठे हुये हैं वर्ष 1982 में जब यहां पर ऐसा ही एक संशोधन आया था तो उस समय उनके क्या विचार थे। मान्यवर, वह मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। उस समय उन्होंने यह कहा था "मान्यवर, जिला परिषदों की जो हालत आज जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में हो गई हैं वह देखने लायक हैं चाहे कितने ही निकृष्ट जनप्रतिनिधि क्यों न हो वह कितना अच्छा काम करता हो, आज के इन जिलाधिकारियों से तो इसमें कोई संदेह नहीं, आज कोई भी जिला परिषद अपने संसाधनों से विकास का काम तो दूर रहा अपने खर्चे भी पूरा नहीं कर पा रही हैं।" यह विचार उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने व्यक्त किये थे। उनके आज क्या विचार हैं, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हैं . . .

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)— मेरे विचार वही हैं, जो उसमें हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जो विचार उनके 1982 में थे आज उनके क्या विचार हैं? उनकी कैबिनेट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या पास करती हैं ? क्या उनके विचारों में और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के विचारों में भिन्नता हैं ? माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने भी 1985 में कहा था कि यथाशीघ्र चुनाव करा दिये जायेंगे । यह यथाशीघ्र कब आयेगा, चुनाव कब कराये जायेंगे ? यह यथाशीघ्र कभी आने वाला नहीं हैं । चार बार आप यह संशोधन ला चुके हैं यह कह कर कि यथाशीघ्र चुनाव करा दिये जायेंगे और नहीं करा रहे हैं । मान्यवर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि 31 मार्च, 1987 तक समय लेने का क्या औचित्य हैं । माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने 13-2-86 को इसी सदन में कहा हैं कि जिला परिषदों का चुनाव मई के महीने में कराये जायेंगे । यह मुख्य मंत्री ने 13 फरवरी को कहा था । जब मुख्य मंत्री जी यह बात कह रहे हैं तो फिर क्या औचित्य हैं 31 मार्च, 1987 तक समय बढ़ाने का ? मान्यवर, यह निश्चित प्रश्न हैं । यह मैं सदन की कार्यवाही से नोट करके लाया हूं । यदि मुख्य मंत्री जी समय बढ़ाना चाहते हैं तो 31 मई, 1986 तक करा दें । क्या आप ऐसा कराने के लिये तैयार हैं । यदि आप तैयार हैं तो ठीक हैं अन्यथा इन शब्दों के साथ मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, मैं इस पर कुछ बोलने के पहले माननीय सामुदायिक मंत्री जी से यह स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या वे 30 जून, 1986 तक चुनाव कराने का आश्वासन सदन को देंगे ? यदि आश्वासन देते हैं तो फिर मैं निवेदन करूंगा अपने माननीय सदस्य से कि इस पर वे क्लोजर मूव कर दें । यदि वे आश्वासन नहीं देते हैं तो फिर मैं अपनी बात कहूंगा ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि हम चुनाव करा देंगे । पूरा प्रयास करेंगे कि 30 जून तक चुनाव हो जायं ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मुझे खेद हैं कि माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे रहे हैं कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे । यह बात बहुत घातक प्रवृत्ति की हैं । इस तरह से जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा हैं और वर्षों से चुनाव टाला जा रहा हैं । जैसा कि माननीय हरीश जी ने कहा, सारे चुनाव हो गये हैं और कुछ नोमिनेशन्स तथा कोआप्शन होने बाकी हैं । अध्यक्ष का चुनाव कराना था, वह आज तक नहीं हुआ । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2 साल पहले एक जी0 ओ0 जारी किया था उसमें प्रभारी मंत्रियों को जिला परिषदों का इन्चार्ज बनाया । और जो माननीय सदस्य हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद् के चुने हुये सदस्य हैं वे लोग सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में काम करेंगे इसकी अंतरिम व्यवस्था की थी । ऐसा जी0 ओ0 निकलने के बाद भी किसी जिले में मीटिंग नहीं हुई । किसी प्रभारी मंत्री को अवसर नहीं मिला कि वह जिला परिषद् की बैठक बुलाये और उनके कामों के बारे में विचार करे । इनके अधिकारियों पर इनका कोई अंकुश नहीं रह गया हैं । यह सरकार अपने अधिकारियों की चेरी हो गयी हैं । मैं माननीय

हरीश जी की बात से सहमत नहीं हूं कि जो उन्होंने कहा कि उनसे जिलाधिकारियों ने यह बात कही कि हम बोझ से दब कर मर रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। आई0 ए0 एस0 अधिकारियों का एक गिरोह बन गया है यह डकैतों का गिरोह है। इस प्रदेश को लूट रहा है। येनकेन प्रकारेण उनको हथियाये पड़ा है। हमारे चुने हुये जिला परिषद् के प्रतिनिधि जिस कुर्सी पर बैठते थे जिस जीप पर बैठते थे उस पर कलेक्टर का चपरासी बैठ कर जिले में घूमता है। इससे शर्मनाक बात हम लोगों के लिये और क्या हो सकती है ? (व्यवधान) हरदेव की बात मैं नहीं करता हूं उनके समझ के बाहर की बात है। इनका चुनाव कराने की प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते। मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। संशोधन लाये कि तीन साल के लिये विधान सभा को स्थगित कर दिया जाय। और इसका कार्यभार मुख्य सचिव को दे दें। अपने सचिवों और कमिश्नरों के माध्यम से काम चलायें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, इसके विरोध में हमारी जनता पार्टी सदन का त्याग करती है, यह विधेयक लोकतांत्रिक मान्यताओं के विरुद्ध है। निर्वाचित लोगों को कुर्सियों पर नहीं बैठाना चाहते हैं। इसलिये हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री मैनेजर सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री हीरशचन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शीघ्र चुनाव कराने की बात कही है। मैं इनसे स्पष्ट पूछूंगा कि क्या आप 30 जून तक चुनाव करायेंगे ? उसका आप आश्वासन देते हैं तो इसे वापस कर लिया जायेगा लेकिन माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हैं। एक निवेदन मैं और करूंगा जिसे वह समझते भी हैं जिसके कारण यह चुनाव टाल रहे हैं वह यह है कि कांग्रेस में बड़ा अन्तर्द्वन्द्व है उसमें आंतरिक झगड़ा है कि किसे लाया जाय किसे न लाया जाय। यह झगड़ा निपटने वाला नहीं है। तो क्या वह झगड़ा नहीं निपटेगा तो चुनाव टालते जायेंगे ? मैं कहता हूं कि यह झगड़ा निपटने वाला नहीं है और यह चुनाव टालते जायेंगे। मैं कहता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय इसलिये वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें लेकिन उसके लिये वह तैयार नहीं हैं। अतः माननीय मंत्री जी द्वारा जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव कराने का आश्वासन न देने के विरोध में अपने दल भाजपा सहित सदन का बहिष्कार करता हूं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरीश जी को बड़ी पीड़ा है लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की, जिला परिषदों के चुनाव न होने की वजह से पूरी तरह से लागू नहीं हो रहे हैं उनको पीड़ा है कि जिला परिषदें भंग हो गयी हैं। लेकिन आपको स्मरण होगा कि जिला परिषदों को पंगु किसने बनाया। उधर के जो माननीय सदस्य आज बैठे हैं जब जनता पार्टी का शासन था उसमें हरीश जी भी

भागीदार थे, वह कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय जिला परिषदों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिये था जो 1979 में समाप्त होता था लेकिन उन्होंने अगस्त 77 में ही जिला परिषदों को भंग कर उनका सारा अधिकार कलेक्टरों को दे दिया । माननीय हरीश जी 3 वर्ष तक सत्ता में रहे लेकिन गांव सभाओं का चुनाव नहीं करा सके, क्षेत्र समितियों का चुनाव नहीं करा सके, जिला परिषदों का चुनाव नहीं करा सके । मान्यवर, जब हमारी सरकार 1980 में बनी तो जो पंचायतीराज की व्यवस्था हैं हमारे प्रदेश में गांवों में ग्राम सभाओं स्तर पर, विकास खंड स्तर पर क्षेत्र समितियां, जिला स्तर पर जिला परिषदें जो यह प्रदेश में तीन स्तरीय व्यवस्था हैं, इसमें दो स्तरीय व्यवस्था के चुनाव संपन्न करा दिये हैं । ग्राम सभाओं के और क्षेत्र समितियों के चुनाव हो चुके हैं और यहां तक कि जिला परिषद में जो माननीय सदस्य आते हैं क्षेत्र समितियों से उनके भी चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं । अब तो केवल जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कराना शेष हैं । लेकिन इस वर्ष जैसा कि मैंने बताया हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति होने के कारण जैसे सूखा और बाढ़, एसेम्बली चलती रही जिससे चुनाव नहीं हो सके किन्तु मुख्य मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि मई के महीने में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देंगें और आज भी मैनेजर सिंह के प्रश्न के उत्तर में मैंने यही कहा कि पूरा प्रयास करेंगे कि जिला परिषदों का चुनाव जून तक सम्पन्न हो जायं । हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं और हमारी सरकार का पूरा इरादा यही हैं । इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपके माध्यम से श्री हरिश्चन्द्र जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, इस सरकार का लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं हैं । इसलिये हम और हमारा दल सदन का त्याग करता हैं ।

(दिवाकर विक्रम सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह हैं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह हैं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया

और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "31 मार्च, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1987" रख दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड-2, खंड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में कोबाल्ट थैरेपी मशीन की सुविधा उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वक्तव्य को पढ़ने के लिये खड़े होने पर)

एक सदस्य—

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की अनुमति हो तो वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)*

[जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

प्रदेश में कोबाल्ट थरेपी की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में उपलब्ध है—

1—के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2—जे0 के0 कैन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर ।

3—एस0 एन0 चिकित्सालय, आगरा ।

राजकीय मेडिकल कालेजों के अलावा कोबाल्ट थैरेपी की व्यवस्था निम्नलिखित गैर सरकारी संस्थानों में भी उपलब्ध हैं—

1—कमला नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद ।

2—हनुमान प्रसाद पोद्दार कैन्सर इन्स्टीट्यूट, गोरखपुर ।

3—वाराणसी ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में स्थापित मशीन पिछले वर्ष खराब हो गई थी । अतः नई मशीन के क्रय के लिए शासन द्वारा अनुदान स्वीकार कर दिया गया था । यह मशीन लगभग 30-35 लाख मूल्य की है । इस मशीन को खरीदने की प्रक्रिया अब पूर्ण कर ली गई है और निकट भविष्य में अब कोबाल्ट थैरेपी मशीन शीघ्र ही के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ में कार्य आरम्भ कर देगी ।

कानपुर में कोबाल्ट थैरेपी मशीन क्रियाशील है व इससे रोगियों का उपचार हो रहा है । यह कहना सही नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि में कई रोगी कानपुर छोड़कर उपचार हेतु अन्यत्र चले गये । उक्त अवधि में केवल कोबाल्ट थैरेपी उपचार सुविधा बन्द रही क्योंकि कोबाल्ट थैरेपी का कार्य करने वाले टेक्नीशियन्स भी हड़ताल पर थे परन्तु जो उपचार चिकित्सकों एवं उपचारिकाओं द्वारा सम्भव था, होता रहा । यह कहना गलत है कि उस अवधि में 1000 रोगियों की मृत्यु कोबाल्ट थैरेपी की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण हुई । हड़ताल की अवधि में केवल दो रोगियों की मृत्यु हुई ।

हनुमान प्रसाद पोद्दार कैन्सर इन्स्टीट्यूट गोरखपुर एक स्वयंसेवी प्राइवेट संस्था है और वह अपने संस्था के नियमों के अनुसार ही फीस इत्यादि लेती है ।

आगरा मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय में कुछ समय से कोबाल्ट मशीन क्रियाशील नहीं है । उसका कोबाल्ट सोर्स बदला जाना है । कोबाल्ट सोर्स की आपूर्ति एकमात्र संस्था बी0 ए0 आर0 सी0 बम्बई द्वारा की जाती है । आगरा मेडिकल कालेज में कोबाल्ट सोर्स बदलने के सम्बन्ध में आर्डर दे दिया गया है और कोबाल्ट सोर्स के बदल दिए जाने पर मशीन कार्यशील हो जायेगी ।]

उक्त मशीनों के ठीक हो जाने पर कोबाल्ट थैरेपी के उपचार की व्यवस्था प्रदेश के मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा आगरा में भी उपलब्ध हो जायेगी ।]

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष लखनऊ मेडिकल कालेज में मशीन कब खराब हुई और नई मशीन खरीदने के लिए अनुदान कब स्वीकार किया गया तथा अब तक न मशीन खरीदे जाने का क्या कारण है ?

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

के0 जी0 मेडिकल कालेज के लिए वर्ष 85 में इस हेतु मशीन खरीदने के लिए 35 लाख रुपया दिया गया।

श्री अशोक बाजपेयी—

अनुपूरक अनुदान में 30 लाख रुपया कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद को कोबाल्ट मशीन खरीदने के लिए दिया है, किन्तु दूसरे अस्पताल में जब उत्तर प्रदेश में थे, वहां पर ऐसी व्यवस्था न करके कमला नेहरु अस्पताल को इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध कराने का क्या कारण था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यह वहां भाभा रिसर्च सेन्टर से, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत आया है, उसके भवन के लिए हमने धन दिया है। शैय्याएं मोतीलाल नेहरु मेडिकल कालेज से सम्बद्ध हैं इसलिए जो वार्षिक अनुदान उनको दिया जाता है, प्रति शैय्या वह उसमें शामिल है, पूरा धन कोबाल्ट के लिए नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ और आगरा मेडिकल कालेजों में कोबाल्ट थैरेपी की सुविधा कब तक सुलभ करा दी जाएगी, क्योंकि उसके बिना जनता को बड़ी परेशानी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर के अनुसार मुझे विश्वास है कि जून, 86 तक दोनों जगह यह कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर इन्स्टीट्यूट, गोरखपुर में इस कार्य के लिए कितनी फीस ली जाती है ? और चूंकि उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति उसको देखते हुए, उनकी गरीबी को देखते हुए जितनी फीस ली जाती है, वह क्या उपयुक्त है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान स्वयंशासी संस्था है, यह उनके सोचने की बात है जो वह फीस रखें, जिससे वह उसे चला सकें। उत्तर प्रदेश में 84-85 के बजट में मैंने कहा था कि कैंसर के लिए जब हम अपने उपकरण लगायेंगे तो गरीब को छोड़कर जिनकी आमदनी 12 हजार रुपया वार्षिक से कम है, यह होगा और उनको कैंसर के ट्रीटमेन्ट के लिए 350 रुपया उत्तर प्रदेश शासन अनुदान देगी। बाकी लोगों को अपने पास से लगाना पड़ेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मन्त्री जी को जानकारी होगी कि कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में रेडियोलाजी डिपार्टमेन्ट और इसके टेकनीशियन्स नहीं हैं, जिसकी वजह से सप्ताह में दो बार जब टेकनीशियन्स बाहर से आते हैं, तभी इसके रोगियों को इसकी सुविधा उपलब्ध हो पाती है, तो क्या ऐसी स्थिति को देखते हुए वहां पर ऐसी व्यवस्था सुलभ करने के लिए या यहां पर टेकनीशियन्स की उपलब्धता को सुलभ करने के लिए आप अपनी तरफ से कोई कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, कमला नेहरू चिकित्सालय की प्रबन्ध समिति और उत्तर प्रदेश शासन के बीच में अभी एक निर्णय हुआ है जिसमें कमला नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद मेडिकल कालेज को कुछ शैय्यायें उपलब्ध करायेगा कैंसर के ट्रीटमेन्ट के लिये, कैंसर की चिकित्सा शिक्षा के लिये। इसके अन्तर्गत वहां पर जो चिकित्सक रखे जायेंगे, प्रोफेसर, लेक्चरर और रीडर, उत्तर प्रदेश शासन उनके वेतन की व्यवस्था करेगा। यह वार्ता अभी 15-20 दिन पहले हुयी है और निर्णय लिया गया है। बहुत शीघ्र इन पदों को विज्ञापित करके भरा जा रहा है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कमला नेहरू चिकित्सालय में ही यह व्यवस्था क्यों हो रही है? अपने मेडिकल कालेज में यह व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? वहां इसलिये हो रही है कि चूंकि अरूण नेहरू जी इसके चेयरमैन हैं इस लिये उनके प्रभाव में आकर वहां यह किया जा रहा है। मान्यवर, गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार चिकित्सालय में फीस लेते हैं। आपका इतना बड़ा बजट है, जो अपने प्रदेश में मेडिकल कालेज हैं, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, इलाहाबाद तो इनमें कोबाल्ट थैरेपी की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं ताकि आसानी से प्रत्येक क्षेत्र के लोग अपने करीब में ही मुफ्त चिकित्सा करवा सकें?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, हनुमान प्रसाद पोद्दार चिकित्सालय से वार्ता चल रही है कि वह अपने को गोरखपुर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध करें। सातवीं योजना के अन्तर्गत मेरठ, झांसी इन दो जगहों पर कोबाल्ट थैरेपी की व्यवस्था की जा रही है।

बुढ़वल शुगर मिल बाराबंकी में व्याप्त अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी ....

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

[निगम की इकाई बुढ़वल शुगर मिल से सम्बन्धित उक्त सूचना में यह उल्लेख किया है कि बुढ़वल चीनी मिल जब रिसीवरशिप में कार्यरत थी तो उक्त अवधि में मिल प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों के प्राविडेन्ड फण्ड का लाखों रुपया काट लिया गया था लेकिन प्राविडेन्ट फण्ड के कोष में यह पैसा जमा नहीं किया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि अब तक जो मजदूर सेवा-

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निवृत्त हो गए हैं, उनके प्राविडेन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी आदि की लगभग 32 लाख रुपये की धनराशि वापस नहीं की गई और इससे सेवानिवृत्त होने वाले मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं।

2—इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि बुढ़वल चीनी मिल दिनांक 5-8-1969 से रिसीवरशिप में ली गई थी और यह मिल रिसीवरशिप के अधीन 15-5-1979 तक कार्यरत रही। इस मिल को उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राज्य की अन्य चीनी मिलों के साथ दिनांक 3-7-71 को अधिग्रहीत किया गया था, लेकिन पुराने मिल मालिकों द्वारा अधिग्रहण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका से दायर कर दी गयी जिसके फलस्वरूप यह चीनी मिल उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के कब्जे में दिनांक 16-5-1979 को ही आ पायी।

3—दिनांक 16-5-1979 को जब इस चीनी मिल पर उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम का कब्जा हुआ, उस समय इस मिल पर रिसीवरशिप की अवधि का श्रमिकों का कुल 34.05 लाख रुपया बकाया था, जिसमें से उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा अधिग्रहण के समय प्राप्त चीनी को बेचने से जो मूल्य प्राप्त हुआ उससे एवं अपने स्रोतों से 10.51 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार रिसीवरशिप काल का 23.54 लाख रुपया भुगतान हेतु अवशेष रह गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	लाख रु0 में
1—बोनस, ओवरटाइम, वेतन	7.92
2—ग्रेच्युटी	5.67
3—प्राविडेन्ट फण्ड	5.89
4—अन्य देय	4.06
योग	23.54

उक्त चीनी मिल की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण रिसीवरशिप काल की अवशेष धनराशि का भुगतान उस समय नहीं हो सका। उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अनुसार अधिग्रहण के पूर्व की समस्त देनदारियों का भुगतान जिसमें श्रमिकों के उक्त देय भी शामिल हैं, का प्रतिकर की धनराशि से निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार विहित प्राधिकारी के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है।

बुढ़वल चीनी मिल के अधिग्रहण के उपरान्त श्रमिकों के विभिन्न देयों का भुगतान लगातार किया जाता रहा है। इस समय दिनांक 20 फरवरी, 1986 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है और ग्रेच्युटी ओवर टाइम तथा भविष्य निधि का जो 3.85 लाख रु0 बकाया है उसके लिये आवश्यक धनराशि मिल को भेज दी गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण के उपरान्त श्रमिकों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा गया है।]

श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि यह जो श्रमिक रिटायर हो चुके हैं और उनमें से बहुत से मर चुके हैं तो जो 23 लाख 54 हजार रुपया उनका बाकी है यह कब देंगे ? इसका पेमेन्ट कब होगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, यह जो 1971 में चीनी मिलों को अर्जित करने का कानून बना था उसमें जो प्राविधान हैं तो उसमें जो कम्पेन्सेशन मिलता है वह प्रायरिटी के हिसाब से दिया जाता है। प्रायरिटी के हिसाब से ही जो बकाये होते हैं वह पेमेन्ट किये जाते हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि वह धन जो इसमें कम्पेन्सेशन में मिला था वह धन निल हो चुका है। नियमानुसार उस कम्पेन्सेशन में, उस धन-राशि में से कोई राशि शेष नहीं है इसलिये इसको देने की स्थिति नहीं है।

श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, किसी भी इम्पलाई की तन-ख्वाह से जब पी0 एफ0 का पैसा काटा जाता है तो कानून है कि 15 दिन के अन्दर उसको कानपुर के आफिस में जमा हो जाना चाहिये। अगर नहीं जमा होता है तो यह जुर्म है, आफेन्स है। गैर कानूनी ढंग से पहले से श्रमिकों का पैसा काट लिया गया और कानपुर के आफिस में जमा नहीं किया गया है। दूसरी बात है कि श्रमिकों को प्रोटेक्शन मिलेगा या पूंजीपति को प्रोटेक्शन मिलेगा ? तो क्या सरकार श्रमिकों के पैसे को दिलवायेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, पहले से क्या किया गया यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जो कानून में स्थित है उसके अनुसार अधिग्रहण करने के बाद जो कम्पेन्सेशन है या लायबिलिटीज जो पहले की होती हैं उनको निल करते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, प्रॉविडेन्ट फण्ड में पैसा काटने के बाद प्राविडेन्ट फण्ड आफिस में पैसा जमा कराना चाहिये था तो इसका दोषी कौन है ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है रिसीवर शिप में जब कम्पनी थी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, जब रिसीवरशिप में कम्पनी आई, तो पार्टी हाई कोर्ट में चली गयी। 1979 में हमारे अधिग्रहण के बाद से लेकर अब तक का किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 43 मिनट पर सोमवार, 24 मार्च, 1986 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
22 मार्च, 1986।

पी0एस0यू0पी0—4 वि0 स0—दिनांक 11-7-86 813 प्रतियां (लाइनो)।